



अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान



शान्ति धारीवाल
मंत्री, नगरीय विकास,
स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग



मार्ग-निर्देशिका-1

प्रशासन शहरों के संग अभियान - 2021

विवरण सूची

अभियान सम्बन्धी आदेश (Master Circular) / अधिनियमों में संशोधन
आँनलाईन आवेदन प्रक्रिया
नगर मित्रों की भूमिका
जोनल प्लान/ले-आउट प्लान बाबतु दिशा-निर्देश
नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के तहत पट्टे जारी करना
कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे जारी करना
धारा 90-ए के तहत कार्यवाही व दी/दिनांक 17.06.1999 से पूर्व/दिनांक 17.06.1999 के बाद/मुओ-मोटी आधार पर धारा 90-ए के आदेश व ले-आउट प्लान अनुमोदन/ अभियान अवधि में देय वित्तीय एवं मानदंडों की छूट, कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 2012 का संशोधन (Resumption Charges आदि), टाउनशिप पालिसी बाबत
भू-उपयोग परिवर्तन
भूखण्डों का उपयिभाजन/पुर्णगठन
भवन निर्माण अनुमति/पुर्णग्रहण शुल्क (Resumption Charges), भूमि निष्पादन नियम 1974 में संशोधन
स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पट्टे
अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पट्टे
खांचा भूमि का आवंटन
भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का आवंटन
नाम हस्तान्तरण आदेश
गाड़ियां लुहारों, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों को आवास हेतु 50 वर्गमीटर के भू-खण्ड निःशुल्क आवंटन करना
नगरीय निकायों को दी जाने वाली शक्तियों बाबत/एम्पार्वर्ड कम्पेटी
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले कार्य
अभियान हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के आदेश
टेलीफोन नम्बरों की सूची

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021

मार्ग—निर्देशिका—1

अभियान ई—मेल आईडी : psksabhiyan21@gmail.com

अभियान वेबसाइट : shahar2021.rajasthan.gov.in

अभियान हैल्प डेस्क नम्बर : 1800-180-6127



मुख्य मंत्री
राजस्थान

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को गुजरातीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किए जाने एवं उनके प्रतिदिन के कार्य और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य के सभी नगरीय निकायों में महात्मा गांधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2021 से “प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021” का शुभारम्भ किया जा रहा है। अभियान का लाभ आमजन को पहुंचाने के उद्देश्य से इस अवसर पर जनहित में जारी की गई छूट एवं शिथिलताओं से संबंधित आदेशों और परिपत्रों का समावेश करते हुए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

अभियान में पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत रूप से चल रहे आवासीय, आर्थिक व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग के पटटे देने के लिए भी नीति निर्धारित की गई है। इसके अलावा कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के अनुमोदन, स्टेट ग्रान्ट एकट के अन्तर्गत पटटे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पटटे, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट प्लान अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन, उप विभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण प्रक्रिया का सरलीकरण कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

आशा है अभियान में सभी जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारीगण सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें राहत पहुंचाने एवं प्रदेश के विकास में सार्थक सहयोग प्रदान करेंगे।

यह मार्ग-निर्देशिका अभियान के दौरान नगरीय निकायों के लिए कार्यों को सुगम रूप से क्रियान्वित करने में बहुउपयोगी सिद्ध होगी।

मैं “प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021” की सफलता एवं मुचारू संचालन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(अशोक गहलोत)



मंत्री

नगरीय विकास आवासन एवं
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान मरकार

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के मार्ग दर्शन में प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याओं के मौके पर त्वरित निस्तारण के लिए 02 अक्टूबर, 2021 से एक अभूतपूर्व प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में किये जाने वाले कार्यों के मुगम निस्तारण के लिए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में नगरीय क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पट्टें दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दौरान आवासीय योजनाओं में पट्टों का वितरण अधिसूचित कर्त्त्वी बस्तियों व भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे जारी करना, खाचा भूमि का आवंटन, भवन मानचित्र एवं ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन, उप विभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तातरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेशन प्रकरणों का निस्तारण तथा क्षतिग्रस्त, दूटी सड़कों, नालियों, पुलियों की मरम्मत, पंचायत लाइनों के लीकेज ठीक करना, लटके हुए तारों की व्यवस्थित व शिपट करना, कनेक्शन जारी करना आदि कार्य किये जायेंगे।

कोविड-19 को देखते हुए इस बार अभियान में आमजन को ऑनलाइन आवेदन किये जाने की सुविधा वेब-पोर्टल "shahar2021.rajasthan.gov.in" का एवं हेल्प डेस्क टौल फ्री नं. 1800-180-6127 का शुभारंभ किया गया है। आम नागरिकों को तकनीकी सुविधा के लिए, यदि वे चाहें तो नगर मित्र की सेवाएं भी ले सकते हैं।

मुझे पूर्ण आशा है कि इस अवसर पर प्रकाश्य मार्ग-निर्देशिका अभियान के दौरान नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उपयोगी रहेगी। अभियान में स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मिलकर मेहनत और लगन से कार्य करते हुए आमजन की कठिनाईयों के त्वरित निवारण में अपना योगदान देंगे।

मैं इस शाश्वत अभियान के सफल संचालन की कामना के साथ-साथ मार्ग-निर्देशिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

(शांति धारीवाल)



सलाहकार
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन
एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार
advisor.udh@rajasthan.gov.in

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के नगरीय निकायों से जुड़े कार्यों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी की जयन्ती 02 अक्टूबर, 2021 से “शहर-2021” प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें जनहित में जारी की गई छूट व शिथिलताओं से संबंधित आदेशों व परिपत्रों का समावेश किया गया है।

“शहर-2021” जन-जन का अभियान है जिसमें नगरीय निकायों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य मौके पर ही सम्पादित किये जायेगे। इन कार्यों के सम्पादन के लिए संबंधित विभागों व नगरीय निकायों द्वारा तैयारियाँ की गई हैं। “कोविड-19” को देखते हुए अधिकांश कार्य ऑनलाईन सम्पादित किये जायेगे। इसके लिए एक पोर्टल <https://Shahar2021.rajasthan.gov.in> बनाया गया है। अभियान में सभी कार्य निर्धारित अवधि में हो सके, इसकी पूर्ण व्यवस्था की जारी है।

मुझे विश्वास है कि इस अवसर पर प्रकाशित की जा रही मार्ग-निर्देशिका अभियान में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों का मार्ग-दर्शन करेगी तथा नागरिकों को कार्य-प्रक्रिया, छूट व शिथिलताओं की जानकारी दें सकेगी।

मैं “शहर-2021” के सफल संचालन व मार्ग-निर्देशिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(डॉ. जी.एस. सैनी)



प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT
URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के शाही क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की समस्याओं का मौके पर तत्काल निस्तारण करने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से सभी निकाय क्षेत्रों में 02 अक्टूबर, 2021 से “प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021” आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस अवसर पर अभियान के दौरान दी गई छूट व शिथिलताओं से संबंधित आदेशों व परिपत्रों का समावेश करते हुए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 इस अभूतपूर्व अभियान में मुख्य रूप से किये जाने वाले कार्यों में कृषि भूमि पर वसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कबूली का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों के द्वारा नीलाम/आवंटन किये गये भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी करना एवं आवासीय निर्माणों का नियमन आदि शामिल हैं।

इस अवसर पर प्रकाशित की जा रही मार्ग-निर्देशिका निकायों के कार्मिकों के साथ ही शहर के आम नागरिकों का भी मार्गदर्शन करेगी एवं उनके लिए लाभप्रद रहेगी।

मैं मार्ग-निर्देशिका के सफल प्रकाशन के लिये अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ।

लल सिंह
(शृंजी) लल सिंह



शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान सरकार, जब्बपुर

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्रों के नागरिकों के नगरीय निकायों से जुड़े कार्यों एवं समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए 02 अक्टूबर, 2021 से “प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021” का आयोजन किया जा रहा है तथा इस अवसर पर नगरीय निकायों एवं आमजन के मार्गदर्शन के लिए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान की सफलता के लिए सभी नगरीय निकायों की संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को अभियान से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया एवं उन्हें अभियान में कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कोविड-19 को देखते हुए अभियान में सभी आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि में किये जाने की व्यवस्था भी की गई है। अभियान में जहाँ एक और जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण ही संकेत वही दूसरी और नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

अभियान का संचालन सुव्यवस्थित हो एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से हो एवं आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की छूट व शिथिलताएं, परिपत्र एवं आदेश जारी किये हैं जिनका समावेश प्रकाश्य मार्ग-निर्देशिका में किया जा रहा है। यह मार्ग-निर्देशिका अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों का पथ-प्रदर्शन करेगी।

मैं अभियान की सफलता तथा मार्ग-निर्देशिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

(भवानी सिंह देवा)



निदेशक एवं विशिष्ट सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

संदेश

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के मौके पर निपटारण करने के लिए प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" का आयोजन किया जा रहा है तथा इस अवसर पर एक मार्ग-निर्देशिका का भी प्रकाशन किया जा रहा है।

कोविड-19 को देखते हुए, नागरिकों की नगरीय निकायों से जुड़ी सभी समस्याओं का त्वरित निपटारण ऑनलाइन किया जायेगा। नगरीय निकायों द्वारा अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी प्रारम्भिक तैयारियों पूर्ण कर ली गई है। संभाग स्तर पर अभियान से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यशालाओं के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान 10 लाख से अधिक पट्टे दिये जाने एवं समस्याओं के शीघ्र निपटारण के लिये निर्देश प्रदान किये गये हैं। पट्टे मिलने से आमजन को वित्तीय संस्थाओं से क्रण लेने में आसानी रहेगी। अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण छूट एवं शिथिलताएं दी जाकर आदेश व परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनका समावेश करते हुए एक मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मैं प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के सफल संचालन की सभी सेवायोग की कामना करता हूँ।


(दीपक नन्दनी)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अभियान सम्बन्धी आदेश (Master Circular)/अधिनियमों में संशोधन	1-49
2.	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया	51-56
3.	नगर परिवारों की भूमिका	57-60
4.	जोनल प्लान/ले-आउट प्लान बाबत् दिशा-निर्देश	61-80
5.	नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के तहत पट्टे जारी करना	81-100
6.	कृषि भूमि पर बर्सी कॉलोनियों के पट्टे जारी करना धारा 90-ए के तहत कार्यवाही व दरें/दिनांक 17.06.1999 से पूर्व/दिनांक 17.06.1999 के बाद/सुओ-मोटो आधार पर धारा 90-ए के आदेश व ले-आउट प्लान अनुमोदन/ अभियान अवधि में देय वित्तीय एवं मानदंडों की छूट. कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 2012 का संशोधन (Resumption Charges आदि), टाउनशिप पालिसी बाबत्	101-139
7.	भू-उपयोग परिवर्तन	141-161
8.	भूखण्डों का उपचिभाजन/पुर्णगठन	163-174
9.	भवन निर्माण अनुमति/पुर्णग्रहण शुल्क (Resumption Charges), भूमि निष्पादन नियम 1974 में संशोधन	175-195
10.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे	197-205
11.	अधिसूचित कच्ची वस्तियों के पट्टे	207-218
12.	खांचा भूमि का आवंटन	219-221
13.	भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का आवंटन	219-221
14.	नाम हस्तान्तरण आदेश	223-231
15.	गाड़ियां लुहारों, चिमुक्त, धुमन्तू एवं अर्द्धधुमन्तू जातियों को आवास हेतु 50 वर्गगज के भू-खण्ड निःशुल्क आवंटन करना	233-235
16.	नगरीय निकायों को दी जाने वाली शक्तियों बाबत्/एपावर्ड कमेटी	237-240
17.	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले कार्य	241-244
18.	अभियान हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के आदेश	245-252
19.	टेलीफोन नम्बरों की सूची	253-258

नगरीय विकास से सम्बन्धित निम्न नीतियाँ/ नियम/ आदेश/ परिपत्र एवं अभियान प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र विभाग एवं अभियान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:-

1. उपविभाजन/पुनर्गठन नियम-1975
2. टाउनशिप पॉलिसी-2010
3. भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010
4. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोगन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012
5. नगरीय विकास विभाग का आदेश दिनांक 06.01.2016 (सरकारी भूमि बाबत)
6. नगरीय विकास विभाग द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण के दिशा-निर्देश बाबत जारी परिपत्र दिनांक 18.07.18 (90-A प्रक्रिया बाबत)
7. नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015
8. मौँडल भवन विनियम-2020
9. नगर मित्र आदेश एवं नगर मित्रों की सूची
10. भूमि निष्पादन नियम, 1974
11. अधिनियम/नियमों में किये गये संशोधन
12. प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र

<https://urban.rajasthan.gov.in>

<http://lsg.urban.rajasthan.gov.in>

<http://cmar-india.org/>

<https://shahar2021.rajasthan.gov.in>

अभियान सम्बन्धी आदेश /
अधिनियमों में संशोधन

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि / अभियान / 2021 / मं.मं.ज्ञा

जयपुर, दिनांक: 28.09.2021

आदेश

विषय :—प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 के दौरान नगरीय निकायों (प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/राजस्थान आवासन मण्डल/बीड़ा) द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों बाबत।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा की पालना में शहरी नागरिकों की कठिनाईयों के निवारण तथा समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “शहर—2021” के नाम से “प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021” चलाये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। यह अभियान दिनांक 02.10.2021 से प्रारम्भ किया जावेगा।

1. अभियान को तीन चरणों में सम्पादित किया जावेगा :—

- (i) प्रथम चरण में निकाय स्तर पर प्रारम्भिक तैयारियाँ शिविर दिनांक 15.09.2021 से 30.09.2021 तक आयोजित किये जायेंगे।
 - (ii) द्वितीय (मुख्य) चरण में निकाय स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किये जायेंगे।
 - दिनांक 02.10.2021 से 31.12.2021 प्रथम फेज।
 - दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 15.01.2022 तक प्रगति की समीक्षा व आवश्यकतानुसार निर्णय।
 - दिनांक 16.01.2022 से 31.03.2022 द्वितीय फेज (Repeat शिविर)।
- (iii) तृतीय चरण में फोलोअप शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिनमें मुख्य शिविर में निस्तारण से शेष रहे आवेदनों का निस्तारण किया जावेगा।

2. “शहर—2021” की विशिष्टताएँ :—

- i. नागरिकों से आवेदन पत्र ऑफलाईन एवं ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से नगरीय निकायों द्वारा प्राप्त किये जाकर इनका निस्तारण किया जावेगा।
- ii. एक विशेष डैशबोर्ड के माध्यम से अभियान की प्रगति की लगातार समीक्षा की जावेगी।
- iii. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नगरीय निकायों एवं नागरिकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई आईटी एप्लीकेशन <https://shahar2021.rajasthan.gov.in/> के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- iv. नागरिकों के समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर हैल्प डेर्स्क (टोल फ्री नं. 18001806127) स्थापित किया गया है।
- v. आमजन को तकनीकी सहायता हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रत्येक निकाय स्तर पर ‘नगर मित्र’ की सुविधा प्रदान की गयी है। ये पंजीकृत नगर मित्र जो कि तकनीकी योग्यताधारी प्रोफेशनल्स हैं। जैसे आर्किटेक्ट, सिविल इन्जीनियर आदि हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर नागरिकों को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करायेंगे।
- vi. विभिन्न नगरीय निकायों में कर्मचारियों की कमी पूर्ति हेतु सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये जाने हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सियों का चयन किया गया है, जिनके माध्यम से आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध करवाये जाएंगे।

- vii. विभिन्न प्रकार के पट्टों के प्रारूप का सरलीकरण किया गया है तथा इन्हें पृथक—पृथक रंगों में तैयार किया गया है, ताकि पट्टे में प्रदत्त भू—प्रयोजन की पहचान हो सके।
- viii. अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों के संबंध में अधिसूचना, नीति, आदेश व परिपत्र आदि जारी किये गये हैं, जिनका बुकलेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा तथा 'शहर—2021' की वैबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जावेगा।
- 'शहर—2021' में किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों की सूची परिशिष्ट—1 पर सलग्न है।
- अभियान में सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्यों बाबत दिशा—निर्देश—
3. नगरीय क्षेत्रों में स्थित गैर कृषि/आबादी भूमि में स्वामित्व अधिकार अभ्यर्पण कराकर नवीन पट्टे दिया जाना :—
- 3.1 नगरीय क्षेत्रों में परम्परागत रूप से बसी पुरानी आबादी क्षेत्र/सघन आबादी क्षेत्र/गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में स्थित भूखण्डों एवं निर्मित भवनों को फी होल्ड पट्टे दिये जाएंगे।
- 3.2 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69—ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54—ई, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50—बी व नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 (c) के तहत नगरीय क्षेत्र में स्थित गैर कृषि/आबादी भूमि में पट्टे दिये जाने बाबत विधिक प्रावधान किए गए हैं।
- (i) नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका सीमा में स्थित चारदीवारी/पुरानी आबादी क्षेत्र/सघन आबादी क्षेत्रों की बसावट परम्परागत रूप से हुई है, जिनमें सङ्को की चौड़ाई, भवन रेखा, आच्छादन, भवनों की उच्चाई पूर्व से ही निर्धारित है। ऐसे परम्परागत रूप से विकसित हो चुके आबादी क्षेत्रों में भवनों में आंशिक रूप से 'नीचे दुकान—ऊपर मकान' मिश्रित उपयोग की प्रथा रही है तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे किराना, डेयरी, स्टेशनरी, कपड़ा, चाय आदि के साथ—साथ परम्परागत व्यवसाय/कौशल से संबंधित दुकानों यथा मूर्तिकला, हस्तकला, संगीत उत्पाद, खाद्य पदार्थ तथा शैक्षणिक/चिकित्सा/सामुदायिक सुविधाएं भी स्थित हैं।
- भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परम्परागत रूप से बसे पुराने आबादी क्षेत्र/सघन आबादी क्षेत्रों हेतु सुविधाजनक दुकानों को अनुज्ञेय किये जाने का प्रावधान उपलब्ध है तथा साथ ही इन क्षेत्रों में विद्यमान भवन रेखा को यथावत रखते हुये, भवनों के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
- (ii) अतः ऐसे पुरानी/सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत बसावट को यथावत रखते हुये आवासीय, व्यवसायिक तथा मिश्रित उपयोग हेतु पट्टे दिये जायेंगे। इनके ऐतिहासिक महत्व/धरोहर को भी पूर्ण रूप से संरक्षित रखने हेतु तैयार हैरिटेज बायलॉज का भी ध्यान रखा जावेगा। इन आबादी क्षेत्रों में भूमि एवं भवनों का स्वामित्व संयुक्त या आपसी विभाजन/बांटवारे के अनुसार होने पर मौके की स्थिति अनुसार संयुक्त या अलग—अलग पट्टा दिया जावेगा। इस प्रक्रिया में उपविभाजन/पुनर्गठन नियम लागू नहीं होंगे। (आदेश दिनांक 21.10.2020)
- (iii) पुरानी परम्परागत आबादी के अलावा कई पूर्व राजा—महाराजाओं/जागीरदारों द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि का उप—विभाजन कर भूखण्डों के रूप में विक्रय किया गया है, उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत बसी हुयी कॉलोनियों को यथावत बसावट के अनुरूप पट्टे दिये जायेंगे।
- (iv) गैर—कृषि खातेदारी भूमि, गैर मुमकिन आबादी भूमि, ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, ग्रामीण क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि जो नगरीय सीमा में सम्मिलित हो चुकी है एवं नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत जारी गैर—कृषि

प्रथोजनार्थ रूपान्तरण आदेश/पट्टे, स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पूर्व में जारी पट्टे/पूर्व में किसी भी विधि अनुसार निकायों को छोड़कर जारी किये गये पट्टे संबंधित नगरीय निकाय में समर्पित किये जाकर नये पट्टे प्राप्त किये जा सकेंगे।

- 3.3 परम्परागत रूप से बसी पुरानी आवादी/सघन आवादी क्षेत्रों में भूमि एवं भवनों का नियंजन अनियमित रूप से होने के कारण उनका सही माप संभव नहीं हो पाता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में भूमि एवं भवनों का माप एवं देय राशि का भवन स्वामी द्वारा स्व—माप/स्व—निर्धारण (Self Measurement/Self Assessment) कर नगरीय निकाय को दिया जायेगा। इस कार्य में 'नगर मित्र' की सहायता ली जा सकती है।
- 3.4 पुरानी आवादी पर दिये जाने वाले फ्री होल्ड पट्टों पर कोई लीज राशि वसूलनीय नहीं होगी। यदि कोई आवेदक पूर्व में जारी लीज डील/पट्टा/रूपान्तरण आदेश सरेण्डर कर फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करता है तो भूखण्ड के पेटे बकाया लीज राशि एवं 10 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि वसूल की जाकर ही फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जायेगा। बकाया व्याज में शत प्रतिशत व लीज राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देय है।
- 3.5 ऐसी भूमियों की नियमन प्रक्रिया एवं नियमों में जटिलता को दूर करने हेतु विभाग द्वारा समीक्षा की जाकर नगरपालिका अधिनियम, 2009 व 2015 के नियमों में संशोधन किया गया है तथा इस संबंध में विस्तृत परिपत्र, जिसमें प्रक्रिया व दरें दर्शायी गई हैं, जारी किया गया है। (अधिसूचना दिनांक 20.09.2021, परिपत्र दिनांक 27.09.2021)

4. स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पट्टे देना:-

- पूर्व अभियान की भाँति (कट ऑफ डेट सामान्य वर्ग हेतु 01.01.1990 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु 01.01.1996) राजस्थान स्टेट गवर्नरेन्ट ग्रान्ट एकट, 1961 के तहत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक पूर्व में निर्धारित एक रूपये टॉकन दर पर आवासीय पट्टा जारी किया जायेगा।
5. कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियों में मास्टर प्लान/जोनल डिवलपमेंट प्लान/स्वीकृत की गयी योजनाओं के अनुरूप पट्टे देना :-
 - 5.1 कृषि भूमि पर विकसित योजनाओं/कॉलोनियों में सेक्टर/ले—आउट प्लान तैयार कर पट्टे दिये जाने के संबंध में :-
कृषि भूमि पर विकसित गैर अनुमोदित कॉलोनियों के ले—आउट प्लान तैयार कर पट्टे दिये जावेंगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर खण्ड पीठ के जनहित याचिका संख्या 1554 / 2004 (गुलाब कौठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिये निर्णय दिनांक 15.12.2018 के बिन्दु सं. 54 (e) में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैं।

"The Respondents are further directed not to permit conversion of land use/regularisation of unauthorised colony or individual unauthorised constructions until and unless the Zonal Development Plan and Sector Plans for the local area concerned governed by Master Development Plan are prepared, finalised and notified in accordance with law. Further the conversion of the land use or regularisation of unauthorised development shall not be permitted unless the unauthorised development undertaken fulfills the norms laid down for requisite infrastructure facilities and amenities and conforms to the Master Development Plan/Zonal Development Plans/Schemes duly notified."

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना किये जाने हेतु कृषि भूमि पर विकसित योजनाओं के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

- (i) जिन नगरीय क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स दिनांक 04.04.2019 के तहत प्रोपर्टी लेवल

चेसमेप, वर्तमान भू-उपयोग मानवित्र तैयार किया जाकर समस्त कमिटमेंट एवं ले-आउट प्लान को सुपरइम्पोज करते हुए जोन की आवश्यकतानुसार 18.0 मीटर चौड़ाई की सड़कों एवं सामुदायिक सुविधा क्षेत्रों हेतु भूमि का नियोजन किया जाकर जोनल डबलपर्मेंट प्लान तैयार किये जा चुके हैं, तो ऐसे नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर विकसित हो चुकी अथवा प्रस्तावित योजनाओं का जोनल डबलपर्मेंट प्लान में दर्शाये भू-उपयोग अनुसार एवं प्रस्तावित सड़कों तथा सुविधा क्षेत्रों की भूमि जोनल डबलपर्मेंट प्लान अनुसार सुनिश्चित करते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदन पश्चात् पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

- (ii) मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों के नेटवर्क एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि के क्षेत्रफल को कायम रखते हुये योजनाएँ अनुमोदित की जावेगी। प्रस्तावित सड़कों का एलाइनमेंट एवं सुविधा क्षेत्र की लोकेशन में मौका स्थिति के अनुसार योजना भूमि के अन्दर ही नगरीय निकाय के स्तर पर एम्पार्ड समिति द्वारा अनुमोदित करते समय परिवर्तन किया जा सकेगा।
- (iii) राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए अनुज्ञा व आवेटन) नियम, 2012 के नियम 15(4) में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सृजित एवं तत्त्वमय 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण होने पर विकाय योग्य क्षेत्र व सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70:30 रखे जाने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात् बसी हुयी कॉलोनियों में 60:40 अनुपात रखे जाने का प्रावधान है। अतः यथासंभव इसकी पालना सुनिश्चित की जावेगी।
- (iv) ऐसी आवासीय योजनाएँ जो कि पूर्व में ही विकसित हो चुकी हैं, तथा जिनमें 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' के प्रावधान लागू हैं। उनमें आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले भूखण्डों की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की जाती है। ऐसी योजनाओं में उक्त आयवर्गों हेतु भूखण्डों की कमी की पूर्ति नगरीय निकाय स्तर पर किये जाने के लिए प्रत्येक भूखण्डधारी से 25/- प्रति व.मी.की दर से बी.एस.यू.पी. शैल्टर फण्ड की राशि वसूल की जावेगी। (आदेश दिनांक 20.09.2021)
- (v) कतिपय स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित खसरों का सुपर इम्पोज से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कि सुपर इम्पोज खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारी के स्वामित्व दस्तावेजों में अंकित खसरा नम्बर में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि विक्रेता के स्वामित्व से संबंधित विवाद ना हो तो इसे सुपर इम्पोजिशन एवर मानते हुये भूखण्डधारी को पट्टा जारी किया जा सकेगा। नई स्वीकृत किये जाने वाले ले-आउट प्लानों आन्तरिक खसरा सुपरइम्पोज करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु ले-आउट के चारों तरफ की सीमायें निर्धारित कर ली जावें। (आदेश दिनांक 20.09.2021)
- (vi) ऐसे नगरीय क्षेत्र जिनमें केवल नगर पालिका/नगर परिषद ही कार्यरत है, उनमें नगर पालिका सीमा के बाहर परिधि क्षेत्रों/मास्टर प्लान के पेरीफेरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के अनुमोदन पश्चात् ले-आउट अनुमोदन कर विकास के कार्य संबंधित नगर पालिका/परिषद द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- (vii) आवेदक के स्वामित्व से मौके पर ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि अधिक होने पर स्वामित्व से अधिक भूमि की राशि राजकीय भूमि की दर से देय होगी। (आदेश दिनांक 20.09.2021)
- (viii) जयपुर में कतिपय गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि पर अव्यवस्थित एवं अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित किये जाने के कारण जयपुर नगरीय क्षेत्र में सुनियोजित विकास किये जाने में विकट स्थिति उत्पन्न हुयी है। दिनांक 17.06.1999 तक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सृजित कॉलोनियों को मान्यता दी गई है जिन्हें इसके बाद गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम से सृजित किसी कॉलोनी को मान्यता नहीं दी गई है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अभियान अवधि एवं इसके पश्चात् भविष्य में 17.06.1999 के बाद गृह निर्माण सहकारी समितियों के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे तथा नगर निकायों द्वारा

उन्हें जमा नहीं किया जायें। ऐसी कॉलोनियों में समिति के पट्टे के आधार पर नियमन / आवंटन नहीं किया जावेगा लेकिन भौके पर काबिज भूखण्डधारी को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नियमन / आवंटन की कार्यवाही कर पट्टे दिये जावेंगे। इस संबंध में पृथक से विस्तृत निर्दश अधिसूचना दिनांक 09.09.2021 के माध्यम से जारी किये गये हैं।

- (ix) ऐसे नगरीय क्षेत्र, जिनमें जोनल डबलपर्मेंट प्लान अनुमोदित किया जा चुका है अथवा उपरोक्तानुसार प्रत्येक सेक्टर / ले—आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में नियमन एवं पहुंच जारी किये जाने की कार्यवाही के साथ—साथ संदर्भित नगरीय निकाय की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा आधारभूत सुविधाएँ यथा सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज आदि का भी तकनीना तैयार कर प्लान तैयार किया जावेगा तथा प्रत्येक सेक्टर ले—आउट प्लान में 60 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों के पहुंच जारी हो जाने की स्थिति में आधारभूत सुविधाएँ विकसित किये जाने वाले कार्य आरम्भ किये जायेंगे।
- 5.2 पूर्व के वर्षों में स्वीकृत ले—आउट प्लान को यथावत रखते हुए तत्समय दी गई छूट / रियायतों के तहत ही शेष पट्टे दिये जावेंगे।
- 5.3 दिनांक 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बर्सी हुई कॉलोनीयों में भूखण्डधारियों / विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा स्वप्रेरणा से 90—ए की कार्यवाही की छूट—
कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90—ए(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात् की कॉलोनियों में धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—के एवं तत्त्वधीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम, 2012 के नियम 4 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी / विकास समिति के प्रार्थना—पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से भी स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने के अधिकार निकाय के प्राधिकृत अधिकारियों को प्रदान किये जाते हैं। (अधिसूचना दिनांक 17.09.2021)
- 5.4 विद्यमान पहुंचमार्ग में छूट—
टाउनशिप पॉलिसी 2010 में दिनांक 10.08.2020 को किए गए संशोधन अनुसार योजना के क्षेत्रफल व योजना के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम पहुंचमार्ग आवश्यक है। न्यूनतम विद्यमान पहुंच मार्ग 12 मीटर (40 फीट) अथवा विद्यमान पहुंच मार्ग के मध्य से 6—6 मीटर चौड़ी भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुंच मार्ग 30 फीट भी स्थानीय स्तर पर स्वीकृत किया जा सकता है। अतः बर्सी हुई कॉलोनीयों हेतु न्यूनतम विद्यमान पहुंच मार्ग 9 मीटर (30 फीट) रखा जावेगा। यदि ऐसी योजना विद्यमान आवादी क्षेत्रों के मध्य स्थित है, तो पहुंच मार्ग भौके की स्थिति अनुसार रखा जाकर नियमन की कार्यवाही की जा सकेंगी तथापि ऐसे क्षेत्रों हेतु रोड नेटवर्क जोनल डबलपर्मेंट प्लान के माध्यम से सुनिश्चित किया जावेगा।
- 5.5 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत अन्य छूट—
राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के संबंध में दी जाने वाली अन्य छूट के संबंध में परिपत्र पृथक से जारी किया जावेगा।
- 5.6 मास्टर प्लान / जोनल डबलपर्मेंट प्लान के अनुसार व्यावसायिक / मिश्रित / संस्थानिक / औद्योगिक आदि प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन एवं पट्टे दिया जाना —
नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान / जोनल डबलपर्मेंट प्लान में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नगरों की प्रमुख सड़कों / क्षेत्रों की व्यावसायिक / मिश्रित / संस्थानिक / औद्योगिक आदि भू—उपयोग प्रस्तावित किया गया

है। अतः ऐसी प्रमुख सड़कों/क्षेत्रों एवं योजनाओं में स्थित भूखण्डों/निर्मित भवनों आदि को मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेंट प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग अनुसार विशिष्ट योजना तैयार की जावेगी ऐसी विशिष्ट योजनाओं में मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेंट प्लान अनुसार मार्गाधिकार रखते हुये भवन रेखा, भवनों की संचाइ, आच्छादन, बी.ए.आर. का विशिष्ट योजना के अंतर्गत विद्यमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया जाकर पार्किंग हेतु समुचित प्रावधानों हेतु रथल चिन्हित कर एवं देय शुल्क के निर्धारण पश्चात् विधिक प्रक्रिया के तहत सुझाव/आपत्ति आमन्त्रित की जाकर समग्र नीति अनुसार विशिष्ट योजना का अनुमोदन कर तदनानुसार पट्टे दिये जावें। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत गाईडलाईन पृथक से जारी की जावेगी।

5.7 धारा 90—ए के निर्णय के पश्चात् नामान्तरण निकाय के पक्ष में खोलने वाले —

- (i) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए एवं इसके अधीन बने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 7(3) एवं नियम 13(7) के अनुसार खातेदारी अधिकार समाप्त होने एवं भूमि के नगर निकाय के व्याधीन माना जाने के आदेश के साथ ही भूमि का नामान्तरण संबंधित तहसीलदार द्वारा नगर निकाय के पक्ष में 7 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान हैं। उक्त नियम में यह भी प्रावधान है कि नामान्तरण नहीं किये जाने की स्थिति में भी नियमन की कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी। इसी प्रकार धारा 90वी के तहत भी जो भूमियों नगर निकाय में निहित हो चुकी है उनका नामान्तरण यदि अभी तक नगर निकाय के पक्ष में नहीं हुआ है तो उन्हें स्वतः ही नगर निकाय के पक्ष में दर्ज मान लिया जायेगा और नामान्तरण के अभाव में नियमन की कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी। अतः 90—ए/90—वी के आदेश हो चुकी कॉलोनियों एवं अवास की गई भूमि का नामान्तरण स्थानीय निकाय के नाम करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
- (ii) इसी प्रकार तकासमा के प्रकरणों में भी नामान्तरण की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तकासमा किये जाने पर निर्णय की क्रियान्विति के लिए नामान्तरण कर राजस्व नक्शा एवं जमाबन्दी में अंकन किया जावेगा। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचना 3 दिवस के भीतर संबंधित तहसीलदार को दी जावेगी, जिसका तत्काल नामान्तरण दर्ज किया जायेगा। नामान्तरण के अभाव में पट्टे की कार्यवाही रोकी नहीं जावेगी।

6. स्टाम्प शुल्क में छूट —

- 6.1 वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में सृजित भूखण्डों का अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रय करने पर अंतिम क्रेता से भूखण्ड के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रत्येक विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी लेने का प्रावधान था जिसमें खातेदार व उसके पश्चातवर्ती क्रेताओं को जोड़ते हुए मध्यवर्ती दस्तावेजों पर केवल भूखण्ड के भूमि के मूल्य के 20 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना एवं निर्माण पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है।
- 6.2 राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 के नियम 11(3) में पट्टा उस व्यक्ति को जिसको 90—ए के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान की गई है, अथवा उसके उत्तराधिकारी, हस्तान्तरिती व असाईनी को दिये जाने का प्रावधान है। टाउनशिप पॉलिसी—2010 के अनुसार खातेदार/विकासकर्ता द्वारा अधिकृत नोमिनी को प्रोविजनल पट्टा (प्रपत्र—द) के आधार पर पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड के विकसित करने पर एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में प्रोविजनल आवंटन पत्र/नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट—द पर 500/- रुपये के स्टाम्प ड्यूटी पर पंजीयन किए जाने की छूट प्रदान की गई है।

उक्त से भिन्न में प्रतिफल राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी एवं न्यूनतम 500/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

- 6.3 नगरीय निकाय द्वारा जारी भूखण्ड के पंजीकृत पट्टों को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करना, पंजीकृत विक्रय-पत्र के आधार पर नाम परिवर्तन करना, उप-विभाजन / पुनर्गठन करना एवं भू-उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही के पश्चात आदेश जारी किए जाते हैं। इन सभी प्रकरणों में पूर्व में जारी किए गए पट्टों को 100/- रुपये के स्टाम्प पर समर्पण कराकर पूर्व पट्टे का उल्लेख करते हुए फ्री होल्ड का नया पट्टा दिया जाना एवं यदि लीजहोल्ड पट्टा वांछित होने पर शेष अवधि का लीजहोल्ड का नया पट्टा दिया जाना, लीज-होल्ड को फ्री-होल्ड में बदलना, पंजीकृत विक्रय-पत्र के आधार पर नाम परिवर्तन एवं उप-विभाजन / पुनर्गठन संबंधी प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी 500/- रुपये लिये जाने एवं भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में निकाय में जमा कराई गई भू-उपयोग परिवर्तन राशि पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
7. निकायों की योजनाओं के भूखण्डों के विलम्ब से राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट देकर पट्टे देना –

निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर से ऑवेटिट भूखण्डों के निर्धारित भुगतान अवधि के पश्चात पूर्ण / आंशिक राशि जमा करायी गई है। ऐसे प्रकरणों में जिनमें पूर्ण राशि जमा करायी जा चुकी है मगर ब्याज व शास्ति के कारण आवंटन पत्र / कब्जा नहीं दिया जा रहा है, के संबंध में अभियान अवधि में ब्याज व शास्ति राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये आवंटन पत्र / लीज-डीड / कब्जा दिया जायेगा।

8. प्राधिकृत अधिकारी को शक्तियां—

8.1 धारा 91 एवं धारा 53(2)(ii) की तहसीलदार की शक्तियां देना—

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) में अकृषि उपयोग की अनुज्ञा हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 17.06.1999 के पश्चात वसी हुई कॉलोनियों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए(5) एवं 91 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है तथा खातेदारों की सहमति के आधार पर तकासमा / विभाजन शीघ्र किया जाना आवश्यक होता है। अतः समय समय पर सीमित समय के लिए धारा 91 एवं काश्तकारी (Tenancy) अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (ii) के अंतर्गत तहसीलदार पर अधिरेपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग उनके क्षेत्राधिकार में करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

8.2 90-ए के द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने के पश्चात मौके व रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार समस्त अधिकारी कार्यवाही नगरीय निकाय द्वारा ही की जाती है। ऐसी भूमि जिसके खातेदारी अधिकार अपास्त हो चुके हैं मगर खातेदारों में फिर भी आपसी सहमति नहीं है एवं मौके पर गैर कृषि उपयोग किया जा चुका है, ऐसी भूमियों के संबंध में स्थानीय निकाय के संबंधित अधिकारी द्वारा समग्र तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

9. जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में —

नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 29.01.2020 के तहत खातेदारों द्वारा दिनांक 17.06.1999 से लेकर वर्ष 2012 तक पंजीकृत / अपंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा बेचान कर भूखण्ड सृजित किये जाने व अन्य परिस्थितियों में पृथ्वीराज नगर हेतु निर्धारित दरों पर आवंटन का प्रावधान किया गया था। निजी खातेदारी की आवाप्तशुदा भूमि पर विकसित ऐसी योजनाओं में आवंटन करने हेतु पूर्व में ऐसे प्रकरणों में निजी खातेदारों द्वारा रिकॉर्ड एवं सदस्यता सूची जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं की हुयी है। ऐसे प्रकरणों में रिकॉर्ड की कट आफ डेट एवं योजना अनुमोदन हेतु आवासीय तथा सुविधा क्षेत्र का अनुपात भी

तथा नहीं किया हुआ है। पृथ्वीराज नगर योजना में आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 में उक्त समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

10. आवासन मण्डल व निकायों की अवाप्तशुदा भूमि एवं निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनीयों के मास्टर प्लान/जॉनल डबलपर्मेंट प्लान/स्वीकृत की गई योजनाओं के अनुरूप पट्टे देने के संबंध में –

राजस्थान आवासन मण्डल व निकायों की अवाप्तशुदा भूमियां जिन पर आवासीय कॉलोनियां/हॉस्टल आदि (संपूर्ण या आंशिक रूप से) सृजित/निर्मित हो चुके हैं, अवाप्ति का मूल उददेश्य पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे खसरा नम्बरों की भूमियों का उनके मौके की स्थिति व मास्टर प्लान/जॉनल डबलपर्मेंट प्लान को ध्यान में रखते हुये जनहित में पट्टे देने की कार्यवाही निम्न प्रकार की जा सकेगी :–

- (i) जयपुर में आवासन मण्डल की ऐसी भूमियों को जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे दिये जायेंगे। अन्य शहरों में जहां नगर विकास न्यास स्थित है, वहां पर संबंधित न्यास को भूमियां हस्तान्तरित कर न्यास द्वारा पट्टे दिये जायेंगे। अन्य शहरों में संबंधित नगरीय निकाय को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भूमियां हस्तान्तरित की जाकर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा पट्टे जारी किये जा सकेंगे।
- (ii) प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि के भुगतान किये गये मुआवजे की राशि मय देय ब्याज आवासन मण्डल को निकाय द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा।
- (iii) पुनर्भरण के पश्चात भूमियां आवासन मण्डल द्वारा संबंधित निकाय को हस्तान्तरित की जावेगी।
- (iv) निकायों द्वारा आवंटन किये जाने वाले भूखण्डों की दर अधिसूचना दिनांक 30.11.2017 के अनुसार देय होगी।
- (v) पट्टे केवल वही दिये जायेंगे जहां ऐसी कॉलोनियां सृजित (पूर्ण/आंशिक से) हो चुकी हो या भूखण्डधारियों का रिकॉर्ड व ले—आउट प्लान संबंधित निकाय के पास पूर्व से ही उपलब्ध हो या भूमि पर भूखण्डधारियों का भौतिक कब्जा दिनांक 31.12.2018 से पूर्व का होना प्रमाणित हो।
- (vi) यदि किसी अवाप्ताधीन कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बस चुकी है तथा ऐसी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही लैप्स हो चुकी है तथा उसके संबंध में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, तो भूखण्डों पर कृषि भूमि पर लागू सामान्य दरें लगायी जावेगी।
- (vii) रीको व अन्य राजकीय विभागों की भूमियों पर आवंटन/नियमन की कार्यवाही पृथक से संबंधित विभाग की राय के आधार पर की जावेगी।
- (viii) 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण पर आवंटन स्थानीय स्तर पर किया जावेगा। 50 प्रतिशत से कम निर्माण होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त आवंटन किया जावेगा।

11. सीलिंग कानून/राजस्थान भू—स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 व अन्य अधिनियमों के तहत अर्जित भूमि पर बसी बस्तियों के भूखण्डों के पट्टे जारी करना –

राजस्थान भू—स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम 1963, (राज परिवारों की भूमि), राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 तथा बेरी/दवे आयोग से प्रभावित कई योजनाओं पर आवादी विकसित हो चुकी हैं या ऐसी भूमि के भूखण्डों का बेचान सीलिंग कानून लागू होने से पूर्व ही हो चुका था और जिस पर विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। ज्यादातर ऐसे वाद राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलक्टरों के माध्यम से रेवेन्यू बोर्ड/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में दायर किये हुये हैं, तथा लम्बे समय से लम्बित हैं।

ऐसी भूमियों के संबंध में वर्ष 2000, वर्ष 2012 व वर्ष 2017 में मंत्रीमण्डल के द्वारा निर्णय लिया गया था, मगर आवंटित दर (आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1500/- रुपये प्रति वर्गगज, व्यावसायिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 5000/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों, रखी गई)। बाद में यह दरें अधिसूचना दिनांक 30.11.2017 अनुसार आवासीय हेतु 2000/- प्रति वर्गगज एवं व्यावसायिक हेतु 6500/- रुपये प्रति वर्गगज रखी गयी है, जो वर्तमान में आवासीय हेतु 2316/- व व्यावसायिक में 7526/- रुपये प्रति वर्गगज देय है।)

अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुये निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी:-

- (i) जिन भूमियों के विवाद न्यायालयों में विचाराधीन नहीं हैं या जिनके संबंध में निर्णय हो चुके हैं अथवा जिन भूमियों का बेचान सीलिंग लागू होने के पूर्व ही हो चुका है। उन सभी प्रकरणों से संबंधित भूमियों को राजकीय भूमि मानते हुये उनकी व्यवहारिक आवंटन दरें तय की गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं—
वर्तमान आवासीय आरक्षित दर का 10 प्रतिशत या छीएलसी दर का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, तथा व्यवसायिक होने की स्थिति में इसकी दुगुनी दरें।
- (ii) ऐसे प्रकरण जो आज भी न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए हैं, उनको न्यायालयों से वापस लेने के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।

12. नजूल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में—

- (i) नजूल सम्पत्तियों का सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हीकरण / आवंटन —

शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से घनी आबादी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधा के कार्यों यथा ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने, पुलिस चौकी स्थापित करने, अस्पताल आदि के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतः नगर निकाय क्षेत्रों में अवरिक्षित नजूल सम्पत्तियों / विभागीय सम्पत्तियों जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हैं, उन सम्पत्तियों को जिला कलक्टर द्वारा नगर निकायों को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा। यदि नगरीय निकाय द्वारा ऐसी किसी सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है, तो उससे अर्जित आय का 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विभाग को जमा करवाया जायेगा।

- (ii) नजूल सम्पत्तियों में किराये पर निवास करने के प्रकरणों के सम्बन्ध में—

जयपुर एवं अन्य शहरों में स्थित कुछ नजूल सम्पत्तियों पर पुराने समय से अनेकों व्यक्ति / परिवार रियासतकाल से किराये पर निवास करते आ रहे हैं याकुछ सम्पत्तियां राज्य सरकार द्वारा शरणार्थीयों को किराये पर आवंटित की गई थीं। इन सम्पत्तियों को सम्पदा निदेशालय द्वारा पूर्व में भी ऐसे किरायेदारों को आवंटन करने का निर्णय लिया गया था तथा इसके लिए Rajasthan Nazool Building(Disposal by public Auction) Rules, 1977 के अन्तर्गत एक अपेक्ष कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसकी पूर्व में समय-समय पर बैठकें भी होती रही हैं, किन्तु निस्तारण नहीं हो पाया और प्रकरण अभी भी लम्बित चल रहे हैं। कुछ प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी लम्बित चल रहे हैं। नजूल निस्तारण नियम 1977 में ऐसी सम्पत्तियों की चार प्रकार के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का प्रावधान है— किरायेदार, सबटेनेट, ट्रेसपासर और कब्जेधारी एवं शरणार्थी भी नजूल भूमि पर काबिज हैं, ऐसे प्रकरणों में मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुये इन नजूल सम्पत्तियों को सम्बन्धित नगरीय निकाय को स्थानान्तरित किया जाकर उनमें निवासरत व्यक्तियों / परिवारों से ऐसी नजूल सम्पत्ति को भूमि निष्पादन नियम, 1974 के अनुसार मंत्रीमण्डलीय उप समिति द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जायेगा।

13. फ्री-होल्ड पट्टे / लीज मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु शेष लीज राशि जमा करने में छूट —

विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अग्रिम लीज एकमुश्त जमा कराने पर

फ्री—होल्ड का पटटा दिया जावेगा एवं जिन प्रकरणों में पूर्व में 08 वर्ष की लीज राशि जमा कराकर 99 वर्षीय लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लिया हुआ है उनमें 02 वर्ष की एकमुश्त लीज लेकर 99 वर्षीय पटटे को समर्पण कराकर फ्री—होल्ड का पटटा दिये जाने का प्रावधान है। जिन प्रकरणों में पिछले वर्षों की लीज बकाया है उनमें बकाया लीज राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देते हुए बकाया लीज राशि 40 प्रतिशत जमा कराकर अग्रिम 10 वर्षों की लीज एकमुश्त जमा कराने पर फ्री—होल्ड का पटटा दिया जा सकेगा। यह छूट अभियान अवधि में भी जार रहेगी। अग्रिम 8 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए जावें।

विमार्शीय आदेश दिनांक 12.05.2021 के द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक बकाया लीजराशि जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी। अतः उक्त छूट अभियान अवधि में भी प्रदान की जाती है।

14. निकाय द्वारा लघु अवधि की लीज / किराये पर दी गई व्यावसायिक सम्पत्तियों को फ्री—होल्ड पटटे जारी करना—

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2018 दिनांक 05.10.2018 के निर्णय में किसाया/लाइसेन्स/यूज एण्ड ऑफ्यूपेशन/किराये पर विभिन्न सम्पत्तियों को 99 वर्ष लीज पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया था, तथा इस संबोध में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.12.2018 रखी गयी थी। उक्त अवधि में नियमन नहीं कराने वाले लीज धारक/किरायेदारों से सम्पत्ति खाली कराने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की जानी थी मगर अनेकों प्रकरण अभी भी लम्बित हैं, जिसके लिये निर्णय की समीक्षा कर विभिन्न दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं—

14.1 छोटी व्यवसायिक सम्पत्तियों वाबत् (750 वर्गमीटर तक)—

- 25 जनवरी 1950 तक किराये/लघु अवधि पर दिये गये मामलों में—एकमुश्त राशि वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 15 प्रतिशत।
- 26 जनवरी, 1950 से 31.12.1983 तक के मामलों में—वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 20 प्रतिशत।
- दि: 01.01.1984 से 31.12.1990 तक के मामलों में—वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 30 प्रतिशत।

14.2 बड़ी व्यवसायिक सम्पत्तियों वाबत् (750 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के)

- पेट्रोल पम्प, सिनेमा, होटल, गोदाम, औद्योगिक एवं संस्थागत प्रयोजन के लिए लीज पर दी गई भूमि।
- अन्य प्रकार के व्यवसायिक प्रकरण—
 - वर्तमान आरक्षित दर के बराबर राशि (यदि आरक्षित दर उपलब्ध नहीं हो तो ढीएलसी दर),
 - सम्पत्ति के आंशिक हिस्से का नगरीय निकाय द्वारा पुनः कब्जा लेने की संभावना।
 - सम्पत्ति को शहर के विकास के लिए किसी आवश्यक उपयोग में लेने की संभावना जैसे सड़क की चौड़ाई बढ़ाना, या स्लिप लेन, पार्किंग, फुटपाथ, सामुदायिक उपयोग आदि।
 - यदि भूमि सम्पूर्ण रूप या अधिकांश रूप से रिक्त है तो निर्मित भाग को छोड़कर खाली भूमि का नगरीय निकाय द्वारा कब्जा प्राप्त किया जाना चाहिए। केवल निर्मित भाग के संबंध में ही देय राशि का आंकलन कर राशि प्राप्त की जावें।
 - यदि सम्पत्ति की राशि 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अनुमोदन के पश्चात् 25 प्रतिशत की राशि 90 दिन में जमा करवायी जावेगी। शेष 75 प्रतिशत राशि को चार वर्ष में छमाही 8 किशरों के पोर्ट डेटेल चक

के जरिये जमा करवाई जाएगी। वैकं अनादर होने पर विलम्ब अवधि का 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा। प्रथम किश्त जमा होने के उपरान्त किश्तदार को सम्पत्ति के उपयोग हेतु प्रोविजनल आदेश जारी किया जावे।

सामान्य बिन्दु :-

- (i). 14.1 की सम्पत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर की एम्पाचर्ड कमेटी तथा 14.2 की सम्पत्तियों का निस्तारण राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से किया जावेगा, जिसका गठन अलग से विभाग द्वारा किया जावेगा।
- (ii). उपरोक्त एकमुश्त राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि की दर से वार्षिक लीज निर्धारित करते हुये 10 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि जमा करवायी जाकर सम्पत्ति का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जावेगा।
- (iii). यदि मूल किश्तदार द्वारा सम्पत्ति सबलेट कर दी गई है तो एकमुश्त लीज जाने वाली उपरोक्त राशि का 10 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा।
- (iv). भूतल पर निर्मित दुकानों की छत के उपयोग बाबत यदि नगरीय निकाय की कोई योजना नहीं हैं, तो छत का अधिकार (Roof Right) देने के सम्बन्ध में नगरीय निकाय गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकेगी। ऐसी स्थिति में छत का अधिकार देने पर एकमुश्त लीज जाने वाली उपरोक्त आवंटन राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा। छत पर निर्माण प्रदलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अनुज्ञेय होगा, लेकिन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/संरक्षित पुरातत्व महत्व के स्थलों/क्षेत्रों तथा तदनुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रों, शहर की परम्परागत धारदीवारी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों/भवनों पर छत का अधिकार नहीं दिया जावेगा।
- (v). सभी प्रकार का बकाया किश्त व अन्य देनदारियां एकमुश्त जमा करवाने के पश्चात् ही नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी। बकाया राशि पर साधारण ब्याज 9 प्रतिशत देय होगा, एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर देय ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी।
- (vi). यदि कोई सम्पत्ति किसी न्यायिक विवाद के कारण सम्पत्ति धारक के उपयोग में नहीं आयी है, तो उस अवधि का ब्याज या शारित नहीं ली जावेगी।
- (vii). सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो पहले ऐसे प्रकरणों में न्यायिक बाद प्रत्याहारित होने के बाद न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निस्तारण किया जायेगा।
- (viii). जितनी भूमि / स्थल किश्तदार / लाइसेन्सी के कब्जे में जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी, वर्तमान में केवल उतने ही क्षेत्रफल का नियमन किया जा सकेगा। अतिरिक्त भूमि को नगरीय निकाय अपने कब्जे में लेगा। यदि भूमि सम्बन्धित जिस उपयोग के लिए आवंटित की गई थी और उससे भिन्न उपयोग हो रहा है तो मास्टर प्लान के अनुरूप होने पर नियमन किया जा सकेगा और यदि मास्टर प्लान के अनुरूप उपयोग नहीं हो रहा है तो ऐसे मामलों में व्यापक जनहित मानते हुए वर्तमान उपयोग के लिए प्रक्रिया अपनाकर नियमन किया जा सकेगा।
- (ix). निर्धारित सङ्क मार्गाधिकार में आने वाले क्षेत्र का नियमन नहीं किया जावेगा।
- (x). जिन मामलों में लीजधारक / किश्तदार की मृत्यु ही गई हो तो उसके बैध उत्तराधिकारियों से उपरोक्त एकमुश्त नियमन राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की .05 प्रतिशत राशि नाम हस्तान्तरण के रूप में वसूल की जाकर नियमन उत्तराधिकारी के नाम कर दिया जावेगा।
- (xi). उक्त आदेश आगामी दिनांक 31.12.2022 तक प्रभावशील रहेंगे। उक्त अवधि में आवंटन नहीं कराने वाले लीज धारक / किश्तदारों से सम्पत्ति खाली करवाकर उसको नीलाम करने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की जावेगी।
- (xii). राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों की पालना सम्पत्तिधारक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

15. स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये प्रीमियम / लीज राशि / अन्य प्रभार विलम्ब से जमा करवाने पर मांग पत्र में लगायी गई व्याज दरों के संबंध में –
- (i) वर्तमान के कृषि भूमि के नियमों में विलम्ब से प्रीमियम व अन्य राशि को जमा कराये जाने पर 15 प्रतिशत की दर से व्याज संशोधन के बहुत कम है। वर्तमान परिदृश्य में इसे कम किया जाना व्यावहारिक होगा। अतः इस दर को संशोधित नियमों में विभाग द्वारा 9 प्रतिशत किया गया है। (अधिसूचना दिनांक 17.09.2021)
- (ii) पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में जिन भूखण्डधारियों ने पट्टे प्राप्त नहीं किये हैं, उनके द्वारा 15 सितम्बर, 2021 से अभियान अवधि तक आवेदन करने पर तथा वर्तमान दरों पर आवंटन करने पर प्रीमियम / लीज राशि / अन्य प्रभार पर व्याज नहीं लिया जावेगा। जिन प्रकरणों में पूर्व में डिमाण्ड नोट जारी किया जा चुका है, परन्तु मांगपत्र के अनुसार राशि जमा नहीं की गई है। उनमें आवेदन करने पर बिना व्याज के केवल मूल राशि का वर्तमान दर पर संशोधित डिमाण्ड नोट जारी कर राशि जमा होने पर पट्टे दिये जावें। (आदेश दिनांक 20.09.2021)
- (iii) इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण के पृथ्वीराज नगर (पीआरएन) में भी 15 सितम्बर, 2021 से अभियान अवधि तक आवेदन करने पर आवंटन / नियमन राशि / लीज राशि / अन्य प्रभार पर व्याज नहीं लिया जावेगा। जिन प्रकरणों में पूर्व में डिमाण्ड नोट जारी किया जा चुका है, परन्तु मांगपत्र के अनुसार राशि जमा नहीं की गई है। उनमें आवेदन करने पर बिना व्याज के केवल मूल राशि का वर्तमान दर पर संशोधित डिमाण्ड नोट जारी कर राशि जमा होने पर पट्टे दिये जावें। (आदेश दिनांक 01.09.2021)
- (iv) उपरोक्त अनुसार छूट का लाभ तभी देय होगा, जबकि मूल राशि आवेदक द्वारा अभियान अवधि में ही जमा करायी जाती है।
16. शहर के मध्य से गुज़रने वाले डी-नोटिफाईड राष्ट्रीय / राज्य उच्च मार्ग (एनएच / एसएच) बाईपास निर्मित होने के पश्चात् ऐसे उच्च मार्गों का मार्गाधिकार निर्धारण –
इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावें।
17. मास्टर प्लान / जोनल डिवलपमेंट प्लान / सेक्टर प्लान की सङ्को का डी-मार्केशन –
निकायों द्वारा मास्टर प्लान / जोनल डिवलपमेंट प्लान / सेक्टर प्लान की सङ्को का विनियोग कर उनका मौके पर डिमार्केशन किया जाकर यथासेवन Earthwork कराया जावें, जिससे आमजन को मास्टर / जोनल / सेक्टर प्लान की सङ्को की जानकारी पता लग सके, तथा सङ्को पर अवैध निर्माण से बचा जा सके। इसके लिए प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा अलग री टीमें बनायी जावेगी।
18. नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचित कच्ची बस्तियों के आवंटन के संबंध में –
- (i) पूर्व के अभियान 2012 के दौरान कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेधारी / गैर सर्वेधारी को पट्टा देने की कट आफ डेट 15.08.2009 रखी गई थी, उसे यथावत रखा जावेगा।
- (ii) कच्ची बस्ती के लिए पूर्व में जारी किये गये पट्टों को अहस्तान्तरणीय रखा गया है, जिन्हे पट्टा जारी होने की तिथि से 10 वर्ष पश्चात् हस्तान्तरणीय किया जा सकेगा।
- (iii) कच्ची बस्ती के आवेदन की दरें पूर्व की भाँति यथावत रखी गई हैं।
- (iv) जो कच्ची बस्तियां विकसित हो चुकी हैं, उन्हें डी-नोटिफाई किया जावेगा, जिसकी शक्तियां स्थानीय निकाय की एम्पावर्ड कमेटी को प्रदान की जाती है।
- (v) कच्ची बस्ती के भू-खण्डों की दरें पूर्व के अनुसार ही रखी गई हैं। 110 वर्गगज आवासीय जिसमें 15 वर्गगज व्यवसायिक हो सकता है, जो निम्न प्रकार है:-

क्षेत्रफल	दर नगर निगम क्षेत्र	दर नगर परिषद क्षेत्र	दर नगर पालिका क्षेत्र
1 से 50 व.ग.	20 रु. प्रति व.ग.	15 रु प्रति व.ग.	10 रु. प्रति व.ग.
51 से 110 व.ग	40 रु. प्रति व.ग.	30 रु. प्रति व.ग.	20 रु. प्रति व.ग.

19. सिवायचक भूमि निकायों को हस्तान्तरण / आवंटन –

- (i) भू-राजस्व अधिनियम की धारा-92 के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा राजकीय भूमि के विकास लिए आवादी और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिये भूमि अलग रखे जाने (Set-apart करने) का प्रावधान है। धारा-102-ए के अंतर्गत धारा-92 के तहत सेट अपार्ट की गयी भूमि को स्थानीय निकाय को आवंटन किये जाने एवं भूमि का निस्तारण राज्य सरकार के समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों व शर्तों के अनुसार किये जाने का प्रावधान है।
- (ii) जिन निकायों को जिला कलक्टरों द्वारा अभी तक निकायों के मास्टर प्लान क्षेत्र की सिवायचक भूमि का आवंटन / हस्तान्तरण नहीं किया गया है, उनके लिए जिला कलक्टरों द्वारा हस्तान्तरित की जानी है। (अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 के अनुसार नगर सुधार अधिनियम की धारा 43, नगरपालिका अधिकानियम की धारा 68-ए जोड़ी गई है। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 54 व जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण की धारा 48 में मास्टर प्लान क्षेत्र में सम्मिलित भूमि निकाय में निहित होने का प्रावधान है)
- (iii) मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि नगरीय विकास हेतु जिला कलक्टर (राजस्व विभाग) द्वारा नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जाने पर नगरीय भूमि हो जाती है। जिसका उपयोग संबंधित नगरीय निकाय द्वारा मास्टर प्लान एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शहर के योजनाबद्ध विकास हेतु किया जाता है।
- (iv) नगरीय निकाय में निहित होने के पश्चात उक्त भूमि की पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कोई भी किस्म अप्रासंगिक है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गैर मुमकिन आवादी की जावें।

20. भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया में सरलीकरण व एकीकृत भवन विनियम-2020 बनाये जाकर लागू किये जाने बाबत :-

भवन निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में नागरिकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसके समाधान की दृष्टि से विभाग द्वारा एकीकृत भवन विनियम-2020 बनाया जाकर सभी नगरीय निकायों में लागू किये हैं, जिसमें निर्माण प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। अब इसके तहत 500 वर्गमीटर के भूखण्डों पर निर्माण की औपचारिक आदेश की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। साईट प्लान के अनुसार भवन निर्माण का बौरा देकर तथा निर्धारित राशि जमा करवाकर भूखण्डधारी निर्माण चालू कर सकता है। 500 वर्गमीटर से 2500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिए पंजीकृत वास्तुविद को अधिकृत किया गया है। (इस संबंध में विस्तृत आदेश दिनांक 02.09.2021 को जारी किये गये हैं।)

21. भूखण्डों के पुनर्गठन / उपविभाजन की शक्तियाँ—

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम, 1975 के अंतर्गत 1500 वर्गगज भूखण्ड क्षेत्रफल तक के ही अधिकार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रदत्त है। गत अभियान में भी इस सीमा को 3000 वर्गगज तक के भूखण्डों के उप विभाजन / पुनर्गठन के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये गये थे, उसी के अनुरूप इस अभियान अवधि में भी 3000 वर्गमीटर तक के पुनर्गठन / उप विभाजन के अधिकार

स्थानीय स्तर पर दिये गये। (आदेश दिनांक 31.08.2021 एवं 01.09.2021)

यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो अभियान अवधि में नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा। 3000 वर्गगज से अधिक के पुनर्गठन / उपविमाजन के प्रकरणों का निरस्तारण राज्य सरकार की पुर्वानुमति से किया जावेगा।

22. मास्टर प्लान/ जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप आवादी भूमि की प्रक्रिया अपनाकर भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में –

भू—उपयोग परिवर्तन नियम 2010 में आवश्यक संशोधन कर अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/ 2020 दिनांक 24.02.2021 जारी की जाकर नगरीय निकाय के स्तर पर निकाय स्तरीय समितियां गठित कर उनको भू—उपयोग परिवर्तन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। मास्टर प्लान/ जोनल प्लान के अनुसार अनुज्ञेय उपयोग हेतु ही निकाय स्तर की समिति द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन किया जावेगा। स्थानीय स्तर पर व्यापक जननित में मास्टर प्लान में यदि भू—उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर भू—उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क एक वर्ष में 4 किश्तों में जमा कराये जाने का प्रावधान एवं भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने हेतु नियमों में संशोधन किया गया है। (अधिसूचना दिनांक 10.09.2021)

23. भू—पट्टी (खांचा भूमि) आवंटन की शक्तियां –

- (अ) नगरीय भूमि का निष्पादन नियम, 1974 के तहत किसी भी भूखण्ड से लगती हुई भू—पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 100 वर्गगज हो का आवंटन आरक्षित दर की दोगुनी दर से किये जाने का प्रावधान है। अधिक क्षेत्रफल के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। उक्त प्रावधानों में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है—(आदेश दिनांक 01.09.2021)
- (i) अभियान अवधि में 150 वर्गगज तक का अधिकार समरूप नगर परिषद/ पालिका को तथा 200 वर्गगज क्षेत्रफल तक का अधिकार सभी नगर निगमों/ प्राधिकरणों/ नगर विकास न्यासों को दिया गया है।
- (ii) अभियान अवधि में खांचा भूमि का आवंटन आरक्षित दर पर किया जावेगा।
- (iii) इससे अधिक सीमा के प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा। भू—पट्टी आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खांचा भूमि को किसी प्रकार से स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में सृजित किया जाना संभव नहीं हो एवं भू—पट्टी सङ्कट व अन्य भूखण्ड का माग नहीं हो।
- (ब) भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का आवंटन—

निकाय की योजनाओं में कतिपय मामलों में आवंटित/ नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल भूखण्ड के आवंटित क्षेत्रफल से मौके पर अधिक होता है। इसका मुख्य कारण योजना बनाते समय किये गये सर्व तथा डिमार्केशन में भिन्नता होना है। ऐसे बढ़े हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर पर आवंटन किया जाता है तथा निलामी के भूखण्डों में निलामी की दर पर आवंटन किया जाता है।

अब ऐसे बढ़े हुये भूखण्डों के क्षेत्रफल का आवंटन अभियान अवधि में निम्न दरों पर किया जावेगा—(आदेश दिनांक 01.09.2021)

- (i) निकाय योजनाओं में आरक्षित दर के 100 प्रतिशत,
- (ii) निजी खातेदारी योजनाओं में आरक्षित दर के 50 प्रतिशत

गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में आरक्षित दर के 25 प्रतिशत। (आदेश दिनांक 20.09.2021)

24. पूर्व में जारी पट्टे / अभियान में जारी होने वाले पट्टों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क :-

जिन प्रकरणों में भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—बी / 90—ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों के जारी पट्टे एवं निकाय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत दिये गये पट्टे / लीज डीड मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके हैं किन्तु किसी कारणवश इन पट्टों विलेखों का संबंधित उप पंजीयक से पंजीयन नहीं करवाया गया है ऐसे पट्टों के नवीनीकरण (पुनर्वेध) की कार्यवाही कर अभियान के दौरान पंजीयन करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा—विलेख को दिनांक 31.03.2022 तक पुनः निष्पादित कर पुनर्वेध (रिवेलिडेटेड) किया जाकर पंजीयन करवाया जा सकेगा। मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत पर पंजीयन किया जा सकेगा। (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021)

25. गाड़िया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्ध घूमन्तु जातियों को 50 वर्गगज भूमि का निःशुल्क आवंटन—

गाड़िया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इन जातियों के प्रत्येक परिवार को 50 वर्गगज तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटन नगरीय निकायों के द्वारा किया जायेगा।

26. ई०डब्ल्यू०एस०, एल०आई०जी०, एमआई०जी०—ए, एमआई०जी०—बी व एच.आई०जी० के संबंध में छूट—

(I) आवासों / भूखण्डों की बकाया राशि / किश्तों पर ब्याज व पैनलटी में छूट—

नगरीय निकायों व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर / अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से भूखण्ड / आवास आवंटित किये गये थे किन्तु कतिपय मामलों में आवंटियों द्वारा निर्धारित समय पर किश्ते जमा नहीं करायी गयी थी। तथा उन पर ब्याज पैनलटी का काफी भार बढ़ चुका है, जिसके कारण वे लोग किश्ते जमा नहीं करवा पा रहे हैं। अतः विभागीय आदेश दिनांक 12.05.2021 से ई० डब्ल्यू० एस० / एल० आई०जी० / एम०आई०जी०—ए के आवंटित आवासों की बकाया राशि व किश्तें 31.07.2021 तक एकमुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पैनलटी में शत—प्रतिशत छूट दी गई थी। इस छूट को अभियान अवधि तक बढ़ाया गया है।

इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड द्वारा एम०आई०जी०—बी, व एच.आई०जी० के लिए 50 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की गई है। उक्त छूट को भी अभियान अवधि में बढ़ाते हुए शत प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। (आदेश दिनांक 20.09.2021)

(II) EWS/LIG के आवासों का आवंटन / कब्जा देना एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना—

निकायों द्वारा राजीव आवास योजना, आईएचएसडीपी, बीएसयूपी योजना, आफोडैबल हाउसिंग प्रॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि में EWS/LIG के आवास बनाये गये हैं, लेकिन उनमें कई जगह आवंटन नहीं होने, आवंटियों को कब्जा नहीं देने, इन मकानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने आदि के कारण बने हुये मकान जर्जर अवस्था में हो रहे हैं। अतः ऐसे आवासों की अभियान अवधि में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर आवंटन व कब्जा दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि निर्मित मकान अभी तक भी आवंटित नहीं किये गये हैं, तो उनका आवंटन राज्य की Rental Housing Policy के तहत किया जावेगा, जिसमें अमिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। ई.डब्ल्यूएस. श्रेणी हेतु 300/- रुपये प्रतिमाह व एल.आई.जी श्रेणी हेतु 500/- रुपये प्रतिमाह 10 वर्ष हेतु मासिक किराये पर आवास दिये जायेंगे। 10 वर्ष पश्चात जिनको आवास किराये पर दिये गये हैं, तथा वह सतत रूप से आवास कर रहे हैं, तो उन्हीं को उन आवासों का स्थायी रूप से आवंटन कर पट्टा जारी किया जायेगा।

- (iii) ई.डब्ल्यू.एस / एल.आई.जी / 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों / आवासों का आवंटन बहाल करने वाबत्—

नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों / आवासों की बकाया राशि समय पर जमा नहीं करने से आवंटन / नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका आवंटन / नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में गरीब वर्ग के शक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई.डब्ल्यू.एस / एल.आई.जी / 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों / आवासों को बहाल करने की राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर अभियान अवधि में रहेंगी।

27. अभियान के दौरान पट्टा नहीं लेने पर छूट का लाभ नहीं देने वाबत् —

अभियान अवधि के दौरान आवेदन नहीं करने एवं शुल्क जमा नहीं करने के कारण ऐसे समस्त भूखण्डधारियों को अभियान अवधि के पश्चात अभियान में प्रदत्त लाभ देय नहीं होंगे।

28. निकायों में शक्तियों के प्रत्यायोजन वाबत् —

'शहर-2021' के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उप धारा (6) सहपतित धारा 337 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194 (194 की उपधारा (7) के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर) 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती है। इसी प्रकार प्राधिकरणों व न्यासों की शक्तियों को भी एम्पावर्ड कमेटियों को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

अभियान के दौरान कार्य निष्पादन हेतु नगरीय निकायों, न्यासों व प्राधिकरणों में एम्पावर्ड कमेटी का गठन निमानुसार किया जाता है —

- (क) नगर निगम / परिषद एवं पालिकाओं हेतु —

(i)	निकाय के मेयर / सभापति / अध्यक्ष	—	अध्यक्ष
(ii)	निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक	—	सदस्य
(iii)	निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता	—	सदस्य
(iv)	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	—	सदस्य सचिव

- (ख) नगर सुधार न्यास हेतु —

(i)	न्यास अध्यक्ष	—	अध्यक्ष
(ii)	(न्यास अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव, न्यास)		
(iii)	न्यास सचिव	—	सदस्य
	(समिति की अध्यक्षता न्यास अध्यक्ष		
	द्वारा किये जाने की स्थिति में)		
(iv)	न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक	—	सदस्य
	न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता	—	सदस्य

(v)	न्यास में कार्यरत लहसीलदार	—	सदस्य
(vi)	न्यास के उप सचिव / विशेषाधिकारी	—	सदस्य सचिव

(ग) जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण हेतु —

(i)	प्राधिकरण के आयुक्त	—	अध्यक्ष
(ii)	प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक	—	सदस्य
(iii)	प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता	—	सदस्य
(iv)	प्राधिकरण जौन से संबंधित अति./उप आयुक्त	—	सदस्य
(v)	प्राधिकरण के सचिव	—	सदस्य सचिव

नोट:-

- (i) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा आवश्यकता अनुरूप विधि अधिकारी / लेखाधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।
- (ii) जिन नगरीय निकायों में नगर नियोजन अधिकारी पदस्थापित नहीं है, तो संबंधित जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग अथवा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा अधिकृत नगर नियोजक को सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।
- (iii) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम होगा, तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिये जावेंगे। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। कमेटी के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि कमेटी की बैठक के दिन ही बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर प्रति निकाय की बैबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।
- (iv) समस्त निकायों द्वारा अभियान अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह में कम से कम पांच बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेंगी, जिसमें अन्य ऐजेण्डा के साथ-साथ अभियान की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा का स्थायी एजेण्डा भी रखा जावेगा।
- (v) प्राधिकरण / नगर निगमों की जौन स्तरीय समितियों को भी अधिकार / शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा।
- (vi) यह सुनिश्चित किया जावें कि आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराने के 24 घण्टे के भीतर निर्धारित नवीन प्रारूप में पट्टा तैयार कर प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य नगर पालिका अधिकारी / निकाय अध्यक्ष / समापति / महापौर / उपायुक्त के हस्ताक्षर से जारी कर दिया जावें। प्रतिदिन जारी किये जाने वाले पट्टों की प्रगति की सूचना निकाय के अध्यक्ष को एवं ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

29. भूमि अवाप्ति के प्रकरणों का निस्तारण—

विभागीय परिपत्र दिनांक 24.09.2020 व 04.11.2020 के द्वारा भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरणों, जिनमें खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.09.2021 निर्धारित की गई है। अभियान अवधि में जहां पर योजना की कियान्विति नहीं हुई है, उनमें इस तिथि को 30.09.2022 तक वृद्धि की जाती है। तदनुसार प्रस्तुत विकल्पों का परीक्षण किया जाकर स्थानीय रतर की सहमता के अनुरूप निस्तारण होने वाले प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निष्पादित किया जावेगा। राज्य सरकार के स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 30.06.2021 को जारी की गई

चैकलिस्ट मे आदेश दिनांक 30.07.2021 के अनुसार प्रेषित किया जावेगा एवं तदनुसार राज्य सरकार से रवीकृति प्राप्त कर निरतारण किया जावेगा।

30. ग्राम पंचायतों को सिवायचक भूमि आवंटन के संबंध में :-

न्यास / प्राधिकरण व नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान दर्शाये गये परिधिय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, कि 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, से 200 मीटर तक की सीमा में सार्वजनिक सुविधाओं यथा राजकीय विधालय, राजकीय विकित्सालय, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पानी की टंकी, बाटर हार्वेस्टिंग स्टूचर, आबादी विस्तार आदि के लिए सिवायचक भूमि आवंटित किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी। इन ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि / हस्तान्तरित सिवायचक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत पट्टे दिये जाने की अधिकारिता अभियान अवधि में ग्राम पंचायतों की रहेगी।

उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा अजमेर रीजन में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा एवं अन्य क्षेत्रों में जिला कलक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध करायी जावेगी।

31. निर्माण अवधि विस्तार में पुनर्ग्रहण शुल्क में छूट बाबत -

नीलामी / लॉटरी से विक्रय कर लीज डीड / पट्टे जारी किये गये भूखण्डों एवं कृषि भूमि पर भूखण्डों के दिये गये पट्टों में निर्माण बाबत भूमि निष्पादन नियम, 1974 व कृषि से अकृषि प्रयोजन हेतु नियम 2012 में संशोधन कर निर्माण अवधि व पुनर्ग्रहण शुल्क में रियायत दी गई है, जिससे भविष्य में आमजन को राहत मिलेगी। (अधिसूचना 17.09.2021 व आदेश दिनांक 01.09.2021)

32. अभियान अवधि में प्रकरणों का ऑफलाईन / ऑनलाईन निष्पादन-

- (i) अभियान अवधि में आमजन को नगरीय निकाय में आने-जाने की आवश्यकता कम से कम हो तथा उनके कार्य त्वरित रूप से आनलाईन सेवा द्वारा पारदर्शिता से निष्पादित हो सके, इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से नगरीय निकायों की सेवाओं हेतु आनलाईन एकीकृत पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों तथा पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।
- (ii) उक्त सेवाओं के मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर एक विशेष डेशबोर्ड तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से विभिन्न स्तर यथा समाग / जिला / निकाय स्तर की अभियान की प्रगति की लाईव मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से अभियान में आमजन की समस्याओं के निवारण हेतु एक राज्य स्तरीय हैल्प डेस्क स्थापित किया जा रहा है।
- (iv) आमजन के आवेदन पत्र आनलाईन प्राप्त करने तथा आवेदन पत्रों के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए रामी शहरों हेतु नगर मित्र पंजीकृत किये गये हैं। इनकी सेवाएं वैकल्पिक रूप से उपलब्ध रहेंगी।
- (v) उक्त वर्णित सेवाओं में आनलाईन / ऑफलाईन आवेदन प्राप्त किये जाकर आनलाईन राशि जमा करायी जाकर प्रकरणों का निस्तारण आनलाईन / ऑफलाईन किया जावेगा। यदि ऑनलाईन व्यवस्था में कोई कठिनाई आती है अथवा आवेदक स्वयं ऑफलाईन व्यवस्था चाहे तो ऑफलाईन व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।

33. समस्त नगरीय निकायों से सम्बन्धित शिविरों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं अभियान का संचालन –

- (i) अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में विभागों द्वारा प्रतिदिन सम्पादित किये गये कार्यों की सूचनाएँ संकलित करने, अभियान के दौरान विभिन्न कार्यों के निस्तारण में निकायों को आ रही समस्याओं का निदान करने एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष नगर नियोजन भवन में स्थापित किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष में प्रभारी अधिकारी एवं उनके सहयोग के लिए समुचित कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी।
- (ii) जिलों में “प्रशासन शहरों के संग” अभियान को जिला कलक्टर द्वारा समन्वय (Coordinate) किया जायेगा। जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर आदि द्वारा शिविरों के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। जिला कलक्टर अभियान आरम्भ होने से पूर्व ही स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशकों एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित करायेगे।
- (iii) अभियान अवधि में स्थानीय निकाय में यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो कलक्टर द्वारा जिले में कार्यस्त किसी अन्य अधिकारी को तत्काल उसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाकर कार्य को नियमित रूप से चालू रखा जावेगा।
- (iv) सम्मानीय आयुक्तों द्वारा अभियान के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा एवं उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान कर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित की जायेगी।
- (v) कैम्पों में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कैम्प अवधि में ना होने पर रिपोर्ट कैम्प आयोजित किये जावें तथा लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा।

34. भिवाड़ी इण्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (BIDA) के अधीन आने वाले नगरीय क्षेत्र यथा भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा, टपुकड़ा, बहरोड़ में भी उपरोक्त कार्यों के किये जाने बाबत—

राज्य के कुछ नगरीय क्षेत्रों में BIDA के गठन के पश्चात विभिन्न कार्य BIDA द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं। BIDA द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेशों/रूपरेखा के अनुरूप किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा अभियान के संबंध में प्रदत्त विभिन्न प्रक्रियाएँ, छूट/रियायतें BIDA द्वारा भी Adopt कर अपने अधीन नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जावेगा। सभी आदेशों/रियायतों की प्रतिलिपियां BIDA को पृथक से भिजवाई जा रही हैं।

35. अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं एवं कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में—

(i) मंत्रिमण्डलीय एम्पायर्ड कमेटी—

‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत संबंधित नियमों, उपनियमों एवं प्रावधानों में अनेकों शिथिलताएँ दी गई हैं। इन शिथिलताओं के अतिरिक्त अभियान के पूर्व या अभियान के दौरान अतिरिक्त छूट/व्यवहारिक कठिनाईयां आ सकती हैं, जिनका निराकरण तत्काल करना आवश्यक होगा। उक्त स्थिति में जिन प्रकरणों में विभाग निर्णय लेने में सक्षम है उनमें विभाग द्वारा निर्णय लेकर निराकरण किया जायेगा। विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर के प्रकरण जिनमें अन्य विभागों से सम्बन्धित मुद्दे भी सम्मिलित होंगे, में निर्णय लेने एवं छूट अथवा शिथिलता देने हेतु नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के संयोजकत्व में समिति को अधिकृत किया जाता है ताकि सामयिक निर्णय लिये

जाकर समस्या का समाधान किया जा सके। अन्य विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति द्वारा सम्बन्धित विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी बैठक में आमंत्रित किया जावेगा। विशेष आमंत्रित के रूप में प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को भी आमंत्रित किया जावेगा। अभियान अवधि को 31.03.2022 से आगे बढ़ाने/फॉलोअप शिविरों की अवधि के संबंध में माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा तथा बढ़ी हुई अवधि में सभी प्रकार की छूट यथावत रहेंगी।

(ii) राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी –

अभियान की नियमित समीक्षा एवं संबंधित अधिकारियों के मध्य समन्वय हेतु सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया जा चुका है। यह कमेटी अभियान के दौरान नियमित बैठक कर अभियान को त्वरित गति प्रदान करने हेतु एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में नियमों/उप नियमों आदि में छूट दिये जाने के बिन्दु चिन्हित कर मा. मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किय जाने हेतु अधिकृत होगी।

अभियान “शहर-2021” के दौरान त्वरित मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक संभाग स्तरीय सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर नियोजक को अभियान अवधि में नियुक्त किया जावेगा। यह टीम अभियान अवधि के दौरान संबंधित नगरीय निकायों से समय-समय पर व्यक्तिशः सम्पर्क कर अभियान से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग कर प्रगति से विभाग को अवगत करायेगी। (आदेश दिनांक 24.09.2021)

36. शिविर स्थलों का निर्धारण एवं अभियान की प्रगति रिपोर्ट-

- कॉविड-19 विश्वव्यापी महामारी को ध्यान में रखते हुये अभियान “शहर-2021” में समिलित अन्य राजकीय विभाग/उपक्रम शिविर का आयोजन, अपने—अपने कार्यालय भवन में उपलब्ध परिसर में बैनर, टैट आदि अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये, करेंगे। इस हेतु उनके द्वारा आवश्यक प्रचार-प्रसार भी किया जावेगा।
- नगरीय निकाय अपने स्तर पर दिनांक 15.09.2021 से 30.09.2021 तक Preparatory Camp लगाये जावेंगे। संबंधित जिला कलेक्टर व निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को कार्यक्रम की एक प्रति आवश्यक रूप से प्रेषित की जावेगी। जहाँ पर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका तथा जविप्रा/जोविप्रा/अविप्रा/नगर सुधार न्यास दोनों हैं वहाँ पर संयुक्त रूप से या अलग—अलग रूप से शिविर लगाये जा सकेंगे। राजस्थान आवासन मण्डल भी उनके द्वारा कार्य शिविर निकाय के साथ संयुक्त रूप से या अलग से लगाकर सम्पन्न करेंगे।
- अन्य विभाग भी इस अभियान के दौरान कार्य सम्पादन करेंगे, लेकिन वे अपना कार्य अपने विभागीय कार्यालय में अथवा सुविधानुसार अन्य किसी स्थल पर शिविर आयोजित करेंगे। अन्य विभाग अपने कार्यक्रम व शिविर स्थलों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को उपलब्ध करायेंगे। अन्य विभागों के स्थानीय कार्यालय उनसे संबंधित कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे और जिला कलेक्टर द्वारा जिले की संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर प्रतिदिन मध्यान्ह पश्चात् सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल पर आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- अभियान के लिये जिला कलेक्टर के कार्यालय में एवं प्रत्येक नगरीय निकाय के कार्यालय में दिनांक 25.09.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक निर्यंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे व उनके टेलीफोन नंबर, फैक्स नम्बर एवं ई-मेल मय प्रभारी अधिकारी के नाम निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराया जावें।

- 37. अभियान अवधि में दिये जाने वाली विभिन्न रियायतें व छूट दिनांक 15.09.2021 से लागू करने बाबत –**

अभियान अवधि में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले तथा शिविरों का आकर्षण बढ़े इसके लिए अति-आवश्यक है, कि जो भी विशेष रियायतें/छूट दी गई हैं, इन्हें दिनांक 15.09.2021 से सम्पूर्ण अभियान अवधि तक लागू किया जाता है। यदि अभियान अवधि बढ़ायी जाती है, तो सभी रियायतें/छूट भी उसके अनुरूप बढ़ायी हुई मानी जावेगी। (रियायतों की सूची संलग्न है)

- 38. निषेध –**

शहर 2021 में वन भूमि, डूब क्षेत्र या ओरण भूमि व अन्य प्रतिबंधित (निषेध) क्षेत्र में पट्टे नहीं दिये जायेंगे।

- 39. विशेष उल्लेख –**

- (i) उपरोक्त वर्णित शिथिलताएँ केवल अभियान के लिये हैं और उन्हीं प्रकरणों के लिये लागू रहेंगी जिनके लिये आवेदन दिनांक 15.09.2021 से अभियान अवधि तक प्राप्त हो चुके होंगे। अभियान अवधि को बढ़ाने तथा इसमें कोई अतिरिक्त छूट देने तथा अभियान के संबंध में प्राप्त विधिक कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में शक्तियां मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी/मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग को दी गई है।
- (ii) अभियान अवधि में उत्कष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकाय एवं उनसे संबंधित जनप्रतिनिधि/अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया जावेगा।

- 40. राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित कार्य –**

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अभियान अवधि में जो कार्य किये जावेंगे उनके संबंध में आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 22.09.2021 को विस्तृत आदेश जारी किया गया है।

- 41. अन्य विभागों के कार्य –**

“शहर-2021” में वर्ष 2012-13 के अभियान की मांति कुछ अन्य विभागों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ऊर्जा/सार्वजनिक निर्माण विभाग/राजस्व/महिला एवं बाल विकास विभाग/चिकित्सा विभाग) द्वारा भी कार्य किया जाना है। सभी विभागों द्वारा अलग से इस संबंध आदेश जारी किये जा रहे हैं। ०

- 42. राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि में जारी की गई विभिन्न छूट का संक्षिप्त उल्लेख परिशिष्ट-2 पर किया गया है।**

- 43. नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अन्य गहत्वूपर्ण जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों/आदेशों को बुकलेट में शामिल किया गया है।**

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गौयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

"शहर-2021" में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की सूची

1. नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 69-ए के अन्तर्गत स्वामित्व अधिकार अभ्यर्ण कराकर नवीन पट्टे देना।
2. कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियों में मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेंट प्लान/स्वीकृत की गयी योजनाओं के अनुरूप पट्टे देना।
3. निकायों की योजनाओं में पट्टे देना।
4. अवाप्तशुदा/निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनियों के पट्टे देना।
5. सीलिंग कानून/राजस्थान भू स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम 1963 व अन्य अधिनियमों के तहत अंजित भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे देना।
6. नजूल सम्पत्तियों को नगरीय निकायों को हस्तान्तरण कर निस्तारण करना।
7. फ्री-होल्ड पट्टे जारी करना।
8. मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेंट प्लान के अनुरूप आबादी भूमि की प्रक्रिया अपनाकर भू-उपयोग परिवर्तन।
9. भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन।
10. भवन मानचित्र अनुसोदन।
11. स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत पट्टे।
12. अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पट्टे देना।
13. खाचा/बढ़ी हुई भूमि का आवंटन।
14. सिवायक भूमि का स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण करना।
15. पूर्व में जारी पट्टों का पुनर्वैध कर पंजीयन करना।
16. नाम हस्तान्तरण।
17. गाड़िया/लुहारी, घुमन्तु/अर्द्ध घुमन्तु/विमुक्त जातियों के आवासहीन परिवारों को 50 वर्गगज के आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन करना।
18. लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री-होल्ड के पट्टे देना।
- 19- EWS/LIG/MIG A&B/IIIGआवासों की बकाया राशि व किस्तों में छूट एवं आवंटन बहाल करना।
20. निकाय द्वारा आवंटन व नीलामी के प्रकरणों में विलम्ब से राशि जमा होने पर ब्याज की छूट देकर पट्टा देना।
21. भूमि अवाप्ति के बदले विकसित भूखण्डों का आवंटन/आरक्षण पत्र जारी करना।
22. निर्माण अवधि विस्तार में पुनर्गण शुल्क में छूट।
23. सेक्टर रोड का चिन्हीकरण व Earthwork करना।
24. नगरीय क्षेत्रों की सड़क मरम्मत व मिसिंग लिंक से संबंधित कार्य।
25. पाकिंग स्थलों का चिन्हीकरण करना/पाकीं एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों (पार्क, सामुदायिक भवन आदि) का सीमाकंन करना/शहर में आधारभूत सुविधाएं/परियोजनाओं का चिन्हीकरण करना।
26. शमशान/कब्रिस्तान के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य।
27. राजकीय विद्यालय/राजकीय चिकित्सालय/आंगनबाड़ी/विद्युत निगम/जलदाय विभाग/बैंक/पोस्ट ऑफिस/पटवार घर/इंदिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण करना/भूमि आवंटन करना।
28. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार हेतु ऋण दिलवाने बाबत आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेन्डर्स को चिन्हित किया जाकर अनुशंषा-पत्र जारी

करना ताकि ऐसे लोग अपना रोजगार सरलता से प्राप्त कर सके। (केवल नगरपालिकाओं के लिए)

29. इन्दिरा गांधी शहरी क्रॉडिट कार्ड योजना—2021 में शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वैणडरी, सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को रोजगार एवं रोजमर्श जरूरतों के लिए 50000/- रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। (केवल नगर निगम / परिषद / पालिकाओं के लिए)
30. स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन / सेट-अपार्ट कराना।
31. अभियान के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय का स्थल का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन एवं कनेक्शन देने आदि कार्य।
32. प्रधानमंत्री आवास योजना / मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृत करना एवं लॉटरी से आवंटन / किराये पर देना।
33. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डधारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु अनुदान / ऋण / ब्याज अनुदान योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना। वार्ड में बेघर व्यक्तियों / परिवारों की पहचान कर आवास / आश्रय स्थल हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
34. नगरीय निकायों के राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में खसरा मिलान हेतु जिला कलक्टर द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारी यथा पटवारी / नायब तहसीलदार आदि का नगरीय निकायों में भागीदारी / सहयोग।
35. राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियों में सङ्कर सिपेयरिंग, नाम हस्तान्तरण, स्ट्रीट लाईट, शुल्क, पट्टे आदि कार्य।

36. अन्य विभागों से संबंधित कार्य :—

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :— वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग फेन्शन प्रकरण तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन।
- जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्य :— पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना, खराब पड़े सार्वजनिक नल व हैंप्ड पम्प को ठीक करवाना।
- ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्य :— लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवनों के ऊपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पैंडिंग है, तो उन्हें जारी करना।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :—
 - (i) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा पुलियों की मरम्मत का कार्य करवाना।
 - (ii) नगर निकायों को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियों, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का हस्तान्तरण नगर निकायों को करना।
- राजस्व विभाग :— नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किया जाना।
- महिला एवं बाल विकास विभाग :— महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण, कुपोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार।
- चिकित्सा विभाग :— विशेष योग्यजन को प्रमाण पत्र जारी करना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पर्जीयन।

37. अन्य कार्य जो विभागों / नगरीय निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तय किये जा सकते हैं।

अभियान अवधि में राशि में दी जाने वाली छूट

- सभी नियमों में ब्याज दर 15 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत की गई।
- बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।
- बकाया लीज राशि व अग्रिम 10 व 8 वर्षों की एकमुश्त लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज राशि पर 60 प्रतिशत की छूट।
- नीलामी व आवंटन के भूखण्ड जिनमें मूल राशि जमा है उनमें ब्याज व शास्ती में शत-प्रतिशत छूट।
- EWS/LIG/MIG-A के आवास व भूखण्डों के बकाया राशि व किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व शास्ती में शत-प्रतिशत छूट, आवासन मण्डल के MIG-B/HIG के आवासों में बकाया राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट।
- कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में आवेदन नहीं करने पर अभियान का प्रथम कैम्प मानते हुए ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।
- 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात की कॉलोनियों में मांगपत्र अनुसार राशि नहीं जमा नहीं कराये जाने पर अभियान अवधि में वर्तमान दर पर बिना ब्याज के राशि जमा कराने की छूट।
- खांचा भूमि का आवंटन आरक्षित दर की दोगुनी दर के स्थान पर निकायों की योजनाओं में आरक्षित दर पर तथा निजी कृषि भूमि की योजनाओं में आरक्षित दर के स्थान पर आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर तथा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर आवंटन।
- निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि में 60 प्रतिशत की छूट।
- भू-उपयोग परिवर्तन राशि एक मुश्त जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट एवं 1 वर्ष में 4 किश्तों में जमा कराने की छूट।

स्टाम्प शुल्क में छूट-

- खातेदार व उसके पश्चातवर्ती क्रेताओं के मध्यवर्ती अपेंजीकृत दस्तावेजों पर केवल भूखण्ड के भूमि के मूल्य में 20 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी देय।
- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड के विकसित करने पर एक से अधिक व्यवित्तियों के पक्ष में प्रोविजनल आवंटन पत्र/नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट-द पर 500/- रुपये के स्टाम्प ड्यूटी देय भिन्न मामलों में प्रतिफल राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी एवं न्यूनतम 500/- रुपये देय।
- नगरीय निकाय द्वारा जारी भूखण्ड के पंजीकृत पट्टों को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करना, पंजीकृत विक्रय-पत्र के आधार पर नाम परिवर्तन करना, उप-विमाजन/पुनर्गठन करना एवं भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात इन प्रकरणों में पूर्व में जारी किए गए पट्टों को 100/- रुपये के स्टाम्प पर समर्पण करकर पूर्व पट्टे का उल्लेख करते हुए फ्री होल्ड का नया पट्टा दिया जाने पर स्टाम्प ड्यूटी 500/- रुपये लिये जाने एवं भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में निकाय में जमा कराई गई भू-उपयोग परिवर्तन राशि पर स्टाम्प ड्यूटी देय।

स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ / अधिकारः—

- स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन व अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले अन्य कार्य करने के अधिकार।
- उप-विभाजन/पुर्णगठन में 1,500 वर्गगज के स्थान पर 3,000 वर्गगज की शक्तियाँ।
- खांचा भूमि आवंटन में 100 वर्गगज के स्थान पर प्राधिकरण/न्यास/निगम के स्तर पर 200 वर्गगज तथा नगर परिषद व नगर पालिका के स्तर पर 150 वर्गगज की शक्तियाँ।
- प्राधिकृत अधिकारी को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 तथा काइतकारी अधिनियम की धारा 53(2)(ii) की तहसीलदार की शक्तियाँ।
- जिन भूमि आवंटन/नीलामी से विक्रय किये गये मूख्यण्डों में मूल राशि जमा है लेकिन ब्याज पेनल्टी शेष है, उनमें ब्याज एवं पेनल्टी में छूट देकर मूल राशि जमा होने की स्थिति में अभियान अवधि में आवंटन बहाल व कब्जा दिये जाने की शक्तियाँ भी स्थानीय स्तर पर होंगी।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(बी-3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन काटक के पास, २२ गोदाम, जयपुर)

टेलीफोन नं. 0141-2222403, 2229314

ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com

ब्रांड : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/13984

दिनांक : 24.08.2021

समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान।

विषय:- नव-सृजित नगरपालिकाओं एवं स्टाफ की कमी वाली नगरपालिकाओं में स्टाफ की उपलब्धता बाबत।
उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैसा कि आप को पूर्व में विभागीय विहियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान - 2021 को दृष्टिगत रखते हुए नव-सृजित नगरपालिकाओं एवं अन्य नगरपालिकाओं, जहां पर्याप्त स्टाफ नहीं है, वहां समुचित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निकटवर्ती नगरपालिकाओं के बीच आवश्यकतानुसार स्टाफ का रेशेलोईजेशन कर शीघ्र सूचित करें। इस हेतु नगरीय निकाय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब अवगत करावे।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 17(19)नविवि/नियम/2021

आयुक्त/सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण
आयुक्त/सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

अध्यक्ष/सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, कोटा,
उदयपुर, श्रीगंगानगर, आबू (सिरोही),
चित्तौडगढ़, जैसलमेर, बाढ़मेर, सीकर,
पाली, सवाईमाधोपुर।

जयपुर, दिनांक:- 25 अगस्त 2021

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएँ किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयाल्टर्गत लेख है कि 02 अक्टूबर, 2021 से 31.03.2022 तक राज्य के नगरीय क्षेत्रों में “प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021” आरम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत निकाय स्तर पर दिनांक 15.09.2021 से 25.09.2021 तक तैयारी शिविरों (Preparatory Camps) का आयोजन किया जाना है। तत्पश्चात दिनांक 01.04.2022 से अभियान के फॉलो-अप कैम्पों का आयोजन किया जाना है।

अतः उक्त अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले शिविरों के दौरान कृपया निम्नानुसार व्यवस्थाएँ समय पर कराया जाना सुनिश्चित करावे :-

1. शिविर का आयोजन प्रातः 10.00 बजे से साथं 6.00 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक होगा।
 2. शिविर में बिजली, पानी एवं छायां की समुचित व्यवस्था।
 3. शिविर में सभी संबंधित विभागों के स्टाफ एवं आम नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था।
 4. शिविर में आम जनता एवं प्रशासन के मध्य समन्वय हेतु मार्ईक आदि की व्यवस्था।
 5. सभी प्रकार के आवेदन पत्रों की व्यवस्था।
 6. निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शुल्कों के विवरण डिस्प्ले किए जाने की व्यवस्था।
 7. अभियान के दौरान विभिन्न रंगों में मैं पट्टा जारी किए जाने हेतु कलर प्रिन्टर की व्यवस्था (निकाय में उपलब्ध नहीं होने पर आउट-सोर्स से व्यवस्था की जा सकती है।)
 8. फोटो-कॉपी मशीन की व्यवस्था।
 9. ई-मित्र, नगर-मित्र के लिए व्यवस्था।
 10. जोनल-प्लान, ले-आउट प्लान/अनुमोदित कॉलोनियों की सूची के डिस्प्ले की समुचित व्यवस्था।
 11. प्रकरणों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ।
 12. जनता की सुविधा के लिए वाई-वाईज या कुछ वाडों को मिलाकर शिविर आयोजित किए जाने की व्यवस्था।
 13. शिविर में राशि जमा करने हेतु व्यवस्था।
 14. सड़क, रोड-लाईट, नालियां आदि आदि समस्या के मौके पर ही समाधान हेतु समुचित व्यवस्था।
 15. डीड-राईटर, स्टाम्प बेण्डर, नोटरी, ऑथ कमिशनर की व्यवस्था।
- उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए की जावे।

भवदीय,
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प. 17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक: । सितम्बर, 2021।

आदेश

नगरीय निकायों द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अन्तर्गत जारी की गयी लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 90-बी व भूमि अवासि के बदले आवंटित भूखण्डों में पट्टा/लीज डीड की दिनांक से 10 वर्ष में निर्माण किया जाना आवश्यक है।

कोविड-19 के मध्यनजर आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना दिनांक 31.12.2021 तक निर्माण अवधि विस्तार करने की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त छूट अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) तक बढ़ायी जाती है।

अधिसूचना दिनांक 12.05.2020 के अनुसार निर्माण अवधि विस्तार की दिनांक तक भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही बढ़ी हुयी मानी जावेगी।

लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर देय बकाया पुनर्ग्रहण राशि में 60 प्रतिशत की छूट अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) में प्रदान की जाती है।

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प. 17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक: । सितम्बर, 2021।

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के मध्यमनजर जनहित में राज्य सरकार द्वारा निमानुसार छूट/शिथिलताएं प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु कैम्प में आवेदन नहीं किया गया था, उनमें दिनांक 15.09.2021 से अभियान अवधि (31.03.2022) को प्रथम कैम्प मानते हुए सामान्य प्रीमियम दर पर राशि वसूल कर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में भी उक्तानुसार आवंटन/नियमन दर पर राशि वसूल कर पट्टे दिये जाने की छूट प्रदान की जाती है।
2. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012, राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974, भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, उप विभाजन/पुनर्गठन नियम, 1975, भवन विनियम 2020 एवं टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अंतर्गत जहां-जहां भी व्याज दर 15 प्रतिशत/12 प्रतिशत अंकित है, उनमें व्याज दर 9 प्रतिशत की दर से वसूल करने की छूट प्रदान की जाती है।
3. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप विभाजन/पुनर्गठन एवं भूखण्ड का सुधार) नियम, 1975 के नियम 12 में 1500 वर्गगज से अधिक के भूखण्ड की स्वीकृति राज्य सरकार से लिए जाने का प्रावधान है। अभियान अवधि में 3000 वर्गगज तक के ग्रकरणों का नियमन स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति द्वारा किये जाने की छूट प्रदान की जाती है।
4. आदेश दिनांक 12.05.2021 के द्वारा आवासन मण्डल/प्राधिकरण व न्यासों द्वारा आवंटित ईंडब्ल्यूएस/एलजाईजी/एमआईजी-ए आय ग्रुप के आवासों की बकाया राशि व बकाया किश्त एकमुश्त जमा कराने पर दिनांक 31.07.2021 तक छूट प्रदान की गई थी जिसे 15.09.2021 से अभियान अवधि (31.03.2022) तक बढ़ाया जाता है।

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी-३, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, २२ गोदाम, जयपुर)

टेलीफँक्स नं. ०१४१-२२२२४०३, २२२९३१४

ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान-२१/डीएलबी/२०२१/१५३५७-१५५७०

दिनांक : ०२.०९.२०२१

आयुक्त/अधिकारी/अधिकारी,
समस्त नगर परिषद/पालिका,
राजस्थान।

विषय:- नगर पालिका/नगर परिषद के पैराफेरी क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाने बाबत।

ऐसे नगरीय क्षेत्र जिनमें केवल नगर पालिका/नगर परिषद ही कार्यरत है, उनमें नगर पालिका सीमा के बाहर परिधि क्षेत्र/मास्टर प्लान में पैराफेरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी के नियमन अथवा अनुमोदन के पश्चात् विकास कार्य संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी-३, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, २२ गोदाम, जयपुर)

टेलीफँक्स नं. ०१४१-२२२२४०३, २२२९३१४

ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान-२१/डीएलबी/२०२१/१५८८७

दिनांक : ०३.०९.२०२१

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-२०२१ हेतु सलाहकार, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में गठित स्टेटरिंग कमेटी की आद्योजित विभिन्न बैठकों में लिए गये निर्णयों के क्रम में अभियान के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं यथा कृषि भूमि नियमन पट्टे, कच्ची बस्ती/स्टेट ग्रान्ट पट्टे, उपविभाजन/पुनर्गठन, भवन निर्माण स्वीकृति, नामान्तरण आदि को सूचना एवं ग्रौद्योगिक विभाग के माध्यम से एकीकृत पोर्टल तैयार करवाया जा रहा है, जिसके लिए नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग व सूचना एवं ग्रौद्योगिक विभाग के मध्य इन्विटेशन किया जा चुका है।

अतः उक्त अभियान के दौरान नगरीय निकायों में ऑनलाइन सॉल्वेयर का उपयोग करने के लिए निर्देशानुसार निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

१. राज्य के सभी नगर निगमों एवं नगर परिषदों में सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाकर उनका ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ही निस्तारण किया जावेगा।
२. राज्य में गत वर्षों में नवगठित १७ नगर पालिकाओं में आवश्यक संसाधनों की कमी के दृष्टिगत इन नगर पालिकओं को Offline प्रक्रिया द्वारा प्रकरणों का निष्पादन करने हेतु छूट प्रदान की जाती है।
३. शेष नगर पालिकाओं द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन इनको ऑनलाइन प्रक्रिया के मध्यवर्ती प्रक्रिया में छूट प्रदान करते हुए आंशिक वासिस्थान प्रक्रिया अपनाने की अनुमति होगी। लेकिन आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने के उपरान्त जमा राशि का इन्द्राज ऑनलाइन करना तथा स्वीकृति पत्र/पट्टे की प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

यह निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निर्देशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफ़ोन नं. 0141-2222403, 2229314

ईमेल- dibr@rajasthan@gmail.com

क्रमांक :PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/

दिनांक : 10.09.2021

समस्त आयुक्त/अधिकारी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद्/पालिका,

राजस्थान।

विषय:- 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' के तहत अभियान पूर्व तैयारियों के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 चलाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के प्रमुखतः तीन चरण होंगे:-

1. प्रथम चरण में उक्त अभियान के पूर्व तैयारी शिविर दिनांक 15.09.2021 से दिनांक 25.09.2021 तक प्रत्येक नगरीय निकाय में आयोजित किये जायेंगे।

2. द्वितीय चरण (प्रमुख चरण)

पार्ट-ए दिनांक 02.10.2021 से 31.12.2021 तक, तदुपरान्त आगामी 15 दिवस मध्यान्तर, जिसमें प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कर समाधान सुझाया जावेगा।

पार्ट-बी दिनांक 16.01.2022 से 31.03.2022 तक रहेगा।

3. तृतीय चरण में फोलोअप की कार्यवाही की जावेगी। फोलोअप कैम्पस के लिये तृतीय चरण दिनांक 01.04.2022 से प्रारम्भ किया जावेगा।

अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके भूखण्डों का आवंटन कर पट्टे जारी करना तथा उनसे संबंधित अन्य प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान करना है।

'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' के तहत अभियान पूर्व तैयारियों के संबंध में अधिकाधिक पट्टे जारी किये जाने हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश दिये जाते हैं:-

1. अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न है। उक्त सभी कार्य किये जाने हेतु अभियान से पूर्व तैयारी की जावे। इन कार्यों की निरन्तर समीक्षा किये जाने हेतु पृथक से फॉर्मेट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रतिदिन शिविर में किये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नगरीय निकायों द्वारा प्रेषित की जायेगी।

2. आमजन की सुविधा व जानकारी हेतु शिविरों में Help Desk लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. DOIT द्वारा कुछ प्रमुख सेवाओं हेतु 'Online Application' सुनिश्चित की गयी है, जो पोर्टल पर आपको उपलब्ध करवा दी गई है। उक्त Application पर Flow Chart के अनुसार कार्य करते हुए पट्टा जारी करने की प्रक्रिया काफी सुगम हो जायेगी। पट्टे का आवेदन अपलोड करने की प्रक्रिया अभियान से पूर्व समझ ले एवं पूर्व तैयारी शिविर में तदुसार सूचना भरकर अभियान अवधि में पट्टे जारी करें तथा मानिटरिंग कर राज्य सरकार को नियमित रूप से अवगत करावें।

4. उक्त अभियान हेतु विभाग की वेबसाईट -shahar2021.rajasthan.gov.in एवं Help Desk (टोल फ्री नं. 1800-180-6127) का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 09.09.2021 को कर दिया गया है।

5. विभाग द्वारा आपको 6 विभिन्न प्रकार के पट्टों के प्रारूप (अलग-अलग रूपों में) भेजे जा रहे हैं, जिन्हें समूचित संख्या में ग्री-प्रिन्ट कराकर कार्यालय में तैयार रखें। इन ग्री-प्रिन्टेड पट्टों के प्रारूप में ऑनलाईन, कम्प्यूटर के द्वारा आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र से जानकारी अंकित करें तथा पट्टे को प्रिन्ट करें।

6. तैयारी कैम्प (दिनांक 15.09.2021 से 25.09.2021 तक) में निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने

बाले शुल्कों के निवरण, जॉनल-प्लान, Lay Out Plan, अनुमोदित कॉलोनियों की सूची के Display की शिविर स्थल पर समुचित व्यवस्था की जावे।

7. आवासीय, व्यावसायिक/पर्यटन, मिश्रित, संस्थागत, औद्योगिक, धारा 69-ए के भिन्न-भिन्न पट्टे जारी किये जाने हैं।
8. पट्टों के पीछे निर्धारित शर्तें अंकित की गई होनी चाहिए।
9. पट्टे निमांकित संगीन स्वरूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करे-

(i) आवासीय उपयोग-	पीला रंग
(ii) व्यावसायिक/पर्यटन उपयोग-	लाल रंग
(iii) मिश्रित उपयोग-	नारंगी रंग
(iv) संस्थागत उपयोग-	नीला रंग
(v) औद्योगिक उपयोग-	बैंगनी रंग
(vi) 69-ए के पट्टे (हैरिटेज)-	गोला रंग
10. पट्टों का आकार A-4 साईज रखा जावे।
11. पट्टों की प्रिण्टिंग हेतु कम से कम पेपर-90 जी.एस.एम. से 110 जी.एस.एम. रखा जावे।
12. पट्टों में आवश्यकता अनुसार कुछ शर्तें जोड़ी व हटाई जा सकती हैं।
13. उपर्युक्त विभिन्न रंगों के पट्टा प्रारूप Letter Head की तरह पहले से छिट करवा के पर्याप्त मात्रा में रखे जावे ताकि आवेदन प्राप्त होने पर कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदक की Details भरकर पट्टों का प्रिंट दिया जा सके एवं आवेदन प्राप्त होने पर पट्टों को अपलोड करने की कार्यवाही की जावे ताकि अभियान के शुभारम्भ दिनांक 02.10.2021 को अधिकाधिक पट्टे जारी किये जा सकें।
14. पट्टों की प्रिण्टिंग कालिटी उच्च स्तर की हो।
15. नगर मित्र/E-Mitra को आवेदकों की सहायतार्थ आवेदन पत्रों को Scan/Upload करने हेतु पावन्द किया जावे तथा उक्त कार्य हेतु आवेदकों से निर्धारित दरों पर भुगतान करवाया जावे। इसके लिए अभियान पूर्व तैयारी कैपों से पूर्व ही इनके साथ एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जावे।
16. साईट प्लान आवश्यकतानुरूप अलग से भी संलग्न किया जा सकता है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पट्टे का संलग्न प्रारूप अनुसार पंजीयन किया जावेगा, जो पट्टे का भाग होगा।
17. नवीन पट्टों हेतु एक निर्देशिका जारी की गयी है, जो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।
18. अभियान के दौरान जारी किये जाने वाले पट्टों के पंजीयन हेतु सब-रजिस्ट्रार की शक्तियाँ भी नगरीय निकाय में पदस्थापित आयुक्त/अधिकारी अधिकारियों को दी जा रही हैं। आप द्वारा अभियान के दौरान प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त/अधिकारी अधिकारी एवं सब-रजिस्ट्रार दोनों के रूप में कार्य किया जावेगा। अतः आपके द्वारा जारी पट्टों के पंजीयन की कार्यवाही संलग्न प्रारूप अनुसार की जानी है जिसके लिए आपको अलग से गाइडलाइन भेजी जावेगी। इसके अलावा आप भी अपने नजदीकी सब-रजिस्ट्रार से व्यक्तिगत: सम्पर्क कर इस प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेवे एवं संबंधित लिपिकों को भी उक्त प्रक्रिया की जानकारी दी जावे।
19. अभियान के दौरान पट्टे जारी किये जाने हेतु इन्टरनेट, पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर एवं High Speed प्रिन्टर की उपलब्धता सुनिश्चिता की जावे।

अभियान से पूर्व उक्तानुसार पट्टे देने की कार्यवाही करने हेतु सम्पूर्ण तैयारी आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे। पट्टों के विभिन्न प्रारूप का पी.डी.एफ. (PDF) या वर्ड (doc) फॉर्मेट सक्षम स्तर से अनुमोदित होते ही आपको प्रेषित कर दिया जावेगा। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

मल्तमः- उपरोक्तानुसार

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जो.3, राजमहल रेजीडेंशियल एरिया, चिंविल लाईन फाटक, 22 गोदान, सौ-स्कौम जयपुर-302015)

टेलीफ़ोन: 0141-2222403, ईमेल—difbrajasthan@gmail.com वेबसाइट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:—PSKS / अभियान-21 / डीएलबी / 2021 / 158

जयपुर, दिनांक:—17.09.2021

आयुक्त / अधिशासी अधिकारी

नगर निगम / परिषद / पालिकाएं

समस्त राजस्थान।

विषय:—प्रशासन शहरों के सभा अभियान-2021 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पट्टों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पट्टे जारी किये जाने हैं।

विभिन्न नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों द्वारा इस बिन्दु पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने पर साननीय मंत्री महोदय द्वारा 15वीं विधानसभा के छठे सत्र के दौरान घोषणा की गई, कि अभियान के दौरान महापौर/समापति/अध्यक्ष व आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होंगे, यदि महापौर/समापति/अध्यक्ष को पट्टे संबंधी पत्रावलियाँ प्रस्तुत होने के 15 दिवस में उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने की स्थिति में नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिक अधिकारी यथा आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा एकल हस्ताक्षर से पट्टों पर हस्ताक्षर कर निरतारण किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश केवल अभियान अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(चीफ़ नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(क)(या)()डीएलबी / 21 / 67686

जयपुर, दिनांक : 24.09.2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के लिए निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 24.09.2021 से 31.03.2022 तक जमा कराने पर
1.	गृह कर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/मर्वनों की गृहकर राशि एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2021-22 तक का एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर व्याज एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से यूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में व्याज पेनलटी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

नोट:- उक्त छूट की अवधि दिनांक 24.09.2021 से 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी एवं यूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा तथा जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—ए.पी.एस. / ए.डी. / डी.एल.बी. / 2021 / 19199

दिनांक:— 24.09.2021

आयुक्त / अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

विषय:—प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 में पट्टा जारी किये जाने हेतु राजकीय अभिलेखागार में उपलब्ध जागीरदारी / अन्य प्राचीन पट्टों / दस्तावेजों के उपयोग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 के तहत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि राजकीय अभिलेखागार के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं अलवर स्थित कार्यालयों में पूर्व में जागीरदारों द्वारा जारी पट्टे, अन्य प्राचीन पट्टे दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। अभियान के द्वारा पट्टे जारी करने हेतु आवश्यक होने पर राजकीय अभिलेखागार से वांछित दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं। वांछित दस्तावेज आम लोगों को सहज एवं सुलभ रूप से उपलब्ध कराने हेतु राजकीय अभिलेखागार विभाग को अनुरोध किया जा चुका है। उक्त चारों शहरों में अभिलेखागार से सम्बन्धित अधिकारियों का विवरण निम्नांकित हैं:—

1. श्री चन्द्रसैन सिंह शेखावत, उप निदेशक, राज्य अभिलेखागार, जयपुर मो० 7790913718
2. श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, राज्य अभिलेखागार, जोधपुर मो० 8560032155
3. श्री दिलीप चर्मा, कार्यालय अधीक्षक, बीकानेर मो० 9929640440
4. श्री वसंत सिंह, सहायक निदेशक, राज्य अभिलेखागार, अलवर मो० 9782837024

उल्लेखनीय है कि जयपुर स्थित राज्य अभिलेखागार में समस्त राजस्थान के, तत्कालीन जागीरदारों द्वारा जारी पट्टे उपलब्ध हैं।

अतः इस सम्बन्ध में आम लोगों को अधिकाधिक जानकारी दी जावें जिससे वो पट्टे हेतु आवश्यक दस्तावेज सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकें। उक्त चारों शहरों में कैम्प के दौरान राज्य अभिलेखागार काउन्टर आवश्यक रूप से लगाये जावें, जहाँ से लोग आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकें। इस हेतु अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों से शिविर लगाने से पूर्व ही आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं समन्वय किया जावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

 राजस्थान सरकार	राजस्थान राजपत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary Published by Authority
		आश्विन 02, शुक्रवार, शके 1943-सितम्बर 24, 2021 <i>Asvina 02, Friday, Saka 1943- September 24, 2021</i>

भाग-४(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रास्पद) विभाग

(युप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2021

संख्या प.2(25)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थे प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्या 7)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

आरत गणराज्य के बहुतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 43 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"43. भूमि का न्यास में निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को और नगरीय क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास रखी गयी नज़ूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन न्यास के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् न्यास को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त यहण करेगा और उसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा और आवंटन, नियमितीकरण या नीलाम के रूप में उसका व्ययन ऐसी शर्ती तथा निर्वधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसाकि वह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु न्यास किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

- (क) उस पद कोई सुधार किये बिना या कराये बिना कर सकेगा; या
- (ख) ऐसा सुधार किये जाने या कराये जाने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार सुधार सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे।
- (2) न्यास के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का सुधार किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि न्यास में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगरपालिका द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि नगरपालिका या राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निर्धनों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जाये, सौंप सकेगी।"

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 60-ग का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 60-ख के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 8 से पूर्व, लिम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"60-ग. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अन्वर्यण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो न्यास की अधिकारिता के भीतर, न्यास द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञान के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि प्राप्त करता है तो वह न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में, विहित रीति से, अन्वर्यण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में

अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में अङ्गर्पण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पड़ाधृति आधार पर है तो एकबारीय पड़ा राशि, जो विहित की जायें, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन न्यास द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार न्यास में निहित हो जायेंगे और न्यास, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के सदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पड़ा उन समस्त प्रसविदाओं और विल्लेगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन न्यास द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"

अध्याय 3

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नवी धारा 54-ड का अंतःस्थापन।- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की विद्यमान धारा 54-घ के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नवी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्-

"54-ड. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अङ्गर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी किया जाना।- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पड़े या अनुजप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अङ्गर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पड़ा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अङ्गर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पड़ाधृति आधार पर है तो एकबारीय पड़ा राशि, जो विहित की जायें, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक

द्वारा, ऐसी फोस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पड़ा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से सलग थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।।।

अध्याय 4

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 में नयी धारा 50-ख का अंतःस्थापन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की विद्यमान धारा 50-के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्-

"50-ख. कलिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी किया जाना।- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पड़े या अनुज्ञानित के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पड़ा धारित करता है तो वह ऐसी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पड़ाधृति आधार पर है तो एकदारीय पड़ा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फोस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पड़ा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पड़ा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से सलग थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।।।

अध्याय 5

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 68-क का अंतःस्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 68 के पश्चात् और विद्यमान धारा 69 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"68-क. भूमि का नगरपालिका में निहित होना और उसका व्यवन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को और नगरपालिक क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास व्ययन के लिए रखी गयी नज़ूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नगरपालिका के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् नगरपालिका को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त राहण करेगी और उसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी और उसका व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्धारणों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकरित करे, और ऐसी रीति से कर सकेंगी जैसाकि वह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु नगरपालिका किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

(क) उस पर कोई विकास किये बिना या कराये बिना कर सकेगी; या

(ख) ऐसा विकास किये जाने या कराये जाने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगी जो वह योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे।

(2) नगरपालिका के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि नगरपालिका में निहित किसी भूमि की किसी भी समय विकास प्राधिकरण या, यथास्थिति, नगर सुधार न्यास द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास या, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निर्धारणों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जाये, सौंप सकेगी।

(4) नगरपालिका द्वारा अर्जित या राज्य सरकार द्वारा अर्जित और नगरपालिका को अंतरित समस्त भूमि का व्ययन नगरपालिका द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा (1) में भूमि लिए विहित की जायें।"

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 69-क का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 69-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"69-क, कतिपय भूमियों में अधिकारों के अङ्गर्षण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना।-(1) कोई व्यक्ति जो नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुजप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का नगरपालिका के पक्ष में, विहित रीति से, अङ्गर्षण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का नगरपालिका के पक्ष में अङ्गर्षण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विलंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (7) के विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) लिखित अनुग्रह वहाँ अपेक्षित नहीं होगी, जहाँ किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के अधीन अनुखण्ड के ऐसे क्षेत्र पर, जो नगरपालिका की सुसंगत भवन निर्माण उप-विधियों में विहित किया जाये, संनिर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो। अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और भवन निर्माण उप-विधियों में यथा विहित फीस जमा कराने के पश्चात् संनिर्माण कराया जा सकेगा। तथापि, यह उपबंध परकोटे वाले शहरी क्षेत्र/हेरिटेज क्षेत्र/निर्बंधित क्षेत्र, जिनके लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी सुसंगत विधि के अधीन पृथक् उप-विधियों/नियम विद्यमान हैं, को लागू नहीं होगा।"

अध्याय 6

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में संशोधन

9. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 50-ख का अंतःस्थापन.- अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा जाया है, की विद्यमान धारा 50-क के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"50-ख. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना।- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञाप्ति के अधीन से अन्यथा कोई गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकलारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रशारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से सलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"

10. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 89-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 89 के पश्चात् और विद्यमान धारा 90 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"89-क. अभिलेख मंगवाने की शक्ति।- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैक का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा पारित किये गये समझौते गये किसी

आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसा करने में, निदेश दें सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अवश्य करने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगवाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् राज्य सरकार या यथापूर्वकत प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वकत प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और समितियों पर आबद्धकर होगा।”।

विजोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 23, 2021

No. E. 2(25)Vidhi/2/2021.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vidhiyan (Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 7):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2021

(Act No. 7 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2021)

An

Act

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and the Ajmer Development Authority Act, 2013.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Second Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959

2. Substitution of section 43, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing section 43 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"43. Land to vest in the Trust and its disposal.- (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the land as defined in section 103 of that Act, excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and Nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102-A of that Act in urban area shall, immediately after establishment of the Trust under section 8 of this Act, be deemed to have been placed at the disposal of and vested in the Trust which shall take over such land for and on behalf of the State Government and may use the same for the purposes of this Act, and may dispose of the same by way of allotment, regularization or auction subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe:

Provided that the Trust may dispose of any such land-

- (a) without undertaking or carrying out any improvement thereon; or
- (b) after undertaking or carrying out such improvement as it thinks fit, to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it may consider expedient to impose for securing improvement according to plan.

(2) No improvement of any land shall be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Trust.

(3) If any land vested in the Trust is required at any time by the Municipality, for carrying out its functions, or by the State Government for any other purpose, the State Government may, by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Municipality or any Department of the State Government on such terms and conditions as may be deemed fit".

3. Insertion of new section 60-C, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 60-B and before the existing CHAPTER VIII of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"60-C. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Trust otherwise than under a lease or licence issued by the Trust may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Trust for the purpose of obtaining free hold rights from the Trust, the Trust may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Trust for the purpose of obtaining free hold rights from the Trust, the Trust may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Trust under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Trust and the Trust shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Trust of the rights under sub-sections (1) and (2)."

CHAPTER-III

AMENDMENT IN THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

4. Insertion of new section 54-E, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 54-D and before the existing CHAPTER IX of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the following new section shall be inserted, namely:-

"54-E. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2)."

CHAPTER-IV

AMENDMENT IN THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009

5. Insertion of new section 50-B, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- After the existing section 50-A and before the existing CHAPTER IX of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the following new section shall be inserted, namely:-

"50-B. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2)."

CHAPTER-V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

6. Insertion of new section 68-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 68 and before the existing section 69 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"68-A. Land to vest in the Municipality and its disposal.- (1)

Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the land as defined in section 103 of that Act, excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and Nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102-A of that Act in municipal area shall, immediately after establishment of the Municipality under section 5 of this Act, be deemed to have been placed at the disposal of and vested in the Municipality which shall take over such land for and on behalf of the State Government and may use the same for the purposes of this Act, and may dispose of the same subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe:

Provided that the Municipality may dispose of any such land-

- (a) without undertaking or carrying out any development thereon; or
- (b) after undertaking or carrying out such development as it thinks fit, to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it may consider expedient to impose for securing development according to plan.

(2) No development of any land shall be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Municipality.

(3) If any land vested in the Municipality is required at any time by the Development Authority or the Urban Improvement Trust, as the case may be, for carrying out its functions, or by State Government for any other purpose, the State Government may by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Development Authority or the Urban Improvement Trust or any department of State Government, as the case may be, on such terms and condition as may be deemed fit.

(4) All land acquired by the Municipality, or by the State Government and transferred to the Municipality, shall be disposed of by the Municipality in the same manner as may be prescribed for land in sub-section (1).".

7. Substitution of section 69-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 69-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1)

Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Municipality otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining free hold rights from the Municipality, the Municipality may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining free hold rights from the Municipality, the Municipality may accept such

rights and may issue free hold patta. In case such land is on lease hold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Municipality under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under sub-sections (1) and (2)."

8. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (d) of sub-section (7) of section 194 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(d) A written permission shall not be required where a person has submitted an application under sub-section (1) for construction on such area of the plot as may be prescribed in relevant building bye-laws of the Municipality. Construction can be undertaken after submitting the required documents and depositing the fee as prescribed in the building bye-laws. However, this provision shall not be applicable for walled city area/heritage area/restricted area for which separate bye-laws/rules are in existence under any relevant law for time being in force.".

CHAPTER-VI

AMENDMENT IN THE AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013

9. Insertion of new section 50-B, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 50-A and before the existing CHAPTER IX of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"50-B. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.

(1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2)."

10. Insertion of new section 89-A, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 89 and before the existing section 90 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"89-A. Power to call for records.-(1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed under this Act by the Authority or any committee or officer of it, call for the relevant record, and may in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2):

Provided that no record relating to an order or a resolution shall be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Authority and on its officers and committees."

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम / / डीएलबी/ 21 / 69156
समर्स्ट आयुक्त/अधिशापी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
राजस्थान।

जायपुर, दिनांक : 27.09.2021

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)अभि-12()नियम / स्वाठा0वि0 / 12 / 14723 दिनांक 17.10.
2012 द्वारा निम्नानुसार अधिसूचना जारी की गई थी:-

‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के पुनर्समीक्षा (रिव्यू) के प्रावधान नहीं होने से कतिपय
व्यावहारिक कठिनाईयों आ रही है। इन कठिनाईयों के निराकरण की दृष्टि से नगरीय निकायों के अधिकारियों
को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत पुनर्समीक्षा (रिव्यू) की अधिकारिता प्रदत्त की जाती है।’

उपरोक्त अधिसूचना वर्तमान में भी यथावत् प्रभावी है।

उक्त आदेश सक्षम रूप से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

आँनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 हेतु नई वेबसाईट shahar2021.rajasthan.gov.in आरम्भ की गई है। अभियान में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की जानकारी, नगरीय निकायों के सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों की सूची, अभियान से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशों, परिपत्रों व दिशा-निर्देशों की जानकारी आदि समस्त सूचनायें उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी।

अभियान के दौरान नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की सतत मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय डैश-बोर्ड विकसित किया गया है।

अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यों हेतु आमजन से आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जाकर नगरीय निकायों द्वारा ऑनलाइन निष्पादन किया जावेगा :-

1. 90-ए के आदेश
2. पट्टे जारी करना (प्राधिकरण/न्यास/नगरपालिकाओं की योजनाएं, निजी खातेदारी भूमि योजनाएं, सहकारी समिति अनुमोदित योजनाएं, 69-ए, स्टेट ग्रान्ट, कच्ची बस्ती)
3. भवन निर्माण स्वीकृति
4. उप विभाजन/पुनर्गठन
5. नाम-हस्तान्तरण
6. लीज जमा करना (वार्षिक लीज, 99 वर्षीय लीज, फ्री-होल्ड पट्टे हेतु लीज)
7. पूर्व में जारी पट्टों को समर्पित कराकर नये पट्टे जारी करना

आमजन द्वारा shahar2021.rajasthan.gov.in वेब साईट पर Online Service लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन हेतु नगर मित्रों की सेवाएं भी आमजन द्वारा ली जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक द्वारा SSOID से किया जावेगा। SSOID साईट पंजीकरण लिंक पर उपलब्ध है।

आमजन को विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हैल्प लाइन नम्बर 1800-180-6127 पर हैल्प-डेस्क स्थापित किया गया है।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(बौ-3, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफ़ोन नं. 0141-2222403, 2229314

ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/होण्टल्बी/2021/18413

दिनांक : 13.09.2021

आदेश

'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' (शहर-2021) के दौरान नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नांकित सेवाओं के लिए Online Applications प्राप्ति की गई है -

1. पट्टों से संबंधित
2. 90-ए
3. उपविभाजन/पुनर्गठन
4. नाम हस्तांतरण
5. भवन निर्माण स्वीकृति
6. लीज राशि
7. पट्टा कृपान्तरण

उक्त Online सेवाओं के लिए स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर नियोजन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा DOIT के माध्यम से संलग्न सूची अनुसार 58 कार्मिकों (मास्टर ट्रेनर) को विशेष Online प्रशिक्षण दिनांक 15.09.2021 को दिया जाना है। उक्त सभी मास्टर ट्रेनर DOIT से दिनांक 15.09.2021 को प्रशिक्षण प्राप्त कर, अपने से संबंधित जिले की नगरीय निकायों के कार्मिकों को दिनांक 17.09.2021 तक Online सेवाओं का प्रशिक्षण देंगे। समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) यह सुनिश्चित कर पालना एपोर्ट विभाग को भिजवायेंगे कि प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संभाग के प्रत्येक जिले की नगरीय निकायों के कार्मिकों को दिनांक 17.09.2021 तक उपर्युक्त Online सेवाओं का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्रदान कर दिया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार मास्टर ट्रेनिंग हेतु कार्मिकों की सूची।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

मास्टर ट्रेनर सूची

क्र.सं.	संभाग	निकाय / कार्यालय नाम	नाम कर्मिक	पद	मोबाइल नम्बर
1.	बीकानेर	बीकानेर	श्री जगदीश खीड़ड	राजस्व अधिकारी	8290064729
2.			श्री रिद्धकरण	कानेश तेखाकाने	9829152492
3.	चुक्का		श्री अमूर जागिड	वरिष्ठ सहायक	9481220331
4.			श्री शंकर पुनिया	वरिष्ठ सहायक	6350338832
5.		ओंगंगानगढ़	श्री विश्वास गोदारा	सहायक राजस्व निरीकाक	9414838001
6.			श्री सिद्धार्थ जांडू	कानेश अधिकारी	8561889384
7.		छन्दुगानगढ़	श्री गंगाराम	सहायक राजस्व निरीकाक	9214516218
8.			श्री वेदप्रकाश	वरिष्ठ सहायक	9413934235
9.		त्रिजानगढ़	श्री जैकी राम गोपल	कानेश लिपिक	8107397288
10.	अजमेर	आदर	श्री चिशम गोबल	AEN	9529444489
11.		मीलवाड़ा	श्री अमृत लाल खट्टीक	NUM प्रभारी	9252060710
12.		मेडला	श्री अनिल	कानेश लिपिक	7014523102
13.			श्री सरफाराज	कानेश अभियन्ता	8302506218
14.		जामोर	श्री रोहीन खान	क्राफ्टमैन	9414619801
15.		टोक	श्री यप्पूलाल मोणा	कानेश अभियन्ता	9610418607
16.	भरतपुर	भरतपुर	श्री रविन्द्र सिंह	सचिव	9413915708
17.			श्री कुलदीप फौजदार	राजस्व निरीकाक	9079335249
18.		धौलपुर	श्री आशीष कुमार	सहायक नगर नियोजक	9461828577
19.		करीली	श्री गोविन्द पाण्डाशर	वरिष्ठ प्रालयकार	9166820899
20.		सवाईमाधोपुर	श्री भवर लाल सैनी	सहायक अभियन्ता	9784813714
21.	कोटा	कोटा (वत्तर)	श्री मगन मीणा	सूचना सहायक	9602009657
22.			श्री ब्रजराज गहनायर	एसिस्टेन्ट प्रायामर	7597818760
23.		कोटा (दक्षिण)	श्री कुन्जबिहारी	एसिस्टेन्ट प्रायामर	7737288517
24.			श्रीमति एसणा नरेडा	एसिस्टेन्ट प्रायामर	9460303268
25.		कुट्टी	श्री गुलशन जैत	वरिष्ठ प्रालयकार	9983335334
26.		कारां	श्री घरेराज गुजर	सहायक अभियन्ता	9875078899
27.			श्री जुलेश गर्मा	कानेश लिपिक	9480174400
28.		झालवाड़ा	श्री अमचन्द्र मीणा	कानेश अभियन्ता	7976087068
29.	जगधपुर	जगधपुर यैटर	श्री अतुल खण्डेलवाल	सूचना सहायक	9079814079
30.		जगधपुर हेरिटेज	श्री वेमव कुमार	प्रायामर	6377142055
31.		अलवर	श्री राजकुमार	सहायक अभियन्ता	9684095609
32.			श्री हरि शर्मा	वरिष्ठ सहायक	8005997811
33.		बौरा	श्री हनुमान शर्मा	राजस्व अधिकारी	9887204035
34.			श्री दीपक शर्मा	सहायक अभियन्ता	9549321920
35.		सौकर	श्री नवनीत कुमार	राजस्व अधिकारी	9414445156
36.			श्री सुरेन्द्र कुमार	कानेश लिपिक	
37.		चुन्हान	श्री रत्नलाल शर्मा	वरिष्ठ सहायक	7014135633
38.	लदयपुर	लदयपुर	श्री लिलो वाटीदार	सहायक अभियन्ता	8414853781
39.		बासवाड़ा	श्री मुकेश मधु	कानेश अभियन्ता	9461551608
40.		दोजसमन्द	श्री गोविंद कुमारवत	वरिष्ठ प्रालयकार	9413888708
41.		चित्तौड़गढ़	श्री लमजू भनवारी	कानेश सहायक	7591288558
42.		ब्रतापगढ़	श्री वद्म नवीन	कानेश सहायक	9772298974
43.		दंगरपुर	श्री यशर नंदी	कानेश सहायक	8764137650

44.	जीधपुर	जोगिपुर	श्री खेतरसिंह गहलोत	Analyst Cum Programmer	9829232707
45.			श्री कृष्णल मुण्डा	Analyst Cum Programmer	9828500286
46.		प्रीपालशहर, बिलासपुर, फलोदी, भोपालगढ़	श्री बगदाराम	कॉनिष्ट सहायक	9079695970
47.		बाली, सुमेरपुर, तख्तनगढ़, रानी, कालना, बाली, सावडी, जैतारण, सोंचत	श्रीमति सुमन चौधरी	नगर नियोजन उदायक	9186761639
48.		जैसलमेर, पोकरण	श्री नीरज गंगल	कॉनिष्ट अमियता	7014600255
49.		जालीर, भीनमाल, सर्वीर	श्री रमेश रोहिन	कॉनिष्ट सहायक	9610511051
50.		सिरोही, पिण्डवाड़ा, दिवगंज, बावरोड, आवरोड, जापल	श्री अशोक नाली	राष्ट्रवक्त प्रशासनिक अधिकारी	9460625387
51.		senior Town planner Kota Zone (additional charge) and district Town Planner Bundi Deputy Town Planner Nagar Nigam Kota North	Sh. Amit Vyas	Deputy Town Planner	9414181787
52.		Office of Chief Town Planner Jaipur Zone, Jaipur	Sh. Ankur dadheech	Deputy Town Planner	8447119125
53.		Senior Town Planner office, Ner zone jaipur	Sh. Ankur dadheech Prasoon chaturvedi (as per Latest order)	Deputy Town Planner	8447119125
54.		office of Deputy Town Planner, Alwar	Sh. Anubhav Mishra	Assistant Town Planner	8770583702
55.		Senior Town Planner office, Udaipur Zone, Udaipur	Sh. Arvind kanawat	Deputy Town Planner	9929990030
56.		Senior Town Planner office, Ajmer Zone, Ajmer	Sh. Bhupendra Kumar	Deputy Town Planner	7742404461
57.		Senior Town Planner office, Bikaner Zone, Bikaner	Sh. Rakesh Matwa	Deputy Town Planner	9785645543
58.		Senior Town Planner office, Bharatpur Zone, Bharatpur	Sh. Radan singh Meena	Deputy Town Planner	9784316292

नगर मित्रों की भूमिका

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अंतर्गत आमजन से संबंधित तकनीकी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु “नगर-मित्र” (वैकल्पिक व्यवस्था) के पंजीकरण के संबंध में

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अंतर्गत आमजन से संबंधित तकनीकी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु “नगर-मित्र” (वैकल्पिक व्यवस्था) के पंजीकरण के संबंध में अनुमोदन उपरान्त “नगर-मित्र” पंजीकरण प्रपत्र (EoI) राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में दिनांक 14.07.2021 को प्रकाशित किये गये।

उक्त पंजीकरण प्रपत्र (EoI) के संदर्भ में नगर मित्रों हेतु प्राप्त लगभग 770 आवेदनकर्ताओं को प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं अरबन सर्विसेज के संबंध में अवगत कराने हेतु कार्यालय मुख्य नगर नियोजक स्थित सभा भवन में दिनांक 24.08.2021 से 09.09.2021 Orientation कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अभियान के अंतर्गत सेवाओं एवं अन्य नगरीय सेवाओं हेतु देय निर्धारित शुल्क संबंधित नागरिकों द्वारा सीधे ही नगर-मित्र को भुगतान किया जावेगा एवं नगरीय निकाय द्वारा कोई तकनीकी कार्य करवाये जाने पर देय निर्धारित शुल्क संबंधित भूखण्डधारियों से वसूलनीय होगा।

प्राप्त आवेदनों (व्यक्तिगत एवं संस्था) की जीवंत करने हेतु आवेदकों को उनके द्वारा बांधित शहरों हेतु नगर मित्र के रूप में पंजीकरण किए जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है—

- समरूप आवेदकों (व्यक्तिगत एवं संस्था) हेतु पंजीकरण प्रपत्र अनुसार निर्धारित तकनीकी योग्यता की जीवंत उपरान्त प्राप्त आवेदकों को ही पंजीकरण हेतु मान्य किया गया है। तकनीकी योग्यता के अन्तर्गत प्राधिकरण स्तर के शहरों में बी.आर्क/बी.लान/बी.ई सिविल मय इंस्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स की सदस्यता (सिविल)/इंस्टीट्यूशन आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया, नई दिल्ली का एसोसिएट मेम्बर एवं नगर विकास न्यास स्तर के शहरों हेतु उक्त योग्यता धारियों के साथ—साथ सिविल/आर्कीटेक्चर में डिप्लोमा व शेष अन्य नगर परिषद/पालिका स्तर के नगरीय निकायों में उपरोक्तानुसार वर्णित योग्यता धारियों के साथ—साथ सिविल इन्जीनियरिंग में ड्राफ्टमेन्शिप/आई.टी.आई/राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी (न्यूनतम कनिष्ठ अभियन्ता) को मान्य किया गया है।
- व्यक्तिगत आवेदनकर्ताओं को शहरों का आवंटन आवेदनों पत्रों में उनके द्वारा चाहा गया शहर एवं आवेदक के निवास स्थान एवं पंजीकरण प्रपत्र में वर्णित आवेदक की तकनीकी योग्यता के आधार पर किया गया है।
- संस्था के रूप में आवेदनकर्ताओं को शहरों का आवंटन, शहरों की श्रेणी (यथा प्राधिकरण, न्यास, अन्य नगरीय निकाय), संस्था में कार्यरत तकनीकी कर्मियों की तकनीकी योग्यता, उपलब्ध आवश्यक संसाधनों एवं प्रत्येक शहर में नगर मित्रों की उपलब्धता को सुनिश्चितता करते हुए शहरों का आवंटन किया गया है।

अभियान के तहत नगरीय निकायों द्वारा नगर मित्रों के सहयोग से किये जाने वाले कार्यों हेतु चयनित नगर-मित्रों द्वारा नगरीय निकाय/हाउसिंग सोसाइटी/विकास समिति/भूखण्डधारियों द्वारा व्यक्तिशः निम्न वर्णित तकनीकी कार्यों हेतु आवेदन किए जाने पर पंजीकृत नगर-मित्र इन कार्यों हेतु सम्बन्धित कार्य का निर्धारित शुल्क लेते हुए निम्नलिखित कार्यों को संपादित कराने हेतु पत्रावली मय/आवश्यक तकनीकी व अन्य दस्तावेजों को संकलित कर नगरीय निकाय में अनुमोदन की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर Web enabled application के माध्यम से online एवं offline प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत होंगे—

- (i) विद्यमान योजनाओं के प्रारूप के लौ—आडट प्लान तैयार करना (पूर्व में रखीकृत योजनाओं के अतिरिक्त

अन्य योजनाएं जिनके ले—आउट प्लान तैयार नहीं हुए हैं) एवं 90—ए करने की कार्यवाही कर पट्टे तैयार कराना।

- कृषि भूमि पर विकसित योजनाओं हेतु।
 - सघन/कच्ची बस्ती/पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित क्षेत्र/योजनाओं हेतु।
 - निजी खाते की भूमि/गृह निर्माण सहकारी समिति/अन्य योजनाओं हेतु।
 - स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे दिये जाने हेतु।
- (ii) मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान के अनुरूप भू—उपयोग का सुपरइम्पोजिशन एवं भू—उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु पत्रावली तैयार कराना।
- (iii) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69(ए) के अंतर्गत कतिपय भूमियों के अधिकारों के समर्पण की कार्यवाही बाबत्।
- (iv) खांचा भूमि/भू—पट्टी/अतिरिक्त भूमि का आवंटन बाबत्।
- (v) भूखण्डों का उपविभाजन एवं पुनर्गठन बाबत्।
- (vi) भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

नोट— अन्य तकनीकी कार्य जैसा कि राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित किया जावें।

नगर—मित्रों के चयन हेतु ईक्याइ एवं शहरबार अस्थाई सूची कार्यालय मुख्य नगर नियोजक के आदेश दिनांक 10.09.2021 को जारी की गयी है एवं स्थायी सूची दिनांक : 24.09.2021 को जारी की गई है, जो नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

जोनल प्लान/ले-आउट प्लान

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,

क्रमांक: F18(35)UDD/Sector plan/2015/ 2967-3207

दिनांक :— 04.04.2019

—आदेश:—

पिछले कुछ दशकों से राज्य में शहरीकरण एवं नगरीय विस्तार में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। शहरीकरण एवं नगरीय विस्तार की तीव्र गति के परिणामस्वरूप भू-उपयोग पर निरन्तर दबाव के फलस्वरूप एवं नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं, यातायात व परिवहन व शहरी फैलाव, आवासों की कमी, पर्यावरण आदि अनेक नागरिक सुविधाओं से संबंधित चुनौतियां सामने आयी हैं। नगरीय विकास एवं विस्तार को सुनियोजित रूप से किये जाने हेतु दीर्घकालीन योजना होना आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के लगभग समस्त नगरीय निकायों के मास्टर प्लान अधिसूचित किये जा चुके हैं। मास्टर प्लान के प्रस्तावों व नीतियों की प्रभावी ढंग से क्रियांविति किये जाने हेतु विस्तृत योजना आवश्यक है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों हेतु लागू मास्टर प्लान के क्षेत्र के क्षेत्रों में सम्मिलित नगरीय व कृषि भूमि को "जॉनल डबलपमेन्ट प्लान" तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जॉनल डबलपमेन्ट प्लान, नगरीय विकास को सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए विस्तृत नियम और दिशा—निर्देश प्रदान करता है और नगरीय विकास को नियोजित तरीके से बढ़ावा देता है। नगरीय क्षेत्र के सतत विकास हेतु समस्त आधारभूत सुविधाएँ स्थानीय पहुंच में उपलब्ध कराकर स्थानीय निवासियों को लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का जॉनल डबलपमेन्ट प्लान में चिह्निकरण कर उपलब्ध कराया जाना जॉनल डबलपमेन्ट प्लान का प्रमुख उद्देश्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554 / 2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य हेतु समय—समय पर जॉनल डबलपमेन्ट प्लान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदत्त किये गये हैं:—

Directions as per decision dated 12.01.2017

- (I) The Development Authorities and the State Government shall ensure that Master Development Plan of a city/town prepared under the relevant statutes is a comprehensive and self explanatory document providing for preservation, conservation and development of eco-sensitive zone/ ecological zone/green area, peripheral control belt, natural scenery, city forest, wildlife natural resources and landscaping as also allocation of land for different uses such as residential, commercial, industrial, institutional, cultural complexes, tourist complexes, open spaces, garden, recreational centres, amusement parks, zoological gardens, animal sanctuaries, dairies and health resorts etc.
- (ii) Simultaneously with the preparation of Master Development Plan or immediate thereafter, as contemplated by section 4 of UIT Act and section 22 of Act No. 25 of 1982 and the other relevant statutes, the authority concerned shall proceed with the preparation of Zonal Development Plan for each Zone clearly specifying the location and extent of the and uses proposed in the Zones for such things as public buildings and other public works and utilities, roads, housing, recreation, industry, park, business markets, schools, public and private open spaces etc.

- (iii) The sanctity of Master Development Plan or the Zonal Development Plan finally sanctioned shall be maintained and all development schemes of the various zones and the development work to be undertaken by the local authority or private entrepreneurs or anybody else during the operative period thereof, shall conform to the landuses as specified under the Master Development Plan or Zonal Development Plan as the case may be.

Directions as per decision dated 15.12.2018

- a) The direction issued by this Court vide directions No. (ii) & (iii) directing preparation of Zonal Development Plan for each zone simultaneously with the preparation of Master Development Plan or immediately thereafter, are reiterated and the modification of the said directions as preyed for, is declined.
- e) The respondents are further directed not to permit conversion of land use/regularisation of unauthorised colony or individual unauthorised constructions until and unless the Zonal Development Plan and Sector Plans for the local area concerned governed by Master Development Plan are prepared, finalised and notified in accordance with law. Further, the conversion of the land use or regularisation of unauthorised development shall not be permitted unless the unauthorised development undertaken fulfils the norms laid down for requisite infrastructure facilities and amenities and conforms to the Master Development Plan/Zonal Development Plan/Sector Plans/Schemes duly notified.

उक्त निर्देशों की पालना हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी / डीएलबी / रिव्यू ऑफ एम.पी. / 14 / 2519 दिनांक 10.01.2018 एवं आदेश क्रमांक F18(35)UDD/Sector plan/2015 दिनांक 07.06.2018 द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में जहां मास्टर प्लान लागू है, जोनल ड्वलपमेंट प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के तहत जोनल ड्वलपमेंट प्लान तैयार किये जाने की क्रियान्विति भी निर्धारित की गई है। उक्त आदेशों के क्रम में उल्लेखित है की जोनल ड्वलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक निकाय क्षेत्र की जौन सीमा (Zone Boundary) का परिसीमन (Delineate) कर आगामी कार्यवाही की जानी है।

जोनल ड्वलपमेंट प्लान में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान की भू-उपयोग योजना को अध्यारोपित (Super-impose) कर प्रमुख भू-उपयोग यथावत रखते हुये विभिन्न स्थलों पर एवं मौका स्थिति के कारण हुए वर्तमान भू-उपयोगों व मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोगों से मिल हो चुके भू-उपयोगों के विश्लेषण हेतु पृथक से मानचित्र भी तैयार किया जावेगा।

जोनल ड्वलपमेंट प्लान के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु स्थानीय निकाय एवं नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य एवं इन-हाउस व आउट-सोर्स से किये जाने वाले कार्य हेतु विभिन्न चरणों (Stages) एवं समय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

विभिन्न चरणों (Stages) के अनुसार जोनल ड्वलपमेंट प्लान तैयार करने की रूप सेखा				
चरण (Stage)	जोनल ड्वलपमेंट प्लान के कार्यों (Activities) का विवरण	विभाग का नाम जिससे कार्य संबंधित है।	कार्य का प्रकार जिसके द्वारा कार्य किया जाना है। इन-हाउस / आउट-सोर्स	कार्य की समय सीमा (दिवस में)
आरम्भिक चरण	जौन सीमा का परिसीमन(Delineate)	नगर नियोजन विभाग	इन-हाउस	

चरण—१	डाला संग्रहण, मास्टर प्लान के विवरण मू—उपयोग तथा सूचना प्रोधोगिकी विभाग(DoIT) द्वारा जी.आई.एस.एलेटफॉर्म (GIS Tools) पर तैयार बेसमेप को काम में लेते हुए विस्तृत जोनल बेसमेप तैयार करना।	नगर नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय की सहायता से	जीआईएस विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त कर नगर नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय की सहायता से	60
चरण—२	राजस्व नक्शों(Revenue Maps), सरकारी भूमि, प्राकृतिक /भौगोलिक विशेषताओं, (Natural Physical Features), बायदा / बवनबद्धता (Commitments) से संबंधित भूमियों तथा नगरीय निकाय / वार्ड सीमा आदि को उपरोक्तानुसार जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान के प्रथम चरण के मानचित्र पर अध्यारोपित करना।	संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नगर नियोजन विभाग की देख-रेख में	आउट—सोर्स	30
चरण—३	(i)उपरोक्तानुसार ढितीय स्तर तक तैयार बेसमेप का जमीनी / मौं का सत्यापन(Ground Verification)	संबंधित नगरीय निकाय तथा नगर नियोजन विभाग	इन—हाउस	30
	(ii) बेसमेप पर अध्यारोपित राजस्व नक्शों का सत्यापन	संबंधित नगरीय निकाय तथा राजस्व विभाग का स्थानीय कार्यालय	राजस्व विभाग द्वारा	
चरण—४	चरण—३(i) के अनुसार विस्तृत जोनल बेसमेप को अंतिम रूप दिया जाना।	नगर नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय की सहायता से	इन—हाउस	30
चरण—५	चरण—४ एवं ३(ii) के अनुसार तैयार जोनल बेसमेप एवं मास्टर प्लान को अध्यारोपित कारप्रालप जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान के मानचित्र तथा रिपोर्ट भी तैयार करना।	नगर नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय की सहायता से	जीआईएस विशेषज्ञ सेवाएँ प्राप्त कर नगर नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय की सहायता से	30
चरण—६	उपरोक्तानुसार चरण—५ के अनुसार तैयार प्रारूप जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान हेतु आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करना।	नगर नियोजन विभाग के परामर्श सेवांबंधित नगरीय निकाय द्वारा	इन—हाउस	20
चरण—७	प्राप्त आपत्ति / सुझावों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर प्रारंभिक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना	नगर नियोजन विभाग के परामर्श से संबंधित नगरीय निकाय द्वारा	इन—हाउस	30
चरण—८	आपत्ति / सुझाव रिपोर्ट को अंतिम रूप देना तथा प्रारूप जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान का तकनीकी अनुमोदन करना।	संबंधित नगरीय निकाय के परामर्श से नगर नियोजन विभाग द्वारा	जीआईएस विशेषज्ञ सेवाएँ प्राप्त कर नगर नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय की सहायता से	30

चरण-५	जोनल डबलपमेन्ट प्लान का राज्य सरकार से अनुमोदन।	संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नगर नियोजन विभाग से परामर्श कर	इन-हाउस	15
चरण-१०	जोनल डबलपमेन्ट प्लान का प्रकाशन।	संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नगर नियोजन विभाग से परामर्श कर	इन-हाउस	अनुमोदन उपरान्त
जोनल डबलपमेन्ट प्लान तैयार करने की कुल समयावधि				275

टोट :—संपत्ति स्तर का बेसमेप उपरोक्तानुसार चरण-१ पूर्ण करने के उपरान्त संपत्ति स्तर का बेसमेप कार्य भी समानान्तर रूप से आउट-सोर्सिंग के माध्यम से 90 दिवस में किया जाना आवश्यक होगा उक्त कार्य चरण-५ के कार्य में सम्मिलित किया जाना होगा।

जोनल डबलपमेन्ट प्लान के विभिन्न चरणों का विस्तृत रूपरेखा—विवरण निम्नानुसार हैः—

1. जोन की सीमाओं का सीमांकन।

शहर के डबलपमेन्ट जोन की सीमाओं का सीमांकन मास्टर प्लान में निर्धारित प्लानिंग जोन की सीमा के अनुसार प्राथमिकता देते हुए नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक के द्वारा किया जाना है। उक्त सीमाओं का सीमांकन प्राकृतिक एवं भौतिक विशेषताओं, प्रमुख सड़कों तथा मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों को मध्यनजर रखते हुए भी सीमांकन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। किसी भी शहर के जोनल डबलपमेन्ट प्लान में आवश्यकतानुसार शहर का सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है।

2. चरण-१ :- डाटा संग्रहण एवं विस्तृत जोनल बेसमेप तैयार करना।

(अ) जीआईएस विशेषज्ञों को नियुक्त कर इन-हाउस विस्तृत जोनल बेसमेप नगर नियोजन विभाग द्वारा संबंधित नगरीय निकाय की सहायता से तैयार किया जाना है। जिन शहरों के बेसमेप तैयार करने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उनके बेसमेप हेतु DoIT द्वारा जी.आई.एस. प्लॉट फॉर्म पर तैयार बेसमेप को उपयोगमें लिया जावेगा। आवश्यकतानुसार टोटल स्टेशन सर्वे द्वारा अपडेशन कार्य करवाया जायेगा। जिन शहरों के जोनल डबलपमेन्ट प्लान हेतु स्थानीय निकायों द्वारा कार्यादेश जारी किया जा चुका है, उनका कार्य कार्यादेश अनुसार जी.आई.एस. आधार पर पूर्ण किया जावेगा। DoIT द्वारा जिन शहरों के बेसमेप तैयार नहीं किये गये हैं, उनके बेसमेप स्थानीय निकायों द्वारा जी.आई.एस. आधार पर आउट-सोर्सिंग के माध्यम से तैयार किये जावेंगे।

(i) प्रथम चरण के विस्तृत जोनल बेसमेप में आवासन और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश / मानक (Formulation of GIS based Master Plans) के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं की शेफार्फाईल (Shape files) बना करनिम्नानुसार वर्णित विशेषताओं को दर्शाया जाना अनिवार्य है :-

- सभी भौतिक / प्राकृतिक विशेषताएँ जैसे की सड़कें, रेलवे लाईन, नहरें, नदी / नालें, जलाशय, बनक्षेत्र, उपयोग के अनुसार विद्यमान विकास आदि।
- सार्वजनिक उपयोगिता / सेवा की लाइने जैसे की एच.टी. / एल.टी लाईन, गैस लाईन, टेलिफोन और जलापूर्ति पाइप लाईन आदि का सरेखण (Alignment)।

- सभी नक्शे जैसे कि साजकीय भूमि, नगरीय निकाय की भूमि, चारागाह भूमि, राजस्व नक्शे, म्यूनिसिपल वार्ड सीमा आदि।
 - आकृति (Contours), यदि आवश्यक हो।
 - जोन में अवस्थित सभी प्रमुख लेण्डमार्क।
- (ii) विस्तृत जोनल बेसमेप में जोन सीमा में स्थित सभी अकृषि सम्पत्ति का अंकन विद्यमान भू-उपयोग के साथ किया जाना भी आवश्यक है। उक्त कार्य समानान्तर रूप से आउट सोसिंग के माध्यम से स्थानीय निकाय द्वारा 90 दिवस में पूर्ण कर नगर नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे चरण-5 के कार्य में सम्मिलित किया जावेगा।
- नोट :-** सभी मानचित्र 1:4000 के पैमाने (Scale) पर तैयार किये जाने तथा लोजैण्ड एवं अन्य लिखित विवरण हिन्दी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा जाना आवश्यक है।
- (ब) नगरीय निकाय द्वारा डाटा संचयन कर नगर नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।
- राजस्व मानचित्र एवं उनका डिजिटल डाटा का संचयन।
 - आवंटित साजकीय भूमियाँ, 90ए / 90वी आदेशित भूमियाँ अनुमोदित ले—आउट प्लान की भूमियाँ एवं वायदा / वचनबद्धता (Commitments) से संबंधित भूमियाँ आदि का संचयन एवं सूचीबद्ध करना।
 - सरकारी भूमियाँ, नगरीय निकाय की भूमियाँ, चारागाह भूमियाँ, वन भूमि, नदियाँ, जलाशय, पहाड़ी, नहर इत्यादि की भूमियों का डाटा संचयन।
 - अन्य आवश्यक डाटा जौके जोनल बेसमेप तैयार करने में सहायक हो।
3. **चरण-2 :-** राजस्व नक्शे (Revenue Maps), सरकारी भूमि, प्राकृतिक / भौगोलिक विशेषताओं, (Natural/Physical Features), वायदा / वचनबद्धता (Commitments) से संबंधित भूमियों तथा नगरीय निकाय / वार्ड सीमा आदि को उपरोक्तानुसार जोनल बेसमेप के मानचित्र पर अध्यारोपित करना।
- राजस्व नक्शे (Revenue Maps), सरकारी भूमि, प्राकृतिक / भौगोलिक विशेषताओं, (Natural/Physical Features), वायदा / वचनबद्धता (Commitments) से संबंधित भूमियों तथा नगरीय निकाय / वार्ड सीमा आदि को उपरोक्तानुसार जोनल बेसमेप के मानचित्र (प्रथम चरण के मानचित्र) पर अध्यारोपित करने का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा आउट-सोस कर नगर नियोजन विभाग की देख-रेख में निर्धारित समयावधि में कराया जाना है।
4. **चरण-3 :-**
- बेसमेप का जमीनी / मौका सत्यापन (Ground Verification)**
जोनल बेसमेप का जमीनी / मौका स्तयापन संबंधित नगरीय निकाय में नियुक्त अधिकारी और नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत जिला नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक के द्वारा किया जाना है।
 - बेसमेप पर अध्यारोपित राजस्व नक्शों का सत्यापन**
स्थानीय निकाय द्वारा जोनल बेसमेप पर अध्यारोपित राजस्व नक्शों का सत्यापन राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में कराया जाना है।

5. चरण—4 :—चरण—3(i) के अनुसार विस्तृत जोनल बेसमेप को अंतिम रूप दिया जाना। प्रारूप जोनल बेसमेप को चरण—3 के अनुसार सत्यापित करने के उपरान्त नगर नियोजन विभाग के द्वारा जांच कर स्थानीय निकाय के सहयोग से अंतिम रूप दिया जावेगा।
6. चरण—5 :—जोनल बेसमेप एवं मास्टर प्लान को अध्यारोपित कर प्रारूप जोनल डबलपमेन्ट प्लान के मानचित्र तथा रिपोर्ट भी तैयार करना।

चरण—4 एवं 3(ii) के अनुसार तैयार बेसमेप एवं मास्टर प्लान को अध्यारोपित कर ड्राफ्ट जोनल डबलपमेन्ट प्लान जीआईएस विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त कर नगर नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय निकाय की सहायता से तैयार किया जायेगा। उक्त जोनल डबलपमेन्ट प्लान में सड़कें, राजस्व रिकार्ड के अनुसार जलाशय, उपवन, सरकारी भूमि, मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू—उपयोग, अन्य प्रस्तावित आधार—भूत सुविधाएँ आदि दर्शाते हुए मानचित्र एवं विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी है।

साथ ही विद्यमान विकास, वायदा / वचनबद्धता (Commitments) से संबंधित भूमियों, तथा प्रस्तावित जोनल डबलपमेन्ट प्लान के प्रस्तावों के फलस्वरूप यदि थोड़ा बहुत मास्टर प्लान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो इसके संबंध में भी एक विस्तृत रिपोर्ट साथ ही तैयार की जानी है। जोन में उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन एवं URDPFI गाईड लाइन्स के अनुसार जोन की भावी आवश्यकताओं का आंकलन कर जोन में सुविधाओं की कमी का आंकलन कर सुविधाएँ प्रस्तावित की जावेगी।

नगरीय निकाय द्वारा प्रत्येक जोन में आधारभूत सुविधाएँ विकसित किये जाने हेतु भूमि चिन्हित की जावेगी। इस हेतु प्रथमतया प्रस्तावित भू—उपयोग, विद्यमान भू—उपयोग एवं जोन की भावी जनसंख्या के विश्लेषण पश्चात आवश्यक सुविधाओं का आंकलन किया जावेगा एवं तदनुसार आवश्यक भूमि क्षेत्र प्रस्तावित कर भूमि चिन्हित की जावेगी। भूमि चिन्हित करण हेतु जोन में रिथत राजकीय भूमि को प्राथमिकता दी जावेगी एवं राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने पर निजी भूमि धारक की सहमति से निजी भूमि चिन्हित की जावेगी। निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हेतु Zoning regulation व टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले—आउट प्लान अनुमोदन के समय उपरोक्त आंकलन के अनुसार सुविधाओं का प्रावधान रखा जाना आवश्यक होगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, स्थानीय निकाय से विभिन्न मूलभूत परियोजनाएँ यथा जला आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सिवरेज, ठौस कचरा प्रबन्धन, ड्रेनेज इत्यादि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर इन्हें जोनल डबलपमेन्ट प्लान में दर्शाया जावेगा। यदि संबंधित विभागों द्वारा योजना तैयार नहीं की गई है तो उनके प्रस्ताव प्राप्त कर तदानुसार जोनल डबलपमेन्ट प्लान में दर्शाया जावेगा।

7. चरण—6 :—चरण—5 के अनुसार तैयार प्रारूप जोनल डबलपमेन्ट प्लान हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करना।

नगर नियोजन विभाग के परामर्श से संबंधित नगरीय निकाय द्वारा प्रारूप जोनल डबलपमेन्ट प्लान को दो दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस एवं नगरीय निकाय के नोटिस बोर्ड एवं नगर के प्रमुख स्थानों पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने वालत नोटिस घस्पा कर 20 दिवस के अन्तराल में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हैं। उक्त प्रारूप जोनल डबलपमेन्ट प्लान की प्रति नगरीय निकाय कार्यालय में आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक है। उक्त प्रति नगरीय निकाय तथा नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जारी होगी।

8. चरण—7 :—प्राप्त आपत्ति/सुझावों का क्रियान्वयन।

नगर नियोजन विभाग के परामर्श से संबंधित नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर मौका रिपोर्ट

एवं वस्तुस्थिति के अनुसार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर तथा प्रारूप जॉनल डबलपमेन्ट प्लान पर प्राप्त आपति/सुझावों से संबंधित भूमियों का अंकन मय विभागीय टिप्पणी तैयार कर नगर नियोजन विभाग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी।

9. चरण-8 :—आपति/सुझाव रिपोर्ट को अंतिम रूप देना तथा प्रारूप जॉनल डबलपमेन्ट प्लान का तकनीकी अनुमोदन करना।

संबंधित नगरीय निकाय से आपति/सुझाव रिपोर्ट क्षेत्रीय नगर नियोजन कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त जॉनल डबलपमेन्ट प्लान एवं आपति/सुझाव रिपोर्ट का अवलोकन कर जॉनल डबलपमेन्ट प्लान को नगर नियोजन विभाग द्वारा जीआईएस विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त कर अंतिम रूप दिया जायेगा तथा पूर्णरूप से तैयार जॉनल डबलपमेन्ट प्लान पुनः संबंधित नगरीय निकाय को तकनीकी अनुमोदन उपरान्त प्रेषित किया जावेगा।

10. चरण-9 :—जॉनल डबलपमेन्ट प्लान का राज्य सरकार से अनुमोदन।

नगर नियोजन विभाग से प्राप्त तकनीकी रूप से अनुमोदित जॉनल डबलपमेन्ट प्लान को न्यास/प्राधिकरण मण्डल अधिकारी नगर पालिका बोर्ड से अनुमोदन बाबत स्थानीय निकाय द्वारा सज्ज सरकार को प्रेषित किया जावेगा।

11. चरण-10 :—जॉनल डबलपमेन्ट प्लान का प्रकाशन।

स्थानीय निकाय द्वारा जॉनल डबलपमेन्ट प्लान के राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त दो दैनिक समाचार पत्रों में आम-सूचना जारी की जावेगी। जॉनल डबलपमेन्ट प्लान की प्रति नगरीय निकाय कार्यालय में आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा किसी व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर प्रति बेचान भी की जानी होगी। उक्त प्रति नगरीय निकाय तथा नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जारी होगी।

जॉनल डबलपमेन्ट प्लान हेतु केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी URDPFI Guidelines एवं राज्य सरकार की आवंटन नीति व समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर मूलभूत, आधारभूत, भौतिक व सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। निम्नानुसार मानदण्डों के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति, Zoning regulation व टास्नशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन के समय उपरोक्त आंकलन के अनुसार सुविधाओं का प्रावधान रखा जाना आवश्यक होगा।

1.0 यातायात संरचना (Transport & Circulation)

- 1.1 विभिन्न सड़कों के मार्गांधिकार हेतु निर्धारित मानक स्तर।

क्र.सं.	सड़क का प्रकार	न्यूनतम मार्गांधिकार (मीटर में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग	60 मी. मार्गांधिकार व 30 मी. वृक्षारोपण पट्टी प्रत्येक तरफ
2.	प्रमुख सड़क (Arterial Road)	30-36
3.	उप प्रमुख सड़क (Sub. Arterial Road)	24-30
4.	मुख्य सड़क	18-24
5.	पहुंच मार्ग	12-18
6.	आन्तरिक सड़क	09-12

2.0 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक व आधारभूत सुविधाएँ (Infrastructure Facilities)–
किसी भी शहरी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता सामाजिक, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पहुंच पर निर्भर करती है। इनमें निम्नलिखित आधारभूत संरचना शामिल हैं—

सामाजिक आधारभूत सुविधाएँ :—

- (i) शैक्षणिक सुविधाएँ
- (ii) स्वास्थ्य सुविधाएँ
- (iii) सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाएँ
- (iv) मनोरंजन की सुविधाएँ
- (v) खेल सुविधाएँ
- (vi) वितरण सेवाएँ+
- (vii) सुरक्षा सुविधाएँ
- (viii) सामुदायिक केन्द्र
- (ix) बैंक आदि।

नोट—उपरोक्तानुसार वर्णित सामाजिक आधारभूत सुविधाओं हेतु भूमि का क्षेत्रफलनिम्न तालिकाओं में वर्णित अनुसार, भू आवंटन नीति—2015 के अनुसार, एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों अनुसार एवं सम्बन्धित विभागों के मानदण्डों / आवश्यकतानुसार रखा जा सकेगा।

2.1 शैक्षणिक सुविधाएँ

क्रं. सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक /	4000—5000	2000—3000 वर्ग मीटर
2.	माध्यमिक / उच्च मा. विद्यालय	7500—10000	4000—8000 वर्ग मीटर
3.	निःशक्तिजन(Specially Abled) छात्रों हेतु विद्यालय	आवश्यकतानुसार	2000—4000 वर्ग मीटर

2.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

क्रं. सं.	वर्ग	बेड संख्या	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	बड़े अस्पताल	51 से अधिक	15000	8000 व.मी. तक
2.	डिस्पेंसरी / छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम / चप. रचारथय भवन	25—50	5000—15000	500—4500 व.मी.

2.3 सामाजिक व सांस्कृति सुविधाएं

क्र.सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	आंगनबाड़ी / शिशु गृह (Creche)	क्षेत्र की आवश्यकतानुसार	200–300 व.मी.
2.	सामुदायिक भवन	5000	1000 व.मी.
3.	सामुदायिक भवन व बारात घर, पुस्तकालय आदि	15,000	2000 व.मी.
4.	धार्मिक स्थल	क्षेत्र की आवश्यकतानुसार	400 व.मी.
5.	क्लिंस्टान, शमशान	क्षेत्र की आवश्यकतानुसार	4000 व.मी.

क्लिंस्टान व शमशान यथारंभपरिधि नियंत्रण क्षेत्र में प्रस्तावित हों। उक्त स्थल के साथ संबंधित सुविधाएं जैसे कि धार्मिक स्थल, खुला क्षेत्र, जने उपयोगी सुविधाएं आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जावें।

2.4 आमोद-प्रमोद स्थल

क्र.सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	प्रत्येक जोन पर प्रस्तावित पार्क	10000–15000	10000 व.मी. तक
2.	प्रत्येक जोन पर प्रस्तावित प्लॉग्राउण्ड	10,000–15000	10000 व.मी. तक

2.5 पुलिस व नागरिक सुरक्षा सेवाएं

क्र.सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	पुलिस चौकी	आवश्यकतानुसार	500 व.मी.
2.	पुलिस स्टेशन	आवश्यकतानुसार	2000 व.मी.
3.	ट्रैफिक / पुलिस नियंत्रण केन्द्र	आवश्यकतानुसार	स्थिति अनुसार
4.	फायर स्टेशन / फायर पोस्ट/ उपकेन्द्र	प्रति 2–4 किमी. की परिधि में एक इकाई	0.6 हेक्टेएर

2.6 वितरण सेवाएं

- पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन जोनल डिवलपमेन्ट प्लान में निर्मानानुसार क्षेत्रों (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर)में नियमानुसार अनुज्ञेय होंगे।
 - सामुदायिक/वाणिज्यिक केन्द्र (फिलिंग स्टेशन मात्र)
 - आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र
 - नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे
 - विकसित गामीण क्षेत्र

(v) Freight Complex

(vi) प्रमुख सड़कें

2.7 अन्य वितरण सेवाएँ

(i) एल.पी.जी. गोदाम / कुकिंग गैस गोदाम

क्र.सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	गैस बण्डारण क्षमता (कि.ग्रा. में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व. मी.)
1.	एल.पी.जी. गोदाम / कुकिंग गैस गोदाम	आवश्यकतानुसार आवारीय क्षेत्रों को छोड़कर	2000–10000	1000
			10000–12000	1200
			12000–15000	1500
			15000–20000	2000
			20000 से अधिक	2500

2.8 अन्य सुविधाएँ:-

क्षेत्र की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाएँ यथा विशिष्ट शैक्षणिक सुविधा, विशिष्ट बाजार, ट्रांसपोर्ट संबंधित सुविधाएँ, पार्किंग, ग्रिड सब स्टेशन, जलापूर्ति हेतु स्थल, सीवेज पर्पिंग स्टेशन इत्यादि का प्रावधान रखा जावेगा।

फायर स्टेशन और अन्य अग्निशमन सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश :-

1. फायर स्टेशन ऐसे क्षेत्र में स्थित होना आवश्यक है जिससे कि दमकल सेवा अधिकतम 3–4 मिनट में आपदा स्थल पर पहुंच राकें।
 2. फायर स्टेशन संभवतः कॉर्नर भूखण्ड व मुख्य सड़क पर स्थित होना चाहिए एवं दो निकास द्वार होना आवश्यक है।
 3. नये विकसित क्षेत्र में फायर हार्डिंग्ट के लिए भूमिगत पाइपलाईन की प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान रखा जायें।
 4. जिन क्षेत्रों में फायर हार्डिंग्ट करना (अतिसघन क्षेत्र) संभव नहीं है वहां भूमिगत अथवा स्थल पर फायर हार्डिंग्ट व पानी की पाइपलाईन का आवश्यक रूप से प्रावधान रखा जायें।
 5. फायर एजेंसी द्वारा अग्निशमन प्रावधान करने से पूर्व अग्निशमन कार्यालय द्वारा स्वीकृति ली जानी आवश्यक होगा।
- 3.0 आर्थिक व सामाजिक सुविधाएँ:-

(i) Formal Sector

(ii) Informal Sector

3.1 वाणिज्यिक / व्यवसायिक संरचना

क्र. सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल	दुकानों की संख्या
1.	स्थानीय (लौकिक) बाजार	5000	1500 वर्गमीटर	1-110 व्यक्ति
2.	स्थानीय बाजार मय सर्विस सेन्टर आदि	15000	4600	1-200 व्यक्ति
3.	साप्ताहिक बाजार	1या 2 स्थान प्रति 1लाख	0.40 हेक्टर	आवश्यकतानुसार
4.	Informal Spaces/Vending Zone	सर्वे के आधार पर उपलब्ध संख्या हेतु	आवश्यकतानुसार	1 प्रति 10 मूख्यण्ड
5.	दुर्घट वितरण केन्द्र / डेयरी बूथ	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

इन्फास्ट्रक्चर प्लानिंग –

- पार्किंग व अन्य खुले क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र में इस प्रकार से प्रस्तावित हो जिससे की अन्य समय में वहाँ साप्ताहिक बाजार लगाया जा सके।
- इन्फौरमल सेक्टर के साथ ठोस कचरा प्रबंधन व अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ भी प्रस्तावित हो।

प्रस्तावित क्षेत्रीय प्लान में व्यवसायिक जोन में अनुज्ञेय गतिविधियाँ—खुदरा व्यापार, इन्फौरमल शॉपिंग, वाणिज्यिक कार्यालय, सिनेमा, होटल, अतिथि गृह, बैंक, एटीएम, नर्सिंग होम, सभागार, पुस्तकालय, साप्ताहिक बाजार, स्थानीय सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब-फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, शॉपिंग सेंटर।

3.2 इन्सीडेन्टल फुटकर व्यापार हेतु मापदण्ड—

क्र.सं.	स्थान	अनुज्ञेय इकाई
1.	खुदरा व्यापार केन्द्र	प्रत्येक 10 दुकानों पर 3-4 इकाई
2.	सरकारी व वाणिज्यिक संस्था	प्रत्येक 1000 कर्मचारी पर 5-6 इकाई
3.	थोक व्यापार केन्द्र व फेट कॉम्प्लेक्स	प्रत्येक 10 दुकानों पर 3-4 इकाई
4.	अस्पताल	100 बेड पर 3-4 इकाई
5.	बस टर्मिनल	1 इकाई प्रति 2 बस
6.	विद्यालय	
	प्राथमिक विद्यालय	3-4 इकाई
	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक	5-6 इकाई
7.	पार्क	2-3 इकाई
8.	आवासीय क्षेत्र	1 इकाई / 10 मूख्यण्ड
9.	औद्योगिक क्षेत्र	5-6 इकाई प्रति 1000 कर्मचारी
10.	रेलवे स्टेशन	स्थिति अनुसार

* (उपरोक्त सारणियों में वर्णित जनसंख्या वर्तमान में Projected Population के आधार पर मानी जावे)

वैडिंग जोन का सीमांकन—जोनल डिवलपमेंट प्लान में वैडिंग जोन, प्रतिबंधित वैडिंग जोन व गैर प्रतिबंधित वैडिंग जोन की सीमा निर्धारण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।

- 4.1 शहरों में न्यूनतम 15 प्रतिशत ग्रीन कवर विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करना।
- 4.1.1 प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पार्क को विकसित किया जावे एवं पार्कों एवं खुले स्थलों पर जन सहयोग से सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। मास्टर प्लान में प्रस्तावित पार्क / खुले स्थल हेतु आरक्षित भूमि को चिह्नित कर पीपीपी मॉडल अथवा अन्य उपयुक्त साधनों से विकसित किया जावे एवं इनमें सघन वृक्षारोपण किया जावे।
- 4.1.2 नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्रमुख सड़कों के सहारे—सहारे एवं मध्य (Median) में सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 4.2 प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक बालोद्यान प्रतिवर्ष विकसित किया जावे।
- 4.2.1 नगरीय क्षेत्र में स्थित शहर के प्रमुख पार्क को सैन्ट्रल पार्क के रूप में विकसित किया जावे तथा सैन्ट्रल पार्क में बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु समुचित सुविधाएँ विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 4.2.2 नगरीय क्षेत्र में स्थित योजनाओं में उपलब्ध पार्कों को सुचिबद्ध किया जावे तथा प्रत्येक योजना में प्रति वर्ष कम से कम एक पार्क बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु आवश्यक सुविधा युक्त रूप से विकसित किया जावे।

जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान तैयार करने हेतु विशिष्ट मानदण्ड:-

1. जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान के कार्य के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले मानचित्र एवं रिपोर्ट का विवरण निम्नानुसार है—
 - विभिन्न मानचित्र जो जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान तैयार किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत तैयार किये जाने हैं—
 - (i) जोन का बेसमेप मय सम्पत्ति स्तर का विवरण दर्शाते हुए।
 - (ii) बेसमेप पर अध्यारोपित (Superimpose) वर्तमान विद्यमान भू—उपयोग मानचित्र एवं मास्टर प्लान भू—उपयोग। मानचित्र में मास्टर प्लान भू—उपयोग से विचलन भी दर्शाया जावेगा।
 - (iii) बेसमेप पर कमिटमेन्ट्स एवं राजकीय भूमि व राजस्व रास्तों का अंकन करते हुए मानचित्र।
 - (iv) प्रारूप जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान मानचित्र (विभिन्न भू—उपयोग, बेसमेप पर खसरा सुपरइम्पोजिशन, सम्पत्ति स्तर का विवरण विद्यमान सुविधाओं, प्रस्तावित जोन स्तर की सुविधाओं, मास्टर प्लान सड़के एवं जोन स्तर की सड़क, आवश्यकतानुसार बहुमंजिले ईमारत क्षेत्र, मिश्रित भू—उपयोग क्षेत्र तथा Redevelopment Areas एवं आवश्यकतानुसार Sub Zonal Areas का अंकन प्रदर्शित करते हुए।)
 - उक्त मानचित्रों के साथ—साथ जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान के कार्य में विरतृत रिपोर्ट भी अनुमोदन हेतु तैयार की जानी होंगी जिसमें निम्नानुसार वर्णित बिन्दुओं को शामिल किया जाना आवश्यक होंगा।
 - (i) संक्षिप्त परिचय।
 - (ii) साईट पृष्ठभूमि एवं विश्लेषण।
 - (iii) विद्यमान भू—उपयोग विश्लेषण एवं मास्टर प्लान भू—उपयोग से विचलन का विवरण।
 - (iv) योजना पैरामीटर
 - (v) जोन में विद्यमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुकूप सुविधाओं का आंकलन
 - (vi) प्रस्ताव और विकास रणनीति।

(vii) सांसद्धन जुटाना और क्रियान्वित करना।

(viii) सावेजनिक सहयोग एवं भागीदारी।

विशिष्ट क्षेत्र अथवा उपजोन / सेक्टर की विस्तृत / Re-Development योजना :-

जोन के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्र अथवा उपजोन / सेक्टर की विस्तृत / Re-Development योजना तैयार की जाती है तो यातायात संरचना के साथ निम्नानुसार सारणियों के अनुसार फुटपाथ / साईकिल ट्रैक के मानदण्डों को शामिल किया जाना होगा। विस्तृत योजना में गाइड लाईन अनुसार न्यूनतम आवश्यक ग्रीन कवर विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तावित की जावेगी।

(i) विभिन्न भू-उपयोग अनुसार फुटपाथ की आवश्यक चौड़ाई।

क्र.सं.	विवरण	न्यूनतम चौड़ाई (मी.)
1.	आवासीय / मिश्रित उपयोग क्षेत्र हेतु पैदल पथ (फुटपाथ) की न्यूनतम चौड़ाई	1.8
2.	वाणिज्यिक / मिश्रित उपयोग क्षेत्र के समक्ष	2.5
3.	व्यवसायिक (Commercial Shopping) क्षेत्र के समक्ष	3.5-4.5
4.	बस स्टोप	3
5.	अत्यधिक उपयोग वाले व्यवसायिक क्षेत्र	4

(ii) साईकिल ट्रैक:-

वर्ग	प्रमुख सड़क	चप्र प्रमुख सड़क	पहुंच मार्ग	सड़कों का उपयोग
गैर भौटिक बलित वाहन	पृथक साईकिल पथ	पृथक साईकिल पथ	साईकिल लेन	मिश्रित / ट्रैफिक
स्थान	सड़क / पार्किंग व फुटपाथ के मध्य (सड़क के किनारे)	सड़क / पार्किंग व फुटपाथ के मध्य (सड़क के किनारे)	सड़क के किनारे फुटपाथ / पार्किंग के लगते हुये	
चौड़ाई	2.2-5.0 मीटर	2.2-5.0 मीटर	1.5-2.5 मीटर	मिश्रित / ट्रैफिक
न्यूनतम चौड़ाई	2.5 मीटर दोहरे ट्रैक हेतु व 1.9 मी. एकल ट्रैक और फुटपाथ सहित	2.5 मीटर दोहरे ट्रैक हेतु 1.9 मी. एकल ट्रैक और फुटपाथ सहित	1.5 मीटर	1.00 मीटर

2. समस्त नगरीय निकायों के जी.आई.एस, आधारित बेसमेप निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, के माध्यम से तैयार किये गये हैं। संबंधित निकाय विभागीय स्तर पर निदेशालय की आयोजना शाखा से बेसमेप प्राप्त कर नगर नियोजन विभाग के माध्यम से जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाना सुनिश्चित करायें, जिसमें आवासन और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश / मानक (Formulation of GIS based Master Plans) के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं की शेपफाईल (Shp. files) बना कर दर्शाया जाना अनिवार्य है।
- (i) सभी प्राकृतिक एवं भौतिक विशेषताएं जैसे कि—सड़क, रेलवे लाईन, नहर, नदी, जल निकास, वन आवरण इत्यादि।

- (ii) सभी सार्वजनिक संवार्ये जैसे कि –गैस, टेलीफोन, सीवर लाईन, सोलिड वेस्ट डिस्पोजल जाहॉट, विद्युत लाईन आदि सभी का चिन्हिकरण।
- (iii) सभी नक्शे जैसे कि राजकीय भूमि, नगरीय निकाय की भूमि, चारागाह भूमि, राजरव नक्शे, म्यूनिसिपल वार्ड सीमा आदि।
- (iv) मास्टर प्लान के भू-उपयोग का सुपरइम्पोजिशन जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर किया जावें।
3. मास्टर प्लान के प्रमुख भू-उपयोग जैसे कि सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, ग्रीन क्षेत्र, वृक्षारोपण पट्टी, आदि को यथावत रखा जावें।
 4. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माफत हो रहे अथवा प्रस्तावित डबलपमेन्ट परियोजना को भी जोनल डबलपमेन्ट प्लान का कार्य में शामिल किया जाना होगा।
 5. जोनल डबलपमेन्ट प्लान का कार्य विभिन्न अधिनियम यथा म्यूनिसिपल एकट / प्राधिकरण एकट, विरासत संरक्षण अधिनियम, रेल अधिनियम, विद्युत अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम आदि के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षण तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत तैयार किये गये नियमों के परिणेष्ट्य में तैयार करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
 6. जोनल डबलपमेन्ट प्लान राज्य एवं केन्द्र सरकार की समय-समय पर जारी निम्न नीतियों, अधिसूचना आदि के परिणेष्ट्य में तैयार किये जावेंगे।
 7. जिन नगरीय निकायों में पूर्व में विकसित आबादी क्षेत्रों में नियमानुसार प्रस्तावित भू-उपयोग जैसे कि— अस्पताल, विद्यालय, हांटल, आदि के निर्धारित मापदण्ड (सड़क की छोड़ाई, न्यूनतम भूखण्ड माप, आदि) पूर्ण नहीं होते हैं वहाँ उक्त जनउपयोगी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मापदण्ड में राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
 8. जिन निकायों में उपरोक्त आधारभूत सुविधाएँ की उपलब्धता हेतु पर्याप्त राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ शहर के निजी भूमि धारकों को भूमि उपलब्ध करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जावें। इस बाबत निजी भूमि धारकों को अन्यत्र राज्य सरकार के विभिन्न नितियों में शिथिलता बैटरमेंट लेवी, भू-रूपान्तरण व भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट व निर्धारित समयावधि में शिथिलता आदि प्रदान कर लाभान्वित किया जा सकता है। साथ ही ले—आउट प्लान के अनुमोदन के समय जोन की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा क्षेत्र का उपयोग का निर्धारण किया जावेगा।
 9. जोनल डबलपमेन्ट प्लान में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान के भू-उपयोग योजना पर अध्यारोपित (Super-impose) कर प्रमुख भू-उपयोग यथावत रखते हुये विभिन्न स्थलों पर एवं मौका स्थिति के कारण हुए वर्तमान भू-उपयोगों व मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोगों से मिल ही चुके भू-उपयोगों के विश्लेषण हेतु पृथक से मानचित्र भी तैयार किया जाना होगा।
 10. जोन में यदि नदी व प्राकृतिक जल स्रोत यथा— तालाब, झील, River/Conservation Zone/Plantation Belt आदि हो वहाँ इकोलोजिकल जोन चिन्हित किया जाना होगा। उक्त जोन में रिवर फ्रन्ट कॉरीडोर व आमोद-प्रमोद जैसे— खुले स्थल, क्रीड़ा स्थल, अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन स्थल प्रस्तावित किये जाने होंगे।
- सामान्य दिशा—निर्देशः—**
1. जिन शहरों में प्राधिकरण / न्यास व नगर पालिका स्थित है उनमें प्राधिकरण / न्यास के माध्यम से जोनल डबलपमेन्ट प्लान तैयार किये जावेंगे, शेष शहरों के जोनल डबलपमेन्ट प्लान स्थानीय निकायों के माध्यम से तैयार किये जावेंगे।

2. जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार करने के अन्तर्गत आने वाले सभी व्यय संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. जोनल / क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार सहायता हेतु जीआईएस ऑपरेटर की उपलब्धता संबंधित नगरीय निकाय द्वारा अथवा कंसलटेन्ट के माध्यम से करायी जावेगी।
4. जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार करने हेतु नगर नियोजन विभाग के जोनल / क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक / जिला नगर नियोजक नोडल अधिकारी होंगे जोकि जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य को सुपरवाइज एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. जिन शहरों का प्रारूप मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन हैं उनके जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार कराने की कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आरम्भ कर दी जावे। हालांकि जोनल डवलपमेन्ट प्लान को मास्टर प्लान की स्थीकृति के पश्चात ही अंतिम रूप दिया जावेगा।

अतः समस्त नगरीय निकायों को उपरोक्तानुसार समयबद्ध तरीके से निर्धारित अवधि में विभिन्न तकनीकी मानदण्डों के अनुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

यह आदेश नगरीय विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया जा रहा है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

(हर्दौश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय
नगरीय विकास विभाग

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 8283 / सेक्टर प्लान(जेडबीपी) / 2021 / 5373-86

दिनांक : 22.06.2021

आयुक्त,
अजमेर / जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर / भरतपुर / भीलवाडा / बीकानेर /
चित्तौड़गढ़ / श्रीगंगानगर / कोटा / पाली /
सवाई माधोपुर / सीकर / उदयपुर।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय— प्राधिकरण / न्यासों / निकायों के क्षेत्र में जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान के कार्य के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राधिकरण / न्यासों / निकायों के क्षेत्राधिकार के जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान शीघ्र तैयार किये जाने के कार्यों की कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में समय—समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा की जा रही है। आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के समस्त प्रथम श्रेणी शहरों के जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान तैयार किया जाना अति—आवश्यक है। उक्त कार्य किये जाने से संबंधित निनानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है—

- प्राधिकरण / न्यासों / निकायों के शहरों के जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान का कार्य किया जा रहा है एवं ड्रोन सर्वे नहीं किये जाने की स्थिति में आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नगरीयकरण योग्य क्षेत्र हेतु ड्रोन सर्वे का कार्य करवाया जाना अपेक्षित है, जिसमें चरण-3 तक का कार्य यथा वैसमेप, विद्यमान भू—उपयोग, समस्त राजस्व मानचित्रों का अध्यारोपण, कमिटमेन्ट / अनुमोदन / स्वीकृति का अध्यारोपण एवं समस्त राजकीय भूमियों का अध्यारोपण का कार्य सम्पूर्ण है। उक्त ड्रोन सर्वे कार्य के समानान्तर ही प्रारूप जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान हेतु प्रस्ताव (ड्रॉफ्ट प्रपोजल) भी तैयार किया जाना आवश्यक है।
- नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र / परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में रोड नेटवर्क प्रस्तावित करते हुए राजकीय भूमियों पर आवश्यकतानुसार स्वारक्ष्य / चिकित्सा / जनोपयोगी सुविधाएँ / अन्य सुविधाएँ प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है।
- जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान के प्रस्ताव तैयार करते समय मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नगरीयकरण क्षेत्र में प्रत्यावित 24 मीटर व अधिक चौड़ाई के मुख्य मार्गों के दोनों ओर मिश्रित भू—उपयोग एकल भूखण्ड की गहराई अथवा सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना गहराई जो भी कम हो, अनुज्ञेय होगी प्रावधानानुसार प्रस्तावित किये जा सकते हैं, जिससे उक्त मिश्रित भू—उपयोग के अन्तर्गत प्रचलित भवन विनियम / समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार भू—उपयोग यथा आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थानिक, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएँ, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ आदि हेतु निर्धारित न्यूनतम तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति होने पर अनुज्ञेय किया जाना अपेक्षित है।
- जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान के कार्य में फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (Physical Infrastructure) हेतु भी पृथक से प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, जिन्हें सम्बन्धित निकाय के अभियांत्रिकी विभाग / शाखा को प्रेषित करवाया जाकर उनके प्रस्तावों के सम्बन्ध में सुझाव लिये जाने अपेक्षित हैं, जिन्हें जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान का भाग माना जावेगा।

भवदीय,

(आर.के. विजयवर्मी)
मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: टीपीआर: 1020/ACTP (E)/राज्य सरकार/2020/पार्ट-III/7847-75 जयपुर, दिनांक : 04.08.2021

आदेश

विषय:- नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सड़कों बाबत सड़क मार्गाधिकार निर्धारण एवं सड़कों का नामकरण बाबत।

- 1.0 नगरीय क्षेत्रों के अनुमोदित मास्टर प्लान में सड़कों का मार्गाधिकार उल्लेखित किया जाता है, परन्तु कई सड़कों का मार्गाधिकार वैधानिक रूप से निर्धारित नहीं होने के कारण सड़कों की चौड़ाई भूखण्डों का स्वामित्व, सड़क सीमा में अतिक्रमण भवन निर्माण स्वीकृति आदि के संबंध में निर्णय लिये जाने में कठिनाई होती है, इसी प्रकार सड़क के मार्गाधिकार के अनुरूप नगरीय विकास कर निर्धारण में भी भ्रान्ति उत्पन्न होती है नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 183 के तहत नगरीय क्षेत्रों में सड़कों/गलियों/रास्तों की चौड़ाई निर्धारित कर मार्गाधिकार अधिसूचित किये जाने हेतु वैधानिक प्रावधान किया गया है।
- 2.0 नगरीय क्षेत्रों में स्थित सड़कों पर भवन रेखा का भी वैधानिक रूप से निर्धारण नहीं होने के कारण विशेषतया गैर योजना क्षेत्रों में सड़कों पर स्थित भूखण्डों के माप एवं क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न होने के कारण भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुरूप भवन रेखा निर्धारित की जाती है एवं इसके फलस्वरूप एक ही सड़क पर भिन्न-भिन्न भवन रेखा निर्धारित हो जाती है, तथा सड़क पर Architectural Elements का अनियंत्रित विकास होता है। अतः ऐसी स्थिति को सुनियोजित रूप से नियंत्रित किये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक सड़क का मार्गाधिकार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।
- 3.0 नगरीय क्षेत्रों में स्थित सड़कों/मार्गों/रास्तों/गलियों के नामकरण नहीं होने एवं साइनेज नहीं होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों/आगन्तुकों/स्थानीय निवासियों को किसी स्थान को खोजने/नियत स्थान पर पहुँचने/पत्र पहुँचाने आदि में कठिनाई उत्पन्न होती है। विश्व में कई देशों के समस्त शहरों में स्थित प्रत्येक सड़क/मार्ग/गली की किसी न किसी रूप में पहचान दी गयी है, प्रत्येक सड़क का नामकरण अथवा सड़क/मार्ग/गली संख्या दी गयी है एवं प्रत्येक सड़क/मार्ग/गली/चौराहों पर साइनेज लगाये गये हैं, जिससे ऐसे शहरों में किसी भी स्थान को खोजने में अनजान व्यक्ति को भी असुविधा नहीं होती है, साथ ही यह सूचना Geo-Tag होने के कारण गूगल मैप अथवा अन्य किसी भी मैप पर इन सड़कों/मार्गों/रास्तों/गलियों के नाम से देखा जा सकता है।
- 4.0 राज्य के समस्त नगरों में प्रत्येक ऐसी सड़कों/ऐसे मार्गों/गलियों एवं चौराहों व जिससे इन नगरों में आगन्तुक पर्यटकों को भी नगर का ऐतिहासिक स्वरूप समझाने में आसानी होती है के नामकरण किये जावें, जिनके अब तक कोई नाम निर्धारण नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त चारों कार्यवाही यथा मार्गाधिकार, भवन रेखा, साइनेज एवं मार्गों/चौराहों का नामकरण निर्धारण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

- 1.0 नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका सीमा में जिन सड़कों/मार्गों/रास्तों/गलियों के मार्गाधिकार निर्धारित नहीं है उनके मार्गाधिकार नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम की धारा 183 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित किया जाये। नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र जो नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 के तहत अधिसूचित है उस क्षेत्र में यह कार्यवाही नगर विकास प्राधिकरण/न्यास द्वारा किये जायें तथा जिन नगरों में प्राधिकरण/न्यास कार्यरत नहीं हैं वहाँ संपूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका द्वारा उक्त कार्य किया जाना मुनिश्चित करें।

- 2.0 नगरीय क्षेत्र में स्थित ग्रन्त्येक सड़क पर वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर भवन रेखा का निर्धारण किया जावे।
- 3.0 सड़कों/मार्गों/रस्तों/गलियों के नाम निर्धारण महत्वपूर्ण स्थलों, प्रमुख व्यक्तियों, ऐतिहासिक महत्व के व्यक्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों आदि के नाम से रखे जा सकते हैं, तथा यह कार्यवाही स्थानीय माननीय सांसद/माननीय विधायकों/जन प्रतिनिधियों/प्रमुख नागरिकों की सलाह पर आम नागरिकों से मुझाव/आपत्ति प्राप्त कर सर्वसम्मति से सम्पादित की जावे।
- 4.0 उपरोक्त चारों कार्यवाही को यथा मार्गाधिकार, भवन रेखा, साइनेज एवं मार्गों का नामकरण का निर्धारण कर Geotagging भी किया जावेगा ताकि यह समस्त सूचना GIS आधारित Mapping पर भी Attach की जा सकेगी। ग्रन्त्येक नामांकित मार्ग की पृथक् GIS लेयर क्रियेट की जावेगी। पूर्व में की गयी कार्यवाही को भी GIS आधारित Map पर Mark किया जावे।
- 5.0 उक्त चारों कार्यवाही नगरीय निकायों में पदस्थापित/कार्यरत नगर नियोजन अधिकारी अथवा संबंधित नगरीय निकायों हेतु अधिकृत नगर नियोजन अधिकारी/नगर नियोजक सम्बिधान/वरिष्ठ प्रारूपकार द्वारा तथा उक्त अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापन/अधिकृत नहीं होने की अवस्था में निकाय में पदस्थापित अधिशासी अभियंता/सम्बिधान/वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में की जावेगी। इसी प्रकार प्राधिकरण/न्यासों में पदस्थापित उप नगर नियोजक/सम्बिधान नियोजक के द्वारा सचिव के निर्देशन में की जावेगी।
- 6.0 स्थानीय निकाय के अधीन आने वाली स्थानीय निकायों हेतु निर्देशालय के वरिष्ठ उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग इस कार्य के नोडल अधिकारी होंगे।
- 7.0 प्राधिकरण/न्यास क्षेत्र में सड़कों के नामकरण हेतु कार्यकारी समिति/न्यास मण्डल में निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावे।
- 8.0 उपरोक्तानुसार मार्गाधिकार के नामकरण के निर्धारण के संबंध में नगरीय निकाय के अधिकारियों/पदाधिकारियों में वाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
- उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)

निर्देशक एवं संयुक्त शासन सचिव
स्वापत्ति शासन विभाग।

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम
नगरीय विकास विभाग।

धारा 69-ए के अन्तर्गत पट्टे

**Government of Rajasthan
Local Self Government Department**

No:F.8(G)()Rules/DLB/21/66739

Jaipur, Date: 20-09-2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 69-A read with section 337 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.- In sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015, hereinafter referred to as the said rules, the existing clause (f) shall be substituted by the following, namely:-

"(f) "Lease" means a free-hold lease-deed executed by the Municipality for grant of the free hold rights in perpetuity".

3. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the said rules,-

(i) the existing expression "(l)" appearing between the expression "Restriction." and "No permission" shall be deleted;

(ii) the existing clause (iii) shall be substituted by the following, namely:-

"(iii) Land falling within limits prescribed for any archaeological site/ monument by any order of the Court, Archaeological survey of India and Archaeological Department, Rajasthan;"

(iii) the existing clause (v) and (vi) shall be deleted;

(iv) the existing clause (vii) shall be substituted by the following, namely:-

"(vii) Land belongs to or vests in the Central Government or State Government or statutory or non statutory bodies, authorities or companies established by or under control of the Central Government or State Government, as the case may be, except land vests in the Municipality."; and

(v) after the existing clause (viii), the following note shall be added, namely:-

"Note: (a) In respect of land falling in the restricted belt or belonging to any oil storage depot, gas godown, petrol pump or any other explosive storage depot, patta will be issued for the existing site/structure but no permission for any new construction shall be given on such land.

(b) In respect of land falling under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, permission will be given with approval of the State Government."

4. Amendment of rule 4.- The existing sub-rule (1) of rule 4 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(1) Application for surrender of rights in favour of Municipality in respect of land specified in section 69-A of the Act, situated in Municipal area, shall be submitted by the person who holds such land to the Authorized Officers in Form-1 along with,-

- (i) an affidavit in Form-2, and an Indemnity Bond in Form-3;
- (ii) receipt of the payment of application fee as may be determined by the Government, from time to time; and
- (iii) duly attested document of proof of rights, as may be determined by the Government, in respects of land surrendered along with site plan of surrendered land showing constructed area of building (kachcha/pucca) with number of floors and photograph of the building and neighbourhood."

5. Amendment of rule 6.-(1) In rule 6 of the said rules,-

- (I) in sub-rule (2), for the existing expression "fifteen days", the expression "seven days" shall be substituted;
- (ii) the existing sub-rule (4) shall be substituted by the following, namely:-

"(4) The authorised officer shall before accepting the surrender of land and granting the permission in Form-6 shall obtain approval of the Chairperson of the Municipality or any other authority or officer authorised by the State Government; and
- (iii) in sub-rule (5), for the existing expression "15 days", the expression "7 days" shall be substitute.

6. Substitution of rule 7.- The existing rule 7 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"7 Approval of site plan.- After grant of permission under rule 6, the site plan shall be prepared and issued to the applicant along with the free hold lease deed. The site plan, so prepared, shall be signed by the Chief Municipal Officer of the Municipality or any other officer authorised by the State Government."

7. Substitution of rule 8.- The existing rule 8 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"8. Charges.-(1) The applicant shall pay such amount of charges as may be determined by the State Government, from time to time. The applicant shall along with his application submit the proof of deposit of amount of charges self assessed by him.

(2) In case of any short fall, in the amount deposited by the applicant on the basis of self assessment, he shall deposit the balance amount of charges within 30 days of the demand raised by the Municipality or within such period as may be determined by the State Government."

8. Substitution of rule 9.- The existing rule 9 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"9 Free hold lease deed.- After grant of permission under rule 6 and deposition of charges under rule 8, free hold lease deed shall be executed by the Chief Municipal Officer and Chairperson or any other officer authorised by the State Government in favour of person to

whom permission is granted under rule 6 or in favour of his successors, assignees or transferees, as the case may be."

9. Substitution of rule 11.- The existing rule 11 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"11. Documentary evidence.- For every freehold lease granted under these rules a document evidencing the same shall be in such form as may be specified by the State Government, from time to time, which shall be signed by the Chairperson and Chief Municipal Officer of the Municipality, or any other officer authorised by the State Government, from time to time and shall be duly stamped and registered at the expense of the lessee."

10. Amendment of rule 17.- In rule 17 of the said rules, after the existing expression "operation of these rules causes hardship" and before the existing expression "in any particular case or class of the cases", the expression "regarding to the procedure or proof of rights or terms of the free hold lease deed" shall be inserted.

11. Deletion of Form-7.- The existing Form-7 appended to the said rules shall be deleted.

By order of the Governor,

(Deepak Nandi)
Director cum Special Secretary to the Government.

**RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SURRENDER OF NON-AGRICULTURAL LAND
AND GRANT OF FREEHOLD LEASE) RULES, 2015**

CHAPTER-I

1. Short title, extent and commencements.- (1) These rules may be called the Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015. With amendment dated 20.09.2021

- (2) They shall extend to all municipal areas in the State of Rajasthan.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. - (1) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context,

- (a) "Act" means the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (b) "Authorized Officer" means the Chief Municipal Officer;
- (c) "Form" means a form appended to these rules;
- (d) "Government" means Government of Rajasthan;
- (e) "State" means State of Rajasthan; and
- (f) *'Feeze' means a free-hold lease-deed executed by the Municipality for grant of the free hold rights in perpetuity.*

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

CHAPTER-II

Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Permission.

- 3. Restrictions.**- (1) No permission shall be granted under Section 69-A of the Act, if,-
- (i) land is under acquisition under the provisions of prevailing law relating to acquisition of land;

-
- (ii) land falling within the limits of railway boundary, National Highway, State Highways or any other road maintained by the Central or State Government or any Local Authority specified in any Act or rules of the Central or State Government made in this behalf or within the limit specified in the guidelines of the Indian Road Congress, whichever is longer;
 - (iii) *Land falling within limits prescribed for any archaeological site/monument by any order of the Court, Archaeological Survey of India and Archaeological Department, Rajasthan;*
 - (iv) land falling within the restricted distance on either side of the center line of the underground pipeline of oil companies;
 - (v)¹ *Deleted*
 - (vi)² *Deleted*
 - (vii) Land belongs to or vests in the Central Government or State Government or statutory or non statutory bodies, authorities or companies established by or under control of the Central Government or State Government, as the case may be, except land vests in the Municipality.
 - (viii) land belongs to deity or waqf.

"Note": (a) In respect of land falling in the restricted belt or belonging to any oil storage depot, gas godown, petrol pump or any other explosive storage depot, patta will be issued for the existing site/structure but no permission for any new construction shall be given on such land.

(b) In respect of land falling under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, permission will be given with approval of the State Government."

4. Application for surrender of rights.-(I)³ *Application for surrender of rights in favour of Municipality in respect of land specified in section 69-A of the Act, situated in Municipal area, shall be submitted by the person who holds such land to the Authorized Officers in Form-I along with,-*

- (i) *an affidavit in Form-2, and an Indemnity Bond in Form-3;*
- (ii) *receipt of the payment of application fee as may be determined by the Government, from time to time; and*
- (iii) *duly attested document of proof of rights, as may be determined by the Government, in respects of land surrendered along with site plan of surrendered land showing constructed area of building (kachcha/pucca) with number of floors and photograph of the building and neighbourhood."*

¹ AMENDED BY NOTIFICATION F/R/GAR/ RULES/DE/B/21/ DATED 26.09.2021

² AMENDED BY NOTIFICATION F/R/GAR/ RULES/DE/B/21/ DATED 26.09.2021

³ AMENDED BY NOTIFICATION F/R/GAR/ RULES/DE/B/21/ DATED 26.09.2021

⁴ AMENDED BY NOTIFICATION F/R/GAR/ RULES/DE/B/21/ DATED 26.09.2021

⁵ AMENDED BY NOTIFICATION F/R/GAR/ RULES/DE/B/21/ DATED 26.09.2021

-
- (2) All the plans and statements submitted along with the application shall be duly signed and authenticated by the applicant.
 - (3) The applicant shall furnish such other relevant information as may be required by the Authorized Officer and as directed by the State Government, from time to time.
 - (4) Application under this rule, if the applicant desires, may be submitted On-line in cases of such Municipality wherever the Authorized Officer concerned have appropriate arrangements for this purpose and hardcopy of the same shall be submitted to the Authorized officer.

5. Register of application.- All applications received by the Authorized Officer under Rule 4 shall be entered in a register maintained in Form-4.

6. Scrutiny, enquiry and disposal of applications. - (1) Within seven days of receipt of an application under Rule 4, the Authorized Officer shall scrutinize it and verify or caused to be verified the contents and facts envisaged in the application and supporting documents, such as,-

- (a) holders rights in respect of surrendered land and present use thereof as per record;
- (b) report of enquiry, if any, as to whether the land is under acquisition or not;
- (c) report on legal issues, if any, on the subject matter;
- (d) verification of the indemnity bond, and affidavit, and
- (e) any other legal documents, which are found necessary and essential for the disposal of application by the authorized officer.

(2) After the scrutiny of application under sub-rule (1), the Authorized Officer, shall issue public notice of **seven days**¹ in Form-5 calling upon objections of any interested person. The notice shall be exhibited by the Authorized Officer on the notice board of his office, conspicuous place of surrendered land and shall also be published in a State Level newspaper circulating in the areas. Cost of the publication shall be bear by the applicant.

(3) If after scrutiny of application, documents and other details under sub-rule (1), the Authorized officer is of the opinion that any additional information on the subject matter required to be sought, he may require the applicant, within a period of ten days from the receipt of the application, to submit the same and the applicant shall be bound to submit such additional information within ten days, failing which the application may be disposed off ex-party within the next ten days and the Authorized officer shall pass order for accepting or rejecting the application.

(4) The authorised officer shall before accepting the surrender of land and granting the permission in Form-6 shall obtain approval of the Chairperson of the Municipality or any other authority or officer authorised by the State Government.

(5) In case the Authorized Officer fails to pass an order within the period specified under subrule (3), after recording reasons for delay, he shall submit the case within three days to the Officer appointed by the State Government for the purpose, who shall pass the appropriate orders, which shall be binding upon the Municipality. If the officer, so appointed by the State Government, orders for acceptance of the application then the permission shall be granted in Form-6 by the Authorized Officer within 7 days¹ of receipt of such order.

7. Approval of site plan.- After grant of permission under rule 6, the site plan shall be prepared and issued to the applicant along with the free hold lease deed. The site plan, so prepared, shall be signed by the Chief Municipal Officer of the Municipality or any other officer authorised by the State Government.

8. Charges.- (1) The applicant shall pay such amount of charges as may be determined by the State Government, from time to time. The applicant shall along with his application submit the proof of deposit of amount of charges self assessed by him.

(2) In case of any short fall, in the amount deposited by the applicant on the basis of self assessment, he shall deposit the balance amount of charges within 30 days of the demand raised by the Municipality or within such period as may be determined by the State Government.

1. AMENDED BY NOTIFICATION F(MGAK) / RULES/DL82/ DATED 20.09.2021

2. AMENDED BY NOTIFICATION F(MGAK) / RULES/DL82/ DATED 20.09.2021

3. AMENDED BY NOTIFICATION F(MGAK) / RULES/DL82/ DATED 20.09.2021

4. AMENDED BY NOTIFICATION F(MGAK) / RULES/DL82/ DATED 20.09.2021

CHAPTER-III

Miscellaneous.

9. Free hold lease deed.-¹ After grant of permission under rule 6 and deposition of charges under rule 8, free hold lease deed shall be executed by the Chief Municipal Officer and Chairperson or any other officer authorised by the State Government in favour of person to whom permission is granted under rule 6 or in favour of his successors, assignees or transferees, as the case may be.

10. Tenure and terms and conditions of lease.- The lease granted under these rules shall be on the freehold basis in perpetuity with right of inheritance and alienation subject to such other terms and conditions as may be determined by the State Government, from time to time.

11. Documentary evidence.-² For every freehold lease granted under these rules a document evidencing the same shall be in such form as may be specified by the State Government, from time to time, which shall be signed by the Chairperson and Chief Municipal Officer of the Municipality, or any other officer authorised by the State Government, from time to time and shall be duly stamped and registered at the expense of the lessee.

12. Power to impose more conditions. - The lease so granted shall further be subject to levy of such betterment charges and development charges or other charges as may be imposed by the State Government and shall further be subject to such terms and conditions and restrictions as the State Government may impose or order under any law or enactment for time being in force in this regard.

13. Application of provisions of other rules, bye-laws etc. - Except as otherwise provided in these rules, the provisions of other rules and bye-laws made under the Act shall apply on the land for which leasehold rights granted under these rules.

14. Revocation of allotment. - If after grant of permission or execution of lease deed, -

- (i) it is discovered that the grant of permission or the lease deed have been obtained by suppression of any fact or misrepresentation or fraud or on the basis of fraudulent document, personification, with collusion or in contravention of any law; or
- (ii) if any terms and conditions of permission granted or lease deed violated, the Lessor may revoke the permission or cancel the lease deed, after providing reasonable opportunity of

¹. AMENDED BY NOTIFICATION ENGGKAR RULES(DLB/21) DATED 26.09.2021

². AMENDED BY NOTIFICATION ENGGKAR RULES(DLB/21) DATED 26.09.2021.

being heard to the applicant or lessee, as the case may be and the Lessee shall not be entitled for any compensation and refund of any amount paid by him and status of such land shall be that of which was existed before such surrender. If in any case it is found that such land is belong to or vests in the Central or State Government or statutory or non statutory body or authority or company established by or under control of Central or State Government then such land shall deemed to be placed and vest in the such Government or body or authority or company free from all encumbrances.

15. Power to call records and revise orders. - The State Government may in appropriate cases, exercise the powers conferred under Section 327 of the Act.

16. Removal of doubts. - If any doubt arises, relating to interpretation, scope or application of these rules, decision of the State Government thereon shall be final.

17. Power to relax rules. - In exceptional cases where the State Government is satisfied that operation of these rules causes hardship in any particular case or class of cases, *regarding to the procedure or proof of rights or terms of the free hold lease deed* it may relax the provisions of these rules in respect of the fee or other charges, to such extent and subject to such condition as it may consider necessary for dealing with the case or class of cases in a just and equitable manner.

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)() (PSKS) अभियान-2021 / नियम / डीएलबी / 21 / 68191

दिनांक: 27.09.2021

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 69—ए संशोधित (2021) एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 (read with Amended 2021) के सन्दर्भ में नगर निकायों द्वारा समय—समय पर चाहे गये मार्गदर्शन एवं शंकाओं के संबंध में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 को मध्यनजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से किये जाने हेतु निम्नप्रकार दिशा—निर्देश एवं शिथिलता प्रदान की जाती है:—

1. Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 एवं संशोधित नियम 2021 के नियम 4(1)(iv) के सन्दर्भ में समर्पित की जाने वाली भूमियों का दायरा (Scope) Area निम्न प्रकार होगा —

- (i) शहर का चार—दीवारी आबादी क्षेत्र / सिटी—सर्व क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर—मुक्तिका आबादी भूमि।
- (ii) रियासतकालीन समय से राजा—महाराजाओं / ठिकानेदारों द्वारा अपने स्वामित्व की गैर—कृषि भूमि पर बसाई हुई कॉलोनियाँ।
- (iii) ग्रामीण क्षेत्र कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1992, 2007 एवं नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि।
- (iv) राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में अंकित गैर—कृषिक भूमियां जिस पर निर्माण हो चुका है।

2. उपरोक्त श्रेणियों की भूमियों का प्रूफ ऑफ राईट का निघारिण निम्नानुसार किया जावेगा :-

- (क) रियासतकालीन समय से राजा/जागीरदार/ठिकानेदार द्वारा जारी किये गये पट्टे / रजिस्ट्रीयों / दानपत्र / बकशीसनामा / बही पत्र / तत्समय के अन्य कोई दस्तावेज एवं राज्य अभिलेखागार / जिला कलक्टर के रिकॉर्ड से प्राप्त पट्टे व अन्य दस्तावेज।

अथवा

- (ख) कर्सटीडियन के पट्टे / आवंटन पत्र।

अथवा

- (ग) परकोटा क्षेत्र के सिटी सर्व में दर्ज निजी स्वामित्व की भूमि / भवन के दस्तावेज।

अथवा

- (घ) पूर्व में नगर निकाय द्वारा जारी स्टैट ग्राण्ट के पट्टे / आवंटन पत्र / कब्जा नियमन / विक्रय पत्र / आवंटन पत्र।

अथवा

- (ङ) पंचायत जो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो गई है, द्वारा जारी पट्टा / आवंटन पत्र / अधिकार पत्र इत्यादि।

अथवा

- (च) दिनांक 01.01.1992 से वर्ष 17.06.1999 से पूर्व के निष्पादित बैंचाननामा / पारिवारिक बेटवारानामा / वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पति पर अधिकार / कब्जा है।

अथवा

- (छ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में स्वामित्व के संबंध में पारित आदेश एवं डिक्री।

अथवा

- (ज) नगर निकाय द्वारा दिनांक 17.06.1999 01.01.1992 से पूर्व जारी की गई निर्माण स्वीकृतियां।

अथवा

- (झ) बिन्दु संख्या (क) से (ज) तक के उल्लेखित दस्तावेजों के में से कोई दरतावेज नहीं होने पर संबंधित सम्पति पर निर्विवाद कब्जे के साथ—साथ निम्नांकित में से कोई दो दस्तावेजों के आधार पर प्रूफ ऑफ राईट का निर्धारण किया जा सकेगा :—

- (i) कब्जा साक्ष्य के रूप में दिनांक 01.01.1992 से पूर्व के बिजली / पानी के बिल।
 - (ii) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व तत्समय की वौटर लिस्ट।
 - (iii) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व तत्समय की गृहकर की रसीद या नगर निकाय के रिकॉर्ड में अंकन।
 - (iv) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व तत्समय की नगर निकाय रिकॉर्ड में दर्ज कोई अन्य प्रविष्टि जिसमें आवेदक का सम्पति पर अधिकार विदित हो।
 - (v) आस—पड़ोस के 60 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के शपथ पत्र जिसमें दिनांक 01.01.1992 से पूर्व आवेदक का सम्पति पर निर्विवाद कब्जा / अधिकार दर्शाया जावे।
 - (vi) आवेदित मकान के पते पर दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की प्राप्त डाक एवं निकाय द्वारा या किसी राजकीय विभाग या उपकम या न्यायालय का नोटिस अथवा अधिकारिक दस्तावेज जिसमें प्रश्नगत भूमि व स्वामित्व को अंकित किया गया है।
 - (vii) दिनांक 01.01.1992 से पूर्व के स्टाम्प पर तस्दीकशुदा किरायानामा जो मकान मालिक द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (अ) राजा महाराजाओं / जागीरदारों आदि द्वारा जारी पटटे / रजिस्ट्रियां / दान—पत्र से लेकर आवेदक तक स्वामित्व की निरन्तरता के सम्पूर्ण दस्तावेज।
- (ट) प्राधिकृत अधिकारी के रूपान्तरण आदेश के आवंटन पत्र से लेकर आवेदक तक के स्वामित्व के सम्पूर्ण निरन्तरता दस्तावेज।
- (ठ) यदि गैर—मुमकिन आबादी गैर—कृषि भूमि खातेदारी तौर पर दर्ज है तो आवेदनकर्ता तक के स्वामित्व के सम्पूर्ण दरतावेज।

नोट—

- (i) मूल दस्तावेजों की कड़ी में यदि कोई दरतावेज उपलब्ध नहीं भी है या खो गया है तो ऐसी रिथति में आवेदक से इस आशय का एक शपथ पत्र एवं कब्जा साक्ष्य बिन्दु 2 (झ) के अनुसार लिया जाकर निकाय द्वारा सार्वजनिक विज्ञाप्ति 7 दिवस की जारी की जावेगी।
- (ii) Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold

Lease) Rules, 2015 के नियम 4 के उपनियम (iv) में शब्द "Duly Attested Proof of Rights" का अर्थ स्व-प्रमाणित स्वामित्व दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवेदक का शपथ पत्र प्रस्तुत करने से है।

- (iii) आवेदित भूखण्ड का कब्जा प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की राज्य अभिलेखागार/जिला कलक्टर रिकॉर्ड रूम/नगर निकाय से प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (iv) पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदक से अधिकार सबूत (पूफ ऑफ राईट्स) के मूल दस्तावेज निकाय में समर्पण करवाये जायेंगे।

3. पुरानी आवादी क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों अनुसार सम्पत्तियों पर निम्नांकित मापदण्ड लागू होंगे—

(क) सामान्य बिन्दु जो सभी पर लागू होंगे—

- (i) धारा 69—ए के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टे भूखण्ड/भवन के स्वामित्व का प्रमाण होगा। यह पट्टा भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमन/स्वीकृति नहीं होगी। ऐसे भूखण्डों पर उपविधि के विपरीत किये गये निर्माण पर कार्यवाही करने हेतु नगरीय निकाय स्वतंत्र होगा।
- (ii) आम रास्ते/सुविधा क्षेत्र पर किये गये अतिक्रमण का पट्टा नहीं दिया जावेगा। (अतिक्रमण का सत्यापन पूर्व में किये गये सिटी सर्वे या अन्य दस्तावेजों से किया जा सकता है।)
- (iii) शहर के परकोटे क्षेत्र में स्थित बाजारों में इक ढालिया/बरामदे के क्षेत्र एवं बरामदे की छत पर किये गये निर्माण व कब्जे का पट्टा नहीं दिया जायेगा।
- (iv) परकोटे क्षेत्र में जहां परम्परागत रूप से व्यावसायिक गतिविधियां (नीचे दुकाने-ऊपर मकान) चल रही हैं, वहां मिश्रित उपयोग का पट्टा जारी किया जा सकेगा। शेष में आवासीय/संस्थानिक/व्यावसायिक/होटल का पट्टा दिया जावेगा। पट्टा देते समय हैरिटेज के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु शपथ पत्र लिया जायेगा।
- (v) चारदीवारी/परकोटे क्षेत्र में स्थित भूखण्डों में पुनर्गठन/उपविभाजन नियम व संबंधित शुल्क लागू नहीं होंगे (नविवि के आदेश कंमांक प 10 (65) नविवि / 3 / 4 दिनांक 21.10.20)
- (vi) ऐसे प्रकरण जिनमें किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी है या भवन सील है, पट्टे देने की कार्यवाही नहीं की जायेगी। इनकी अलग से सूची बनाकर अभियान के द्वितीय फैज में परीक्षण किया जावेगा।
- (vii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति के हैरिटेज स्वरूप में अमूल चूल परिवर्तन कर हैरिटेज नियमों का घोर उल्लंघन किया है, तो ऐसे प्रकरणों की अलग से सूची बनाकर अभियान के द्वितीय फैज में परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा।
- (viii) जयपुर व कई अन्य शहरों में पुराने नोहरों में भी लोगों द्वारा आवास किया जा रहा है। ऐसी सम्पत्तियां यदि नजूल सम्पत्ति की श्रेणी में आती हैं, तो उनको आवेदन करने तथा इसकी दरें अलग से राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी।

(ख) जयपुर चारदीवारी (परकोटा) क्षेत्र के लिए—

- (i) परकोटे की दीवार के दोनों तरफ 5-5 मी. की दूरी के क्षेत्र का पट्टा नहीं दिया जावेगा। (डी.वी. सिविल रिट प्रिटीशन संख्या 5158 / 2010 एवं 1220 / 2010)
- (ii) ऐसे भवनों जिनमें JAIPUR NAGAR NIGAM HERITAGE (WALLED CITY) HERITAGE

CONSERVATION AND PROTECTION BYELAWS - 2020 या हैरिटेज गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है, उनके भवन मालिकों से पट्टा देने से पूर्व भवन विनियमों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में शपथ-पत्र लिये जावेंगे।

(iii) अन्य दस्तावेजों के अलावा वर्ष 1928 व 1942 में किये गये सिटी सर्वे को आधार बनाया जा सकता है।।

(ii) चारदीवारी / परकोटा क्षेत्र के बाहर आबादी / अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां—

(i) चारदीवारी / परकोटा क्षेत्र के बाहर आबादी / अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर ले—आउट प्लान तैयार किया जावेगा।

(ii) उक्त क्षेत्र में भूखण्डों का पट्टा जारी होने के बाद उपविभाजन एवं पुनर्गठन नियम लागू होंगे तथा नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा। सेटबेक का निर्धारण विद्यमान निर्माण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तय किया जावेगा।

(iii) उक्त क्षेत्रों में पट्टे मास्टर प्लान / जोनल प्लान में प्रस्तावित भू—उपयोग को ध्यान में रखते हुये जारी किये जावेंगे।

4. उक्त धारा 69—ए के अन्तर्गत निम्नलिखित भूमियों / भवनों के फी—होल्ड पट्टे नहीं दिये जा सकेंगे :—

(i) Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 3 में वर्णित प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(ii) भूमि, भूमि अर्जन से संबंधित विद्यमान विधि के उपबंधों के अधीन अर्जन के अधीन भूमि

(iii) रेलवे सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्र या राज्य सरकार या इस निमित बने केन्द्र या राज्य सरकार के किसी अधिनियम, नियमों में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित किसी सङ्क की सीमाओं के भीतर आने वाली भूमि।

(iv) नगरीय निकाय की किसी योजना की भूमि

(v) धारा 90—ए एवं 90—बी के तहत नगर निकाय में निहित भूमियां।

(vi) सर्वेक्षित / नोटिफाईड कच्ची बस्तियों की भूमियां।

(vii) अन्य किसी राजकीय विभाग की भूमि पर या किसी विभाग / उपकम की अवाप्त भूमि पर बसी हुई आबादी।

(viii) नगरपालिका / न्यास / विकास अधिकरण द्वारा किराये / लघु अवधि लौज / लाईसेन्स पर दी गई भूमियां।

(ix) पूर्व राजा / महाराजा / राजघरानों की ऐसी भूमि / भवन / सम्पत्तियां जो कोविनेन्ट के तहत या अन्य प्रकार से राज्य सरकार के अधीन हैं या उपयोग में आ रही है अथवा किराये पर हैं।

(x) किसी निजी भूमि / सम्पत्ति पर किरायेदार काविज हैं तो उस किरायेदार को पट्टा जारी नहीं किया जायेगा।

(xi) Land falling within limits prescribed for any archaeological site/ monument by any order of the Court, Archaeological survey of India and Archaeological Department, Rajasthan.

(xii) Land belongs to or vests in the Central Government or State Government or statutory or non statutory bodies, authorities or companies established by or under control of the Central

Government or State Government, as the case may be, except land vests in the Municipality.

(xiii) Land belong to deity and waqf.

Note:

- (a) In respect of land falling in the restricted belt or belonging to any oil storage depot, gas godown, petrol pump or any other explosive storage depot, patta will be issued for the existing site/structure but no permission for any new construction shall be given on such land.
- (b) In respect of land falling under the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, permission will be given with approval of the State Government.
5. नगर निकाय सीमा में स्थित गैर मुमकिन आबादी भूमि जो विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है तथा नगर निगम / परिषद / पालिका के क्षेत्र में स्थित है, ऐसी भूमि पर स्थित सम्पति का संबंधित नगर निगम / परिषद / पालिका द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।
6. प्रक्रिया— धारा 69—ए तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत फ्री—होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है:—
- (i) आवेदक निगम / परिषद / पालिका क्षेत्र में अवस्थित अधिनियम की धारा 69—ए में वर्णित भूमि संबंधित निकाय के पक्ष में अधिकारीयों के अभ्यर्पण (Surrender of Rights) के लिए निर्धारित प्रपत्र—1 में निम्न दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं हार्ड प्रति प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी :—
- प्रपत्र—2 में शपथ पत्र।
 - प्रपत्र—3 में क्षतिपूर्ती बन्ध पत्र।
 - आवेदित भूखण्ड के रवानित्व दस्तावेज (प्रूफ ऑफ राईट)।
 - साईट प्लान (प्रत्येक तल की स्थिति दर्शाते हुये) उत्तर दिशा एवं अडोस—पडोस का नाम तथा भूखण्ड में निर्माण की स्थिति उल्लेखित करते हुए चार प्रतियों में।
 - आवेदक का पहचान पत्र।
 - आवेदित भूखण्ड / भवन की फोटो आवेदक द्वारा स्व—प्रमाणित।
 - नियम 8 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क के अनुसार निर्धारित प्रारूप में स्व—निर्धारण प्रपत्र आवेदक द्वारा स्व—प्रमाणित (शुल्क के लिए अलग से आदेश जारी किये गये हैं)।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात प्राधिकृत अधिकारी दस्तावेजों में कमी अथवा अन्य दस्तावेज जो आवश्यक समझता है उसकी कमी—पूर्ती हेतु आवेदक को सूचित करेगा।
- (iii) प्राप्त आवेदन पर 7 सात दिवस की लोक—सूचना एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करवाई जायेगी। प्रकाशन की लागत आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
- (iv) निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण स्वीकार करने का आदेश पारित किया जायेगा। ऐसी गै.मु. आबादी भूमि जो निजी खातेदारी है, में आदेश पारित होने के पश्चात् संबंधित निकाय के नाम दर्ज करने हेतु संबंधित तहसीलदार को भेजी जायें, किन्तु पट्टे देने की कार्यवाही रोकी नहीं जावें।
- (v) भूखण्डधारी द्वारा दिये गये स्व—माप एवं राशि के स्व—निर्धारण की जांच नगरीय निकाय द्वारा तकनीकी अधिकारी के द्वारा या उनके स्थान पर सहायक राजस्व निरीक्षक / राजस्व

निरीक्षक / सफाई निरीक्षक / कनिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ लिपिक / लेखाकार / नगर मित्र में से किसी से भी करवायी जा सकती है।

नोट—

- यदि आवेदित प्रकरण में भवन पुश्टोनी है, तो आवेदक स्व: प्रमाणित पारिवारिक सज्जा / वडावली प्रस्तुत करेगा एवं उस सज्जरे के अनुसार सम्पत्ति में जो भी हक रखते हैं, उनका आवेदक के पक्ष में नियमानुसार हक त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुसार पट्टे की कार्यवाही की जावेगी।
- आवेदक द्वासा संबंधित भवन / सम्पत्ति के संबंध में लिंक दस्तावेज (Chain of documents) दिये जावेगें। लेकिन यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण दिया जावेगा जिसके उपरांत पट्टा जारी किया जा सकेगा।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 के द्वारा न प्राधिकृत अधिकारी प्रारूप 6 में भूमि का अर्भ्यपण स्वीकार करते हुये अनुज्ञा का निर्णय होने के पश्चात् पट्टा देने के लिए सक्षम स्तर निम्नानुसार होगा :—

(i)	प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर	500 व.मी. तक।
(ii)	स्थानीय एम्पायर्ड समिति के अनुमोदन पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा	500 व.मी. से अधिक व 5000 व.मी. तक।
(iii)	राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा	5000 व.मी. से अधिक।

नोट:-

- उपरोक्त क्षेत्राधिकार समस्त प्रकार के भू—उपयोग हेतु होगा।
- राजकीय कार्यालय के लिए निःशुल्क पट्टा जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी सक्षम होगा।
- नगर निकायों के पुरानी आबादी क्षेत्रों में कुछ राजकीय कार्यालय वर्षों से चल रहे हैं अतः उन कार्यालय अध्यक्षों द्वारा भी धारा 69—ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- आवेदित भूखण्ड पर एक या एक से अधिक तल निर्मित होने पर भिन्न—भिन्न तलों पर विभिन्न व्यक्तियों का या एक ही तल पर भिन्न—भिन्न व्यक्तियों का स्वामित्व होने की स्थिति में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की आपसी सहभाति से आवेदन करने पर हितबद्ध व्यक्तियों के संयुक्त नाम से पट्टा जारी किया जा सकेगा, जिसमें कौमन क्षेत्र उल्लेखित होगा। उक्त पट्टे / पूरक पट्टे की मूल प्रति समस्त हिस्सेदारों को पृथक—पृथक दी जावेगी।
- आवेदित प्रकरण में मौके पर उपलब्ध भूखण्ड / भवन का क्षेत्रफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों (प्रूफ ऑफ राइटर्स) के क्षेत्रफल से अधिक होने की स्थिति में स्वामित्व दस्तावेजों से अधिक क्षेत्रफल की पृथक से तय की गई दरों के अनुसार अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जावेगा।
- स्थानीय निकाय क्षेत्र में कोई विशिष्ट ऐरिया हो जिस पर विशिष्ट नियम / उपनियम / विधि लागू होते हो तो प्रचलित नियमों के पालना की शर्तें जारी किये जाने वाले पट्टे में अंकित की जावेगी।
- धारा 69—ए के अन्तर्गत पट्टा मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित उपयोग के अनुसार ही जारी किया जायेगा। लेकिन पुराने बाजार क्षेत्र जहां परम्परागत रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं, वहां

मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में उपयोग नीचे दुकान, ऊपर मकान होने की स्थिति में निश्चित उपयोग का पट्टा जारी किया जा सकता।

13. यदि पूर्व में जारी किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो निदेशालय, राज्य अभिलेखागार के कार्यालय से इस बाबत् सही स्थिति की जानकारी व सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। निकाय द्वारा या आवेदक द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। कई शहरों जैसे जयपुर में सिटी सर्व भी किये गये थे, जिनको refer किया जाकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

नोट:-निदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर (मुख्यालय) व उसके अधीन उप निदेशक कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/अलवर/कोटा।

14. जयपुर आदि कुछ शहरों के पुराने पट्टे/दस्तावेज उर्दू भाषा/पुरानी लिपि में उपलब्ध हैं। संबंधित निकाय द्वारा ऐसे पट्टों की लिखित की सही जानकारी प्राप्त करने हेतु उर्दू/पुरानी लिपि ज्ञाता को अभियान अवधि में संविदा पर रखा जाकर देवनागरी लिपि में Transcript तैयार करवाया जावें तथा उसको भूखण्डधारी से स्व-प्रमाणित करवाकर पत्रावली में रखा जावें। उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा भी Transcript प्राप्त कर प्रति नगर निकाय को सौंपी जा सकती है। टॉक में स्थित अरबी, फारसी शब्द संस्थान एवं राज्य अभिलेखागार कार्यालय के उर्दू/पुरानी लिपि भाषा के ज्ञाता को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

उपरोक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशेष सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

कमांक: प.8(ग) () (PSKS) अभियान-2021 / नियम / डीएलबी / 21 / 70110

दिनांक: 29.09.2021

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक प.8(ग) () (PSKS) अभियान-2021 / नियम / डीएलबी / 21 / 68171 दिनांक 28.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 69—ए एवं इसके अन्तर्गत विशेष नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुये की होल्ड पट्टा जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है—

- (i) दिनांक 02.10.1959 से पूर्व से धारित शहर की चार दीवारी क्षेत्र की सम्पत्तियाँ— परम्परागत रूप से विकसित पुरानी आबादी / सघन आबादी क्षेत्रों हेतु—
(क) आवासीय / मिश्रित पट्टा—आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी होने पर — रुपये 50/- — मात्र प्रति पट्टा।
(ख) व्यावसायिक / संस्थानिक / होटल प्रयोजनार्थ पट्टा— 10/- — रुपये प्रति व.मी. । (न्यूनतम रुपये 5000/-)
(ग) आवंटक मूल आवंटी से भिन्न पश्चातवर्ती केता होने पर— 10/- रुपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रुपये 5,000/-)
- (ii) दिनांक 02.10.1959 से पूर्व शहर की चार दीवारी के बाहर का क्षेत्र—
(क) आवासीय / संस्थानिक / मिश्रित पट्टा आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी होने पर — 10/- रुपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रुपये 5,000/-)
(ख) आवासीय / संस्थानिक / मिश्रित पट्टा— आवेदक मूल आवंटी से भिन्न पश्चातवर्ती केता होने पर 20/- — रुपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रुपये 10,000/-)
(ग) व्यावसायिक / होटल प्रयोजनार्थ पट्टा— 20/- — रुपये प्रति वर्गमीटर (न्यूनतम रुपये 10,000/-)
- (iii) (दिनांक 02.10.1959 के पश्चात से दिनांक 01.01.1992 तक धारित सम्पत्तियाँ— परम्परागत रूप से विकसित पुरानी आबादी / सघन आबादी क्षेत्रों हेतु — (न्यूनतम रुपये 10,000/-))
 - आवासीय / संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 20/- — रुपये प्रतिवर्गमीटर।
 - मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 25/- — रुपये प्रतिवर्गमीटर।
 - व्यावसायिक / होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 50/- — रुपये प्रतिवर्गमीटर।
- (iv) गैर-कृषिक खातेदारी भूमि (जिस पर निर्माण हो चुका है), ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, ग्रामीण क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि एवं नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत जारी गैर-कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आदेश, कस्टोडियन— (न्यूनतम रुपये 20,000/-)
 - आवासीय / संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50/- — रुपये प्रति वर्गमीटर।
 - मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 75/- — रुपये प्रति वर्गमीटर।
 - व्यावसायिक / होटल प्रयोजनार्थ शुल्क 100/- — रुपये प्रति वर्गमीटर।
- (v) पूर्व शजा—महाशजाओं / उनके परिवार के सदस्यों / पूर्व जागीरदारों द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि का भूखण्डों के रूप में दिनांक 02.10.1959 के पश्चात व दिनांक 01.01.1992 से पूर्व विक्रय किया गया है। (न्यूनतम रुपये 30,000/-)
 - आवासीय / संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50/- — रुपये प्रति वर्गमीटर।
 - मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 100/- — रुपये प्रति वर्गमीटर।

- व्यावसायिक / होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 150/- रुपये प्रति वर्गमीटर।

- नोट-**
- उपरोक्त सभीश्रेणियों में आवासीय/संस्थानिक/मिश्रित की नियमन राशि अधिकतम 5 लाख रुपये एवं व्यावसायिक/होटल प्रयोजनार्थ की नियमन राशि अधिकतम 10 लाख रुपये होगी।
 - मिश्रित से तात्पर्य नीचे दुकान—ऊपर मकान।
 - फी—होल्ड पट्टे पर कोई लीजं राशि वसूलनीय नहीं होगी। 99 वर्षीय लीज ढीड़/पट्टा/रुपान्तरण आदेश सरेण्डर कर पट्टा प्राप्त करता है तो बकाया लीज राशि एवं 10 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि वसूल की जाकर ही पट्टा जारी किया जायेगा। भूमि रुपान्तरण आदेशों में लीज राशि की गणना रुपान्तरण शुल्क की 4 गुना राशि को आवासीय दर मानते हुए 2.5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक में 5 प्रतिशत की दर से राशि देय होगी।
 - आवेदित प्रकरण में मौके पर उपलब्ध भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों (प्रूफ ऑफ राइटर्स) से अधिक होने की स्थिति में स्वामित्व दस्तावेजों से अधिक क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 10 प्रतिशत या ढी.एल.सी. का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, राशि वसूल कर सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी किया जायेगा। यदि अतिरिक्त भूमि किसी संरक्षित स्थल का हिस्सा है तो उसका आवंटन नहीं किया जावेगा।
 - राजकीय कार्यालय हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
 - नजूल सम्पत्तियों की आवंटन दरें पृथक से राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी।
 - उपरोक्त आदेश सकाम फ्लर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

कृषि भूमि रूपान्तरण
टाइनशिप पॉलिसी

विभिन्न प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों का विवरण

1. कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण में लगने वाले शुल्क

(i) प्रीमियम दर / रूपान्तरण शुल्क:-

(अ) 90-बी के प्रकरण—भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी के अन्तर्गत निर्णय किये गये प्रकरण जिनमें पट्टा जारी नहीं हुआ है। उनमें निर्धारित पूर्व नियमन/रूपान्तरण शुल्क ही प्रभावी रहेगी। जयपुर में आदेश दिनांक 27.09.1999 के अनुसार अन्य शहरों के आदेश दिनांक 22.12.1999 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार जोनवार रूपान्तर शुल्क देय है व्यावसायिक रूपान्तरणशुल्क आदेश दिनांक 26.05.2000 के अनुसार देय है परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में आदेश दिनांक 13.09.2000 व 10.10.2000 के अनुसार रूपान्तरण शुल्क देय है।

(ब) दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरण—जिन प्रकरणों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए (8)की कार्यवाही की गई है उनमें कृषि से अकृषि प्रयोजन नियम 2012 के नियम 16(4) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31.07.2012 के अनुसार 01.04.2014 से प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 10% की वृद्धि करते हुये निम्न तालिका के अनुसार प्रीमियम दर देय है।

तालिका

रूपये प्रति वर्गगज

क्र. सं.	भूमि उपयोग का प्रयोजन (कृषि से)	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जयपुर रीजन के लिए	जयपुर को छोड़कर अन्य संभागीय मुख्यालय वाले शहरों के लिए	संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए	एक लाख से कम जनसंख्या वाले समस्त नगरीय कस्बे
1	आवासीय (200 वर्गगज तक)	132	132	114	90
2	आवासीय (200 वर्गगज से अधिक)	198	198	168	132
3	वाणिज्यिक (200 वर्गगज तक)	862	775	520	349
4	वाणिज्यिक (200 वर्गगज से अधिक)	862	775	675	520
5	रास्थानिक व औद्योगिक	132	132	132	90

परन्तु:-

(1) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्मित भूखण्डों के नियमन के लिए प्रीमियम दरें निम्नांकित होगी:-

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमित
किये जाने वाले भूखण्ड का
स्वेत्रफल

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ देय पर

(अ) 1-110 वर्ग फुट
दर

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम

+ 5000.00 रुपये

(ब) 111-300 वर्ग फुट
दर

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम

+ 10000.00 रुपये

(स) 301-500 वर्ग फुट
दर

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम

+ 20000.00 रुपये

(द) 501 वर्ग फुट या उससे
दर

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम

अधिक

+ प्रति 50 वर्ग फुट या उसके अंश पर 2500.00 रुपये

नोट:-

(i) अपंजीकृत दस्तावेजों में कुल प्रीमियम राशि की 9% शास्ति राशि देय है।

(ii) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2012 के नियम 16(2) के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनी में धारा 90-ए (8) की कार्यवाही व ले-आउट प्लान स्वीकृत होने के पश्चात् समाचार पत्रों में 30 दिवस की विज्ञाप्ति जारी कर आहूत किये गये प्रथम कैम्प में पट्टा लेने हेतु आवेदन नहीं कर प्रथम कैम्प के पश्चात् आवेदन करने पर प्रथम कैम्प की दिनांक से 9% ब्याज सहित प्रीमियम राशि लेने का प्रावधान है।

(स) दिनांक 17.06.1999 से पश्चात् की कॉलोनियों एवं निजी कृषि भूमि की योजनाओं के प्रकरण-दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् की वसी हुई कॉलोनियों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही की गई है उनमें एवं निजी कृषि भूमि की टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत स्वीकृत की गई योजनाओं में कृषि से अकृषि प्रयोजन नियम 2012 के नियम 9(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 13.02.2020 के अनुसार 01.04.2021 से 7.5% वृद्धि 10 के अधिगुणाक तक करते हुए निम्न तालिका के अनुसार प्रीमियम दर देय है।

(रूपये प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड के वास्तविक पट्टा क्षेत्रफल पर)

क्र. सं.	प्रयोजन	जयपुर			जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा व भिंचाडी के नगरीय क्षेत्र	कॉलम 3 एवं 4 में उल्लेखित नगरीय क्षेत्र को छोड़कर 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र	50,000 तक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र	
1	2	3			4	5	6	
		नगर निगम सीमा के भीतर	नगर निगम सीमा को छोड़कर मास्टर प्लान में वर्णित U-1क्षेत्र को छोड़कर शेष जयपुर रीजन	नगर निगम सीमा एवं मास्टर प्लान में वर्णित U-1क्षेत्र को छोड़कर शेष	नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र के भीतर	नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र	समस्त नगरीय क्षेत्र	समस्त नगरीय क्षेत्र
1.	आवासीय (1) 200 व.मी. तक	280/-	160/-	120/-	200/-	160/-	120/-	90/-
	आवासीय (2) 200 व.मी. से अधिक	380/-	230/-	180/-	290/-	230/-	180/-	120/-
	(3) युप हाउसिंग	290/-	160/-	120/-	200/-	160/-	120/-	90/-
2.	वाणिज्यिक (1) 200 व.मी. तक	1100/-	740/-	740/-	740/-	660/-	460/-	310/-
	(2) 200 व.मी. से अधिक	1470/-	740/-	740/-	1100/-	740/-	660/-	460/-

3	फार्म हाउस	560 रु प्रति वर्गमीटर निश्चित क्षेत्र (गणना योग्य मू—आवासीय क्षेत्र पर)
4	धार्मिक आध्यात्मिक व चेरिटेबल संस्थाएँ के अलावा अन्य संस्थाएँ	प्रथम 40000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत
5	पर्यटन इकाई होटल / मोटल / रिसोर्ट / एम्बूजमेन्टपार्क	प्रथम 20000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत
6	जन सुविधायें—अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थाएँ	प्रथम 10000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत
7	इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एवं बैयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स—ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रान्सपोर्ट, कन्टेनर डिपो	प्रथम 20000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत
8	औद्योगिक	प्रथम 5000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत

नोट:-

- (i) आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कॉर्नर भूखण्ड होने पर निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी।
- (ii) दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् वसी हुई कॉलोनी में पंजीकृत दस्तावेजों में प्रीमियम राशि की 10% शास्ति राशि देय है, व अपंजीकृत दस्तावेजों में प्रीमियम राशि की 50% राशि शास्ति देय है।
- (iii) 90—ए के आवेदन एवं वसी हुई कॉलोनियों में पट्टै के आवेदन के साथ प्रीमियम दर की 10% राशि जमा करानी होती है जिसका समायोजन सम्पूर्ण राशि जमा कराते समय किया जाता है।
- (iv) स्वीकृत किया गया ले—आउट प्लान विकाय योग्य क्षेत्र के प्रयोजन के अनुसार प्रीमियम राशि जमा होने के पश्चात ही ले—आउट प्लान जारी किया जायेगा।
- (v) टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत 2 हैक्टेयर से कम की प्लान्टेड ड्वलेपमेन्ट की योजना में विकाय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि E.W.S./L.I.G.भूखण्डों के एवज में आरक्षित दर से राशि देय है।

(vi) अधिसूचना दिनांक 13.02.2020 के स्पष्टीकरण के बिन्दु 5 व राज्यसरकारद्वारा समय—समय दी गई छूट लागू होगी।

(vii) स्थानीय निकाय द्वारा स्वप्रेरणा से सर्व कराकर स्वीकृत किये गये ले—ऑउट प्लॉन के भूखण्डों में 17.50/- रु. प्रति वर्गमीटर सर्व शुल्क देय है।

(d) राजकीय भूमि पर बसी हुई कॉलोनियाँ—राजकीय भूमि, अन्य विभागों की भूमि अथवा निकाय की अवासशुदा भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में अधिसूचना 30.11.2017 के अनुसार 01.04.2019 से 5% वृद्धि करते हुए निम्न तालिका के अनुसार देय है।

तालिका

क्र. सं.	नगरीय क्षेत्रों के नाम	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें
1	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा व भिवाड़ी।	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 2316/- रु. प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 7526/- रु प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।
2	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर व भीलवाड़ा को छोड़कर 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शेष नगरीय क्षेत्र	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1159/- रु प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 4052/- रु प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।
3	भिवाड़ी को छोड़कर 50,000 से कम जनसंख्या वाले शेष नगरीय क्षेत्र	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 464/- रु प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1737/- रु प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो।

निजी विकास कर्ता की योजना में राजकीय भूमि की दर— आरक्षित दर का कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो।

नोट:-

विकास प्राधिकरण 2.5 हैक्टर, नगर विकास न्यास 1.25 हैक्टर तथा निकाय 0.5 हैक्टर तक प्रति कॉलोनी/योजना में सरकारी भूमि का नियमन कर सकेगे इससे अधिक क्षेत्रफल होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही नियमन किया जा सकेगा।

(ii) लीज / **Urban Assessment or Ground Rent:**—(अ) 90-वी व 90-ए के प्रकरणों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजननियमन 2012 के नियम 20 के अनुसार कोई भी प्रयोजन मल्टीप्लेक्ससहित (व्यावसायिक को छोड़ते हुय) में आवासीय कीमत के 2.5% और व्यावसायिक में आवासीय कीमत के 5% की दर से लीज राशि देय है।

नोट:-

- (i) आवासीय कीमत से भूमि के आवासीय उपयोग की प्रीमियम दर के बार गुणा कीमत से है।
 (प्रीमियम दर x 4 = आवासीय कीमत)
- (ii) 10 वर्ष की लीज एक मुश्त जमा कराने पर फ्री-होल्ड का पट्टा जारी किया जायेगा।
- (iii) 8 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर 99 वर्षिय लीज होल्ड का पट्टा लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र के साथ दिया जायेगा।
- (iv) राजकीय भूमि में लीज राशि नियमन दर पर देय होगी।
- (v) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई छूट लागू होगी।

1. (ii) **बी.एस.यू.पी. शुल्क:**—आदेश दिनांक 22.06.2018 के अनुसार बी.एस.यू.पी. शुल्क देय है सभी प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन व भू-रूपान्तरण में 25/- रु. प्रति व.मी. की दर से बी.एस.यू.पी. शुल्क, देय है, किन्तु भू-उपयोग परिवर्तन व भू-रूपान्तरण दोनों होने पर एक बार ही बी.एस.यू.पी. शुल्क देय है, पूर्व में उक्त भूखण्ड/भूमि पर बी.एस.यू.पी. शुल्क जमा कराया गया है तो उक्त शुल्क देय नहीं होगा।

नोट:-

- (i) हैरिटेज होटल/रिसोर्ट/मोटल/एम्प्यूजमेन्ट पार्क के लिए बी.एस.यू.पी. राशि केवल सकल निर्मित क्षेत्रफल पर देय होगी। अन्य पर्यटन ईकाइयों यथा होटल/कन्वेन्शन सेन्टर/रेसटोरेंट अथवा कैफेटेरिया आदि के लिये नियमानुसार शुल्क लिया जायेगा।

1. (iii).**बाह्य विकास शुल्क E-D-C:**—टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार स्वीकृत सम्पूर्ण योजना क्षेत्र दर बाह्य विकास शुल्क निम्न प्रकार न्यूनतम देय है।

क्र. स.	जन संख्या 2001 के अनुसार शहर की आबादी	दर प्रति वर्ग मीटर
1	1 लाख तक	100/-
2	1 लाख से अधिक 10 लाख तक	150/-
3	10 लाख से अधिक	200/-

नोट:-

- (i) 500 मीटर क्षेत्र में 18 मीटर चौड़ी सड़क व बिजली की लाईन उपलब्ध होने पर EDC रुपये 100 से अधिक देय नहीं होंगी।
- (ii) युप हाउसिंग के मामलों में EDC आवासीय की 1.5 गुणा देय है।
- (iii) संस्थागत व पर्यटन ईकाई मामलों में EDC भू-अक्षादित क्षेत्र के दुगने पर देय होंगी।
- (iv) व्यावसायिक मामलों में EDC आवासीय से दो गुनी देय होंगी।
- (v) फार्म हाउस के प्रकरणों में EDC बिलटप क्षेत्र के दुगने पर 50/- रुपये प्रति व.मी विद्यमान विकास हेतु देय है।
- (vi) मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015 के प्रकरणों में भी टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार EDC देय होंगी।

- (vii) औद्योगिक भूखण्डों में EDC निम्न प्रकार देय होगी
- 50,000 तक आबादी का शहर – 20/- प्रति व.मी.
 - 50,000 से 10 लाख तक आबादी का शहर – 30/- प्रति व.मी
 - 10 लाख से आबादी का शहर – 50/- प्रति व.मी.
- (viii) वास्तिविक EDCअधिक होने पर विकासकर्ता से वसूल की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र में लिया जायेगा।
- (ix) कृषि आधारित बैंयर हाऊसिंग/गोदाम के भूखण्डों के लिए निकायों द्वारा बाह्य विकास एवं सिवर लाइन पर व्यय नहीं किया जाता है न ही आवश्यकता है, तो EDCदेय नहीं है यदि भविष्य में निकायों द्वारा बाह्य विकास कराया जाता है, समतुल्य राशि आवेदक द्वारा जमा कराई जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र लिया जावें।
- (x) EDC एक मुश्त जमा कराने पर 20% की छूट देय होने से 80% राशि ही देय होगी।
- (xi) EDC4 किस्तों में निम्न प्रकार देय है (द्वितीय से चतुर्थ किस्त के उत्तर दिनांकित चैक लिये जावें।

क्र. सं.	किस्त	राशि	अवृद्धि
1	प्रथम किस्त	25 प्रतिशत	ले-आउट/एकल पट्ट जारी होने से पूर्व
2	द्वितीय किस्त	25 प्रतिशत	अनुमोदन के 6 माह तक बीना ब्याज आगामी 6 माह तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित
3	तृतीय किस्त	25 प्रतिशत	अनुमोदन के 9 माह तक बीना ब्याज आगामी 6 माह तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित
4	चतुर्थ किस्त	25 प्रतिशत	अनुमोदन के 1 वर्ष तक बीना ब्याज आगामी 6 माह तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित

नोट:-

1 वर्ष 6 माह के पश्चात 9% ब्याज पर राज्य सरकार की स्वीकृति से समय अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(iv) आन्तरिक विकास शुल्क-टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार निजी कृषि भूमि की योजनाओं में आन्तरिक विकास हेतु सैलेंबल क्षेत्र के 12.5 प्रतिशत भूखण्ड विकासकर्ता के निकाय में रहन रखे जाते हैं। टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टर) के बिन्दु 5.03 के अनुसार सीधर लाइन के 50/- रुपये प्रति वर्गमीटर नाला निर्माण के 40/- रु. प्रति वर्गमीटर के ओवर हेड टैक के 50/- रु. प्रति वर्गमीटर कुल 140/- रु. प्रति वर्गमीटर लेने का प्रावधान है। आदेश दिनांक 11.05.2017 द्वारा बसी हुई कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा नहीं कराया जाता है। भविष्य में टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार आन्तरिक विकास शुल्क लिया जायेगा, एवं पट्टे में ये नोट अंकित होगा की योजना में आन्तरिक जलापूर्ति बिजली आपूर्ति व आन्तरिक सड़क का निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/ग्रह निर्माण सहकारी समिति द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई है। कुछ निकायों द्वारा न्यास बैठकों में निर्णय लेकरअलग-अलग राशि ली जाती है।

नोट:-

- (i) एकल पट्टों में विकासकर्ता द्वारा ही विकास काराया जाता है अतः 140/- रुपये राशि देय नहीं है।
- (ii) उल्लेखित कार्य कराये जाने पर ही उक्त राशि जमा कराई जावे उक्त कार्य विकासकर्ता द्वारा कराई जाने पर 140/- रुपये राशि नहीं ली जावे।

(v) एकल पट्टे में सुविधा क्षेत्र के एवज में राशि:- 2 हैक्टर से अधिक व कम क्षेत्रफल के एकल पट्टों में 5% क्षेत्र सुविधा क्षेत्र छोड़े जाने का प्रावधान है। 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल के एकल पट्टों में 5% सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि की आरक्षित दर से राशि भी जमा करवाई जा सकती है।

नोट-1

- (i) कार्म हाउस के एकल पट्टों में 5% सुविधा क्षेत्र आदेश 22.06.2017 के अनुसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, एव स्थानगत परियोजन भविष्य में आवश्यक होने पर 5% सुविधा क्षेत्र छोड़ने की शर्त पट्टे में अंकित किये जाने का प्रावधान है।
- (ii) रिसोर्ट के एकल पट्टे में आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार कृषि भूमि की डी.ए.ल. सी. की दर से राशि देय है।

नोट-2

कृषि भूमि के 90-ए के प्रकरणों में क्रम संख्या (i) से (vi) तक में मांग-पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा करानी होगी उसके पश्चात् अगामी 9 माह तक 9 प्रतिशत की दर से व्याज सहित राशि जमा कराई जा सकेगी। परन्तु मांग-पत्र प्राप्त होने के एक वर्ष तक राशि जमा नहीं कराने पर 90-ए की अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

(vi) पंजीयन शुल्क:- निकायों द्वारा जारी की गई लीज डीड/पट्टे का पंजीयन कराना आवश्यक है। जिसका शुल्क निम्न प्रकार देय है।

- (i) टाउनशिप पॉलिसी के व्यावसायिक प्रयोजन में प्रीमियम राशि के 8 गुणा की दर से व अन्य गेर व्यावसायिक प्रयोजन में प्रीमियम राशि के 4 गुणा की दर से देय है।
- (ii) बसी हुई कॉलोनियाँ/ गृह निर्माण सहकारी समिति की कॉलोनियों में प्रीमियम राशि, आन्तरिक व बाह्य विकास शुल्क, व्याज, शारित आदि जमा राशि + दो वर्ष की लीज राशि पर देय है।
- (iii) पुर्नवैध कराने पर देय शुल्क का 120% देय होगा।
- (iv) टाउनशिप कॉलोनिल योजना में प्रोविजनल पट्टे प्रारूप "द" नोमीनी असहानीय-पत्र आदि 500/- रु. की स्टाम्प ड्यूटी पर पंजीयन होगा अन्य प्रकरणों में बाजार मूल्य का 2% स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
- (v) लीज होल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा नामान्तरण का नया पट्टा उप-विभाजन/पुनर्गठन का नया पट्टा 500/- रु. की स्टाम्प ड्यूटी तथा भू-उपयोग परिवर्तन में निकाय में जमा शुल्क पर स्टाम्प ड्यूटी देय है।

(vi) निकाय की योजनाओं में आवटन के आधार पर निकाय द्वारा लीज-होल्ड जारी होने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों से क्रय करने पर उचित क्रेता से निकाय में जमा राशि के 1.5% गुना पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(vii) कृषि भूमि के अपंजीकृत दस्तावेजों में अन्तिम क्रेता से बाजार मूल्य का 20% सिर्फ भूखण्ड की भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(viii) अन्य प्रकरणों में निकाय में जमा राशि+दो वर्षों के लीज पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

2. भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्कः-

भवन विनियम-2020 की अनुसूची-2 एवं जारी आदेशों के अनुसार निम्न प्रकार निर्माण अनुज्ञा शुल्क देय हैं:-

क्र सं.	शुल्क का प्रकार	निर्माण का प्रयोजन	दर (प्रति वर्गमीटर)
1	प्रार्थना पत्र शुल्क	व्यावसायिक प्रयोजन	500 एक मुश्त
		अन्य (रीर व्यावसायिक) प्रयोजन	300 एक मुश्त
2	जांच शुल्क (आवेदन के साथ भूखण्ड के क्षेत्रफल पर)	व्यावसायिक प्रयोजन	45/- प्रति व.मी. अधिकतम 3.0 लाख
		अन्य (रीर व्यावसायिक) प्रयोजन	15/- प्रति व.मी. अधिकतम 1.0 लाख
3	अनुमोदन शुल्क	व्यावसायिक 500 वर्गमीटर तक	क्षेत्रफल X मंजिलों की संख्या X 50
		500 से अधिक (सकल निर्मित क्षेत्र पर)	75/- प्रति व.मी.
		अन्य रीर व्यावसायिक प्रयोजन 500 व.मी. तक 500 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल पर	क्षेत्रफल X मंजिलों की संख्या X 25 50/- प्रति व.मी.
4	वर्षों जल संग्रहण व वृक्षारोपण प्रार्किंग व अग्नि समन व मूकम्य रोधी प्रावधान मलवा हटाने हेतु 18 मीटर कंचाई तक के भवनों में अमानत राशि रिफेन्डेबल	भूखण्ड क्षेत्रफल 225 व.मी. से अधिक 500 व.मी. तक	50.0 हजार
		500 व.मी. से अधिक 750 व.मी. तक	75.0 हजार
		750 व.मी. से अधिक 2500 व.मी. तक	1.0 लाख
		2500 व.मी. से अधिक 4000 व.मी. तक	2.0 लाख
		4000 व.मी. से अधिक 10,000 व.मी. तक	3.0 लाख
		10,000 व.मी. से अधिक	5.0 लाख
5	वर्षों जल संग्रहण व वृक्षारोपण प्रार्किंग व अग्नि समन व मूकम्य रोधी प्रावधान मलवा हटाने हेतु 18 मीटर से अधिक कंचाई के भवनों में अमानत राशि रिफेन्डेबल	भूखण्ड क्षेत्रफल 750 व.मी. से अधिक 2500 व.मी. तक	2.0 लाख
		2500 व.मी. के अधिक 4000 तक	4.0 लाख
		4000 व.मी. के अधिक 10000 व.मी. तक	6.0 लाख
		10000 व.मी. के अधिक	10.0 लाख

(i)	नोट:-	<p>(i) जिन प्रोजेक्टों का रियल एस्टेट (रिगुलेशन एण्ड डवलॉपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रिगुलेशन एण्ड डवलॉपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण करावाया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, अन्य प्रस्तावित भवनों हेतु पार्किंग, अभिशमन, भूकम्प रोधी, वृक्षारोपण / प्लांटेशन आदि प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि नकद / बैंक ड्रापट / बैंक गारंटी के रूप में भवन निर्माण द्वारा स्थानीय निकाय को जमा करने होगे। यह राशि कंपाइलेशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ण सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माण को लौटाई जा सकेगी।</p> <p>(ii) मैकेनिकल पार्किंग की सुनिश्चितता करने हेतु आवेदक से प्रति मैकेनिकल कार पार्किंग (सरफेस कार पार्किंग के अतिरिक्त) एक लाख रुपये अमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में ली जावेगी, जिसे निर्धारित मैकेनिकल कार पार्किंग के निर्माण के बाद लौटा दी जावेगी।</p>			
6	भवन पूर्णता व अविवास प्रमाण-पत्र		मिश्रित / व्यवसायिक	सकल निर्मित क्षेत्र पर 30/- रु. प्रति व.मी.	
	अन्य (गैर व्यावसायिक) प्रयोजन			सकल निर्मित क्षेत्र पर 15/- रु. प्रति व.मी.	
7	बी.एस.सू.पी. शुल्क भवन विनियम 2020 के अनुसार/ 15 मीटर व उस से अधिक ऊँचाई के भवनों पर देय है। पूर्व में भूखण्ड पर अन्य प्रकारण में जमा है तो देय नहीं है।			व्यावसायिक प्रयोजन 25/- रु प्रति व.मी.	
	अन्य (गैर व्यावसायिक) प्रयोजन			10/- रु प्रति व.मी.	
8	बैटरमेन्ट लेवी निर्धारित से अधिक BAR प्रस्तावित करने पर अधिशेष क्षेत्र पर		मिश्रित / व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय आरक्षित दर का 40%	
	अन्य (गैर व्यावसायिक) प्रयोजन			आवासीय आरक्षित दर का 20%	
बैटरमेन्ट लेवी की 5 किस्तों उत्तर दिनांकित चैक निम्न प्रकार लिये जाये					
क्र. सं.	किस्त	लेवी का प्रतिशत	समय अवधि		
1	प्रथम	20%	मानचित्र स्वीकृति से 1 वर्ष		
2	द्वितीय	20%	मानचित्र स्वीकृति से 1 वर्ष 9 माह		
3	तृतीय	20%	मानचित्र स्वीकृति से 2 वर्ष 6 माह		
4	चतुर्थ	20%	मानचित्र स्वीकृति से 3 वर्ष 3 माह		
5	पंचम	20%	मानचित्र स्वीकृति से 4 वर्ष		
नोट:-					
(i) उपरोक्तानुसार किंशतों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (Post DatedCheque) लेकर ही मानचित्र स्वीकृत किये जाये, उत्तर दिनांकित (Post Dated Cheque) अस्वीकृत (Dishonour) होने पर चैक, अस्वीकृत होने की दिनांक (विलंब अवधि) से नियमानुसार आज देय होगा					

बेटरमेन्ट लेवी हेतु देय किश्त का चैक किसी विशेष परिस्थिति में अनादरित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक यदि बैंक अनादरित की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में निकाय को आवेदन प्रस्तुत प्रस्तुत करता है तो निकाय द्वारा उक्त किश्त की राशि हेतु छः माह की अवधि 12 प्रतिशत ब्याज की दर से मध्य ब्याज जमा करायें जाने की छूट प्रदान की जा सकेगी। इन विनियमों से पूर्व के प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ii) बेटरमेन्ट लेवी की कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि बी.एस.यू.पी. फन्ड में जमा करानी होगी।

(iii) अधिकतम उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित भवन हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क एवं मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित होने पर देय बेटरमेन्ट लेवी की राशि वार्तविक प्रस्तावित उपयोग के संत्रफल पर देय होगी।

9. अदिनशमन शुल्क-	क्र.सं.	प्रस्तावित भवन की ऊँचाई	देय शुल्क (बी.ए.आर. संत्रफल पर)		
			भवन	देय शुल्क	शुल्क की गणना
	1	15 मीटर ऊँचाई तक	भवन	रु. 50/- प्रति वर्गमीटर	उदाहरणार्थ (भवन
	2	15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर ऊँचाई तक	निर्माण	रु. 100/- प्रति वर्गमीटर	अनुज्ञा शुल्क की राशि
	3	40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर ऊँचाई तक	भवन	रु. 100/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक)	10000/- होने की स्थिति में शुल्क की गणना।
	4	60 मीटर से अधिक	निर्माण	रु. 100/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक) रु. 150/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक) रु. 200/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक ऊँचाई पर)	= रु. 10000+रु.5000= रु. 15000 (कुल देय राशि)
10. बिना स्वीकृति निर्माण की राशि-	क्र.सं.	प्रकरण का विवरण	बिना स्वीकृति प्राप्त किये, किये गये निर्माण का प्रकार	देय शुल्क का विवरण	शुल्क की गणना उदाहरणार्थ (भवन अनुज्ञा शुल्क की राशि 10000/- होने की स्थिति में शुल्क की गणना।
	1	90 (क) की कार्यवाही से पूर्व, मौके पर निर्माण होने की स्थिति में	(i) भवन विनियम के मानदण्डों के अनुरूप निर्माण	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (बिना स्वीकृति)	= रु. 10000+रु.5000= रु. 15000 (कुल देय राशि)
			(ii) भवन विनियमों के विपरीत निर्माण	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (बिना स्वीकृति) + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (घरोहर राशि)	=रु.10000+ रु.5000 + रु. 5000 = रु.20000 (कुल देय राशि)

2	90 (क) को कार्यवाही पश्चात पटटा हेतु आवेदन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में पटटा जारी होने से पूर्व।	(i) भवन विनियम के मानदण्डों के अनुरूप निर्माण	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क(Deemed Approvalमा नते हुए)	रु. 10000 (कुल देय राशि)
		(ii) भवन विनियमों के विपरीत निर्माण	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (विना स्वीकृति)	= रु. 10000+रु.5000= रु. 15000 (कुल देय राशि)
3	पटटा/ली जड़ीब जारी होने के पश्चात मानचित्र स्वीकृति से पूर्व मौके पर निर्माण	(i) भवन विनियम के मानदण्डों के अनुरूप निर्माण	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (विना स्वीकृति)	= रु. 10000+रु.5000= रु. 15000 (कुल देय राशि)
		(ii) भवन विनियमों के विपरीत निर्माण	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (विना स्वीकृति) + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (घरोहर राशि)	=रु.10000+ रु.5000 + रु. 5000 = रु.20000 (कुल देय राशि)

नोट:-

- (i) अग्रिम राशि Axis Bank के केन्द्रीकृत खाता संख्या 919010091350994 में जमा कराकर रसीद संबंधित निकाय में प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) लंबर सेस हेतु निर्माण की कुल लागत की 1 प्रतिशत राशि मानचित्र स्वीकृति से पूर्व जमा करानी होगी।
- (iii) भवन विस्तार -यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के निर्मित क्षेत्र में विस्तार किया है तो अतिक्रिय प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र / मंजिल पर क्र.सं. 3 के अनुसार राशि देय होगी।
- (iv) अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि में संशोधन -आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान पुनः मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो क्र. सं. 2 व 3 में दर्शायी हुई राशि का 20 प्रतिशत शुल्क संशोधित मानचित्र के जांच एवं अनुमोदन हेतु लिया जायेगा।
- (v) अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि पश्चात् संशोधन/नवीनीकरण-यदि निर्धारित वैध अवधि के पश्चात् संशोधन/नवीनीकरण करवाया जाता है तो क्रम संख्या 2 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क तथा क्रम संख्या 2 व 3 के अनुसार मानचित्र जांच एवं अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।

- (vi) बहुनिवास इकाई के भवनों में योजना में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रति निवास इकाई 25000/- रूपये अतिरिक्त राशि (अन्य सभी देय शुल्क के अतिरिक्त) देय होगी।
- (vii) 50 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखण्डों को मार्किंग शुल्क 100000/- रूपये प्रति इ.सी.यू. देय होगा।
- (viii) सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी व्यवस्था नहीं करने पर 50/- रु. प्रति वर्ग मीटर व होटल हेतु 100/- रु. प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर पहले वर्ष प्लेन्टी ली जायेगी।
- (ix) छूट –आदेश दिनांक 22.07.2019 के अनुसार सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणि अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाएँ को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाएँ यथा चिकित्सा सुविधाएँ, शैक्षणिक सुविधाएँ, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठाश्रम, धर्मशाला, निश्क्रान्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्याश्रम, बालगृह आदि एवं पर्यटन इकाई में पर्यटन नीति के अनुसार भवनों के अनुमोदन शुल्क में छूट देय होगी।
- (x) मवन निर्माण अनुज्ञा का मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 60 दिवस में राशि जमा करानी होगी। अगले 60 दिवस में 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज विलम्ब अवधि पर ही देय होगा।

3. भू-उपयोग परिवर्तन राशि:-

भू-उपयोग के परिवर्तन के प्रकरणों में आवेदन शुल्क 500/- रु. व प्रशासनिक शुल्क 10/- प्रति वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल पर न्यूनतम 5 हजार व अधिकतम 5 लाख रूपये (नॉन रिफन्डेबल) तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न प्रकार देय है।

क्र. सं.	भू-उपयोग	दर
1	गैर व्यावसायिक भू-उपयोग से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन	आवासीय आरक्षित दर की 40% दर से जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां आवासीय डी.एल.सी. दर की 20% की दर से
2	किसी भी उपयोग से भिन्न भू-उपयोग परिवर्तन:- (व्यावसायिक को छोड़कर)	आवासीय आरक्षित दर की 20% दर से जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां आवासीय डी.एल.सी. दर की 10% की दर से

नोट:-

- (i) व्यावसायिक से अन्य भिन्न भू-उपयोग परिवर्तन में कोई राशि देय नहीं है।
- (ii) राजकीय विभागों व उनके उपकरणों के प्रकरणों में कोई राशि देय नहीं है।
- (iii) सभी प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन पर 25/- रु. प्रति व.मी. की दर से बी.एस.यू.पी. शुल्क देय है, किन्तु पूर्व में किसी कार्य हेतु जमा है तो देय नहीं है।
- (iv) मांग-पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिवस में राशि जमा कराने पर 5% की छूट देय होगी। भू-उपयोग परिवर्तन राशि एक वर्ष में चार किलोमीटर में निम्न प्रकार जमा करवाई जा सकेगी:-

क्र. सं.	किश्त	राशि का प्रतिशत	अवधि (मांग पत्र जारी होने की दिनांक से)
1	प्रथम	15%	90 दिवस
2	द्वितीय	35%	180 दिवस
3	तृतीय	25%	270 दिवस
4	चतुर्थ	25%	365 दिवस
योग		100%	कुल अवधि 1 वर्ष

प्रथम किश्त (15 प्रतिशत राशि) जमा किये जाने तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (शेष 3 किश्तों) किश्तों के आगे की तारीख के (Post dated) चैक जमा किये जाने के पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जायेगा। चैक डीसओनर होने की स्थिति में विलम्ब अवधि (डीसओनर की दिनांक से) पर 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज देय होगा एवं मांग-पत्र जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक व्याज सहित राशि जमा करवाई जा सकेगी। इसके बाद भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। कृषि भूमि के मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन आदेश में यह अंकित किया जावे कि भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 90-ए का आवेदन 90 दिवस में करना आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।¹¹

4. उप-विभाजन/पुनर्गठन शुल्क:-

उप-विभाजन/पुनर्गठन नियम 1975 के नियम 6 के अनुसार उप-विभाजन/पुनर्गठन शुल्क आवेदन के साथ निम्न प्रकार देय है।

क्र.सं.	भू-उपयोग	दर (प्रति वर्गमीटर)
1	पर्यटन इंकाई व संस्थागत	25/- अधिकतम 15.0 लाख
2	आँदोगिक	50/- अधिकतम 20.0 लाख
3	आवासीय	75/- अधिकतम 35.0 लाख
4	व्यवसायक	100/- अधिकतम 50.0 लाख

नोट:-

(i) उप विभाजन/पुनर्गठन स्वीकृत होने पर सभी प्रयोजन हेतु 25/- रु प्रति वर्ग मीटर से बी.एस.यू.पी. राशि देय है, किन्तु पूर्व में किसी कार्य हेतु जमा है तो देय नहीं है। भवन विनियमों के अनुसार मांग-पत्र जारी होने से 60 दिवस मौरशि जमा करानी होगी अगले 60 दिवस में 9% व्याज के साथ राशि जमा कराई जा सकती है।

(ii) एक बार पुनर्गठन स्वीकृति होने के पश्चात् पुनर्गठित भूखण्ड में एक और भूखण्ड का संयुक्तिकरण किया जाता है। तो बाद के भूखण्ड के क्षेत्रफल पर ही पुनर्गठन शुल्क देय होगा।

(iii) मुख्यमंत्री जन आवास योजना के क्षेत्र पर उप-विभाजन/पुनर्गठन शुल्क देय नहीं है।

(iv) विद्यमान योजनाओं में पुनर्गठित पर भूखण्ड पर बहुमजिला भवन प्रस्तावित करने पर देय बेटरमेन्ट लेवी का 25% अतिरिक्त लेवी देय होगी।

5. नामान्तरण में लगने वाला शुल्क:-

भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 20, ए व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2012 के नियम 27 के अनुसार पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर बिना मौका रिपोर्ट के निम्न राशि प्रत्येक नामान्तरण पर देय है।

क्र.सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दर प्रति वर्ग मीटर
1	100 वर्गमीटर तक	10/-
2	100 से अधिक 300 वर्गमीटर तक	15/-
3	300 से अधिक 500 वर्गमीटर तक	20/-
4	500 वर्गमीटर से अधीक	25/-

नोट:-

- (i) उत्तराधिकार (मृत्यु) के प्रकरणों में राशि देय नहीं है।
- (ii) नियम 17(6) में निर्धारित (फिक्स) दर पर आवंटित भूखण्डों का 10 वर्ष पूर्व विक्रय करने पर निम्न राशि देय है।

क्र.सं.	आवंटन की दिनांक से	दर प्रति वर्ग मीटर
1	5 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित का 10%
2	5 से अधिक 10 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित का 5%

6. निर्माण अवधिविस्तार (पुर्नग्रहण राशि):-

भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम के नियम 14-ए में नीलामी की दिनांक से, नियम 17 में कब्जा प्राप्त करने की दिनांक से, तथा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2012 के नियम 26 में पट्टा जारी करने की दिनांक से 7 वर्ष में निर्माण करना आवश्यक है। स्वतन्त्र भूखण्ड में एक इकाई निर्माण एवं मुप्र हाउसिंग, व्यवसायक, मॉल, होटल संस्थागत भवन आदि बड़े भूखण्डों के क्षेत्रफल के 1/5 भाग का मूल आच्छादन क्षेत्र में निर्माण करना आवश्यक है। 7 वर्ष पश्चात् निरस्त भूखण्ड की निर्माण अवधि विस्तार परनिम्न प्रकार पुर्नग्रहण शुल्क देय है।

निकाय की योजना में 99 वर्षीय लीजहोल्ड हेतु

क्र.सं.	नीलामी में नीलामी की दिनांक/आवंटन में कब्जे की दिनांक से निर्माण अवधि	दर
1	0-7 वर्ष	देय नहीं है।
2	7-14 वर्ष	0.25%नीलामी के समय की आरक्षित दर/आवंटन दर
3	14-20 वर्ष	0.50%नीलामी के समय की आरक्षित दर/आवंटन दर
4	20 वर्ष पश्चात	0.75%नीलामी के समय की आरक्षित दर/आवंटन दर

निकाय की योजना में फ्रीहोल्ड हेतु

क्र.सं.	निर्माण अवधि	दर
1	0-7 वर्ष	देय नहीं है।
2	7-14 वर्ष	0.10%निलामी के समय की आरक्षित दर/आवंटन दर
3	14-20 वर्ष	0.25%निलामी के समय की आरक्षित दर/आवंटन दर
4	20 वर्ष पश्चात्	0.50%निलामी के समय की आरक्षित दर/आवंटन दर

नोट-

नोटिस की अवधि के बाद भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जायेगे। जिसका नियमन ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से यदि भूखण्ड का पुनः विक्रय/आवंटन नहीं हुआ है तो आरक्षित दर की 0.75% / 0.50% दर से नियमन किया जा सकेगा।

90-ए / 90-बी में लीजहोल्ड हेतु

क्र.सं.	निर्माण अवधि	दर
1	0-7 वर्ष	देय नहीं है।
2	7-14 वर्ष	1%नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम का चार गुना)
3	14-20 वर्ष	2%नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम का चार गुना)
4	20 वर्ष पश्चात्	2.5%नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम का चार गुना)

90-ए / 90-बी में फ्रीहोल्ड हेतु

क्र.सं.	पटला जारी करने की दिनांक से निर्माण अवधि	दर
1	0-7 वर्ष	देय नहीं है।
2	7-14 वर्ष	0-5%नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम का चार गुना)
3	14-20 वर्ष	1%नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम का चार गुना)
4	20 वर्ष पश्चात्	2%नियमन के समय की आवासीय दर (प्रीमियम का चार गुना)

नोट:

- i. नोटिस की अवधि के बाद भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जायेगें। जिसका नियमन द्रस्ट द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से यदि भूखण्ड का पुनः विकाय/आवंटन नहीं हुआ है तो आरक्षित दर की 2.5%/2.0%दर से नियमन किया जा सकेगा।
- ii. 90-वी के प्रकरणों में भी कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन नियम 2012 के नियम 26 के अनुसार कार्यवाही की जावें।
- iii. अवाप्त भूमि के बदले विकसित आवंटन भूखण्डों में पट्टा जारी होने की दिनांक से 10 वर्ष पश्चात् उपरोक्त राशि देय है।
- iv. अधिसूचना 12.05.2020 के अनुसार निर्माण अवृद्धि विस्तार होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही निर्माण अवधि विस्तार तक बढ़ी हुई मानी जायेगी।
- v. आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा निर्माण अवधि में 31.07.2021 तक छूट प्रदान की गई है एवं 1 वर्ष 6 माह निर्माण अवधि बढ़ाई गई थी।
- vi. न्यास की योजनाओं में निर्धारित अवधि 7 वर्ष तक में न्यूनतम सुविधाएँ (विजली, पानी, सड़क) उस क्षेत्र/सेक्टर में उपलब्ध होने चाहिए जिसमें भूखण्ड स्थिति है।
- vii. प्लाटेड टाउनशिप योजना में यदि स्वमः खातेदार/विकासकर्ता द्वारा पट्टे लिये गये हैं उन भूखण्डों में खातेदार/विकासकर्ता एवं उनके हस्तानान्तरित को पट्टा जारी होने की दिनांक से 14 वर्ष में निर्माण नहीं करने पर तालिका की पृष्ठ संख्या 3 व 4 के अनुसार शास्ति देय होगी।

7.लौटी से आवंटितभूखण्ड में विलम्ब से राशि जमा कराने पर लगने वाली शास्ति व ब्याज :-

भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 17(5) के अनुसार निर्धारित (फिक्स) आरक्षित दर पर आय मुप के अनुसार लौटी से आवंटन किये गये भूखण्डों में सांग पत्र/आवंटन पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस में राशि जमा करानी होगी उसके आगामी 90 दिवस तक 9% प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करने का प्रावधान है। ब्याज 90दिन का देय है। कुल 120 दिन बाद भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिसका नियमन निम्न प्रकार शास्ति लेकर किया जा सकता है।

क्र. सं.	आवंटन की दिनांक	ब्याज दर	शास्ति	अधिकारिता
1	121 दिन से 1 वर्ष तक	9% प्रति वर्ष	5%बकाया राशि पर	अध्यक्ष न्यास
2	1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष तक	9% प्रति वर्ष	10%बकाया राशि पर	न्यास बैठक
3	2 वर्ष से अधिक	9% प्रति वर्ष	15%बकाया राशि पर	राज्य सरकार

8.फ्री-होल्ड पट्टा-

भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 3 व कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन नियम 2012 के नियम 20 में फ्री-होल्ड पट्टों का प्रावधान जोड़ा गया है।

- (i) 10 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर फ्री होल्ड का पट्टा विलेखा जारी किया जायेगा।

- (ii) 8 वर्ष लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर 99 वर्षिय लीज होल्ड का पट्टा व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होगा।
- (iii) जिन प्रकरणों में पूर्व में 8 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर लीज मुक्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हुआ है उनमें 2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर लीज होल्ड—पट्टे को फ्री—होल्ड में परिवर्तन कराया जा सकता है।
- (iv) जिन प्रकरणों में पूर्व के वर्षों की लीज बकाया है उनमें आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार पिछले वर्षों की बकाया राशि पर 60% की छूट प्रधान करते हुये कुल बकाया राशि की 40% राशि व अग्रिम 10 वर्ष की लीज एक मुश्त जमा कराकर लीज होल्ड पट्टे को फ्री होल्ड पट्टे में परिवर्तन कराया जा सकता है।
- (v) पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि व अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर लीज मुक्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

9.लीज राशि –

भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 7 के अनुसार लीज राशि आवंटन/विक्रय के समय पर निर्धारित आरक्षित दर पर देय है। सभी प्रयोजन के भूखण्ड मल्टीफ्लोक्स सहित व्यावसायिक को छोड़कर 2.5% की दर से और व्यावसायिक प्रयोजन में 5% की दर से लीज राशि देय है। कृषि आधारित वेयर हाऊसिंग गोदाम पर लीज राशि में 100 प्रतिशत छूट है। आवंटन नीति के अनुसार लीज राशि आवंटन दर पर तथा आरक्षित दर से अधिक दर पर भूमि का आवंटन होने पर आरक्षित दर से देय है। 10,000 चर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर 5 वर्ष पर तक आवंटन दर पर उसके पश्चात् प्रति वर्ष लीज राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लीज राशि देय है। अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि पर कृषि भूमि के समान आवासीय कीमत पर लीज राशि देय है (आवासीय कीमत = प्रीमियम दर × 4)

- लीज राशि भूखण्ड का कब्जा देने की दिनांक से देय है एवं कब्जा लीज—डॉड जारी होने के बाद दिया जाता है।
- लीज राशि में 15 वर्ष पश्चात् व प्रत्येक बेचान पर 25% की वृद्धि होगी।
- लीज राशि 31 मार्च तक अग्रिम जमा कराई जायेगी। अग्रिम लीज राशि पर 10% की छूट देय है। बकाया लीज राशि में 9% की दर से ब्याज देय है।
- अग्रिम 8 वर्ष की लीज (चालू वर्ष + 7) राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटित व उसके हस्तातरित 99 वर्ष के लिए लीज राशि से मुक्त है। (लीज मुक्ति प्रमाण—पत्र)
- अग्रिम 10 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर फ्री—होल्ड का पट्टा दिया जायेगा एवं 8 वर्ष की एक मुश्त में लीज पूर्व में जमा होने पर 2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड फ्री—होल्ड हो जायेगा।
- प्रथम 5 वर्ष तक लीज राशि आधी (1/2 भाग या सभी प्रयोजनों में 1.25% व व्यावसायिक में 2.5%) देय होगी। 5 वर्ष में भवन निर्मित होने पर पूर्ण लीज राशि देय होगी।

- बकाया लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट है लीज मुक्त/फ्री-होल्ड कराने पर बकाया लीज राशि पर 60% व ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट है।

10. बी.एस.यू.पी. शुल्क—

दिनांक 20.06.2018 के आदेशानुसार निम्न प्रकार बीएसयूपी शुल्क देय हैं—

- 15 मीटर व उससे अधिक ऊँचाई के व्यवसायिक भवनों में 25 रुपये प्रति वर्गमीटर व आवासीय भवनों में 10 रुपये प्रति वर्गमीटर,
- भू-उपयोग परिवर्तन/भू-रूपान्तरण में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर,
- उपविभाजन/पुनर्गठन में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
- निकाय द्वारा 300 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक भवनों के विक्रय पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर व आवासीय, संस्थागत व औद्योगिक भूखण्डों के विक्रय पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर।
- निकाय द्वारा 1000 वर्गफीट से अधिक पलिन्त एरिया के फ्लैट पर 10 रुपये प्रतिवर्ग फूट तथा 100 वर्गफीट से अधिक पलिन्त एरिया की दुकान के विक्रय पर 20 रुपये प्रतिवर्ग मीटर।
- निकायों द्वारा संस्थानिक भूखण्डों के आवंटन में 25 रुपये प्रतिवर्ग मीटर।
- बेन्टरमेन्ट लेवी की 25 प्रतिशत राशि बीएसयूपी (सेल्टर) फण्ड में जमा होगी।

आदेश दिनांक 10.09.2021 के अनुसार किसी एक भूखण्ड/भवन के प्रकरण में एक बार बी.एस.यू.पी. शुल्क जमा होने के पश्चात उस भूखण्ड पर अन्य कार्य के लिये पुनः बी.एस.यू.पी. शुल्क नहीं लिया जायेगा। साथ ही, संस्थाओं का आवंटन आरक्षित दर से कम जिस दर पर किया जायेगा उसी दर के अनुरूप निकायों द्वारा बी.एस.यू.पी. शुल्क लिया जायेगा।

11. नीलामी से आवंटन—

नीलामी से भूखण्ड विक्रयपर निम्न प्रकार राशि जमा कराई जाती है।

- नीलामीआरम्भ करने की दर का 2% अमानत राशि नीलामीसे पूर्व नीलामी में भाग लेने के लिएजमा कराया जाना आवश्यक है।
- नीलामी की दिनांक से 3 कार्य दिवस में अधिकतम बोलीदाता को बीड की 15% राशि जमा करानी होगी। नहीं तो 2% अमानत राशि जब्त हो जायेगी एवं नीलामीनिरस्त हो जायेगी।
- नीलामी की दिनांक से 5 कार्य दिवस में बोली स्वीकृत कर नीलामी की दिनांक से 30 कार्य दिवस में मांग- पत्र जारी करना होगा।
- बीड स्वीकृति पश्चात नीलामी की दिनांक से 240 दिवस में 35% राशि जमा करानी होगी। अगले 60 दिवस तक 9% ब्याज से राशि जमा कराई जा सकती है।

- नीलामी की दिनांक से 360 दिवस में 50% राशि जमा करानी होगी। अगले 90 दिवस तक 9% ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है।
- सांग-पत्र जारी होने के 15 दिवस में राशि जमा कराने पर नीलामी राशि पर 2% की छूट देय है। नीलामी की दिनांक से 450 दिवस तक 9% ब्याज सहित राशि जमा नहीं कराने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

12.EWS /LIG/MIG-Aके आवासों में बकाया राशि व ब्याज के संबंध में:-

समस्त निकायों व आवासन मण्डल द्वारा आवंटन किये गयेEWS /LIG/MIG-Aके आवासों पर बकाया राशि, बकाया किस्त अभियान अवधि (31.03.2022) तक जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट है। आवासन मण्डल द्वारा MIG-B व HIGके आवासों में भी छूट देय है।

13.बीना स्वीकृति निर्माण

कृषि भूमि पर 90-ए से पूर्व किया गया निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व बिना स्वीकृति किया गया निर्माण जो नियमन योग्य है एवं नहीं है उनके संबंध में विनियम 2020 की तालिका 11 के अनुसार राशि देय है।

नोट:-

जारी किये गये सभी प्रकार के मांग पत्रों में राशि जमा कराने की अवधि 15.03.2020 के पश्चात् होने पर आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा 31.07.2021 तक राशि जमा कराने की छूट प्रदान की गई हुई थी।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(313) नविवि/3/2011 पार्ट

निदेशक स्थानीय निकाय विभाग,

राजस्थान, जयपुर

सचिव

जयपुर/जोधपुर/अजमेर

विकास प्राधिकरण।

सचिव,

नगर विकास न्यास,

अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर,

श्रीगंगानगर, आबू, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाढ़मेर, सीकर, पाली, सराइमाधोपुर।

जयपुर, दिनांक 24 मार्च, 2021।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

मुख्य नगर नियोजक

नगर नियोजन विभाग

जयपुर

मुख्य नगर नियोजन (एन.सी.आर)

नगर नियोजन विभाग, जयपुर

विषय : - अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रित सम्पत्ति के नियमन के सम्बन्ध में।

नगरीय विकास न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल द्वारा भूखण्ड आवंटन एवं नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाते हैं। उनकी लीज-डीड (पट्टा) जारी होने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों से बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों में अंतिम क्रेता के पक्ष में लीज-डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प.4(2) वित्त/कर/2021-273 दिनांक 24.02.2021 अनुसार की जा सकती है।

नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि का अपंजीकृत दस्तावेजों द्वारा बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों में अंतिम क्रेता के पक्ष में लीज-डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प.4 (2) वित्त/कर/2021-273 दिनांक 24.02.2021 अनुसार की जा सकती है।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

Government of Rajasthan
Finance Department
(Tax Division)
Notification

Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No : 14 to 1999) and in suspension of this department's notification numbers F.2(55)FD/Tax/2012-33 dated 12.07.2012, F.4 (3)FD/Tax/2018-188 dated 12.02.2018, F.4(3)FD/Tax/2017-113 dated 08.03.2017, F.2(37)FD/Tax/2010+-125 dated 08.03.2011, F.4(4)FD/Tax/2020-126 dated 20.02.2020 and F.4(4)FD/Tax/2020-127 dated 20.02.2020, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

S.No.	Description of instrument	Stamp Duty
1	2	3
1.	The lease deed of residential site allotted under the Indira Awaas Yojana and Mukhymantri Gramin B.P.L. Awas Yojana	Nil
2.	The lease deed or allotment order issued by the Gram Panchayat under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj. Rules, 1996	Rs. 100
3.	The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 (Act No. 20 to 1961)	Rs. 100
4.	The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Slum Development Policy-2012	Rs. 100
5.	The lease deed/sale deed issued/executed under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana for- (i) dwelling units for Economically Weaker Section (ii) dwelling unit for Low Income Group	0.5% of consideration amount 1% of consideration amount

6.	The lease deed issued/executed under the Rajasthan Township Policy-2010. (i) in case of first allotment of plot for residential, institutional, industrial, tourism unit, etc. (ii) in case of first allotment of plot for commercial purpose	at the rate of conveyance on 4 times of the residential conversion charges. at the rate of conveyance on 8 times of the residential conversion charges.
7.	The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.	at the rate of conveyance on the amount of premium, development charges, conversion, charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any and the average amount of the rent of two years.
8.	The lease deed (not covered under any category specified at serial number 1 to 7 above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.	at the rate of conveyance on the amount of premium and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years.
9.	Any lease deed covered by serial number 2 to 8, submitted for registration after revalidation:	120% of the stamp duty payable on the original lease deed.

- Note :-
1. In case of lease deed/sale deed issued/executed under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 or the Rajasthan Government Grants Act, 1961 or the Rajasthan Slum Development Policy-2012 or the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana or the Rajasthan Township Policy 2010, the allottee shall to the satisfaction of the Registration Officer that the lease deed/sale deed has been issued/executed under such Act, Rules, Yojana or Policy, as the case may be.
 2. This notification shall be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No. F.A(2)FD/Tax/2021-272]
Be order of the Governor

(Tina Dabi)
Joint Secretary of the Government

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी, 24, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(55)वित्त/कर/2012-33 दिनांक 12.07.2012, प.4(3)वित्त/कर/2018-188 दिनांक 12.02.2018, प.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.03.2017, प.2 (37)वित्त/कर/2010-125 दिनांक 08.03.2011, प.4(4)वित्त/कर/2020-126 दिनांक 20.02.2020 और प.4(4)वित्त/कर/2020-127 दिनांक 20.02.2020 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथानिविर्दिष्ट दर से प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख	कोई नहीं
2.	राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश	100 रुपये
3.	राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश	100 रुपये
4.	राजस्थान स्लम डबलमैट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश	100 रुपये
5.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय विलेख:- (i) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां (ii) निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइयां	प्रतिफल की रकम का 0.5 प्रतिशत प्रतिफल की रकम का 1 प्रतिशत
6.	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख - (i) आवासीय, संस्थानिक, औद्योगिक, पर्यटन इकाई इत्यादि के लिए भू-खण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में।	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 4 गुना पर हस्तानाण की दर से।

	(ii) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 8 गुना पर हस्तान्तरण की दर से।
7.	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के सम्बन्ध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख। प्रीमियम की रकम, विकास, प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदर्भ अन्य प्रभार और दो वर्ष के किराये की औसत रकम या हस्तान्तरण की दर से।
8.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवंटित या उनके द्वारा विकीर्त भूमि के सम्बन्ध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 7 में विविर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)। प्रीमियम की रकम और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदर्भ अन्य प्रभार और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर हस्तान्तरण की दर से।
9.	क्रम संख्यांक 2 से 8 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख जो पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो। मूल पट्टा विलेख पर सदैय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत

- टिप्पणी: 1. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 या राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 या राजस्थान स्लम डबलपर्मेट पॉलिसी-2012 या मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन जारी/निष्पादन पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के मामले में आवंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करेगा कि पट्टा विलेख/विक्रय विलेख ऐसे अधिनियम, नियम योजना या यथास्थिति, पॉलिसी के अधीन जारी/निष्पादित किया गया है।
2. यह अधिसूचना, निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलकटर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर लागू होगी किन्तु पूर्व में संदर्भ स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(प.4(2) वित्त/कर/2021-272)
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

Government of Rajasthan
Urban Development and Housing Department

No.F.17(22)UDH/Rules/2020

Jaipur, Date 17 SEP 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (xi-a) of sub-section (2) of section 261 read with section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), section 54-B and 95 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), section 49 and 91 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), section 49 and 91 of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013) and section 60 and 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) and section 71 and 337 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agriculture Purposes and Allotment) Rules, 2012, and orders with reference to proviso to sub-section (2) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) that the previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government, in public interest, considers that they should be brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) (Second Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 4.- In sub-rule (1) of rule 4 of the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012, hereinafter referred to as the said rules,-

- (i) at the end in clause (viii); for the existing expression "(vii).", the expression "(vii):" shall be substituted; and
- (ii) after clause (viii), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that where a survey has been conducted and a detailed lay-out plan of a developed colony has been already prepared by the Local Authority either on its own motion or on request made by any of the plot holder or Vikas Samiti, in such cases presenting of documents mentioned in clause (v), (vi) and (vii) of this sub-rule shall not be required with the application submitted under this sub-rule.

Explanation: For the purpose of this sub-rule 'Developed colony' means a colony where one dwelling units/boundary walls have been constructed on minimum ten percent plots of the total plots of lay-out plan of colony."

4. Amendment of rule 9.- In first proviso to sub-rule (2) of rule 9 of the said rules, for the existing expression "fifteen percent per annum", the expression "nine percent per annum" shall be substituted.

5. Insertion of new rule 9A.- After rule 9, so amended and before the existing rule 10 of the said rules, the following new rule 9A shall be inserted, namely :-

"9A. Fine under proviso to sub-section (5) of section 90A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.- The amount of fine payable under proviso to sub-section (5) of section 90A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 shall be such as may be notified by the State Government, from time to time."

6. Amendment of rule 16.- In proviso to sub-rule (2) of rule 16 of the said rules, for the existing expression "fifteen percent per annum", the expression "nine percent per annum" shall be substituted.

7. Amendment of rule 20.- After the existing last proviso to sub-rule (1) of rule 20 of the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided also that in case of group housing, flats, institutional, commercial, industrial plots or plots under township policy, one time deposition of urban assessment shall be mandatory."

8. Insertion of new rule 23-B and 23-C.- After the existing rule 23-A and before the existing rule 24 of the said rules, the following new rule 23-B and rule 23-C shall be inserted, namely:-

"23-B. Extension of tenure of lease granted under other rules.- In case if the land has been allotted on lease hold basis for a period upto thirty years for any non-agricultural purpose under any rules made under the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 before commencement of the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) (Second Amendment) Rules, 2021 and period of such lease has not expired and annual payment due have been deposited, allottee of such land shall be entitled to get the extension of lease period upto the remaining period left to make it 99 years in all, by the local authority with prior permission of the State Government, on payment of an amount equal to the premium as specified in rule 9:

Provided that in case if the land has been allotted for five years as initial period of lease, the lease may be extended at the option of the allottee for five years at a time on payment of an amount equal to the premium as specified in rule 9.

Provided further that extension of lease period shall be allowed only if it is permissible in accordance with the law applicable in the area and is in consonance with the master plan.

Provided also that in case if the lease period has expired and lessee has not applied for extension of lease period before expiry of such lease period, application for extension of lease period may be considered, if lessee deposits late fee amount equal to 10% of premium as specified in rule 9.

23-C. Status of land on the expiry of the lease period.- The land allotted for any non-agricultural purpose, under these rules or any other rules, shall revert free from all encumbrances to the local authority on the expiry of the lease period."

9. Amendment of rule 26.- The existing sub-rule (1) of rule 26 of the said rules shall be substituted by the following, namely :-

"(1) if a person in whose favor lease deed or free hold patta of independent plot or other plot is issued under these rules, has not constructed one dwelling unit/commercial unit as the case may be, in case of independent plot or in case of other plot such as for group housing, flats, institutional purposes, commercial purposes etc has not constructed 1/5 of maximum ground coverage of plot area within seven year from the date of issue of lease deed of independent plot or other plot, as the case may be, he shall be liable to pay levy at the following rates :-

(a) in case of lease hold patta:

S.N.	Period of non construction	Levy
1.	0 to 7 years	Nil
2.	after 7 years and upto 14 years	1% per year of the residential price (four times of premium) of the area prevailing at the time of allotment/regularization of land.
3.	after 14 years and upto 20 years	2% per year of the residential price (four times of premium) of the area prevailing at the time of allotment/regularization of land.
4.	after completion of 20 years, the Trust shall issue a notice to the allottee to complete the construction within a period of 2 years.	2.5 % per year of the residential price (four times of premium) of the area prevailing at the time of allotment/regularization of land.
5.	after completion of 22 years	Lease deed shall automatically stand cancelled.

(b) in case of free hold patta:

S.N.	Period of non construction	Levy
1.	0 to 07 years	Nil
2.	after 07 years and upto 14 years	0.50 % per year of the residential price (four times of premium) of the area prevailing at the time of allotment/regularization of land.
3.	after 14 years and upto 20 years	1 % per year of the residential price (four times of premium) of the area prevailing at the time of allotment/regularization of land.
4.	after completion of 20 years, the trust shall issue a notice to the allottee/lessee to complete the construction within a period of two years	2 % per year of the residential price (four times of premium) of the area prevailing at the time of allotment/regularization of land.
5.	after completion of 22 year	Free-hold patta shall automatically stand cancelled.

Provided that the Trust may, if satisfied that some minimum facilities of electricity, water and approach road are not available in the area, exempt from payment of levy for non-construction.

Provided further that the Trust may, on application of lessee/allottee/patta holder, regularise and restore such cancelled lease/patta with the approval of the State Government, if such land has not been allotted to any other person and lessee is prepared to pay an additional levy at the rate of 2.5% and free hold patta holder is prepared to an additional levy at the rate of 2% per year of the residential price at the time of allotment/regularisation in addition to levy payable for 22 years.

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),-

- (i) in case of any vacant plot where rain/waste water or garbage gets accumulated, a notice of fifteen days shall be given to such plot holder to remove such accumulated rain/waste water or garbage within a period specified in the notice, if he fails to comply with the notice, the allotment of such plot shall be cancelled; and
- (ii) in case of a Group Housing/Township Scheme where developer/khatedar has obtained lease-deed/free-hold patta of individual plots for sale, he and his transferee shall not be liable for payment of levy specified in sub-rule (1) for a period of 14 years from the date of issue of lease-deed/free-hold patta in favour of the developer/khatedar.

10. Amendment of rule 28.- In rule 28 of the said rules, for the existing expression "fifteen percent", the expression "nine percent" shall be substituted.

By order of the Governor,

(Maneesh Goyal)
Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.17(1) नविवि/अभियान/2021

दिनांक:- 20 SEPT 2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 के अन्तर्गत दिनांक 15.09.2021 से तैयारी कैम्प लगाये जाने हैं, जिन में निकाय द्वारा स्वीकृत योजना, स्वीकृत मास्टर प्लान, जोनल डबलपैमेंट प्लान, सैकटर प्लान, लै—ऑफट प्लान, आवेदन—पत्र, दर आदि की जानकारी आमजन को दी जानी है। इन कैम्पों में पट्टे देने की तैयारी की जानी है। कैम्पों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर, मांग पत्र जारी कर तथा राशि जमा करवाकर पट्टे तैयार किये जावे। पट्टों के प्रारूप www.shahar2021.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है। ताकि 02 अक्टूबर को मुख्य अभियान प्रारम्भ के प्रथम दिवस को ही अधिक से अधिक पट्टे जारी किये जा सके।

1. ऐसी कृषि भूमि जिनका पूर्व में ले—आउट प्लान स्वीकृत है के संबंध में—

- (i) वर्ष—2011 की जन गणना अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में अस्वीकृत कॉलोनीओं के पट्टे जोनल प्लान स्वीकृत होने के पश्चात ही दिये जाने हैं परन्तु जिन योजनाओं के ले—ऑफट प्लान पूर्व में ही स्वीकृत हैं। उन्हें कमिन्टमेन्ट मानते हुये जोनल प्लान में समायोजित किया जाना है। अतः पूर्व स्वीकृत योजनाओं में पट्टे आदेश दिनांक 15.01.2021 के अनुसार दिये जा सकते हैं।
- (ii) कृषि भूमि पर बसी हुई 17.06.1999 से पूर्व / पश्चात की स्वीकृत योजनाएँ जिन में 90—बी की अनुज्ञा है उनमें 90—बी की निर्धारित दरों, 17.06.1999 से पूर्व की योजनाएँ जिन में 90—ए की अनुज्ञा हो गई हैं उनमें अधिसूचना 31.07.2012 की निर्धारित दरों, दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की योजनाएँ जिनमें 90—ए की अनुज्ञा हो गई हैं उनमें अधिसूचना दिनांक 13.02.2020 की निर्धारित दरों से राशि ली जावे। दिनांक 15.09.2021 से अभियान अवधि में प्रथम कैम्प से 15 प्रतिशत ब्याज देय नहीं होगा, यदि पूर्व में मांग—पत्र जारी किया हुआ है किन्तु राशि जमा नहीं हुई है तो वर्तमान दर से (बिना ब्याज के) पुनः मांग—पत्र जारी किया जावे।
- (iii) दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की स्वीकृत योजनाओं में भूखण्डों का अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर जितनी भी बार विक्रय हुआ है अन्तिम क्रेता से प्रीमियम दर की 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर अन्तिम क्रेता को आदेश दिनांक 11.02.2020 के अनुसार पट्टे दिये जावे।
- (iv) दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की स्वीकृत योजनाओं में भूखण्डों का पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रय होने पर प्रीमियम दर की 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर कितनी ही बार विक्रय हुआ हो प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त लेकर अन्तिम क्रेता को आदेश दिनांक 11.02.2020 के अनुसार पट्टे दिये जावे।
- (v) स्वीकृत योजनाएँ जिन में खसरा सुपरइम्पोज किया हुआ है। उनमें आवेदक के स्वामित्व भूखण्ड के खसरा नम्बर व सुपर इम्पोज के खसरा नम्बर में भिन्नता होने पर दोनों खसरों की 90—बी / 90—ए हो जाने से सुपर इम्पोज त्रुटि मानते हुये पट्टे दिये जावे।
- (vi) स्वीकृत योजनाओं में आवेदक के स्वामित्व से ले—ऑफट प्लॉन के अनुसार भूखण्ड के क्षेत्रफल वृद्धि होने पर अधिक भूमि की राशि राजकीय भूमि की दर अधिसूचना दिनांक 30.11.2017 के अनुसार ली जावे।

- (vii) स्वीकृत योजनाओं में 90—बी / 90—ए की अनुज्ञा के बाद पट्टे दिये जा चुके ऐसे भूखण्डों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर निजी विकासकर्ता की योजना में आरक्षित दर का 50 प्रतिशत एवं अन्य वसी हुई कॉलोनियों / गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में आरक्षित दर का 25 प्रतिशत से राशि लेकर अधिक भूमि का आवंटन कर पूरक लीजडीड अथवा पुशना पट्टा समर्पण करकर नया पट्टा दिया जा सकेगा।
- (viii) स्वीकृत योजनाओं में अनुमोदित ले—ऑउट के अनुसार मौके पर भूखण्डों का सृजन / निर्माण नहीं होने पर सुविधा क्षेत्र का अनुपात स्वीकृत ले—ऑउट प्लान के अनुसार रखते हुए संशोधित ले—ऑउट प्लान स्वीकृत कर पट्टे दिये जा सकते हैं।
- (ix) स्वीकृत योजनाओं में सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि उसी योजना अथवा भूमि उपलब्ध नहीं होने पर समीपवर्ती क्षेत्र में चिन्हिंकरण की जा सकती है। सुविधा क्षेत्र में कभी की पूर्ति हेतु भूखण्डधारियों से अनुपातिक फैसिलिटि सेस आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर की 25 प्रतिशत जो भी कम हो लिया जावेगा।
- (x) स्वीकृत ले—ऑउट प्लान के भूखण्ड व आवंटक द्वारा पट्टे हेतु प्रस्तुत किये गये भूखण्ड के अनुसार यदि उप—विभाजन / पुनर्गठन है तो 10/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से राशि लेकर पट्टा दिया जावे। साथ ही इस प्रकार के ले—ऑउट प्लान के उप—विभाजन / पुनर्गठन का अंकन भी प्लान में कर लिया जावे।

2. ऐसी कृषि भूमियों पर वसी कॉलोनियों जिनके सैकटर ले—ऑउट प्लान स्वीकृत किये जाने हैं।

- (i) दिनांक 17.06.1999 के पश्चात गृह निर्माण सरकारी समितियों द्वारा जारी पट्टे / आवंटन पत्र कानूनन मान्य नहीं है। निकाय में प्रस्तुत हुये ले—ऑउट प्लान अथवा स्वप्रेरणा से करवाये गये जर्वे की योजनाओं में आदेश दिनांक 06.01.2016 के बिन्दु 25 (3) (XI) के अनुसार यह सुनिश्चित किया जावे की योजना दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की है अथवा पश्चात की है। दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की योजना में 70:30 का अनुपात रखते हुए धारा 90—ए (8) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए एवं दिनांक 17.06.1999 पश्चात की योजना में 60:40 का अनुपात रखते हुए धारा 90—ए (5) व 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में जोनल प्लान के अनुसार 1 लाख तक आबादी के शहर में मास्टर प्लान के अनुसार स्थानीय एम्पार्ड समिति द्वारा ले—ऑउट प्लान स्वीकृत किये जाकर पट्टे दिये जा सकेंगे।
- (ii) कॉलोनियों में 25 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण (एक ईकाई व चार—दिवारी) होने, सुविधा क्षेत्र 30 / 40 प्रतिशत से कम होने पर प्रस्तुत प्लान व सर्वे में सृजित भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जाकर सुविधा क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्मित भूखण्डों जिनका क्षेत्रफल कम नहीं हो सकता आरक्षित दर या डी.एल.सी. दर की 25 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से 'फैसेलिटि सेस' राशि ली जाकर पट्टे दिये जा सकेंगे। इस राशि को उसी कॉलोनी में सुविधाएँ विकसित करने के लिये खर्च किया जावेगा।
- (iii) कॉलोनियों में 25 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण होने पर सुविधा क्षेत्र दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनी में 30 प्रतिशत तथा पश्चात की कॉलोनियों में 40 प्रतिशत से कम होने पर कम सुविधा क्षेत्रफल का 'फैसेलिटि सेस' सभी भूखण्डों से लेकर पट्टे दिये जावे।
- (iv) एक व एक से अधिक कॉलोनियों को समिलित करते हुये सैकटर ले—ऑउट प्लान तैयार किया जा सकता है। यदि बाहरी सीमाओं का मिलान हो जाता है तो खसरा सुपर इम्पोज करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत किये जाने वाले क्षेत्र की चारों ओर की सीमाएँ निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा।

- (v) ले—ऑउट प्लान में सरकारी भूमि समिलित होने पर उसका चिन्हीकरण कर राजकीय भूमि में स्थित भूखण्डों की राशि राजकीय भूमि की दर से लेकर पट्टे दिये जावे चिन्हीकरण नहीं होने पर सभी भूखण्डधारियों से राजकीय भूमि की अतिरिक्त राशि लेकर पट्टे दिये जावे।
- (vi) अनुपातिक तौर पर ले—ऑउट प्लान की बारों और की सीमाओं में स्थित खसरों का जमावनी के अनुसार कुल क्षेत्रफल से खसरा ट्रेस या मौके पर अधिक भूमि होने की स्थिति में अधिक भूमि की राशि राजकीय भूमि की दर से लेकर ले—ऑउट स्वीकृत कर पट्टे दिये जावे।

3. प्रोविजनल पट्टे / प्रपत्र (द) के आधार पर पट्टे देना :-

टॉउनशिप पॉलीसी—2010 के अन्तर्गत 90—ए की अनुज्ञा व ले—ऑउट प्लान स्वीकृत होने के पश्चात खोतेदार/विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत ले—ऑउट प्लान के अनुसार भूखण्डों के विक्रय हेतु जारी किये गये प्रोविजन आवंटन पत्र या प्रपत्र (द) या नॉमिनी—पत्र या असाईनी—पत्र को पंजीकृत कराने के पश्चात निकाय द्वारा फ्री—होल्ड अथवा 99 वर्षीय लीज होल्ड का पट्टा एक मुश्त 10 वर्ष/08 वर्ष की लीज राशि लेकर दिया जावे। ऐसे प्रकरणों में पंजीयन में शिथिलता की दरे अलग से जारी की जा रही है।

4. कतिपय निजी विकासकर्ताओं द्वारा कॉलोनियों का रिकॉर्ड जमा नहीं कराने वालत-

कई निजी विकासकर्ताओं द्वारा वर्षों से भूखण्ड आवंटन करने के पश्चात भी रिकॉर्ड/सूची जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा नहीं करवाये गये हैं। ऐसे भूखण्डधारियों/प्लाट धारकों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार के पास बार—बार आवेदन किया जाता रहा है। अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि ऐसे प्रकरणों में दिनांक 30.10.2021 तक निजी विकासकर्ता द्वारा नगरीय निकाय में योजना व भूखण्डधारियों का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया जाता है तो इस दिनांक के पश्चात संबंधित भूखण्डधारियों द्वारा सीधे तौर पर या विकास समिति का गठन कर (रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी) भूमि का विस्तृत ब्यौरा मय उपलब्ध दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करा दिये जायें, जिसके अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण सर्वे कर ले—आउट प्लान तैयार करेगा तथा ऐसे भूखण्डधारियों को अभियान अवधि में (दिनांक 31.03.2022 तक) पट्टे जारी किया जावेंगे। इस प्रकार की कार्यवाही जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में भी की जावेगी।

5. निकायों की योजनाओं में भूखण्ड को पट्टा देना :-

- (i) निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर पर लॉटरी से आवेटन किये गये भूखण्डों में मांग—पत्र आवंटन—पत्र के अनुसार निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराकर विलम्ब से मूल राशि जमा करवाई गई हैं किन्तु ब्याज व शास्ती की राशि जमा नहीं करवाई गई है। अभियान अवधि (दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022 तक) ऐसे प्रकरण जिनमें मूल राशि जमा है परन्तु ब्याज व शास्ती जमा नहीं है उनमें ब्याज व शास्ति में शत—प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए स्थानीय स्तर पर ही लीजडीड/पट्टा देकर कब्जा दिया जावे।
- (ii) निकायों द्वारा आवंटन किये गये भूखण्डों/आवासों का निकाय द्वारा लीज—डीड जारी करने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों के द्वारा कितनी ही बार विक्रय किया गया है अंतिम क्रेता के पक्ष में लीजडीड/पट्टा दिया जावे पंजीयन में शिथिलता की दरे अलग से जारी की जा रही है।

6. अल्प आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, उच्च आय वर्ग (EWS/LIG/MIG-A/MIG-B/HIG) के आवासों में ब्याज पैनलटी की छूट-

नगरीय निकाय व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा EWS/LIG/MIG-A आय ग्रुप के आवास/भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जिन में मूल राशि व किसी निर्धारित समय पर जमा नहीं कराने से ब्याज व पैनलटी का काफी भार बढ़ चुका है। विभागीय आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा छूट प्रदान की गई थी।

अब अभियान अवधि (दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022 तक) में निकायों व आवासन मण्डल के उक्त आवास/भूखण्ड एवं आवासन मण्डल के MIG-B व HIG के आवासों में बकाया राशि व बकाया किस्तों की राशि एक मुश्त जमा करने पर ब्याज पैनल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये स्थानीय स्तर पर ही आवंटन/लीजडीड/पट्टा दिया जावे।

7. निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुर्नग्रहण शुल्क में छूट

निकायों द्वारा जारी की गई लीजडीड/पट्टों की शर्त अनुसार निर्धारित अवधि में निर्माण करना आवश्यक है भूमि निष्पादन नियम-1974 व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 दोनों प्रकार के प्रकरणों में अभियान अवधि (दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022 तक) में लीजडीड/पट्टों में अंकित निर्माण अवधि में निर्माण नहीं करने पर निर्धारित दरों पर आदेश दिनांक 01.09.2021 के अनुसार बकाया राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देकर गणना करते हुए शुल्क लेकर निर्माण अवधि में विस्तार किया जावे।

8. लीज होल्ड से फ्री-होल्ड, नाम हस्तानान्तरण, उप-विभाजन/पुर्नगठन व भू-उपयोग परिवर्तन के नये पट्टे देने बाबत।

- (i) निकायों द्वारा जारी की गई ७७ वर्षीय लीजडीड को 10 वर्ष की एक मुश्त लीज जमा कराकर अथवा ४ वर्ष की एक मुश्त लीज जमा कराकर लीज मुक्ती प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये प्रकरणों में 2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर फ्री-होल्ड पट्टा दिया जावे। पुरानी लीजडीड को निकाय में समर्पण किये जाने पश्चात् पुरानी लीजडीड के पंजीयन का उल्लेख करते हुए नया फ्री-होल्ड पट्टा जारी किया जावे।
- (ii) निकायों द्वारा जारी की गई लीजडीड/पट्टे पश्चात् पंजीकृत विक्रय/वसीयत/गिफ्ट आदि के आधार पर अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 के अनुसार निर्धारित राशि लेकर, 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त लेकर पुराना पट्टा/लीज-डीड समर्पण कराकर फ्री-होल्ड का नया पट्टा दिया जावे। पंजीकृत विक्रय पत्रों व वसीयत के प्रकरणों में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी।
- (iii) निकाय द्वारा जारी की गई लीजडीड/पट्टे के पश्चात् भूखण्डों का उप-विभाजन/पुर्नगठन कर निर्णय लिया जाता है व उन प्रकरणों में भी पुरानी लीजडीड/पट्टा समर्पण कराकर 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज राशि लेकर नया फ्री-होल्ड का पट्टा दिया जावे।
- (iv) भू-उपयोग परिवर्तन के निर्णय पश्चात् पुराना पट्टा/लीज डीड समर्पण कराकर 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज राशि लेकर नया फ्री-होल्ड का पट्टा दिया जावे।

नोट- बिन्दु संख्या-४ के प्रकरणों में पंजीयन की दरों में शिथिलता अलग से जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि / अभियान / 2021

जयपुर, दिनांक :— 29.09.2021

आदेश

1. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 के नियम 16(2) के अनुसार 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से 90—ए (8) का निर्णय व ले—आउट स्लान स्वीकृत करने के पश्चात आमजन को पट्टा लेने हेतु आवेदन करने की सूचना जारी करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन नहीं करने पर प्रीमियम व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अन्य राशि पर ब्याज का प्रावधान है। विभागीय आदेश दिनांक 01.09.2021 द्वारा 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं व पृथ्वीराज नगर जयपुर में अभियान अवधि को प्रथम कैम्प मानते हुए सामान्य प्रिमियम दर पर व अन्य राशि वसूल कर पट्टे दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में आवेदन नहीं करने पर ब्याज वसूलने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, अतः ब्याज देय नहीं है। 17.06.1999 से पूर्व / पश्चात की कॉलोनियां जिनमें 90—ए / 90—बी की कार्यवाही हो चुकी हैं, उनमें आवेदन नहीं करने अथवा लगाये गये प्रथम कैम्प के पश्चात किये गये आवेदनों में मांगपत्र वर्तमान प्रचलित दरों पर बिना ब्याज के जारी कर राशि जमा होने के पश्चात पट्टे दिये जावे।
2. उक्त नियमों के नियम 9 में मांगपत्र प्राप्त होने की दिनांक से 90 दिवस पश्चात ब्याज देय है तथा एक वर्ष तक मांगपत्र अनुसार राशि जमा नहीं कराने पर अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त होने का प्रावधान है। अतः दिनांक 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात की कॉलोनीयों, निजी विकासकर्ता की टाउनशिप व ग्रुप हाउसिंग की योजनायें जिनमें 90—ए / 90—बी की कार्यवाही हो चुकी हैं ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें मांगपत्र जारी हो चुका है किन्तु राशि जमा नहीं हुई है उनमें अभियान अवधि (15.09.2021 से 31.03.2022 तक) में वर्तमान प्रचलित दरों पर मांग पत्र बिना ब्याज के जारी किया जाकर राशि जमा होने के पश्चात पट्टे दिये जावे।
3. कम संख्या एक व दो के समस्त प्रकरणों में संशोधित मांग—पत्र जारी कर तदनुसार राशि अभियान अवधि में आयोजित होने वाले शिविर / कैम्प से पूर्व जमा होने या शिविर / कैम्प में ही जमा कराई जाकर शिविर / कैम्प में ही जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य सभी सम्बन्धित निकायों द्वारा पट्टा दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि / 3 / 2010 पाठ-IV

जयपुर, दिनांक : 29.09.2021

परिपत्र

विषय—टाउनशिप पॉलिसी—2010 के संबंध में।

टाउनशिप पॉलिसी—2010 के अन्तर्गत आ रही समस्याओं के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णयोपचाल नियमानुसार छूट/मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है :—

1. टाउनशिप पॉलिसी—2010 में 10 हैक्टेयर से कम व अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 40 से 45 प्रतिशत क्षेत्रफल सड़क, पार्क, ओपन स्पेस व अन्य सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इसमें से न्यूनतम कमशः 15 / 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्क, ओपन स्पेस व सुविधाओं हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में जहाँ योजनाओं में हाईटेंशन लाइन अथवा मास्टर प्लान / सेक्टर प्लान की अधिक सड़कें होने पर सड़कों का क्षेत्रफल 20—22 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में हाईटेंशन लाइन के क्षेत्र की गणना भी सुविधा क्षेत्र (सड़क, पार्क व ओपन स्पेस, स्कूल हॉस्पिटल आदि) हेतु आरक्षित क्षेत्र (10 हैक्टेयर तक की योजनाओं के लिए 45 प्रतिशत तक तथा 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत तक) में की जावेगी, परन्तु न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र ओपन एरिया / पार्क हेतु लै—आउट प्लान में रखना अनिवार्य होगा।
यदि किसी परियोजना में से हाईटेंशन लाइन / ग्रीन / पैट्रोल की पाईप लाइन निकले रही है तो नियमानुसार आवश्यक मार्गाधिकार (Right of Way) को रकीम क्षेत्रफल की गणना में सम्मिलित किया जाकर ग्रीन / खुला क्षेत्र माना जा सकेगा। यदि किसी परियोजना में इस कारण 10 हैक्टेयर से कम व अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में ग्रीन क्षेत्र कमशः 5 / 10 प्रतिशत से अधिक होता है तो उतने प्रतिशत तक की सुविधा क्षेत्र में छूट दी जा सकेगी।
2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार आवासीय योजनाओं में टेलीकॉम इनकास्ट्रक्चर यथा मोबाइल टॉवर हेतु एक हैक्टेयर तक की योजना में न्यूनतम एक मोबाइल टॉवर हेतु भूमि आरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक एकड़ एवं इससे कम क्षेत्रफल की ऐसी योजनाएँ, जिसमें प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या 20 अथवा 20 से कम हो, में मोबाइल टॉवर हेतु पृथक से भूमि आरक्षित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा तथापि विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र की भूमि पर भविष्य में आवश्यकतानुसार मोबाइल टावर स्थापित किया जाना अनुज्ञय किया जा सकेगा।
3. विभागीय आदेश दिनांक 30.05.2016 के द्वारा 2 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल के एकल पट्टों के प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि नियमानुसार जमा कराने का प्रावधान है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सुविधा क्षेत्र के समतुल्य ली जाने वाली राशि आवासीय आरक्षित दर से लिया जाना सुनिश्चित करें।
4. विभागीय आदेश दिनांक 22.11.2016 अनुसार किसी प्रकरण विशेष में जहाँ किसी भी स्थिति में (पहुंच मार्ग अनुमोदित योजनाओं में से होने पर) 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध होना संभव नहीं हो तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित नगरीय निकाय अपने स्तर पर अनुमति दे सकेगा, परन्तु ऐसे पहुंच मार्ग की चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होगी।
5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ऐसी स्वीकृत टाउनशिप योजनाएँ अथवा युप हाउसिंग हेतु स्वीकृत ऐसे योजना क्षेत्र जो कि Gated Community के रूप में विकसित की जावे, में विभिन्न चौड़ाई की सड़कों एवं विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्डों पर स्पतांत्र निवास इकाई/बहुनिवास इकाई/पलेट्स आदि के भवन मुख्य सड़क की

चौड़ाई के अनुरूप भूखण्ड क्षेत्रफल पर अनुज्ञेयता के आधार पर स्वीकृत किये जा सकेंगे तथापि ऐसी योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना क्षेत्र में प्रस्तावित विकास इकाइयों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।

6. स्थानीय निकाय द्वारा कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ लपान्तरण पश्चात् निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत समर्त भू-उपयोगों के ले—आउट प्लान अनुमोदन किये जाने से पूर्व अथवा ले—आउट प्लान अनुमोदन के पश्चात् मास्टर प्लान/जोनल छवलपर्मेंट प्लान के प्रावधानानुसार किसी सङ्क के मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार के स्वामित्व की भूमि में से ले—आउट प्लान के क्षेत्र में से भूमि निःशुल्क समर्पित करवाये जाने की स्थिति में निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत किये जाने पर तदानुसार स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही निम्नानुसार की जा सकेगी:—

- i.) ले—आउट प्लान में निःशुल्क समर्पित भूमि के समतुल्य भूमि ले—आउट प्लान में प्रस्तावित विक्रय योग्य क्षेत्रफल में समायोजित कर तदानुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकेगी।

अथवा

- ii.) निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले—आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में से सङ्क के मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य EWS/LIG के निर्धारित क्षेत्रफल में छूट प्रदान की जा सकेगी।

अथवा

- iii.) निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले—आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में से सङ्क के मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्र में छूट प्रदान की जा सकेगी तथापि योजना में न्यूनतम् 5 प्रतिशत क्षेत्र ओपन एरिया/पार्क हेतु ले—आउट प्लान में रखना अनिवार्य होगा।

अथवा

- iv.) निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले—आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में से सङ्क के मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल पर देय बीएआर के समतुल्य बीएआर हेतु टीबीआर सर्टिफिकेट जारी किया जावेगा जोकि निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार की अन्य युप हाउसिंग की परियोजना में अतिरिक्त बीएआर के रूप में उपयोग में लिये जाने पर अनुज्ञा किया जा सकेगा एवं इस टीबीआर को हस्तान्तरित भी किया जा सकेगा।

अथवा

- v.) निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले—आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में से सङ्क के मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य Development Right Certificate (DRC) जारी किया जा सकेगा। उक्त डीआरसी में दर्शित भूमि के समतुल्य भूमि को निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा स्वयं की योजनाओं में अथवा अन्य विकासकर्ताओं की योजनाओं में विक्रय योग्य भूमि के क्षेत्रफल में समायोजित किया जा सकेगा।

7. एकल भूखण्ड के प्रकरणों में निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा ले—आउट प्लान के रूप में प्रस्तावित किये जाने पर पूर्व में एकल भूखण्ड हेतु समर्पित 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र को ले—आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल एवं सुविधा क्षेत्र की गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा। साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में एकल पट्टा प्रयोजनार्थ जमा कराई गई राशि का ले—आउट प्लान अनुमोदनार्थ उपरान्त समायोजन किया जा सकेगा।
8. टॉउनशिप पॉलिसी—2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 में निजी विकासकर्ता की योजनाओं में कैम्प लगाकर पट्टे देना अथवा कैम्प की दिनांक

के पश्चात् पट्टा देने पर 15 प्रतिशत की दर से व्याज लेने का कोई प्रावधान नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं कुछ अन्य निकायों द्वारा अपने स्तर पर ही उक्त कार्यवाही की जा रही है जिससे भूखण्डधारियों को परेशानी का समना करना पड़ रहा है। अतः प्राधिकरणों एवं अन्य निकायों द्वारा निजी विकासकर्ता की योजना में भूखण्डधारियों द्वारा पट्टे लेने के आवेदन करने पर बिना कैम्प व बिना व्याज के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जावें।

9. निजी विकासकर्ताओं / खातेदार की योजनाओं में टौटल-स्टेशन रार्च कर ले—आउट प्लान तैयार किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भूखण्ड का पट्टा देते समय मौका निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृत ले—आउट प्लान के अनुसार पट्टे दिये जा सकते हैं। विशेष स्थिति में सिर्फ कॉर्नर भूखण्डों की मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। अतः सभी निकायों द्वारा तदानुसार कार्यवाही की जावें।
10. निजी विकासकर्ता / खातेदार द्वारा 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों का टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अनुसार चार्ट्ड इंजीनियर द्वारा जारी किये गये अधिवास प्रमाण—पत्र के आधार पर ही रहन मुक्त किये जाने चाहिए। विशेष परिस्थितियों में 5–10 प्रतिशत प्रकरणों में अधिवास प्रमाण—पत्र की जांच करवाई जा सकती है। अतः सभी निकायों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जावें।
11. नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों के निःस्तान्तरण हेतु जारी आदेश दिनांक 08.01.2020 के अनुसार उत्तराधिकार एवं पंजीकृत / अपंजीकृत वसीयत के मामलों में एवं विक्रय पत्र या गिफ्टडील के ऐसे मामलों (जहा नगरीय निकाय से पट्टा जारी होने के बाद एक से अधिक बार हस्तान्तरण हुआ हो) में समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित करवाने की आवश्यकता है एवं अन्य मामलों में विज्ञाप्ति प्रकाशित करवाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा पंजीयन कार्यालय से क्रय—विक्रय की सूचना ऑनलाइन प्राप्त होते ही नामान्तरण वी प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश दिनांक 08.01.2020 व 20.09.2021 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत गिफ्ट, आदि के मामले में समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति की आवश्यकता नहीं है।
12. मास्टर प्लान की प्रस्तावित सङ्कों, रिंग रोड व बाइपास का डिमार्केशन / चिन्हिकरण मौके पर कराया जाना आवश्यक है ताकि आम लोगों को मौके पर प्रस्तावित सङ्कों की जानकारी हो सके तथा सङ्कों पर अवैध रूप से मकानों / कॉलोनियों का निर्माण नहीं हो सके। अतः तदानुसार स्थानीय निकायों द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जावें।
13. भवन विनियम—2020 के बिन्दु 10.2.6 (ब) (ii) व टौउनशिप पॉलिसी—2010 में 10 हैक्टेयर से अधिक के बिन्दु 5. E(a)(2), 10 हैक्टेयर तक के बिन्दु 3 (iii). (a) 2 के अनुसार रिसीट बड़े शहरों में 18 मीटर तक मध्यम / लघु शहरों में 12 मीटर पर अनुज्ञेय है। रिसीट मुख्य रूप से परिधि नियंत्रण क्षेत्र में मुख्य मार्गों से दूर स्थित होने के दृष्टिगत रखते हुए सभी शहरी / कस्तों में रिसीट हेतु च्यूनतम पहुच मार्ग 12 मीटर रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
14. टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानुसार अनुमोदित योजना के किसी भू—खण्ड पर / अनुमोदित एकल भू—खण्ड पर प्रचलित भवन विनियम—2020 लागू होने से पूर्व प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार अनुमोदित हो चुके भवन मानचित्र के प्रकरणों में पूर्व भवन विनियमों के अनुरूप किसी एक या एक से अधिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण किया जाकर उसका पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त भू—खण्डधारी / विकासकर्ता द्वारा योजना के शेष भाग में प्रस्तावित नवनिर्माण अथवा पूर्व में स्वीकृत भवन में संशोधन प्रस्तावित किये जाने पर पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी हो चुके भाग को छोड़कर शेष ब्लॉक के भवन मानचित्र वर्तमान भवन विनियम—2020 के प्रावधान संख्या 5.4 के अनुसार अनुमोदित किये जा सकेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

भू-उपयोग परिवर्तन

Government of Rajasthan
Urban Development & Housing Department

No. F. 10 (35) UDH/3/2010 Part

Jaipur, dated : 20 July, 2017

Order

In the order dated 12.01.2017 of Hon'ble High Court D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 1554/2004 Gulab Kothari V/s. State of Rajasthan and others has allowed Change in Land Use in Master Plan in larger public interest. Following activities are being included in the larger public interest for the purpose of change in landuse in Master Plan :—

“Larger Public Interest for the purpose of change in landuse in Master Plan-means any case or any activity which serve the public at large or which is in interest of the public at large including the use of land for the purpose of :—

1. Center/State Government Offices, Corporation, Boards, Public Sector Undertakings.
2. Semi Government Institutions or agencies,
3. Educational, Medical Institution,
4. Non-profit earning Charitable Trusts. Institutions and entities which are eligible for allotment of land under the State Policy for allotment of land on concessional rates,
5. Projects applied under Chief Minister Jan Awas Yojana-2015,
6. Infrastructure Projects,
7. Central/State Government Schemes like AMRUT/Smart Cities Schemes which are deemed to be to achieve the basic object there of i.e. planned development of the concerned region, city or town and not to sub-serve interest of an individual.”

But land use change for the above mentioned uses will not be allowed from various uses such as Ecological Zone, Eco-sensative Zone, Plantation Zone, Recreational Zone etc. which are restricted by the Hon'ble High Court in its decision dated 12.01.2017. For the purpose of granting change in land use in above mentioned activities of larger public interest, procedure laid down in Rajasthan Urban Areas (Change in Land use) Rules, 2010 will be followed but final order for change in landuse shall be used after the approval of State Government.

Above directions are liable to subjudice decision of pending SLP in the Supreme Court and review petition in Hon'ble High Court.

Sd/-
(R.S. Shekhawat)
Joint Secretary-I

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.10 (35) नविवि/3/2010 पार्ट

दिनांक : 24 जून, 2019

विभिन्न शहरों के नगरीय क्षेत्र की परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की आबादी के 500 मी. की परिधि में स्थित निजी कृषि भूमि पर शैक्षणिक, चिकित्सा एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए, भूमि रूपान्तरण/नियमन की कार्यवाही संबंधित न्यास/प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र (परिधि नियंत्रण पट्टी) में स्थित राजस्व ग्राम की आबादी से 500 मी. की परिधि क्षेत्र में आवासीय, शैक्षणिक, चिकित्सा, भू-उपयोग नियमानुसार अनुज्ञय होंगे:-

क्र. सं.	उपयोग	भूखण्ड क्षेत्रफल (न्यूनतम/अधिकतम)	भूखण्ड के सामने सङ्क की न्यूनतम चौड़ाई (विद्यमान अथवा प्रस्तावित)
1.	नर्सरी स्कूल	न्यूनतम-500 वर्ग मीटर अधिकतम-1000 वर्ग मीटर	9.0 मीटर
2.	प्राइमरी स्कूल	न्यूनतम-750 वर्ग मीटर अधिकतम-1500 वर्ग मीटर	9.0 मीटर
3.	सैकण्डरी स्कूल	न्यूनतम-1000 वर्ग मीटर अधिकतम-5000 वर्ग मीटर	12.0 मीटर
4.	सानियर सैकण्डरी स्कूल	न्यूनतम-1500 वर्ग मीटर अधिकतम-10,000 वर्ग मीटर	18.0 मीटर
5.	डिस्पेन्सरी	न्यूनतम-200 वर्ग मीटर अधिकतम-1500 वर्ग मीटर	9.0 मीटर
6.	तसिंग होम	न्यूनतम-750 वर्ग मीटर अधिकतम-10,000 वर्ग मीटर	12.0 मीटर
7.	हॉस्पिटल	न्यूनतम-1000 वर्ग मीटर अधिकतम-10,000 वर्ग मीटर	18 मीटर
8.	आवासीय	न्यूनतम-500 वर्ग मीटर अधिकतम-5.0 हैक्टेयर	राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 अथवा जो भी प्रचलित होने के नियमानुसार

टिप्पणी :-

- (i) उक्त क्षेत्रफल शैक्षणिक सुविधा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्ड मान्य होंगे।

- (ii) उक्त भू-उपयोग कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपानन्तरण किये जाने पर ही अनुज्ञेय होंगे तथा भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी। यदि पूर्व में किसी भूमि/भूखण्ड का अन्य प्रयोजनार्थ रूपानन्तरण पश्चात् लीज डील जारी हो चुकी है तो उक्त भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनायी जानी होगी।
- (iii) किसी पूर्व अनुमोदित आवासीय योजना/नगरीय निकाय अथवा आवासन मण्डल की योजना में आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूखण्ड पर उक्तानुसार भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जानी होगी।
- (iv) अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक भूमि होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी।
- (v) राजस्व ग्राम की आबादी के अन्तिम छोर से 500 मी. की परिधि क्षेत्र में ही उक्त उपयोग अनुज्ञेय होंगे, भूमि की स्थित 500 मी. की परिधि क्षेत्र से अधिक होने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आवश्यक होगी।
- (vi) भूमि के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के संबंध में विवाद अथवा विलम्ब होने पर प्रकरण मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को तकनीकी अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावेगा।
- (vii) वर्तमान में समस्त शहरों के जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान का कार्य प्रगति पर है। अतः तैयार किये जा रहे जोनल प्लान में उक्त अनुमोदनों को समावोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

(भास्कर ए. सावंत)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10 (35) नविवि/3/2010 पार्ट-

जयपुर, दिनांक : 12.4.2018

आदेश

विषय :- व्यापक जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

पर्यटन विभाग राजस्थान तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में पर्यटन नीति के तहत प्रस्तावित पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु किसी अन्य उपयोग से पर्यटन इकाई हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग में परिवर्तन को व्यापक जनहित (Larger Public Interest) की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर विभाग स्तर पर चर्चा उपरान्त सक्षम स्तर से किये गये निर्णयानुसार विभागीय समसंबंधक आदेश दिनांक 20.07.2017 की मिरन्तरता में पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन को व्यापक जनहित की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010) के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : 1120/एमएलसी/भरतपुर/01/2019/10826-59

दिनांक : 27 नवम्बर, 2019

आदेश

विषय : नगर पालिका अधिनियम-1959/2009 लागू होने से पूर्व की आबादी भूमि के भू-उपयोग के संबंध में नीतिगत निर्णय।

नगर पालिका/परिषद्/निगम/न्यास/प्राधिकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 157वीं बैठक दिनांक 13.11.2019 के एजेण्डा सं. 26 में नगर पालिका अधिनियम-1959/2009 लागू होने से पूर्व की आबादी भूमि के भू-उपयोग के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु नियमानुसार तथ्य नोट किये गये।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के धारा 182 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में उल्लेखित है कि

- “(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये जिसके लिये ऐसी भूमि राज्य सरकार, किसी नगर पालिका, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आवंटित या विक्रय की गई थी या किसी मास्टर प्लान योजना, जहाँ कहीं भी वह प्रवर्तन में हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा नहीं करेगा या करने की अनुज्ञेय नहीं देगा।
- (2) ऐसी किसी भूमि के मामले में जो यथापूर्वोक्त रूप में आवंटित या विक्रित नहीं की गई है और उप-धारा (1) के अन्तर्गत नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में स्थित ऐसी किसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिये ऐसी भूमि का उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व किया जा रहा था।”

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के धारा 182 के बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 लागू होने से पूर्व यदि किसी भूमि का वर्गीकरण गैरमुकिन आबादी दर्ज है एवं तत्समय भी प्रश्नगत भूमि नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित थी, उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान में अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग, प्रस्तावित किये जाने के उपरान्त भी (यथा-वाणिज्यिक, संस्थानिक, औद्योगिक आदि) गैरमुकिन आबादी अर्थात् आवासीय भू-उपयोग ही माना जावेगा।

उपरोक्त निर्णय से प्रभावित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त गैरमुकिन आबादी भूमि के संबंध में भू-उपयोग की स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित किये जाने पर भी समस्त कार्यवाही, प्रश्नगत भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग ही मानते हुए की जावेगी। यदि किसी भू-स्वामी द्वारा ऐसी भूमि का भू-उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ यथा-वाणिज्यिक, संस्थानिक आदि उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित किया जाता है अथवा मास्टर प्लान में दर्शाये अनुसार किया जाना प्रस्तावित किया जाता है तो उक्त भूमि हेतु नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आर.के. विजयवर्गीय)

मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू-उपयोग
परिवर्तन समिति, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

ब्रमांक प. 10 (35) नविवि/३/२०१०

जयपुर, दिनांक : ४.६.२०२०

आदेश

राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मास्टर प्लानों में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में जनोपयोगी सुविधाएँ यथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल व ग्रिड सब-स्टेशन इत्यादि अनुज्ञेय हैं परन्तु कुछ शहरों के मास्टर प्लानों में परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय की जा सकने वाली इन जनपयोगी सुविधाओं का वर्णन नहीं किया गया है, जिसके कारण भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः समस्त शहरों के मास्टर प्लानों में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएँ, वेयर हाउस एवं गोदाम, जनोपयोगी, सुविधाएँ यथा-सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, ठोस कचरा निस्तारण स्थल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, हानिकारक अपशिष्ट निस्तारण स्थल, ग्रिड सब-स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, पुलिस-चौकी/थाना इत्यादि सुविधाएँ अनुज्ञेय होगी एवं इसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य जनसुविधाओं से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनोज गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

ब्रमांक : प. 11 (8) नविवि/2020

दिनांक : 24 फरवरी, 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 182 संपत्ति धारा 337 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxxiv) एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा 73-ख एवं 74 की उप-धारा (1) के खण्ड (पी) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 25, 30, 40, 65 का खण्ड (सी) तथा 95, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) तथा 91 तथा अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) एवं 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए इनके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74 की उप-धारा (2) के परन्तुके प्रतिनिर्देश से यह आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोक हित में यह विचार है कि इन संशोधन नियमों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ। - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजस्थान की समस्त नगरीय निकायों के क्षेत्रों में लागू होंगे।

(3) ये नियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन। - राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2021 जिन्हे आगे उक्त नियम कहा जायेगा, में-

(i) नियम 2 के उप-नियम (1) का खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2)” के पश्चात् तथा विद्यमान अभिव्यक्ति “अभिग्रेत है” के पूर्व अभिव्यक्ति अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के संदर्भ में अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 39)“ अन्तः स्थापित की जायेगी।

(ii) नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (vii) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्

(vii) ‘भू-उपयोग परिवर्तन’ का आशाय-

(क) पट्टा/लीज-डीड में अनुमत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन:-

(i) स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग द्वारा आबादी भूमि पर भूखण्ड का जिस प्रयोजनार्थ आवंटन/लीज-डीड/पट्टा जारी किया गया है, उस अनुमत भू-उपयोग से भिन्न अन्य कोई भू-उपयोग।

(ii) अनुमत भू-उपयोग से उसी श्रेणी में अन्य भू-उपयोग।

(ख) मास्टर प्लान में अनुज्ञेय प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु

आशायित/प्रस्तावित भू-उपयोग एवं स्थानीय निकाय/सजकीय विभाग की भूमि/योजना का मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/योजना से भिन्न भू-उपयोग।”

- स्पष्टीकरण :** (i) अन्य प्रयोजन का आशय, अनुमत श्रेणी के प्रयोजन से भिन्न (कृषि भूमि प्रयोजन के अतिरिक्त) किसी भी अन्य प्रयोजन से है।
(ii) कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/योजना के अनुरूप होने पर भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
(iii) आबादी भूमि के अनुमत उपयोग से अनुमत श्रेणी में ही अन्य उपयोग हेतु आवेदन करने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। प्रस्तावित उपयोग के मानदण्ड पूर्ण होने पर विज्ञप्ति जारी कर उपयोग परिवर्तन किया जा सकेगा।
- उदाहरणार्थ :-** सिनेमा (व्यवसायिक भू-उपयोग) से व्यवसायिक श्रेणी में ही अन्य भू-उपयोग वथा पेट्रोल पम्प, होटल आदि के पैरामीटर पूर्ण होने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, तथा विज्ञप्ति जारी कर उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।
(iv) पट्टे/लीज-डीड में अनुमत उपयोग से भिन्न प्रस्तावित भू-उपयोग/मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/योजना के अनुरूप होने पर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी तथा विज्ञप्ति जारी कर प्रस्तावित उपयोग के मानदण्डों की पूर्ति होने पर पट्टे/लीज-डीड में भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।
(v) उच्च घनत्व (आवासीय/व्यवसायिक/संस्थानिक/औद्योगिक आदि) में मध्यम घनत्व (रिसोर्ट, मोटल) व निम्न घनत्व (फार्म हाउस, एम्बूजर्मेंट पार्क आदि) तथा मध्यम घनत्व में निम्न घनत्व के उपयोग प्रस्तावित होने पर भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, प्रस्तावित भू-उपयोग के भवन विनियम व अन्य मानदण्ड की पालना सुनिश्चित होने पर विज्ञप्ति जारी कर व राशि लेकर ऐसे उपयोग अनुमत किए जा सकेंगे।
(g) नियम, 2 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् निम्न नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(3) भू-उपयोग के प्रकार:-

- (i) आवासीय-स्वतंत्र आवास, बहु इकाई आवास, फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग, सर्विस अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, फार्म हाउस, पर्यावरण मैट्री हाउस, हॉस्टल।
(ii) वाणिज्यिक-फुटकर/थोक व्यापार, सामान्य वाणिज्यिक, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, पेट्रोल पम्प, सीएनजी/एलपीजी फिलिंग स्टेशन, रिटेल फ्लूल स्टेशन, विवाह स्थल/मैरिज हॉल, गैस गोदाम/केरोसीन गोदाम, धर्मकाटा, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, मिनीप्लेक्स, कॉर्पोरेट ऑफिस, लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें, व्यावसायिक (iii) परिसर/कार्यालय/होटल/बोर्डिंग एवं लॉजिंग हाउस आदि।
(iv) पर्यटन इकाई- पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट जैसे गेस्ट हाउस, होटल, मोटल, रिसोर्ट, एम्बूजर्मेंट पार्क, गोल्फ कोर्स आदि।
(v) औद्योगिक-लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योग, वेयर हाउसिंग/गोदाम।
(vi) संस्थानिक-यूनिवर्सिटी, अनुसंधान/शिक्षण/खेलकूद संस्थान, महाविद्यालय, विद्यालय, ड्राइविंग

स्कूल, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, नर्सींग होम आदि।

(vi) सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थान- सामाजिक, धर्मिक व अन्य सामुदायिक व सार्वजनिक सुविधाएँ, राजकीय कार्यालय, पुलिस थाना, पुस्तकालय, क्लब, धर्मशाला, पोस्ट ऑफिस, सभा भवन, प्रदर्शनी/कला केन्द्र आदि।

(vii) परिसंचरण सुविधाये- बस स्टैण्ड, ट्रक/टर्मिनल, सड़कें, रेलवे।"

टिप्पणी : (i) उक्त भू-उपयोग भवन नियम के अनुसार होंगे।

(ii) राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन नियंत्रण की प्रक्रिया/निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे प्रशासनिक निर्देश/परिपत्र जो इन नियमों के असंगत नहीं हो, जारी किये जा सकेंगे।

(iii) भू-उपयोग परिवर्तन के अधीन नियंत्रण हेतु ऐसे तकनीकी मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा सकेंगे, जो इन नियमों के असंगत नहीं हो।

3. नियम 3 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के नियम 3 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3. आवेदन की प्रक्रिया.- (1) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन संबंधित नगर पालिका/परिषद्/निगम के अधिकारी, आयुक्त, मुख्य कार्यालयी अधिकारी अथवा नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को प्रारूप-1 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन-पत्र के साथ निम्न शुल्क देय होगा-

(i) आवेदन पत्र शुल्क - रुपये 500/- तथा

(ii) प्रशासनिक शुल्क (भूमि क्षेत्रफल पर) - रुपये 10/- प्रति वर्गमीटर व न्यूनतम रुपये पांच हजार तथा अधिकतम रुपये पांच लाख (नॉन रिफन्डेबल)।

टिप्पणी :- राजकीय/अर्द्धराजकीय विभागों के स्वयं के स्वामित्व की भूमि के संबंध में शुल्क देय नहीं होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ,-

(i) भूमि का साइट प्लान, स्वामित्व के दस्तावेज, खसरा मैप, रंगीन गूगल मैप, सम्पर्क सड़क, पहुँच मार्ग व उसकी चौड़ाई, वर्तमान निर्माण की स्थिति का मानचित्र, प्रस्तावित भूखण्ड के आस-पास (लगभग 100-100 मीटर दोनों ओर) चल रही व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों का टोटल स्टेशन सर्वे तथा प्रस्तावित उपयोग का विवरण;

(ii) मास्टर प्लान में अंकित लैण्ड यूज व सब-यूज से अन्य यूज व सब-यूज जोनल डबलपर्मेट प्लान में यूज, आवादी भूमि होने पर स्वीकृति, ओजना के ले-आउट प्लान पर भूखण्ड की स्थिति एवं जहाँ मास्टर प्लान नहीं है वहाँ जारी किये गये पट्टे के हिसाब से भूखण्ड का वर्तमान उपयोग का विवरण;

(iii) बड़े भूखण्डों अर्थात् 20000 वर्गमीटर वा अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु आवेदन करने पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) देनी होगी जिसमें विज्ञीय संसाधन का विवरण तथा प्रोजेक्ट क्रियान्विति का टाइम-शेड्यूल;

(iv) संबंधित निकाय के पक्ष में यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि आवेदित भूमि/भवन भार मुक्त और अविवादित है तथा आवेदक द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन में किसी तथ्य को नहीं छिपाया गया है। यदि भविष्य में कभी अण्डरटेकिंग गलत पायी गयी तो उसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

संहारन करना होगा।

4. नियम 5 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमों के नियम 5 का निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“5 समितियों का गठन।— भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर विचारण के उन पर निर्णय निम्न समितियों द्वारा किया जावेगा:-

(क) नगर पालिका / नगर परिषद् स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति:-

- | | | |
|-----|---|------------|
| (1) | अध्यक्ष/सभापति | अध्यक्ष |
| (2) | नगर पालिका/परिषद् में पदस्थापित विधि अधिकारी/पैरोकार/विधि सहायक/
विधि सलाहकार (जैसी स्थिति हो) | सदस्य |
| (3) | नगर नियोजन विभाग का जिला/क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठतम नगर नियोजक | सदस्य |
| (4) | जहाँ नगर विकास न्यास स्थित है, न्यास अध्यक्ष/सचिव | सदस्य |
| (5) | अधिशासी अधिकारी/आयुक्त | सदस्य सचिव |

(ख) नगर निगम स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति:-

- | | | |
|-----|---|------------|
| (1) | महापौर | अध्यक्ष |
| (2) | नगर निगम में पदस्थापित निदेशक विधि/वरिष्ठ विधि अधिकारी/मुख्य
विधि सहायक/विधि सहायक/पैरोकार/विधि सलाहकार (जैसी स्थिति
हो)) | सदस्य |
| (3) | संबंधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के सचिव | सदस्य |
| (4) | नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठतम नगर नियोजक | सदस्य |
| (5) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त | सदस्य सचिव |

(ग) नगर विकास न्यास स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति:-

- | | | |
|-----|---|------------|
| (1) | न्यास सचिव | अध्यक्ष |
| (2) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम
नगर परिषद्/नगर पालिका | सदस्य |
| (3) | न्यास के पदस्थापित राजस्थान विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारी/
विधि सलाहकार (जैसी भी स्थिति हो) | सदस्य |
| (4) | नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठतम नगर नियोजक | सदस्य |
| (5) | न्यास में पदस्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक (पदस्थापित नहीं होने पर
अधिकृत अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता जैसा कि न्यास
द्वारा अधिकृत किया जावे, सदस्य सचिव होंगे) | सदस्य सचिव |

(घ) जयपुर विकास प्राधिकरण / जोधपुर विकास प्राधिकरण / अजमेर विकास प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति:-

- | | | |
|-----|--------|---------|
| (1) | आयुक्त | अध्यक्ष |
| (2) | सचिव | सदस्य |

- (3) निदेशक नगर आयोजना सदस्य
 (4) निदेशक विधि सदस्य
 (5) संबंधित जॉन का उपायुक्त सदस्य
 (6) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक सदस्य सचिव
 (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जाये)।
- (इ) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति:-
- (1) शासन सचिव, प्रभारी, नगरीय विकास विभाग अध्यक्ष
 - (2) शासन सचिव, प्रभारी, स्वायत्त शासन विभाग सदस्य
 - (3) निदेशक एवं पदेन संयुक्त / उप शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के प्रकरणों हेतु) सदस्य
 - (4) संयुक्त / उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग (नगर विकास न्यास, प्राधिकरण के प्रकरणों हेतु) सदस्य
 - (5) सम्बन्धित निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/ नगर परिषद/नगर पालिका का आयुक्त/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो) सदस्य
 - (6) क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सदस्य
 - (7) मुख्य नगर नियोजक/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नगर नियोजक सदस्य सचिव
- टिप्पणी:** उक्त भू-उपयोग परिवर्तन समिति के गठन से परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक आदेश के तहत किया जा सकेगा।"
5. नियम 6 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के नियम 6 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "6. समितियों की शक्तियाँ.- (1) भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदनों से संबंधित प्रकरणों के प्रकार एवं समितियों की सक्षमता:-

क्र. सं.	भू-उपयोग परिवर्तन	भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकार	सक्षमता
1	2	3	4
1.	कृषि भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन	राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की भूमि/योजना एवं कृषि भूमि पर प्रस्तावित/आशावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डबलपर्मेट प्लान/ जोनल डबलपर्मेट प्लान/ तकनीकी मानदण्ड/ योजना से भिन्न होने पर।	राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
2.	स्थानीय निकाय/ राजकीय विभाग	(i) पट्टाशुद्ध भूखण्ड का अनुमत उपयोग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/	राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति

	<p>द्वारा जारी पट्टा/लीज डीड/आवंटित/आबादी भूमि के भूखण्ड का अनुमत उपयोग से भू-उपयोग परिवर्तन</p>	<p>जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान/ तकनीकी मानदण्ड/योजना से भिन्न होने पर।</p> <p>(ii) पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान /जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/योजना के अनुरूप है अथवा मास्टर प्लान लाए नहीं है।</p> <p>(i) नगर पालिका स्तर पर 500 वर्गमीटर/परिषद स्तर पर 1000 वर्गमीटर एवं नगर निगम/नगर विकास न्यास स्तर पर 2500 वर्गमीटर एवं विकास प्राधिकरण स्तर पर 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के प्रकरणों में स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति;</p> <p>(ii) स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की सक्षमता से अधिक क्षेत्रफल के समस्त भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति।</p>
	<p>(iii) पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग का उसी श्रेणी में अन्य उपयोग प्रस्तावित होने पर।</p>	<p>(i) नगर पालिका स्तर पर 500 वर्गमीटर /नगर परिषद स्तर पर 1000 वर्गमीटर एवं नगर निगम/नगर विकास न्यास स्तर पर 2500 वर्गमीटर एवं विकास प्राधिकरण स्तर पर 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के प्रकरणों में स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति;</p> <p>(ii) स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की सक्षमता से अधिक क्षेत्रफल के समस्त भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति।</p>

6. नियम 7 का संशोधन। - उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “जयपुर जोधपुर विकास प्राधिकरण” को अभिव्यक्ति जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. नियम 8 का प्रतिस्थापन। - उक्त नियमों के नियम 8 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“8. कोरम। - नियम 5 के अधीन गठित समितियों की बैठक का कोरम 3 सदस्यों का होगा। नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के अध्यक्ष/सभापति/महापौर की अनुपस्थिति में अधिशासी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस समिति की बैठक की आधिकारता कर सकेंगे।”

8. नियम 10 का प्रतिस्थापन। - उक्त नियमों के नियम 10 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“10. “कार्यवाही विवरण।-(1) समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अंकन इस प्रयोजन हेतु संधारित रजिस्टर में किया जायेगा तथा कार्यवाही विवरण पर सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। उक्त कार्यवाही विवरण को बेब साइट पर अपलोड भी किया जावेगा।

(2) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वामयन

शासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् ही निर्णयों का कार्यवाही विवरण जारी कर क्रियान्वित हेतु संबंधित स्थानीय निकाय को भेजा जावेगा। विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास हेतु स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का प्राधिकरण/न्यास के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् ही निर्णय का कार्यवाही विवरण जारी कर क्रियान्वित की जा सकेगी।”

9. नियम 13 का संशोधन. – उक्त नियमों के नियम 13 के उप-नियम (1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

(1) जगरीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग तथा बिना भू-उपयोग परिवर्तन करताये पट्टे में अनुमत भू-उपयोग से अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में सक्षम समिति के निर्णय के पश्चात् आवेदक से निम्नानुसार राशि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में ली जायेगी, अर्थात्-

क्र. सं.	अनुमत भू-उपयोग	परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	
			आवासीय आरक्षित दर का	जहाँ आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहाँ डीएलसी का
1.	आवासीय	व्यावसायिक	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत
		संस्थानिक	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		औद्योगिक		
		पर्यटन सुविधाएँ		
		मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग		
		उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट भू-उपयोग		
2.	मिश्रित	व्यावसायिक	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत
		आवासीय	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		संस्थानिक		
		औद्योगिक		
		पर्यटन सुविधाएँ		
		मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग		
		उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट भू-उपयोग		
3.	संस्थानिक	व्यावसायिक	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत
		आवासीय	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		औद्योगिक		
		पर्यटन सुविधाएँ		
		मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग		

		उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट भू-उपयोग		
4.	औद्योगिक	व्यावसायिक	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत
		आवासीय		
		संस्थानिक		
		पर्यटन सुविधाएँ	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग		
		उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट भू-उपयोग		
5.	पर्यटन सुविधाएँ	व्यावसायिक	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत
		आवासीय		
		संस्थानिक		
		औद्योगिक	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग		
		उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट भू-उपयोग		
6.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट भू-उपयोग	व्यावसायिक	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत
		आवासीय		
		संस्थानिक		
		औद्योगिक	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		पर्यटन सुविधाएँ		
		मिश्रित भू-उपयोग/मिश्रित उपयोग		
7.	राजकीय/अर्द्ध राजकीय विभागों हेतु मास्टर प्लान/जॉनल डबलपमेन्ट प्लान/राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में अनुशेय अथवा भिन्न भू-उपयोग परिवर्तन चाहे जाने पर			जून

परन्तु यह कि:-

- (1) व्यवसायिक उपयोग से अन्य भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित होने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा;
- (2) कल्चरी बस्ती योजनाओं में नियमन किये गये आवासीय भूखण्डों का आवासीय से भिन्न भू-उपयोग परिवर्तन अनुशेय नहीं होगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के स्तर पर इस बाबत् नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा;
- (3) राजकीय/अर्द्धराजकीय/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, राजस्थान पर्यटन नीति, कृषि आधारित उद्योग एवं प्रसंस्करण नीति, कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/गोदाम एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अधीन विधिमान्य पात्रता प्रमाण-पत्र धारक उद्यमों की स्थापना आदि व राज्य सरकार की अन्य विशिष्ट नीतियों के तहत दी गई शिथिलताएँ व छूट देय होगी;

- (4) रिसोर्ट से फार्म हाउस अथवा फार्म हाउस से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर उस उपयोग, जिसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन आशयित है, कृषि भूमि से उस उपयोग हेतु निर्धारित प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत राशि के समान राशि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में वसूल की जायेगी।
- (5) रिसोर्ट/फार्महाउस से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर कृषि भूमि से आवासीय उपयोग की प्रीमियम दर के बराबर राशि देय होगी;
- (6) रिसोर्ट/फार्महाउस से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर कृषि भूमि से आवासीय उपयोग की प्रीमियम दर के बराबर राशि देय होगी;
- (7) होटल, पेट्रोल पम्प, सिनेमा व अन्य वाणिज्यिक श्रेणी की भूमियों का भू-उपयोग एक उपयोग से अन्य उपयोग में भू-उपयोग परिवर्तन आशयित होने पर आवासीय आरक्षित का 10 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में लिया जायेगा; तथा
- (8) राज्य सरकार द्वारा किसी योजना/नीति के अन्तर्गत प्रीमियम व अन्य राशि में, दो गयी छूट के अन्तर्गत प्राप्त किये गये पट्टे/लीज-डीड/आवंटन से ऐसे भिन्न भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित होने जिन पर राज्य सरकार की कोई छूट नहीं है, उनमें भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क दोगुना देय होगा।”

10. नियम 14 का प्रतिस्थापन. – उक्त नियमों के नियम 14 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :-

“14. भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् भूमि की लीज डीड व अन्य विविध शर्तेः – (1) सक्षम समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लेने के उपरान्त बैठकों का कार्यकारी विवरण जारी होने पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आवेदकों को 30 दिवस में पट्टाशुदा भूखण्डों के मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क बी.एस.यू.पी. शुल्क व अन्य देय शुल्क जमा कराने का मांग पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। 30 दिवस में राशि जमा नहीं होने पर अगले 60 दिवस तक 15 प्रतिशत व्याज के साथ राशि जमा कराई जा सकेगी, 90 दिवस तक भी राशि जमा नहीं कराने पर भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। कृषि भूमि के मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन आदेश में यह अंकित किया जावे कि भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 90-ए का आवेदन 90 दिवस में करना आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

- (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत निर्धारित प्रीमियम एवं अन्य शुल्क तथा शर्तों के अनुसार कार्यवाही पृथक् से भी की जा सकेगी।
- (3) पट्टाशुदा मामलों में आवेदक द्वारा राशि जमा कराने एवं कृषि भूमि के मामलों में समिति के कार्यवाही विवरण जारी होने /स्थानीय निकाय को कार्यवाही विवरण प्राप्त होने के 15 दिवस में भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जावेगा।
- (4) नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182, नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 73-ख की उप-धारा (2), जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1992 की धारा 25, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 व अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत कृषि भूमि का मास्टर प्लान में एवं पट्टाशुदा भूमि का पट्टे में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन आदेश का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाये जाना आवश्यक होगा।
- (5) पट्टाशुदा भूखण्डों के मामलों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि को परिवर्तित भू-उपयोग की लीज राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी एवं भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार लीज-डीड/पूरक लीज-डीड जारी की जा सकेगी।

परन्तु यदि आवेदक द्वारा आवासीय भू-खण्ड का एक बारीय नगरीय कर (लीज राशि) जमा करवाया जा चुका है तो वाणिज्यिक या अन्य भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में केवल अन्तर की लीज राशि वसूल की जायेगी।

परन्तु यह और की वाणिज्यिक या अन्य उपयोग में आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में जमा कराई गई एक बारीय नगरीय कर (लीज) राशि वापस नहीं लौटाई जावेगी।

11. नियम 15 का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमों के नियम-15 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“15. भू-उपयोग परिवर्तन निषेध। – (1) राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंधित भूमि तथा ऐसी भूमि जो मंदिर माफी, देवस्थान विभाग या किसी विधि द्वारा स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट/धार्मिक या चैरिटेबल संस्थान, वक़फ की है या जो भूमि निर्धारित सङ्गठक सीमा, रेलवे के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है या पुरातत्व/सांस्कृतिक/ऐतिहासिक महत्व के भवन व भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(2) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से निम्न प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

- (i) ऐसी भूमि/भूखण्ड जो स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/नगर विकास न्यास, अन्य राजकीय नियंत्रण वाले मण्डल संस्थान आदि से संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित/अवाप्ताधीन हो।
- (ii) उदयपुर शहर, माउन्ट आबू की सीमा के निषेध क्षेत्र में, जैसलमेर, पुष्कर, नाथद्वारा तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों/भूमि हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंसा स्थानीय समितियों द्वारा की जाकर प्रकरण को निर्णयार्थ राज्य राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा।
- (iii) गैर वाणिज्यिक भू-उपयोग हेतु आवंटित अथवा नीलामी द्वारा निष्पादित भूमि का पट्टा राशि जारी होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि से पूर्व आवंटन अथवा नीलामी में निर्धारित भू-उपयोग से भिन्न भू-उपयोग अनुमत नहीं होगा, यदि मास्टर प्लान में दर्शाया गया भू-उपयोग चाहे गये भू-उपयोग के अनुकूल है तो 05 वर्ष की बाध्यता लागू नहीं होगी तथा प्रियोग परिस्थितियों में आवंटन अथवा नीलामी में निर्धारित भू-उपयोग से भिन्न भू-उपयोग का परिवर्तन चाहे जाने पर राज्य स्तरीय समिति की अधिशंसा पर मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा।”

12. प्रारूप-1 का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमों में संलग्न प्रारूप-1 निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्रारूप-1

आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पता :
3. भूमि का विवरण, जिसका भू-उपयोग परिवर्तन चाहा जा रहा है :
 - (i) कहाँ स्थित है
(कृषि भूमि के मामलों में मास्टर प्लान/जोनल डिवलपमेंट प्लान/भू-उपयोग प्लान में तथा आबादी भूमि में शहर का नक्शा/योजना के स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्थिति अंकित कर प्रति संलग्न करें)
 - (ii) कृषि भूमि के मामलों में खसरा नम्बर आबादी भूमि में भूखण्ड संख्या अंकित करें
(खसरा प्लान, साईट प्लान, गूगल प्लान, आवेदित भूमि के 100 मीटर की दूरी में चारों ओर की विशिष्ट स्थितियाँ एवं भू-उपयोग टोटल स्टेशन सर्वे सहित संलग्न)
 - (iii) आबादी भूमि के मामलों में भूखण्ड का पट्टा, जिसके द्वारा जारी किया गया है, उस संस्था का विवरण
 - (iv) भूमि अवाप्ताधीन है अथवा नहीं :)
 - (v) यदि आवाप्ताधीन है तो उसका विवरण

- (vi) भूमि के संबंध में कोई विवाद न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष विचारधीन हो तो उसका विवरण :
- (vii) भूमि के संबंध में यदि किसी न्यायालय का किसी प्राधिकारी द्वारा कोई स्थगन आदेश दिया हुआ है तो उसका विवरण :
(आदेश की प्रति संलग्न करें)
- (viii) भूमि का वर्तमान अनुमत भू-उपयोग :
(कृषि भूमि के मामलों में मास्टर प्लान में आवेदित भूमि का भू-उपयोग व आबादी भूमि में पट्टे में अनुमत भू-उपयोग अंकित करें।)
- (ix) चाहा जा रहा भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण :
- (x) भू-उपयोग परिवर्तन चाहे जाने का कागण।
4. यदि आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में पूर्व में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसका विवरण मय पारित आदेश (आदेश की प्रति संलग्न करें)
5. आवेदित भूमि का स्वामित्व का विवरण :
(कृषि भूमि के मामलों में जपावन्दी, बेयनामा/रजिस्ट्री का आबादी भूमि में पट्टे, रजिस्ट्री नामान्तरण आदेश वसीयत आदि स्वामित्व में दस्तावेजों की सत्य प्रति संलग्न करें। जहाँ सम्भव हो प्रोपटी आई.डी. का विवरण देवें)
6. संबंधित निकाय के पक्ष में अण्डरटेकिंग
7. आवेदन शुल्क जमा कराने का विवरण :
(आवेदन-पत्र शुल्क जमा कराने की रसीद/चालान संलग्न करें)।
दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
(मय नाम व पता)"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांक: प. 11(8) नविवि/2020

दिनांक:- 10 SEP 2021

अधिमूलना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 182 संपर्कित धारा 337 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxxiv) एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 73-ख एवं 74 उप-धारा (1) के खण्ड (पी) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 25, 30, 40, 65 का खण्ड (सी) तथा 95, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) तथा 91 अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) तथा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 74 की उप-धारा (2) के परन्तुके के प्रति निर्देश से यह आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि इन संशोधन नियमों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन - राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 10 के उप-नियम (2) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात ही निर्णयों का कार्यवाही विवरण जारी कर क्रियान्विति हेतु संबंधित स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का संबंधित प्राधिकरण/न्यास के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात ही निर्णयों का कार्यवाही विवरण जारी कर उसकी क्रियान्विति की जावेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हेतु स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा किया जाकर निर्णयों की प्रति अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं प्रभारी मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित की जावेगी।”

3. नियम 14 का संशोधन - उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) विधमान उप-नियम (1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) सक्रम समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लेने के उपरान्त बैठकों का कार्यवाही विवरण जारी होने पर जिन मामलों में भूखण्ड का उप-विभाजन (ले-आउट प्लान) स्वीकृत करवाया जाना है, उनमें उप-विभाजन की स्वीकृति हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पट्टाशुदा भूखण्डों (अकृषि भूमि) के मामलों में देय शुल्क एक मुश्त अथवा किश्तों में जमा करवाये जाने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक को कार्यवाही विवरण जारी होने के 30 दिवस में मांग पत्र जारी किया जावेगा। यदि भू-उपयोग

परिवर्तन राशि एक मुश्त मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिवस में जमा करायी जाती है तो 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। भू-उपयोग परिवर्तन राशि एक वर्ष में चार किश्तों में निम्न प्रकार जमा करवाई जा सकती:-

क्र.सं.	किश्त	राशि का प्रतिशत	अवधि (मांग पत्र जारी होने की दिनांक से)
1.	प्रथम	15%	90 दिवस
2.	द्वितीय	35%	180 दिवस
3.	तृतीय	25%	270 दिवस
4.	चतुर्थ	25%	365 दिवस
योग		100%	कुल अवधि 1 वर्ष

प्रथम किश्त (15 प्रतिशत राशि) जमा किये जाने तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (शेष 3 किश्तों) किश्तों के आगे की तारीख के (Post dated) चैक जमा किये जाने के पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जायेगा। चैक डीसर्वर्नर होने की स्थिति में विलम्ब अवधि (डीसर्वर्नर की दिनांक से) पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा एवं पांग-पत्र जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक ब्याज सहित राशि जमा करवाई जा सकती। इसके बाद भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। कृषि भूमि के मामलों में भू-उपयोग परिवर्तन आदेश में यह अंकित किया जावे कि भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 90-ए का आवेदन 90 दिवस में करना आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।”;

तथा

(ii) विधमान उप-नियम (5) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

“(5) पट्टाशुदा भूखण्डों के मामलों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से परिवर्तित भू-उपयोग की लीज राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी एवं भू-उपयोग परिवर्तन अनुसार पूर्व पट्टा समर्पण कर नयी लीज डीड़शेष अवधि हेतु अथवा 10 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर फ्री होल्ड पट्टा निष्पादित किया जा सकेगा:

परन्तु यदि आवेदक द्वारा आवासीय भू-खण्ड का एक बारीय नगरीय कर (लीज राशि) जमा करवाया जा चुका है तो वाणिज्यिक या अन्य भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में केवल अन्तर की लीज राशि वसूल की जावेगी।

परन्तु यह और की वाणिज्यिक या अन्य उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में जमा कराई गई एक बारीय नगरीय कर (लीज) राशि वापस नहीं लौटाई जावेगी।”

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोवल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 11 (8) नविवि/2020

दिनांक : 23.09. 2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :—

“भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित ऐसे समस्त प्रकरण जो कि दिनांक 31.12.2020 तक राज्य स्तरीय / स्थानीय स्तरीय समिति में प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके निर्णय जारी करने में कोरोनाकाल के कारण विलग्न हुआ है, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क दिनांक 31.12.2020 से पूर्व प्रचलित आरक्षित दर के अनुसार ही देय होगी।”

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आङ्गा से

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

उपविभाजन/पुनर्गठन

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प्र. 10 (65) नविवि/३/०४

जयपुर, दिनांक 19.2.2010

परिपत्र

शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों के उप विभाजन एवं पुनर्गठन के लिए राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975 लागू है, जिनके तहत न्यूनतम 100 वर्गगज तथा अधिकतम 1500 वर्गगज तक के आवासीय भूखण्डों के उप-विभाजन एवं पुनर्गठन का अधिकार नगरीय निकायों को प्रदत्त है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.2007 के तहत मूल भूखण्ड के 1500 वर्गगज से अधिक होने पर उप विभाजन अथवा पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

शहरों एवं कस्बों के विकसित क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय निकायों की अनुमोदत योजनाओं/निजी भूमि के अनुमोदित उप-विभाजन में स्थित भूखण्डों पर मकान बने हुए हैं, ऐसे भूखण्डों का कई हिस्सों/भागों में पंजीकृत विक्रय-पत्र/पंजीकृत पारिवारिक सहमति या बंटवारे/पंजीकृत वसीयतनामे/भेटपत्र द्वारा विक्रय/बंटवारा कर दिया जाता है। ऐसे भूखण्डों में कई बार केवल एक भाग के हित धारक द्वारा एवं एक से अधिक भागों में सभी क्रेता/हितधारियों द्वारा उप-विभाजन या पुनर्गठन हेतु आवेदन किया जाता है, ऐसे प्रकरणों के निस्तारण किये जाने हेतु उक्त राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975 में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में आ रही कठिनाई को देखते हुए, इन नियमों के तहत व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 171 आच्छादित धारा 337 के तहत निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

1. ऐसे भूखण्ड, जिनका पंजीकृत विक्रय-पत्र/बंटवारानामा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/बाल्यासनामा द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उप-विभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सेटबेक में अवैध निर्माण है तो उप-विभाजन/पुनर्गठन नहीं किया जायेगा। परन्तु अग्र सेटबेक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उसके अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगा। किसी भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन के अनुमोदन से सेटबैक में किये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदक से लिया जाना होगा।
2. भूखण्ड के उप विभाजित भाग, यदि सड़क से सीधे पहुँच नहीं होने पर उक्त भाग के लिये न्यूनतम 3.00 मी. चौड़ी एकसे स होनी आवश्यक होगी, जिसमें सेटबैक भी सम्मिलित है।
3. यदि भूखण्ड का एक से अधिक भागों में उप-विभाजन प्रस्तावित है एवं उसमें से किसी हिस्से में निर्माण योग्य क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है तो उस हिस्से का उप-विभाजन नहीं किया जाये।
4. उप विभाजित भूखण्डों के लिए अग्र सेटबैक योजना क्षेत्र होने की स्थिति में योजनानुसार तथा गैर योजना क्षेत्र होने पर आस-पास की भवन रेखा के अनुसार भवन मानचित्र समिति/सकाम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जावेंगे। उप विभाजित भूखण्डों के सैटबैक्स, कैंचाई, एफ. ए. आर. एवं आच्छादन मूल भूखण्ड के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे। परन्तु उप-विभाजन भूखण्ड का क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से कम होने पर भवन विनियम की तालिका में उक्त भूखण्ड के सम्बन्धित ऊँचाई व एफ.ए.आर. अनुज्ञा होंगे।
5. उप-विभाजित/पुनर्गठित भूखण्डों में अनुज्ञेय मानदण्डों के अनुसार यदि निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है तो इसमें किसी प्रकार की क्षुट नहीं दी जावेगी। सेटबैक का भाग अलग से विक्रय नहीं किया जायेगा एवं न ही इसका उप-विभाजन स्वीकृत किया जायेगा।
6. पंजीकृत विक्रय पत्र/पंजीकृत पारिवारिक बंटवारा/वसीयतनामे के परिणामस्वरूप यदि मूल भूखण्ड का एक से अधिक भागों

में विभाजन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उप-विभाजित किसी हिस्से का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से कम हो एवं नियमित कच्ची बस्ती के भूखण्ड के लिए 50 वर्गगज से कम हो तो ऐसी स्थिति में उस हिस्से का उप-विभाजन अस्वीकृत कर अन्य हिस्से यदि वे अन्य सभी मानदण्डों की पालना करते हों तो उनका उप-विभाजन स्वीकृत किया जा सकेगा।

7. भूखण्ड के उप विभाजन हेतु आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र/पंजीकृत पारिवारिक बैटवारा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/भेट पत्र/वसीयतनामा द्वारा जितने भागों में उप विभाजित किया गया है, उन्हें दर्शाते हुए मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
 8. पुनर्गठन हेतु दो या अधिक भूखण्डों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व होने पर संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। एक ही परिवार के खून के रिश्ते के सदस्यों की आपसी सहमति की मान्यता प्रदान की जायेगी।
 9. भूखण्डों के पुनर्गठन पर अग्र सेटबैक योजनानुसार/आस-पास की भवन रेखा के अनुसार एवं अन्य सेटबैक्स संबंधित भू-उपयोग का तालिका के अनुसार देय होंगे। पुनर्गठन के मामलों में यदि निर्मित भवन में अग्र सेटबैक या पार्किंग के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो तो पुनर्गठन में खाली भूखण्ड में प्रयोजन के लिए शर्त लगाई जा सकेगी।
 10. प्रस्तावित पुनर्गठन के भूखण्डों के मध्य में कोई सरकारी भूमि अथवा ग्रास्ता, जिसका उपयोग केवल पुनर्गठन हेतु आवेदित भूखण्डधारियों द्वारा किया जा रहा हो तो यह क्षेत्रफल भी उन भूखण्डों में सम्मिलित किया जा सकेगा, बशर्ते उस क्षेत्रफल के बाहर भूमि किसी योजना में आरक्षित की जा सके।
 11. भूखण्डों के पुनर्गठन पर मूल भूखण्ड पर देय एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. प्राप्त होने पर अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिये भवन विनियमों के प्रावधानों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैटरमेंट लेवी देय होंगी।
 12. यदि मूल भूखण्ड के तकनीकी उप-विभाजन कराने से पूर्व ही भूखण्ड को कई हिस्सों में उप-विभाजन कर पंजीकृत विक्रय-पत्र/प्रमाणित पारिवारिक बैटवारानामे/वसीयतनामे के जरिये मूल आवंटी द्वारा निषादन कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकाशनों में भूखण्ड का कानूनन हक प्राप्त व्यक्ति उप विभाजन/पुनर्गठन अनुमोदन हेतु आवेदन करने योग्य माना जावेगा।
 13. भूखण्डों के उप विभाजन/पुनर्गठन हेतु अनुमोदित किये जाने वाले भू-भाग पर निर्धारित दर से शुल्क देय होगा।
 14. भूखण्ड के मालिकाना हक के लिये निकायों द्वारा प्रदत्त आवंटन-पत्र, पंजीकृत विक्रय-पत्र/प्रमाणिक पारिवारिक बैटवारा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/भेट पत्र/वसीयतनामा आदि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 15. उप विभाजन/पुनर्गठन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अपंजीकृत बैटवारानामा, परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/वसीयतनामा होने की स्थिति में हितधारकों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जावेगा। जिनका व्यय आवेदक द्वारा बहन करना होगा। विज्ञप्ति के प्रकाशन से 7 दिवस में प्रमाण सहित प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जा सकेगा।
 16. ऐसे मूल भूखण्ड, जिनका विद्यमान उपयोग आवंटित उपयोग से भिन्न किया जा रहा हो, तो उप-विभाजन/पुनर्गठन किया जा सकेगा, परन्तु आवंटित उपयोग से भिन्न उपयोग का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक को अलग से नियमानुसार आवेदन करके निर्धारित शुल्क देय होगा।
 17. चूंकि स्वीकृत योजनाओं में सुविधाओं आदि का प्रावधान पूर्व में ही अनुमोदित होता है। अतः स्वीकृत योजना के किसी भूखण्ड (युप हाउसिंग के अतिरिक्त) का यदि उप विभाजन किया जाता है तो उस पर किसी प्रकार की सुविधा क्षेत्र आदि का अलग से प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देश (Guideline) के अनुसार ही लम्बित प्रकरणों व भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का परीक्षण

किया जाकर निस्तारण किया जावे। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.2007 के अनुसार उप-विभाजन हेतु आवेदित मूल भूखण्ड के 1500 वर्गगज से अधिक होने पर अथवा दो भूखण्डों के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों में शिथिलता की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

(गुरदयाल सिंह संधू)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10 (65) नविवि/3/04

जयपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

आदेश

कतिपय नगरीय निकायों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि “क्या स्टेट के समय जारी पट्टे पर निर्मित भवन के बंटवारा करने पर, क्या नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा परिपत्र दिनांक 19.02.2010 के प्रावधान लागू होंगे अथवा नहीं?” ऐसे प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय उपरान्त निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किये जाते हैं-

1. स्टेट के समय के जारी पट्टे की भूमि पर निर्मित भवन/सम्पत्ति के उप-विभाजन हेतु सभी हित धारकों द्वारा पार्टी डीड के आधार पर भूमि पर निर्मित भवन सम्पत्ति का बंटवारा किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रकरणों में राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975 एवं उक्त नियम के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 19.02.2010 को जारी परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः ऐसे प्रकरणों में उक्त उल्लेखित नियम व परिपत्र लागू नहीं किये जाकर निर्मित भवन-भूमि का पार्टीशन डीड के द्वारा किये गये बंटवारे का आधार मानकर उपविभाजन की कार्यवाही की जा सकती है।
2. ऐसे प्रकरणों में एकीकृत भवन विनियम-2017 (यथा संशोधित अथवा प्रचलित) के नियम सं. 5.3 (1) व (2) के क्रम में विषयाधीन स्थल शहर की पुरानी संधन आबादी का क्षेत्र होने एवं इन पुरानी संधन आबादी क्षेत्रों में सैटबैक्स एवं आच्छादन क्षेत्र के मौके अनुसार ही निर्धारण का प्रावधान किया गया है। अतः उपविभाजन पश्चात् सैटबैक आच्छादन क्षेत्र मौके की स्थिति के अनुसार यथावत ही सखा जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

**Government of Rajasthan
Urban Development & Housing Department**

No. F. 11 (9) UDH/2020 Part

Jaipur, dated : 18 Feb. 2021

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 read with section 73-A of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules, further to amend the Rajasthan Urban Areas (Sub-Division, Reconstitution and Improvement of Plots) Rules, 1975 and orders with reference to proviso to sub-section (2) of section 74 of the said Act that the previous publication of these rules is dispensed with as the State Government, in public interest, considers that they should be brought into force at once, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Rajasthan Urban Areas (Sub-Division, Reconstitution and Improvements of Plots) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with at once.

2. Amendment of rule 6.— The existing sub-rule (2) of the rule 6 of the Rajasthan Urban Areas (Sub-Division, Reconstitution and Improvement of Plots) Rules, 1975 shall be substituted by the following, namely:—

"(2) The applicant shall pay fee for sub-division, reconstitution or improvement of plots at the rate as specified in the table given below. The fee shall be calculated for the whole area of the land intended to be sub-divided, reconstituted or improved. The applicant shall enclose alongwith his application in form-I a receipt of proof of payment of fee.

Table

S.No.	Category of land	Rate for sub-division/Re-constitution/ Improvement
1	2	3
1.	Residential	Rs. 75/- Per Sq. M., subject to Maximum of Rs. 35 Lac.
2.	Commercial	Rs. 100/- Per Sq. M., subject to Maximum of Rs. 50 Lac.
3.	Institutional	Rs. 25/- Per Sq. M., Subject to Maximum of Rs. 15 Lac.
4.	Industrial	Rs. 50/- Per Sq. M., subject to Maximum of Rs. 20 Lac.
5.	Tourism Units	Rs. 25/- Per Sq. M., Subject to Maximum of Rs. 15 Lacs.

By order of the Governor,

(Maneesh Goyal)
Joint Secretary to the government

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 10(65)नविवि/3/2004 पार्ट

जब्युपुर, दिनांक : 31.08.2021

परिपत्र

नगरीय निकायों द्वारा भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन पश्चात् भवन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में भ्रांति होने पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर पत्राचार किया जाता रहा है। अतः Rajasthan Urban areas (Sub-Division Reconstitution and improvements of Plots) Rules, 1975 नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक क्रमांक प. 10(65)नविवि/3/2004 दिनांक 19.02.2010, भवन विनियम-2020, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(165)डीएलबी/16/1475 दिनांक 26.04.2017 एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र प. 10(65)नविवि/3/2004 पार्ट दिनांक 18.05.2018, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(65)नविवि/3/2004 पार्ट दिनांक 25.04.2018 में भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन के संबंध में जारी नियमों/आदेशों व परिपत्रों को समाहित करते हुए निम्नानुसार विशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं:-

1. स्थानीय निकाय की योजनाओं/कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं के प्रकरण :-

अ) उपविभाजन -

- (i) भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड पर अग्र सेट बैक मूल भूखण्ड अनुसार एवं अन्य सेटबैक मूल भूखण्ड के अनुसार अथवा योजना के भूखण्डों का उपविभाजन पश्चात् मौके पर मूल भूखण्ड का स्वरूप परिवर्तित होने की स्थिति में मौके की विद्यमान स्थिति अनुसार निर्धारित किये जा सकेंगे। उपविभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण किये जाने पर समस्तसैटबैक का निर्धारण भवन विनियम, 2020 की तालिका 4.2 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) के तहत भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के अनुरूप रखे जाने होंगे।
- (ii) अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊँचाई, बी.ए.आर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे।
- (ब) भूखण्डों का पुनर्गठन**
- (i) दो या दो से अधिक भूखण्डों का पुनर्गठन प्रस्तावित होने पर पुनर्गठित भूखण्ड में अग्र एवं पृष्ठ सेटबैक मूल भूखण्ड/योजना अनुसार रखे जाने होंगे।
- (ii) पाश्व सेटबैक पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल एवं मूल भूखण्ड अनुसार जो भी अधिक हो, रखे जाने होंगे।
- (iii) पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य भवन मानदण्डों का निर्धारण भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे।

2. गैर योजना क्षेत्रों के प्रकरण :-

अ) उपविभाजन -

- (i) मूल भूखण्ड का उपविभाजन होने पर मूल भूखण्ड पर भवन मानदण्ड/सेटबैक्स पूर्व में ही निर्धारित होने पर उपविभाजित भूखण्ड/भूखण्डों पर समस्त सैटबैक्स मूल भूखण्ड के अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे। तथापि उपविभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण किये जाने पर सैटबैक का निर्धारण भवन विनियम, 2020 की तालिका 4.2 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) के तहत भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के अनुरूप रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- (ii) अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊँचाई बी.ए.आर. आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे।

(iii) मूल भूखण्ड हेतु सैटबैक्स पूर्व में निर्धारण नहीं होने की स्थिति में सड़क पर स्थित अन्य भूखण्ड/आस-पास के भवनों की भवन रेखा के दृष्टिगत सैटबैक्स, ऊँचाई एवं अन्य भवन मानदण्ड भवन मानविक समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।

(ब) भूखण्डों का पुनर्गठन

- (i) दो या दो से अधिक भूखण्डों का पुनर्गठन प्रस्तावित होने पर पुनर्गठित भूखण्ड में अग्र सैटबैक्स मूल भूखण्ड अनुसार रखा जाना होगा। यदि मूल भूखण्ड हेतु भवन मानदण्ड/सैटबैक्स पूर्व में निर्धारित नहीं है तो सड़क पर स्थित अन्य भूखण्ड/आस-पास स्थित भवन की अनुमोदित भवन रेखा के अनुरूप अग्र सैटबैक्स का निर्धारण किया जा सकेगा।
- (ii) पाश्व एवं पृष्ठ सैटबैक्स पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे।

3. स्वतंत्र रूप से जारी एकल पट्टा एवं आवादी भूमि के प्रकरण :-

अ) उपविभाजन -

- (i) एकल भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड के समस्त सैटबैक्स मूल भूखण्ड हेतु निर्धारित सैटबैक्स अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे।
- (ii) अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊँचाई, बी.ए.आर. आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे।

ब) ले-आउट प्लान के रूप में उपविभाजन -

- (i) एकल भूखण्ड का ले-आउट प्लान के रूप में उपविभाजन की स्थिति में प्रचलित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (Above10 हैक्टेयर) के प्रावधान संख्या-5.0 (टेबल-बी) अथवा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (Up to 10 हैक्टेयर) के प्रावधान संख्या-4.0 (टेबल-ए) अथवा प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों अनुसार (पार्क, सुविधा क्षेत्र आदि सहित) ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा सकेगा। उपविभाजित भूखण्डों पर समस्त तकनीकी मानदण्ड भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार अनुरोध होंगे।
- (ii) ले-आउट प्लान में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवं नियमों की पालना प्रचलित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित किया जाना होगा।
- (iii) एकल पट्टा का स्थानीय निकाय में समर्पण किये जाने की स्थिति में उपविभाजित भूखण्डों हेतु लीजडीड/पट्टा जारी किया जा सकेगा तथा ऐसी स्थिति में उपविभाजन शुल्क के रूप में ले-आउट प्लान में संशोधन हेतु देय अनुमोदन शुल्क जमा कराया जाना होगा एवं ले-आउट प्लान में प्रस्तावित सड़क एवं सुविधा क्षेत्र स्थानीय निकाय के पक्ष में आमजन के उपयोग हेतु समर्पित किया जाना होगा। तथापि ऐसी योजनाओं को Gated community के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

सामान्य निर्देश:-

- (i) स्थानीय निकाय की योजनाओं/कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत ले-आउट प्लान के रूप में अनुमोदित योजनाओं में ROW Housing (पाश्व सैटबैक्स रहित) के रूप में स्वीकृत भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने पर पुनर्गठित भूखण्ड पर पाश्व सैटबैक्स भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन की ऊँचाई के अनुरूप निर्धारित किये जा सकेंगे। अनुमोदित योजनाओं में Detached /Semidetached (पाश्व सैटबैक्स सहित Housing के रूप में स्वीकृत भूखण्डों के पुनर्गठन किये जाने पर न्यूनतम पाश्व सैट बैक्स पुनर्गठित क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किये जा सकेंगे जो कि Detached /Semidetached भूखण्डों हेतु प्रस्तावित ऐसे सैट बैक्स के कुल योग का 50 प्रतिशत से कम नहीं होंगे।

उदाहरणार्थ-

- Detached Housing के दो भूखण्डों के दोनों पार्श्व सेट बैक्स 3.0-3.0 मीटर हैं तो दोनों भूखण्डों के पार्श्व सेटबैक्स का कुल योग 12.0 मीटर का 6.0 मीटर (न्यूनतम50 प्रतिशत) ही पुनर्गठित भूखण्ड के दोनों पार्श्व सेटबैक्स निर्धारित किये जावेगे।
- (ii) स्थानीय निकाय की योजनाओं/कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं हेतु एवं गैर योजना क्षेत्रों में भूखण्ड का क्षेत्रफल क्रमशः 1500 वर्गमीटर से अधिक होने पर उपविभाजन एवं पुनर्गठन प्रकरणों में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से स्थानीय निकाय द्वारा उपविभाजन/पुनर्गठन किया जा सकेगा।
- (iii) उपविभाजित पुनर्गठित भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने की स्थिति में प्रस्तावित भवन की ऊचाई के आधार पर न्यूनतम सेटबैक्स प्रचलित भवन विनियम के अनुसार रखे जाने होंगे।
- (iv) आवासीय उपविभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर से कम एवं व्यावसायिक उपविभाजित भूखण्ड का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (v) पुनर्गठन के ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व अनुमोदित उपविभाजन/ले-आउट प्लान/योजनाओं में प्रस्तावित एक से अधिक सम्पूर्ण भूखण्डों का लीजडीड/पटटा जारी के पश्चात समस्त लीजडीड/पटटों को समर्पित कर योजना के मध्य स्थित सडक एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि का प्रस्तावित पुनर्गठन में समायोजित किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसे समायोजन अनुज्ञेय होंगे, बशर्ते ऐसी आन्तरिक सडकों को समाप्त करने के कारण किसी अन्य का पहुँचमार्ग प्रभावित नहीं होता हो। पुनर्गठन के ऐसे प्रकरणों में सडक एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि हेतु प्रस्तावित उपयोग की आरक्षित दर पर राशि मय पुनर्गठन शुल्क जमा करायी जाने के पश्चात राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत पुनर्गठित भूखण्ड का एकल पटटा जारी किया जा सकेगा।
- (vi) ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदक द्वारा पूर्व में प्लाटेट डबलपर्मेट हेतु ले-आउट प्लान स्वीकृत कराया गया हो, परन्तु स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों का बेचान नहीं किया गया हो अथवा स्वयं के अथवा परिवार के सदस्यों के नाम लीज डीड जारी की गई है तथा ले-आउट प्लान की क्रियान्वित नहीं की गई एवं आवेदक अब ऐसी पूरी भूमि का एकल पटटा लेना चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में यदि योजना की आन्तरिक सडकों को खत्म करने के उपरान्त किसी अन्य भूखण्ड/भूमि का पहुँचमार्ग प्रभावित नहीं होता हो तो निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावें:-
- (अ) संबंधित निकाय द्वारा पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान को निरस्त किया जावेगा।
- (ब) विक्रय योग्य क्षेत्रफल के अतिरिक्त क्षेत्रफल की भूमि पर आरक्षित दर से राशि जमा करवाई जावेगी।
- (स) विकासकर्ता/आवेदक 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के एकल पटटा प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के बराबर भूमि की आरक्षित दर से राशि जमा कराये अथवा 5 प्रतिशत भूमि निःशुल्क समर्पित करेगा किन्तु 2 हैक्टेयर एवं अधिक के एकल पटटा प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र संबंधित नगरीय निकाय के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किया जावेगा। किन्तु ऐसे प्रकरणों में नगरीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि प्रस्तावित पुनर्गठन के मध्य सम्मिलित रास्ता/सडक की भूमि का योजना के अन्य भूखण्डधारियों अथवा किसी अन्य योजना के भूखण्डधारियों द्वारा पहुँचमार्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- (vii) किसी भी योजना का प्रचलित टाउनशिप पॉलिसीके तहत अनुमोदित ले-आउट प्लान में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग/लेट्स/व्यवसायिक/संस्थानिक/मिश्रित/औद्योगिक आदि किसी भी भू-उपयोग प्रयोजनार्थमें से किसी एक अथवा एक से अधिक भू-उपयोगों के बड़े क्षेत्रफल के प्रस्तावित एकल भूखण्ड/भूखण्डों का ले-आउट प्लान के रूप में विभिन्न क्षेत्रफल के छोटे भूखण्ड प्रस्तावित करते हुये उपविभाजन किए जाने पर, यदि योजना हेतु आवश्यक सुविधाएँ ले-आउट प्लान में नियोजित की जा चुकी हैं, तो टाउनशिप पॉलिसी-2010 (अथवा प्रचलित

टाउनशिप पॉलिसी) के तहत सड़क मार्गधिकार प्रस्तावित करते हुए शेष उपलब्ध भूमि का भूखण्डों के रूप में, जो भी क्षेत्रफल प्राप्त हो, के अनुरूप उपविभाजन अनुज्ञेय किया जा सकेगा। उपविभाजित भूखण्ड पर भवन मानदण्ड प्रचलित भवन विनियम अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे।

उपरोक्त परियोजनाओं में विभिन्न उपयोगों के प्रस्तावित बड़े क्षेत्रफल के एकल भूखण्ड/भूखण्डों के छोटे/विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्ड प्रस्तावित करते हुये ले-आउट प्लान में संशोधन का अनुमोदन कर पूर्व में यदि पट्टे जारी हैं तो ऐसे पट्टों को स्थानीय निकाय में समर्पण पश्चात् उपविभाजन शुल्क लिया जाकर नव सृजित भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा सकेंगे। उपविभाजन पश्चात् भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार प्रचलित भवन विनियम के तहत सभी सेट बैक्स एवं अन्य तकनीकी मानदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे।

(viii) किसी गैर योजना क्षेत्र में किसी भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्डों के अग्र, पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक मूल भूखण्ड हेतु निर्धारित सैटबैक अनुसार रखे जावेंगे तथापि 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित मूल भूखण्ड का उपविभाजन होने पर, उपविभाजित भूखण्ड यदि निम्न मानदण्डों की पूर्ति करता हो तो, चौड़ी सड़क पर स्थित मूल भूखण्ड पर अनुज्ञेय ऊँचाई ऊँचाई उपविभाजित भूखण्ड पर अनुज्ञेय की जा सकेगी-

- (अ) उपविभाजित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 व.मी. हो।
- (ब) मुख्य सड़क से न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग उपविभाजित भूखण्ड हेतु उपलब्ध हो जिसकी मुख्य सड़क से लंबवत् गहराई (Perpendicular Length) 100 मीटर से अधिक नहीं हो।
- (स) उपविभाजित भूखण्डों में न्यूनतम सेटबैक मूल भूखण्ड अथवा इन विनियमों के अनुसार, आवेदक के विकल्प पर रखे जाएंगे।
- (द) गैर योजना क्षेत्र में मूल भूखण्ड में सैटबैक/अन्य भवन मानदण्ड निर्धारित नहीं होने की स्थिति में सैटबैक एवं अन्य भवन मानदण्ड उपरोक्तानुसार भवन मानचित्र समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जा सकेंगे।
- (घ) ऐसे उपविभाजन पश्चात् संशोधित ले - आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

- (ix) ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय/बटवारानामा, वसीयतनामा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/बकरीशनामा द्वारा विभाजन किया है तो ऐसे पर विद्यमान भवन होने पर भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन अनुमोदित किया जा सकेगा। विद्यमान निर्माण में भवन मानदण्डों का उल्लंघन होने पर अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने का शपथ-पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा। भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन के अनुमोदन से भवन मानदण्डों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक से लिया जाना होगा।
- (x) उपविभाजन/पुनर्गठन भूखण्डों में भवन विनियमों में अनुज्ञेय भवन मानदण्डों के अनुसार यदि समुचित निर्मित क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है तो ऐसमें किसी प्रकार की कूट नहीं दी जावेगी। सैटबैक के भाग का स्वतंत्र रूप से विक्रय अथवा उपविभाजन/पुनर्गठन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (xi) भूखण्ड के उपविभाजन हेतु आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र/पंजीकृत परिवारिक बटवारा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/भैंट पत्र/वसीयतनामा द्वारा जितने भागों में उपविभाजन किया गया है उन्हे दर्शाते हुए मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
- (xii) पुनर्गठन हेतु दो या अधिक भूखण्डों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व होने पर संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। एक ही परिवार के खून के रिश्ते के सदस्यों की आपसी सहमति को मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (xiii) भूखण्डों के पुनर्गठन पर मूल भूखण्ड पर देय एफ.ए.आर, से अधिक एफ.ए.आर. ग्रास होने पर अतिरिक्त

एफ.ए.आर, के लिये भवन विनियमों के प्राचीनताओं अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

- (xiv) यदि मूल भूखण्ड के तकनीकी उपविभाजन करने से पूर्व ही भूखण्ड को कई हिस्सों में उपविभाजन कर पंजीकृत विक्रय पत्र/प्रमाणित पारिवारिक बटवारानाम/वसीयतनाम/के जरिये मूल आवंटी द्वारा निष्पादन कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों में भूखण्ड का कानून हक प्राप्त व्यक्ति उप विभाजन/पुनर्गठन अनुमोदन हेतु आवेदन करने योग्य माना जावेगा।
- (xv) भूखण्ड के मालिकाना हक के लिये निकायों द्वारा प्रदत्त आवंटन पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र/प्रमाणिक पारिवारिक बटवारा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/भेट पत्र/वसीयतनामा आदि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (xvi) उपविभाजन/पुनर्गठन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अपंजीकृत बटवारानाम, परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति/वसीयतनाम होने की स्थिति में हितधारकों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जावेगा। जिसका व्यय आवेदक द्वारा बहन करना होगा। विज्ञप्ति के प्रकाशन से 7 दिवस में प्रमाण सहित प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जा सकेगा।
- (xvii) ऐसे मूल भूखण्ड जिनका विद्यमान उपयोग आवंटित उपयोग से भिन्न किया जा रहा हो, तो उपविभाजन/पुनर्गठन किया जा सकेगा, परन्तु आवंटित उपयोग से भिन्न उपयोग का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक को अलग से नियमानुसार आवेदन करना होगा एवं निर्धारित शुल्क देय होगा। आवेदक द्वारा उपरोक्त के संबंध में शापथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (xviii) प्रस्तावित भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन स्थानीय निकाय द्वारा भूखण्डों के लीजडीड/पटटा जारी होने के पश्चात ही माना जावेगा। अनुमोदित ले-आउट प्लान में प्रस्तावित भूखण्डों के लीजडीड/पटटा जारी होने से पूर्व उपविभाजन अथवा पुनर्गठन किये जाने पर ऐसे प्रकरणों में ले-आउट प्लान में संशोधन माना जाकर इस संबंध में देय शुल्क लिया जाकर स्थानीय निकाय के स्तर पर ही किया जा सकेगा।
- (xix) उपविभाजन/पुनर्गठन शुल्क आवेदित भाग हेतु ही देय होगा।
- (xx) सम्पूर्ण मूल भूखण्ड के उपविभाजन/पुनर्गठन की स्वीकृति उपरांत सुजित भूखण्डों/भूखण्ड का पूर्व में जारी मूल लीजडीड/पटटा स्थानीय निकाय को समर्पित किए जाने पर संशोधित पर ले-आउट प्लान अनुसार लीजडीड/पटटा जारी किया जा सकेगा।
- (xxi) भूखण्डों का उपविभाजन किए जाने पर पुनः पुनर्गठन किए जाने पर उपविभाजन/पुनर्गठन अनुज्ञय किया जा सकेगा। तथापि ऐसी स्थिति में मूल भूखण्ड का आधार उपविभाजन से अथवा पुनर्गठन से पूर्व भूखण्डों/भूखण्ड को ही माना जावेगा।
- (xxii) न्यास/प्राधिकरण/निकायों द्वारा अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का उप-विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु नगर नियोजन विभाग द्वारा पंजीकृत वास्तुविद/नगर नियोजन विभाग से उप नगर नियोजक एवं उससे उच्चतर पद से संबंधित अधिकारी, नियमानुसार तकनीकी परीक्षण/समस्त देय राशि सम्बन्धित नगरीय निकाय कोष में जमा करवाने के पश्चात् तकनीकी अनुमोदन जारी किये जाने हेतु अधिकृत होंगे।
- उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रधान

भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन की शक्तियाँ—

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप-विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम, 1975 के अंतर्गत 1500 वर्गमीज भूखण्ड क्षेत्रफल तक के ही अधिकार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रदत्त हैं। गत अभियान में भी इस सीमा को 3000 वर्गमीज तक के भूखण्डों के उप विभाजन/पुनर्गठन के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये गये थे, उसी के अनुरूप इस अभियान अवधि में भी 3000 वर्गमीटर तक के पुनर्गठन/उप विभाजन के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये गये। (आदेश दिनांक 31.08.2021 एवं 01.09.2021)

यदि किसी निकाय द्वारा भवन मानचित्र समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो अभियान अवधि में नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आवेदित प्रकरणों का निष्पादन 30 दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा। 3000 वर्गमीज से अधिक के पुनर्गठन/उपविभाजन के प्रकरणों का निरस्तारण राज्य सरकार की पुर्वानुमति से किया जावेगा।

भवन निर्माण स्वीकृति

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प.11(9)नविवि/2020

जयपुर, दिनांक : 03 सितम्बर 2021

परिपत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के मार्गाधिकार, रेलवे सीमा से निर्धारित दूरी छोड़े जाने एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) से दूरी छोड़े जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेशों/भवन विनियमों में स्थिति स्पष्ट की गई है। उक्त प्रावधानों को निम्नानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग का मार्गाधिकार :-

- नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2019 के अनुसार “राज्य के समस्त शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राज्य मार्गों/राज्य मार्गों का मार्गाधिकार आई.आर.सी. व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार 200 फीट रखा जावे व 200 फीट सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् दोनों तरफ 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी का भी प्रावधान रखा जावे।”
अतः नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर उक्त प्रावधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
- नगरीयकरण क्षेत्र के अन्दर मास्टर प्लान में निर्धारित सड़क मार्गाधिकार के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है।
- जिन शहरों में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के बाईपास निर्मित हो चुके हैं, उन शहरों के मास्टर प्लानों में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में मौके पर हो चुके निर्माणों व स्थानीय निकायों द्वारा दी गई स्वीकृतियों के दृष्टिगत स्थापित भवन रेखा को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग की चौडाई का पुनर्निर्धारण स्थानीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान में संशोधन की प्रक्रिया के तहत किया जा सकेगा।

2. रेलवे सीमा से लगते हुये क्षेत्र में पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में:-

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.05.2018 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि रूपान्तरण/नियमन/भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में रेलवे सीमा के पश्चात् नियमन कर पट्टे जारी किये जा सकते हैं, परन्तु रेलवे सीमा से लगती हुई 30 मीटर क्षेत्र में भूमि पर निर्माण से पूर्व सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारी (Authority) को सूचित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय रेलवे वर्क्स मेनुअल 2000 के प्रावधानानुसार रेलवे सीमा से 30 मीटर की दूरी में भवन निर्माण किये जाने से 90 दिवस पूर्व रेलवे प्राधिकारी (Railway Authority) को सूचित किये जाने का प्रावधान है। अतः सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय निकाय के माध्यम से निम्न दस्तावेज रेलवे विभाग को प्रेषित किया जाना आवश्यक है:-

- Clear title of land in favour of applicant supported by all related documents.
- Detailed drawing of the building showing complete layout (including height, width and length).
- Structural stability certificate by civil/ structural engineer.

90 दिवस की अवधि में रेलवे प्राधिकारी (Railway Authority) से सम्बन्धित स्थानीय निकाय/निर्माणकर्ता को आपत्ति ग्राप नहीं होने के स्थिति में निर्माणकर्ता द्वारा रेलवे प्राधिकारी (Railway Authority) को लिखित में सूचित कर नियमानुसार निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

3. रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) की सीमा से लगते हुये क्षेत्र में निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में:-

रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापन/स्थापना की सीमा से लगते हुये क्षेत्र में निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में भवन विनियम-2020 के प्रावधान संख्या 10.6 निम्नानुसार है -

“रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) के निकट स्थानीय मिलद्वी ऑथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के सबंध में राज्य के नगरीय क्षेत्र में स्थित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही की जावेगी”

नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2020 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 18.05.2011 के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। आदेश दिनांक 18.05.2011 के अनुसार रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) की सीमा से 100 मीटर के अन्दर किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु तथा 100 मीटर से अधिक किन्तु 500 मीटर तक की सीमा में चार मंजिल से अधिक के निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : प.11(9)नविवि/2020

दिनांक : 02 सितम्बर 2021

आयुक्त,
नगर निगम, समस्त।

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण।
जोधपुर विकास प्राधिकरण।
अजमेर विकास प्राधिकरण।

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर पारिषद्/नगर पालिका,
समस्त।

सचिव
नगर विकास न्यास, समस्त।

विषय :- मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के तहत भवन मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया में सरलीकरण आबत।

उपरोक्त विषयात्तर्गत राजस्थान मॉडल भवन विनियम-2020 राज्य की समस्त नगरीय निकायों में लागू किये जा चुके हैं। उक्त भवन विनियमों में भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। उपरोक्त क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखण्डों अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित हो के भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया नियमानुसार निर्धारित की गई है:-
 - I. विनियम 6 (i) अनुसार विनियम 3.0 के अनुसार निर्धारित एस-2 चारदीवारी क्षेत्र एवं विनियम 10.4 व 10.5 के तहत निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सड़कों को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखण्डों अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित हो में भवनों का निर्माण पंजीकृत वास्तुविद्/तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित निम्न दस्तावेज निर्धारित प्रारूप अ-स में प्रस्तुत करने एवं समस्त देय राशि संबंधित निकायों में जमा कराने के पश्चात किया जा सकेगा।
 - (i) भूखण्ड के Latitude/longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन
 - (ii) लीजडीड व साइट प्लान। (स्थानीय निकाय की योजना एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी लीजडीड/पट्टा प्रकरणों के अतिरिक्त भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में लीजडीड/स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार कांउसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिकला द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)
 - (iii) साइट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या।
 - (iv) व्यवसायिक भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान दर्शाते हुए तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित पार्किंग प्लान।
 - (v) पंजीकृत तकनीकीविद् का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना किये जाने का घोषणा-पत्र। (प्रारूप-व)
 - (vi) आवेदक का शपथ पत्र (प्रारूप-अ)
 - (vii) लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद।

(viii) भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित देय राशि नगरीय निकाय के बैंक खाते में ऑनलाइन /ऑफलाइन जमा होने की रसीद।

(ix) पंजीकृत तकनीकीविद/आवेदक का भवन विनियम अनुसार देय शुल्क के संबंध में मांग पत्र (प्रारूप-द)

अतः उपरोक्त के अनुसार तकनीकीविद द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिमाण्ड नोट पत्र आवेदक को तथा एक प्रतिलिपि संबंधित नगरीय निकाय को प्रेषित किये जाने पर आवेदक को चालान जारी कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement) निर्धारित प्रारूप-य में दिया जाना सुनिश्चित करें।

नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2021 के अनुसार 500 वर्गमीटर तक का पट्टा जारी करते समय निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पट्टे के साथ भूतल + प्रथमतल की स्वीकृति जारी की जावे एवं भूतल + प्रथमतल की स्वीकृति के पश्चात् भवन विनियम के अनुसार देय अधिक मंजिलों की भवन निर्माण स्वीकृति चाहने पर पूर्व में इस मद में जमा राशि का समायोजन करते हुये अतिरिक्त अनुज्ञय निर्माण हेतु नियमानुसार राशि देय होगी।

2. 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त भू-उपयोग के भूखण्डों (1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हेतु 18 मी. की ऊंचाई) के भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया नियमानुसार निर्धारित की जाती है:-

II. विनियम 6 (ii) अनुसार 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त भू उपयोग के भूखण्डों पर विनियम सं. 19 व 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद तथा भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात् देय राशि व आवश्यक दस्तावेज एवं प्रस्तावित भवन के प्रमाणित मानचित्र आदि निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकाय में जमा कराने के पश्चात् भवन निर्माण प्रारम्भ करने हेतु डीम्ड अनुमोदित माना जा सकेगा।

- (i) भूखण्ड के Latitude/longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन।
- (ii) लीजडीड व साइट प्लान। (लीजडीड/स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार कांउसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)।
- (iii) साईट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या।
- (iv) समस्त भू उपयोग के भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान।
- (v) प्रस्तावित भवन के सभी मंजिलों के फ्लोर प्लान, सैक्षण, एलीवेशन, पार्किंग व सर्कुलेशन प्लान, फायर/ग्रीन एरिया आदि दर्शाते हुये भवन मानचित्रों का हस्तांकित मानचित्रों का सैट।
- (vi) पंजीकृत तकनीकीविद का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों को अनुपालना किये जाने का प्रमाण पत्र।
- (vii) लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद।
- (viii) भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित देय राशि नगरीय निकाय के बैंक खाते में ऑनलाइन /ऑफलाइन जमा होने की रसीद।

अतः उपरोक्त के क्रम में मुख्य नगर नियोजक राजस्थान द्वारा तकनीकीविदों के पंजीकरण के समय उपलब्ध करवाये गये निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न प्रारूप 1-18) में डिमाण्ड नोट पत्र आवेदक को तथा एक प्रतिलिपि संबंधित नगरीय निकाय को प्रेषित किये जाने पर आवेदक को चालान जारी कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार दी जाने वाली भवन मानचित्र स्वीकृति मय प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement) निर्धारित प्रारूप-य में दिया जाना सुनिश्चित करें।

3. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 4.2 सक्षम स्तर (Competent Level):-भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार {विनियम सं. 6(i) व 6(ii)} की प्रक्रिया का उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में।

- भूखण्ड क्षेत्रफल 250 व.मी. तक (बेसमेंट +भूतल+दो मंजिल) -संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक, (पदस्थापन नहीं होने पर भवन मानचित्र समिति)।
- भूखण्ड क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (बेसमेंट+भूतल+तीन मंजिल) -संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित उप नगर नियोजक, (पदस्थापन नहीं हो पर भवन मानचित्र समिति))।
- भूखण्ड क्षेत्रफल 2500 व.मी. तक (प्राधिकरण में पदस्थापित निदेशक, नगर आयोजना, नगर विकास न्यास में पदस्थापित उप नगर नियोजक (पदस्थापन नहीं होने पर भवन मानचित्र समिति) एवं अन्य समस्त नगरीय निकायों में भवन मानचित्र समिति।
- 2500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल एवं 18 मी. से अधिक ईंकाई के समस्त भूखण्डों के भवन मानचित्रों का अनुमोदन संबंधित प्राधिकरण / न्यास / नगरीय निकाय में गठित भवन मानचित्र समिति के स्तर से किया जायेगा।

अतः उपरोक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भूखण्ड क्षेत्रफल 250 व.मी. तक (बेसमेंट +भूतल+दो मंजिल) तक के प्रकरणों का निस्तारण नगरीय निकायों में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक के स्तर से एवं भूखण्ड क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (बेसमेंट+भूतल+तीन मंजिल) तक के प्रकरणों का निस्तारण नगरीय निकाय में पदस्थापित उप नगर नियोजक के स्तर से स्वीकृति दिया जाना सुनिश्चित करावे।

4. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन विनियम, 2020 के विनियम 19 एवं 20 के तहत पंजीकृत तकनीकीविज्ञ भी भवन निर्माण स्वीकृति एवं इन विनियमों के तहत अन्य स्वीकृतियाँ/प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत होंगे तथा पंजीकृत तकनीकीविज्ञ इस सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकरण संख्या व अधिकृत मोहर भी उपयोग कर सकेंगे एवं इस आधार पर सम्बन्धित भूखण्डघारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाणित माने जावेंगे।
5. यदि नगरीय निकाय से अनुमोदित मानचित्र ही अपेक्षित है, तो विनियम 4.2 के नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदन करवाया जाना होगा।
6. किसी भवन के भवन निर्माण विस्तार (अतिरिक्त तल आदि)/संशोधन हेतु पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा पूर्व निर्मित भवन के मानचित्र एवं नवीन प्रस्तावित विस्तार/संशोधन दर्शाते हुए मानचित्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती है।
7. नगरीय निकायों में सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में नगरीय निकाय में पदस्थापित सहायक अभियन्ता को सहायक नगर नियोजक एवं कनिष्ठ अभियन्ता को नगर नियोजन सहायक का कार्यभार दिया जाकर तदानुसार नियमानुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
8. किसी आवासीय भूखण्ड पर एक से अधिक ईंकाई स्वतंत्र आवासीय ईंकाई के रूप में विक्रय हेतु प्रस्तावित की जाती है, तो ऐसे भवन बहु आवासीय ईंकाई के भवन माने जायेंगे तथा बहु आवासीय ईंकाईयों हेतु विनियम 10.2.1 (स) के अनुसार मापदण्ड रखते हुए अनुज्ञय होंगे।

(मनीष गोवल)
संयुक्त शासन मंत्री-प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट मंत्री

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु भवन विनियम 6.0 (j) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मानचित्र अनुमोदन हेतु वांछित दस्तावेज की चैकलिस्ट

चैकलिस्ट (प्रारूप-अ)

क्र.सं.	विषय	संलग्न
1.	भूखण्ड के Latitude/longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन	
2.	लीजडीड व साइट प्लान (लीजडीड/स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार कांउसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)	
3.	साइट प्लान में प्रस्तावित सैटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊँचाई व मंजिलों की संख्या	
4.	भूखण्ड के वर्तमान फोटोग्राफ, आवेदक एवं तकनीकीविद के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करते हुए।	
5.	व्यवसायिक भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान दर्शाते हुए तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित पार्किंग प्लान।	
6.	पंजीकृत तकनीकीविद का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना किये जाने का घोषणा-पत्र। (प्रारूप-‘स’)	
7.	आवेदक द्वारा भवन विनियम की पालना बाबत शपथ पत्र। (प्रारूप-‘व’)	
8.	लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद।	
9.	मांग-पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा शुल्क जमा की रसीद (Self Assessment)। (प्रारूप-‘द’)	
10.	श्रमिक उपकरणगणि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1 %) जमा की रसीद।	
11.	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सैस जमा की रसीद (स्थानीय निकाय विभाग के एकसीस बैंक खाता सं. 919010091350994 द्वांच सी-स्कीम जयपुर)।	
12.	मौके पर सैटबैक में भवन विनियमों के विरुद्ध निर्माण होने की दशा में आवेदक द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण स्वयं के द्वारा हटा लिये जाने का शपथ-पत्र।	

नोट : एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों हेतु स्लिट फ्लोर की लत/पोडियम छत से अधिकतम 18 मीटर ऊँचाई तक एवं अन्य शहरों हेतु स्लिट फ्लोर की लत से/पोडियम अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई तक।

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु अवैद्यक
द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
(100/-रु. नौन ज्युडिशियल स्टाम्प पर)
(प्रारूप-ब)

शपथ-पत्र (भण्डरटेकिंग)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु वर्ष
निवासी पूरे होश हवास में शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि:-

1. यह कि प्लाट नम्बर योजना स्थित है, जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है, का वैधानिक स्वामित्वधारी हूँ, तथा भूखण्ड पर निर्विवाद मेरा कब्जा है, तथा कोई न्यायिक वाद अथवा अवासि की कार्यवाही इस भूखण्ड के संबंध में लंबित नहीं है।
2. यह कि उक्त भूमि पूर्णतया मेरे स्वामित्व की है तथा (निकाय का नाम)/राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती है और न ही भूमि आवप्त है।
3. यह कि राज्यादेश अनुसार अमिक उपकर राशि श्रम विभाग, जयपुर में नियमानुसार मेरे द्वारा जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
4. यह कि मेरे द्वारा भूखण्ड पर तहखाना खुदाई एवं निर्माण करवाया जाना है। तहखाना खुदाई व मकान निर्माण के दौरान पड़ौसी भूखण्डधारियों को किसी प्रकार की हानी एवं क्षति होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। (निकाय का नाम) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का कोई हजारी खर्चां या हानी होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
5. यह कि मेरे द्वारा भवन का निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार मापदण्ड रखते हुये (निकाय का नाम) में पंजीकृत तकनीकीविद् से तैयार करवाकर किया जावेगा भवन निर्माण में निर्धारित सैटबैक व पार्किंग का प्रावधान रखते हुये किया जावेगा। भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार वर्षा जल संग्रहण, वृक्षारोपण, ठोस कचरा निस्तारण, जलमल निकासी, अग्निशमन आदि प्रावधान रखे जावेगे।
6. यह है कि भवन विनियमों के अनुसार भवन अनुज्ञा संबंधित समस्त शुल्क मेरे द्वारा (निकाय का नाम) में जमा करवा दिया गया है, और कोई शुल्क बढ़ाया होगा तो मेरे द्वारा देय होगा।
7. यह कि मेरे द्वारा किये गये निर्माण में यदि भवन विनियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो (निकाय का नाम) उक्त उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
8. यह कि मेरे द्वारा भवन विनियमों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रुबरु तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु भवन विनियम 6.0

(i) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद् द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र

(प्रारूप-स)

घोषणा पत्र

मे..... (वास्तुविद्/तकनीकीविद् का नाम) जिनका कार्यालय पता..... में स्थित है
पूरे होश हवाश में शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता है।

1. वास्तुविद्/तकनीकीविद् पंजीयन सं.....
2. भूखण्ड स्वामी का नाम, पता एवं फोन नं.....
3. भूखण्ड जिस हेतु मानचित्र प्रमाणित किये जा रहे हैं का विवरण :-
 - (i) भूखण्ड संख्या
 - (ii) योजना का नाम
 - (iii) माप
 - (iv) क्षेत्रफल
 - (v) सड़क की चौड़ाई
4. भवन के प्रस्तावित मापदण्ड:-
 - (i) भवन के प्रस्तावित सैटब्रेक
 - अग्र
 - पाश्व प्रथम
 - पाश्व द्वितीय
 - पीछे
 - (ii) भवन की प्रस्तावित ऊँचाई
 - (iii) भौके पर यदि निर्मित भवन हो तो:-
 - (अ) प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार निर्धारित सैटब्रेक छोड़कर समस्त तलों पर किये गये निर्माण का सकल निर्मित क्षेत्रफल
 - (ब) भवन विनियमों के विपरीत सैटब्रेक क्षेत्र में किये गये निर्माण का, जिसे आवंदक द्वारा हटाया जाना है, का सकल निर्मित क्षेत्रफल
 - (vi) सभी मंजिलों का सकल निर्मित क्षेत्रफल
 - (vii) भवन के प्रस्तावित मंजिलों की संख्या व उनका प्रस्तावित उपयोग
 - (viii) सभी मंजिलों का कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल- बीएआर
 - (ix) बेटरमेट लेवी हेतु मानक बीएआर से अतिरिक्त बीएआर
 - (x) प्रस्तावित पार्किंग - कार, स्कूटर
 - (xi) ऐवाटर हार्डस्टिंग - प्रस्तावित है/ प्रस्तावित नहीं।
 - (xii) वृक्षारोपण का प्रावधान - प्रस्तावित है/ प्रस्तावित नहीं।

तकनीकीविद् के हस्ताक्षर

(पथ मोहर पंजीकरण क्रमांक के साथ)

सत्यापन

मै..... (तकनीकीविद्) यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त भूखण्ड पर भवन मानचित्र प्रचलित भवन विनियमों के तहत तैयार किये गये हैं। मानचित्र तैयार करते समय विनियमों की गलत व्याख्या नहीं की गई है एवं भवन मानचित्र तैयार करते समय एवं प्रस्तुत करते समय कोई तथ्य लुपत्या नहीं गया है। उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर तकनीकीविद्)

500 व.मी. तक के भूखण्ड अधिकार तर्फ से भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु भवन विनियम 6.0

(i) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद/आवेदन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र

मांग पत्र (प्रारूप-द)

भूखण्ड का विवरण :-

भूखण्ड संख्या
योजना का नाम
पता
भूखण्ड की माप व क्षेत्रफल

1.	प्रार्थना पत्र शुल्क आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई - मिश्रित/वाणिज्यिक -	200/- एक मुश्त 500/- एक मुश्त	
	बांच शुल्क आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई - 15/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-) मिश्रित/वाणिज्यिक - 45/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 3,00,000/-)		
2.	मानचित्र अनुभोदन शुल्क आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई - प्रस्तावित मंजिलों की संख्या X भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में X 25/- मिश्रित/वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु - प्रस्तावित मंजिलों की संख्या X भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में X 50/-		
3.	वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि भूखण्ड क्षेत्रफल 300 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक 50000/-		
4.	अतिरिक्त बीएआर हेतु बेटरमेट लेवी आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई उपयोग हेतु - आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत मिश्रित/वाणिज्यिक ~ आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत		
5.	बहुनिवास ईकाई में योजना के आधारभूत सुविधाओं के सुटूटीकरण राशि (25,000/- रु. प्रति निवास ईकाई)		
6.	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेस 50/- प्रति वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्र पर		
7.	श्रमिक उपकरण राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1%)		
8.	भवन विनियमों अनुसार मौके पर चिना अनुमति निर्मित निर्माण हेतु शास्ती (अ) भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुरूप निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (चिना स्वीकृति)) (ब) भवन विनियमों के विपरीत निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (चिना स्वीकृति) + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (धरोहर राशि))		
9.	अन्य शुल्क		
	कुल राशि		
	राशि अक्षर		

तकनीकीविद् के हस्ताक्षर

पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर स्थानीय

निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement)

(प्रारूप-य)

प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement)

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

विषय:- आवेदित भूखण्ड सं योजना (नगरीय
निकाय का नाम) हेतु प्रस्तुत भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों
की Acknowledgement बाबत।

- उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित भूखण्ड सं योजना
(स्थानीय निकाय का नाम) के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/ प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकीविद् से अनुमोदित कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा, मॉडल राजस्थान भवन विनियम- 2020 के विनियम संख्या 6(i) एवं 6(ii) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार ही किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

सक्षम अधिकारी

पदनाम

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

(जी. 3, राजपहल रेजीडेंसी एरिया, मिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, मी-स्कोम, जयपुर-302005)

टेलीफ़ोन 0141-2222403, ईमेल-siplsg407@gmail.com, वेबसाइट -www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

File No. F. 59. STP/DLB/ मॉ.रा.भ.वि.-2020 (1205)/20/401-02

दिनांक : 25.02.2021

आयुक्त,

नगर निगम, समस्त।

आयुक्त/अधिकारी अधिकारी,

नगर पारिषद/पालिका, समस्त

(आबू पर्वत व जैसलमेर को छोड़कर)

विषय : “मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020” को लागू किये जाने बाबत।

सन्दर्भ : नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 11 (9) नविवि/2020 दिनांक 16.10.2020 विभागीय आदेश क्रमांक

F.59 ST/DLB/मॉ.रा.भ.वि.-2020 ()/20/1503-04, दिनांक 26.10.2020 एवं आदेश क्रमांक 1678-80, दिनांक 27.11.2020 एवं आदेश क्रमांक 94 दिनांक 18.01.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण गतिविधियों को रेग्यूलेट किये जाने के सबध में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त नवीन मॉडल भवन विनियम “मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020” की प्रति प्रेरित कर निर्देशानुसार “राजस्थान भवन विनियम-2020” को समस्त नगरीय निकायों में लागू किये जाने हेतु नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 11 (9) नविवि/2020, दिनांक 16.10.2020 तथा विभागीय आदेश क्रमांक F.59 ST/DLB/मॉ.रा.भ.वि.-2020 ()/20/1503-04, दिनांक 26.10.2020 एवं आदेश क्रमांक 1678-80, दिनांक 27.11.2020 एवं आदेश क्रमांक 94, दिनांक 18.01.2021 अनुसार निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मॉडल भवन विनियम, 2020, दिनांक 04.03.2021 तक नियमानुसार लागू किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 04.03.2021 तक किसी नगरीय निकाय द्वारा मॉडल भवन विनियम-2020 लागू नहीं किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 337 (4) के अनुसरण में उक्त मॉडल भवन विनियम 2020, दिनांक 05.03.2021 से स्वतः लागू माने जावेंगे।

उल्लंघन आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

मवन निर्माण सम्बंधित दरें

क्र. सं.	शुल्क का प्रकार	निर्माण का प्रकार	शुल्क दर रुपये में
1.	प्रार्थना पत्र शुल्क	आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन इकाई	200/- एक मुश्त
		मिश्रित/वाणिज्यिक	500/- एक मुश्त
2.	बाँच फीस (प्रार्थना पत्र के साथ देय) भूखण्ड क्षेत्रफल पर	आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन इकाई	15/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-)
		मिश्रित/वाणिज्यिक	45/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 3,00,000/-)
3	मानचित्र अनुमोदन शुल्क (अनुमोदित मानचित्र जारी करने से पूर्व देय)	500 व.मी. क्षेत्रफल तक के आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन इकाई भूखण्ड हेतु	प्रस्तावित मंजिलों की संख्या X भूखण्ड का क्षेत्रफल व मी. में X 25/- (उदाहरण-200 व.मी. के भूखण्ड पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि 3 X 200 X 25 = 15000/-)
		500 व.मी. क्षेत्रफल तक के मिश्रित/वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु	प्रस्तावित मंजिलों की संख्या X भूखण्ड का क्षेत्रफल व मी. में X 50/- (उदाहरण 200 व. मी. के भूखण्ड पर भू-तल व दो मंजिल प्रस्तावित होने पर राशि 3 X 200 X 50 = 30000/-)
		500 व. मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्र पर निम्न शुल्क देय होगा- के आधार (1) आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक भूखण्ड हेतु	50/- प्रति वर्ग मी
		(2) मिश्रित/वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु	75/- प्रति वर्ग मी.
		पर्यटन इकाई एवं फार्म हाउस के लिए अनुमोदन शुल्क सकल निर्मित क्षेत्रफल पर	50/- प्रति वर्गमीटर

4	शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाएं (BSUP shelter fund)	बहुमंजिले भवन (18 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन)	
		मिश्रित/वाणिज्यिक	सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 25/- प्रति वर्गमीटर
		आवासीय/संस्थागत/ऑद्योगिक/फार्म हाउस	सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 10/- प्रति वर्गमीटर
		उपविभाजन/पुनर्गठन के प्रकरणों में समस्त उपयोग के भूखण्ड पर शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधा (बी.एस.यू.पी.) हेतु देव शुल्क	25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। (आवेदित भूखण्ड के संपूर्ण क्षेत्रफल पर)
5	वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि (रिफन्डेबल) भवन (18 मीटर ऊँचाई तक) समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु	भूखण्ड (300 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक)	50000/- रुपये
		भूखण्ड (500 से अधिक व 750 वर्गमीटर तक)	75000/- रुपये
		भूखण्ड (750 से अधिक व 2500 वर्ग-मीटर तक)	1 लाख
		भूखण्ड (2500 से अधिक व 4000 वर्गमीटर तक)	2 लाख
		भूखण्ड (4000 से अधिक व 10000 वर्गमीटर तक)	3 लाख
		भूखण्ड (10000 वर्गमीटर से अधिक)	5 लाख
6	वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि (रिफन्डेबल) भवन (18 मीटर ऊँचाई से अधिक ऊँचाई के) समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु	भूखण्ड (750 से अधिक व 2500 वर्गमीटर तक)	2 लाख
		भूखण्ड (2500 से अधिक व 4000 वर्गमीटर तक)	4 लाख
		भूखण्ड (4000 से अधिक व 10000 वर्गमीटर तक)	6 लाख
		भूखण्ड (10000 वर्गमीटर से अधिक)	10 लाख
7	बेटरमेंट लेवी	आवासीय/संस्थागत/ऑद्योगिक/पर्यटन इकाई उपयोग हेतु	आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत
		मिश्रित/वाणिज्यिक उपयोग हेतु	आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत
		उपरोक्त बेटरमेंट लेवी की राशि पांच किश्तों में निम्नानुसार देय होगी-	
क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत	समयावधि
1	प्रथम किश्त	बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष
2	द्वितीय किश्त	बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष नौ माह

3	तृतीय किश्त	बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से दो वर्ष छः माह
4	चतुर्थ किश्त	बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से तीन वर्ष तीन माह
5	पंचम किश्त	बेटरमेंट लेवी का 20 प्रतिशत	भवन मानचित्र स्वीकृति से चार वर्ष

टोट:-

उपरोक्तानुसार किश्तों की राशि के उत्तर दिनांकित चेक (Post Dated Cheque) लेकर ही मानचित्र स्वीकृत किये जावे, उत्तर दिनांकित चेक (Post Dated Cheque) अस्वीकृत (Dishonour) होने पर चेक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलंब अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा, साथ ही प्रकाश्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

बेटरमेंट लेवी हेतु देय किश्त का चेक किसी विशेष परिस्थिति में अनादरित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक यदि चेक की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त किश्त की राशि हेतु छः माह की अवधि हेतु 12 प्रतिशत ब्याज की दर से मय ब्याज जमा कराये जाने की छूट प्रदान की जा सकेगी। इन विवियमों से पूर्व के प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

8.	उपविभाजन शुल्क/ पुनर्गठन शुल्क	राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन/उपविभाजन नियमों के तहत निर्धारित शुल्क अनुसार।	-
9.	भवन पूर्णता / अधिवास प्रमाण पत्र	आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/ पर्यटन इकाई उपयोग हेतु मिश्रित/वाणिज्यिक उपयोग हेतु	सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 15/- प्रति वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्र के आधार पर 30/- प्रति वर्गमीटर
10.	भवन विस्तार-		
	यदि यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के निर्मित क्षेत्र में विस्तार किया है तो अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र/मंजिल पर क्र.सं. 3 के अनुसार राशि देय होगी।		
11.	अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि में संशोधन-		
	आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदित भवन (Validity) मानचित्र की वैध अवधि के दौरान पुनः मानचित्र संशोधन कर अनुमोदित कराए जाते हैं, तो क्र.सं. 2 व 3 में दरावी हृषि राशि का 20 प्रतिशत शुल्क संशोधित मानचित्र के बाँच एवं अनुमोदन हेतु लिया जावेगा।		
12.	अनुमोदित भवन मानचित्र की वैध अवधि पश्चात् संशोधन/नवीनीकरण-		
	यदि निर्धारित वैध अवधि के पश्चात् संशोधन/नवीनीकरण करवाया जाता है तो क्रम सं. 2 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क तथा क्रम सं. 2 व 3 के अनुसार मानचित्र जाँच एवं अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।		
13.	नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 17 (9) निविवि/नियम/2019, दिनांक 22.07.2019 अनुसार सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी अलाभकारी पंजीकृत बैंगिटेल संस्थाएं को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाएँ यथा चिकित्सा सुविधाएँ, शैक्षणिक सुविधाएँ, बृद्धाश्रम, अनायालय, नारी निकेतन, कृष्णाश्रम, धर्मशाला, निशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्याश्रम, बालगृह आदि भवनों के अनुसार शुल्क में देय होगी।		
14.	(i) मैकेनिकल पार्किंग की सुनिश्चितता करने हेतु आवेदक से प्रति मैकेनिकल कार पार्किंग (सारफेस कार पार्किंग के अतिरिक्त) एक लाख रुपये अमानत राशि बैंक गारंटी के रूप में ली जावेगी, जिसे निर्धारित मैकेनिकल कार पार्किंग के निर्माण के बाद लौटा दी जावेगी। (ii) विवियम 5.3 (2) (iii) के अनुसार 50 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखण्डों को पार्किंग शुल्क 100000/- रुपये प्रति इ.सी.व्यू. देय होगा।		
15.	बहुनिवास इकाई के भवनों में बोजना में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रति निवास इकाई 25000/- रुपये अतिरिक्त राशि (अन्य सभी देय शुल्क के अतिरिक्त) देय होगी।		
16.	उपरोक्तानुसार विहित भवन निर्माण संबंधी राशि हेतु मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणना विलम्ब अवधि के लिए ही की जावेगी।		

विशिष्ट नोट:-

1. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार अभिशमन के प्रावधान रखे जाने होंगे। अभिशमन शुल्क व श्रम उपकर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार जमा करवाया जावेगा एवं इस संबंध में जारी आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. पर्यटन इकाई- राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट में नीति के अनुरूप प्रदत्त आंशिक/पूर्ण छूट लाय होंगी।
3. मिश्रित उपयोग के भूखण्डों पर प्रस्तावित भवन हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क एवं मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित होने पर देय बेटरमेन्ट लेबी की राशि वास्तविक प्रस्तावित उपयोग के क्षेत्रफल पर देय होंगी।
4. जिन प्रोजेक्टों का रियल एस्टेट (रियलेशन एण्ड ड्वललपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रियलेशन एण्ड ड्वललपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रोजेक्टों को छोड़कर, अन्य प्रस्तावित भवनों हेतु विनियम 8.14 (क) एवं (ग) में वर्णित प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी के रूप में भवन निर्माता द्वारा स्थानीय निकाय को जमा करने होंगे। यह राशि कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Urban Development and Housing Department

No. : F.17 (22)/UDH/Rules/2020

Jaipur Dated : 17 SEP 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 read with section 43 and 60 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 and orders with reference to proviso to sub-section (2) of section 74 of the said Act, that the previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government, in public interest, considers that these amendment rules should be brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) (Second Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 7.- In sub-rule (5) of rule 7 of the Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "12% per annum", the expression "9% per annum" shall be substituted.

3. Amendment of rule 14-A. The existing sub-rule (1) of rule 14-A of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(1) If a person who purchases the independent plot or other plot through public auction for residential or commercial purposes has not constructed one dwelling unit/commercial unit, as the case may be, in case of independent plot or in case of other plot such as for group housing, flats, institutional purposes, commercial purposes etc. has not constructed 1/5th of ground coverage of plot area within seven years from the date of purchase of independent plot or other plot, he shall be liable to pay levy at the following rates:-

(a) in case of lease hold patta:

S.N.	Period of non construction	Levy
1	2	3
1.	0 to 7 years	Nil
2.	after 7 years and upto 14 years	0.25% per year of the reserve price at the time of auction.
3.	after 14 years and upto 20 years	0.50% per year of the reserve price at the time of auction.
4.	after completion of 20 years, the Trust shall issue a notice to the allottee to complete the construction within a period of 2 years.	0.75% per year of the reserve price at the time of auction.
5.	after completion of 22 years	Lease deed shall automatically stand cancelled.

(b) in case of free hold patta:

S.N.	Period of non construction	Levy
1	2	3
1.	0 to 07 years	Nil
2.	after 07 years and upto 14 years	0.10% per year of the reserve price at the time of auction.
3.	after 14 years and upto 20 years	0.25% per year of the reserve price at the time of auction.
4.	after completion of 20 years, the Trust shall issue a notice to the allottee to complete the construction within a period of 2 years.	0.50% per year of the reserve price at the time of auction.
5.	after completion of 22 years	Free hold patta shall automatically stand cancelled.

Provided that the Trust may, if satisfied that some minimum facilities of electricity, water and approach road are not available in the area, exempt from payment of levy for non-construction.

Provided further that the Trust may, on application of lessee/allottee/patta holder, regularise and restore such cancelled lease/patta with the approval of the State Government, if such land has not been allotted to any other person and lessee is prepared to pay an additional levy at the rate of 0.75% and free hold patta holder is prepared to an additional levy at the rate of 0.50% per year of the reserve price at the time of auction in addition to levy payable for 22 years.

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case of any vacant plot where rain/waste water or garbage gets accumulated, a notice of fifteen days shall be given to such plot holder to remove such accumulated rain/waste water or garbage within a period specified in the notice, if he fails to comply with the notice, the allotment of such plot shall be cancelled."

4. Amendment of rule 17.- In rule 17 of the said rules,-

(i) in sub-rule (5), for the existing expression "@15% per annum", wherever occurring, the expression "@ 9% per annum" shall be substituted; and

(ii) the existing sub-rule (6A) shall be substituted by the following, namely:-

"(6A) A person who has been allotted a plot at fixed rates fails to construct one dwelling unit within seven years from the date on which possession of land so allotted is handed over to him, such allotment shall automatically stand cancelled and the allottee shall not be eligible for allotment of a plot in future:

Provided that the Trust, if satisfied that some minimum facilities of electricity, water and approach road are not available in the area, may fix a date from which the period of seven year shall be counted.

Provided further that such automatic cancellation may be regularised by withdrawing the such automatic cancellation, if the allottee is prepared to pay the levy at following rates:-

(a) in case of lease hold patta:

S.N.	Period from the date of possession handed over	Levy
1	2	3
1.	0 to 7 years	Nil
2.	after 7 years and upto 14 years	0.25% per year of the allotment price.
3.	after 14 years and upto 20 years	0.50% per year of the allotment price.
4.	after completion of 20 years, the Trust shall issue a notice to the allottee to complete the construction within a period of 2 years.	0.75% per year of allotment price.
5.	after completion of 22 years	Lease deed shall automatically stand cancelled.

(b) in case of free hold patta:

S.N.	Period from the date of possession handed over	Levy
1	2	3
1.	0 to 07 years	Nil
2.	after 07 years and upto 14 years	0.10% per year of the allotment price.
3.	after 14 years and upto 20 years	0.25% per year of the allotment price.
4.	after completion of 20 years, the Trust shall issue a notice to the allottee to complete the construction within a period of 2 years.	0.50% per year of allotment price.
5.	after completion of 22 years	Free hold patta shall automatically stand cancelled.

Provided further that the Trust may, on application of lessee/ allottee/patta holder, regularize and restore such canceled lease/patta with the approval of the State Government, if such land has not been allotted to any other person and lessee is prepared to pay an additional levy at the rate of 0.75% and free hold patta holder is prepared to an additional levy at the rate of 0.50% per year of allotment price in addition to levy payable for 22 years.

(6B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (6A), in case of any vacant plot where rain/waste water or garbage gets accumulated, a notice of fifteen days shall be given

to such plot holder to remove such accumulated rain/waste water or garbage within a period specified in the notice, if he fails to comply with the notice, the allotment of such plot shall be cancelled."

5. Substitution of rule 26:- The existing rule 26 of the said rules shall be substituted by the following namely :-

"26. Documentary evidence of allotment or sale of land.- For every allotment or disposal by auction under these rules a document evidencing the same shall be in such form as may be specified by the State Government, from time to time, and shall be duly stamped and registered at the expenses of the allottee or the purchaser. "

6. Amendment of Annexure-A.- In Annexure-A appended to the said rules,-

- (i) in clause (k), for the existing expression "15%", the expression "9%" shall be substituted; and
- (ii) in clause (l), for the existing expression "15%", the expression "9%" shall be substituted; and

By order of the Governor,

(Maneesh Goyal)

Joint Secretary to the Government.

स्टेट ग्रान्ट पट्टे

Government of Rajasthan
Local Self Government Department
Order

No. OE/F, 19 (campaign) DLB/83/5783

Jaipur, Date 15.09.1983

D. 745/F/10(22) SG/A59 dated 27th April, 1959 and memorandum No. F 10(29) LSG/A/58 dated 26 February, 1962 and all other orders issued in this behalf the State Government have been pleased to sanction allotment of land free of cost and issue of patta on a nominal fees of Rs. 5.00 under the Rajasthan State Government Grant Act, 1961 (Rajasthan Act No. 20 of 1961) to all such person have been occupying the land for the last 40 years or more on the following conditions:-

1. Such patta be issued by the municipal authority in case of Nazul (Abadi) land and not in case of agricultural land of any other kind of land.
2. The patta shall be issued for the area of land which has been built upon by kachcha/pucca construction there on with a maximum area of 300 sq. meters only.
3. In order to determine the period of possession of land for 40 years or more, all or any of the following factors may be taken into consideration:-
 - (i) The name in the voter's list
 - (ii) Ration card,
 - (iii) Postal post card/envelope etc. addressed to occupier duly stamped
 - (iv) Old patta/sale deed issued by the competent authority or authenticated site plan in which name of description of land under possession has been mentioned/shown;
 - (v) Judgement of any court or any other competent authority.
 - (vi) Any notice/letter addressed to the occupier.
 - (vii) Any other documentary evidence; and
 - (viii) Oral evidence of atleast two neighbours of not below the age of 60 years duly supported by a affidavit to the satisfaction of the authority.

Explanation : For the purpose of reckoning the period of possession for 40 years or more, the period of possession held by the original occupier his legal heirs, successor or transferee may also be taken into account and patta shall be issued accordingly.

4. In case of land which is under dispute or for which legal proceedings are pending in any law court before any authority, no patta shall be issued until the case is finally decided.
5. The patta shall be issued in accordance with the provisions contained in the Rajasthan Municipalities (Disposal of Urban Land) Rules, 1974.
6. In case of any dispute, the decision of the Collector in this regard shall be final

By order of Governor

Sd/-

(J.S. Yadav)

Dy. Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग) () नियम/स्वाशा/2000/445

दिनांक 20.09.2002

आदेश

राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एकट, 1961 (राजस्थान अधिनियम सं. 1961 का 20) के अन्तर्गत इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक ओई/एफ.19 (केम्पेन) डी.एल.बी./83/5783 दिनांक 15.9.83 में गाज्य सरकार द्वारा निम्न आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एकट, 1961 के अन्तर्गत पट्टा पति व पत्नी दोनों के नाम जारी किये जावेंगे।
2. राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एकट के अन्तर्गत नियमित भूखण्ड को पट्टाधारी विधि अनुसार हस्तान्तरण यथा-विक्रय, रहन एवं बसीयत आदि करने हेतु स्वतंत्र होगा।
3. नगर सुधार न्यास क्षेत्र में राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत सम्बन्धित नगर सुधार न्याय द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया जायेगा।

शेष सभी शर्तें पूर्व आदेश दिनांक 15.9.83 प. 8 (नियम) एलएसजी/2000/15663-16071 दिनांक 24.7.2000 एवं प.8 (ग) नियम/स्वाशा/01/5479 दिनांक 24.4.2002 के अनुरूप यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

ह./-
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग) नियम/स्वा.शा./2000/5050 जयपुर,

दिनांक 19.06.2003

आदेश

राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एकट, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या 20) के अन्तर्गत नियमित किये गये/ नियमित किए जाने वाले भूखण्डों के पट्टों पर राजस्थान नगरपालिका (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत बसूल की जा रही लीज मर्नी (लीज रेट) को एतद्वारा पूर्णरूपेण माफ किया जाता है। अब यह पट्टे केवल पाँच रुपये की टोकन फीस बसूल कर जारी किए जा सकेंगे।

परन्तु यह पट्टेवार जिसके पक्ष में नियमन कर पट्टा जारी किया है वह अपने पट्टे का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करता है तो ऐसे हस्तान्तरण की तिथि से यह छूट समाप्त मानी जायेगी और क्रेता/हस्तान्तरित से नियमानुसार लीजमर्नी (लीजरेन्ट) बसूली योग्य होगी।

यह आदेश मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 43/2002 दिनांक 17.06.2003 की अनुपालन में एवं विभागीय आदेश क्रमांक 3021-3203 दिनांक 1.11.2002 के द्वारा इस सम्बन्ध में जारी स्पष्टीकरण के अधिक्रमण में तथा राजस्थान नगरपालिका (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तत्सम्बन्धी प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए जारी किया जाता है।

आज्ञा से,

ह./-
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्तं शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक. प. ४ (ग) (167) नियम/डीएलबी/06/7179

दिनांक : 26.2.2010

आदेश

राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 15.09.83 से 40 वर्ष से अधिक कब्जे के नियमन हेतु भूखण्ड का पट्टा एक रूपये में देने हेतु जारी किया गया था। इसे पुनः आदेश दिनांक 22.01.2010 संशोधन कर चालीस वर्ष का अभिप्राय सामान्य वर्ग हेतु 1.01.1965 से पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दिनांक 01.01.1985 के कब्जों को आधार माना गया है। कब्जे के प्रमाण के रूप में निम्नांकित तथ्य ग्राह्य माने गये हैं:-

- (i) The name in the voter's list.
- (ii) Ration Card.
- (iii) Postal post Card/envelope etc addressed to occupier duty stamped.
- (iv) Old patta/sale deed issued by the competent authority or authenticated site plan in which name or description of land under possession has been mentioned/shown.
- (v) Judgment of any court or any other competent authority.
- (vi) Any notice/letter addressed to the occupier.
- (vii) Any other documentary evidence; and
- (viii) Oral evidence of atleast two neighbours of not below the age of 60 years duly supported by a affidavit to the satisfaction of the authority.

उपरोक्त कब्जों के प्रमाण पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त तथ्यों के क्रम में निम्नांकित तथ्य भी ग्राह्य माने जावेंगे:

1. नगरपालिका में निर्माण स्वीकृति बाबत पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया हो, जिस पर भवन निर्माण स्वीकृति नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई हो।
2. किसी भवन पर तत्कालीन समय में राजस्थान नगर पालिका (भूमि एवं भवन कर) नियम 1961 तत्पश्चात् इसे संशोधन करते हुए ग्रहकर एवं नगरीय विकास कर के नाम से जाना जाता है। (उपरोक्त नियम, 1961) के अन्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी निजी भवन पर अदा किये गये कर को आधार माना जा सकता है।
3. यदि किसी नगरपालिका के रिकॉर्ड में पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी संदर्भ के तहत स्वामी एवं मकान की प्रविष्टि अंकित हो तो उसे भी ग्राह्य किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार का स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे दिये जा सकते हैं।

शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

ह./-

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:- प.३ (५४) नविवि/III/2011/पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 20.12.2012

आदेश

राजस्थान गवर्नर्मेंट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत नगर निकायों के द्वारा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक OE/F.19(campaign) DLB/83/5783 दिनांक 15.09.1983 एवं इसके पश्चात् समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त अधिनियम के तहत पट्टा राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार दिये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.४ (ग) () नियम/स्वाशा/2000/445 दिनांक 20.09.2002 के द्वारा यह भी निर्देश जारी किये गये थे कि नगर सुधार न्यास क्षेत्र में राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया जायेगा।

आबादी भूमि जिस पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये जा सकते हैं वह भूमि या तो प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है या सम्बन्धित नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम के नाम दर्ज है। इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि नगरपालिका/परिषद्/निगम के नाम दर्ज भूमि पर स्टेट ग्रांड एक्ट के तहत पट्टा क्या प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के द्वारा जारी किया जा सकता है और यदि भूमि प्राधिकरण/न्यास के नाम दर्ज है तो क्या पट्टा नगरपालिका/परिषद्/निगम के द्वारा जारी किया जा सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरपालिका/नगरनिगम/नगर परिषद् क्षेत्रों में पुरानी बसावटों पर यदि काम की अधिकता एवं सहुलियत की दृष्टि से नगर विकास न्यास अथवा जोधपुर/जयपुर विकास प्राधिकरण स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे देना चाहते हैं तो उनके द्वारा सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद्/नगर निगम से अनापत्ति लेकर पट्टे दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार नगर विकास न्यास अथवा जोधपुर/जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि पर पुरानी बसावटों पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे नगरपालिका/नगरपरिषद्/नगरनिगम देना चाहते हैं तो उनके द्वारा संबंधित प्राधिकरण/न्यास से अनापत्ति लेकर पट्टे लिये जा सकते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरुदयाल सिंह संघु)

प्रभुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर

क्रमांक :- प. 7 (ड) (भूमि) () डीएलबी/13/10154

दिनांक :- 20.9.13

आधिकारी अधिकारी
नगर पालिका
रत्नगढ़।

विषय :- स्टेट ग्रान्ट एकट के तहत परिवार के व्यस्क मदस्य को 300 वर्गमीटर तक का पट्टा दिये जाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 5513 दिनांक 22.4.13

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि श्री अविनाश चन्द्र वार्ड नम्बर 13 भरतियों की ढाणी रत्नगढ़ हारा विभाग को प्रेषित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया गया था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के तहत जारी परिपत्र दिनांक 6.12.12 के बिन्दु संख्या 6 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जावे।

परिपत्र दिनांक 6.12.12 के बिन्दु संख्या 6 के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:- यदि परिवार के मुखिया का कब्जा 1000 वर्गमीटर पर है एवं उसकी मृत्यु होने पर उसके चार व्यस्क परिवारजन उसी स्थान पर पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं तो वारिसान का नियमन प्रत्येक को 250 वर्गमीटर तक किया जा सकेगा, प्रत्येक के लिए अधिकतम 300 वर्गमीटर की सीमा रहेगी यदि मुखिया का कब्जा 1500 वर्गमीटर पर है तो चार व्यस्क वारिसान की 300-300 वर्गमीटर यानि कुल 1200 वर्गमीटर तक ही नियमन किया जा सकेगा।

अतः प्रश्नगत प्रकारण में उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना मुनिश्चित करावें।

निदेशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक. प.४(ग) () नियम/डीएलबी/१७/३३२०१

जयपुर, दिनांक ०७/०९/१७

आदेश

नगर निगम जयपुर के पत्र दिनांक ११.८.१७ द्वारा यह अवगत कराया है कि जेडीए ने पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन-०९/१७/डी-३३४७ दिनांक २३.०६.१७ द्वारा गैर मुमकिन आबादी भूमि जो जेडीए के नामं दर्ज है के सम्बन्ध में अनापत्ति नगर निगम की जारी की है। इस अनापत्ति पत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज बंजर एवं गैर मुमकिन भूमि के बारे में अनापत्ति नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में भी कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मानसरोवर जोन में ग्राम गोपालपुरा, मानसिंहपुरा, दुगोपुरा क्षेत्र की जमाबंदी में दर्ज बंजर व गैर मुमकिन भूमि (गैर मुमकिन आबादी नहीं है।) दर्ज है व खातेदारी जेडीए के नाम दर्ज है। जहां सघन आबादी है जिसमें स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे हेतु पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं। बंजर व गैर मुमकिन भूमि (गैर मुमकिन आबादी के अलावा) के नगर निगम द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट पट्टे जारी करने के बारे में मार्गदर्शन चाहा है।

इस सम्बन्ध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ. ७ (ड) भूमि/अभि-१२/डीएलबी/१३/२८८५ दिनांक २५.०२.१३ के बिन्दु संख्या ६ में निम्न प्रावधान किया गया है:-

स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत जारी पट्टे के सम्बन्ध में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में:- स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक ऑई/एफ. १९ (Compaign) डीएलबी/८३/५७८३ दिनांक १५.०९.८३ की शर्त संख्या १ के बिन्दु संख्या १ में निम्न प्रावधान है।

“Such patta be issued by the municipal authority in case of Nazul (Abadi) Land and not in case of agricultural land or any other kind of land.”

नजूल भूमि के उल्लेख के कारण नगर निकायों में प्राप्ति है कि नजूल भूमि के अलावा अन्य सरकारी भूमियों पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे देय नहीं है। इन्हीं नियमों के खण्ड-१ के आदेश की शर्त संख्या २ में अधिनियम ३०० वर्गमीटर तक के पट्टे देने का उल्लेख है जबकि ४ दशकों से भी अधिक पुरानी इमारतों का क्षेत्रफल ३०० वर्गमीटर से अधिक होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं। पट्टे जारी करने में नगर निकायों के सम्मुख कठिनाई आ रही है।

राजस्थान गवर्नरमेंट ग्रान्ट एक्ट, १९६१ के ऊपर उल्लेखित दोनों प्रकार की शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

अतः विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश दिनांक १५.०९.८३ की शर्त संख्या १ को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न शब्दावली प्रतिस्थापित की गई है:-

“Patta shall be issued by the Municipal Authority in case of any land of Municipal or Government land within peripheral belt, subject to the restricted land as shown under rule ३ (१) clause (i) to (xiv) of Rajasthan Land Revenue Act, 19५६ in section ९०-८.”

ऐसी भूमियों जो प्रारम्भ से ही नजूल (आबादी) भूमियों हैं उन पर वर्तमान में पट्टे दिये जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त भूमियों जो आबादी प्रयोजनार्थी नगरीय निकायों को हस्तान्तरित हो चुकी हैं उन पर बने आवासों के पट्टे भी स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुरूप होने पर दिये जावे। साथ ही उक्त आदेश दिनांक १५.०९.८३ की शर्त संख्या २ में वर्णित क्षेत्रफल ३०० वर्गमीटर की सीमा दिनांक ०१.०१.१९५० से पूर्व ऐसी भूमियों पर बने आवासों के नियमन हेतु नहीं रहेगा।

विभागीय आदेश दिनांक १७.०५.१७ द्वारा बिन्दु संख्या १ में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे अन्य राजकीय भूमि पर नहीं दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जबकि परिपत्र दिनांक १५.०९.८३ की शर्त संख्या १ को संशोधित किया जा चुका है। इस दृष्टि से उक्त विभागीय आदेश दिनांक १७.०५.१७ के बिन्दु संख्या १ के १:१ को प्रत्याहारित किया जाता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित कॉलोनियों में स्थित गैर मुमकिन तथा बंजर भूमि जो जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, उनमें भी नगर निगम द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पढ़े दिये जा सकते हैं।

उपरोक्त विभागीय आदेश दिनांक 25.02.13 के बिन्दु संख्या 6 द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 15.09.83 की शर्त संख्या 1 में संशोधन किया गया है। बंजर व गैर मुमकिन भूमि उक्त संशोधन अनुसार राजकीय भूमि होने से स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पड़ा दिये जाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जा सकती है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित कॉलोनियों में स्थित गैर मुमकिन तथा बंजर भूमि जो जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है नजूल भूमि होने के कारण ऐसी भूमि जो सघन आवादी में है पर भी नगर निगम द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पढ़े दिये जा सकते हैं। नजूल भूमि की परिभाषा में आने वाली भूमि पर इस विभाग के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 25.02.2013 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार पढ़े स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत दिये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

काढ़ची अस्ती नियमन

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : प.४(क)(या)(३७)डीएलबी/०५/२४८०-२६७३

दिनांक - २५/४/०७

परिपत्र

विषय : कच्ची बस्ती प्रकरणों में नियमन के सम्बन्ध में।

दुर्गा विहार विकास समिति बनाम राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २४.७.०६ के अनुसार कच्ची बस्ती के नियमन में अन्य कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु पट्टा जारी करना निषेध है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २४.७.०६ निम्न प्रकार है-

"In the interest of justice, it will be appropriate to permit the respondents to start the process for regularization of land in the light of the policy dated 30.9.2005 but the respondents shall not issue any title deed or patta in favour of any person in whose favour, the Government decides to regularize the land/ encroachment under the policy dated 30.9.2005."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कच्ची बस्ती नीति, २००५ की प्रति प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार व नीति अनुरूप प्रशासनिक कार्यवाही करने का अम करें।

उप शासन सचिव

नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट

मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या ५७/२००५ (परिशिष्ट १) दिनांक ८.७.२००५ की अनुपालना में मंत्री मण्डलीय सचिवालय के आदेश क्रमांक प.४(१)मं८/९९ पार्ट-१ जयपुर दिनांक १४.७.२००५ (परिशिष्ट-२) से कच्ची बस्ती एवं अन्य अतिक्रमण के नियमन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या ११५९/२००५ दुर्गा विहार विकास समिति बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक १८.५.२००५ (परिशिष्ट-३), १.६.२००६ (परिशिष्ट ३), एवं २.६.२००५ (परिशिष्ट-४) के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उक्त प्रकरण का परीक्षण किए जाने तथा निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक मंत्री मण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था। समिति का प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग को बनाया गया।

समिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है-

राज्य की जनसंख्या में बढ़ोतरी एवं शहरीकरण के कारण रोजगार की तलाश में लोगों का गांवों से कस्बों और शहरों की ओर पलायन होने के कारण इन कस्बों एवं शहरों में आवश्यकता अनुरूप आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने व गरीब तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति वैध भूमि खरीदने के अनुकूल नहीं होने के कारण इन लोगों द्वारा जहाँ तहाँ राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर आवास बना लिए गए हैं। इन अनियमित व अनियोजित कच्चे पक्के मकानों के समूहों को कच्ची बस्ती के रूप में जाना जाता है।

वर्ष १९८१ के बाद काफी संख्या में कच्ची बस्तियां बस जाने के कारण इन अतिक्रमणों का नियमन करने के सम्बन्ध में मंत्री मण्डल आज्ञा संख्या १०६/१९९९ द्वारा १५ अगस्त, १९९८ तक अनाधिकृत निर्माणों के नियमन का निर्णय लिया गया था।

तत्पश्चात् कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में १८.५.१९९९ (परिशिष्ट ६) को परिपत्र जारी किया गया। इसके पश्चात् दिनांक १.६.९९ (परिशिष्ट ७) ४.६.९९ (परिशिष्ट ८) ९.६.९९ (परिशिष्ट ९) को परिपत्र जारी किए जाकर नियमन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण किया गया।

तत्पश्चात् मंत्री मण्डल की आज्ञा दिनांक २१.१०.९९ के अनुसरण में परिपत्र क्रमांक प.९ (१) नविवि/३/९५ दिनांक २१/१०/९९ परिशिष्ट १०) को नगर सुधार अधिनियम १९५९ एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम १९५९ के तहत बने शहरी भूमि निष्पादन नियम, १९७४ के नियम १५ व १७ (परिशिष्ट-११) में शिथिलता प्रदान करते हुए जारी किए गए।

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कच्ची बस्तियों का पुनः सर्व करने का निर्णय दिनांक 4.6.2004 को लिया गया। इसमें कच्ची बस्तियों के सर्व की कट ऑफ डेट (Cut off date) 1.4.2004 (परिशिष्ट-12) रखी गई।

इस दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष दुर्गा विहार विकास समिति द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1.6.2005 (परिशिष्ट 3) को आदेश पारित कर निम्न अतिक्रमणों के नियमन पर रोक लगाई गई:-

1. मास्टर प्लान में आरक्षित पार्क, किसी योजना या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी योजना के रूपान्तरण, मानविकी की भूमि के, किसी पार्क की भूमि या व्यक्ति को जारी पट्टे की भूमि पर नियमन नहीं किया जावे।
2. वन भूमि, सड़क, सार्वजनिक भूमि खेल मैदान, कैचमेंट क्षेत्र व अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि या सार्वजनिक सुविधा की भूमि का नियमन नहीं किया जावे।
3. माननीय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी देखा कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 21.10.99 (परिशिष्ट 9) जारी कर प्रस्तावना की गई कि बगैर सड़क या सकड़ी सड़क के कच्ची बस्ती का नियमन कर दिया जावे। इस कारण माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रतिबंधित किया कि जहां 20 फीट से कम रास्ता है, वहां अतिक्रमण का नियमन नहीं किया जाये।
4. माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि उक्त परिपत्र के द्वारा राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अतिक्रमियों की वित्तीय स्थिति को देखे बगैर राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण का नियमन किया जावे। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के पक्ष में नियमन किया जावे अन्य के पक्ष में नहीं।
5. जिन व्यक्तियों ने रहवासी या व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पूर्व में नियमन करवाया है, उनके पक्ष में भूमि का निर्माणों का नियमन नहीं किया जावे।
6. जिन व्यक्तियों ने निर्माण के बगैर या निर्माण सहित अतिक्रमण (कब्जे) को खरीदा है, उनके पक्ष में नियमन नहीं किया जावे।
7. जिन व्यक्तियों ने अनाधिकृत कब्जे को निर्माण बगैर या निर्माण सहित किसी को विक्रय किया है, उनके पक्ष में नियमन नहीं किया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 16.6.05 (परिशिष्ट-2) 1.6.05 (परिशिष्ट 3) व 2.6.05 (परिशिष्ट 4) में की गई निर्देश/टिप्पणी पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने पर इसे मंत्रीमण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए।

प्रकरण मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इट याचिका संख्या 1159/2005 दुर्गा विहार विकास समिति बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 16.5.05, 1.6.2005 एवं 2.6.05 के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उक्त प्रकरण का परीक्षण किये जाने हेतु उक्त उल्लेखित समिति का गठन किया गया।

मंत्री मण्डलीय उपसमिति की सम्बन्धित अधिकारियों की सात बैठकों आयोजित की गई। बैठकों में विचार-विमर्श के साथ-साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया गया। साथ ही अन्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र आदि में कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में जारी नीतियों पर भी विचार किया जाकर प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्न सिफारिश/राय व्यक्त की जाती है:-

1. कच्ची बस्ती की परिभाषा - कच्ची बस्ती उन बस्तियों को माना जावेगा जो राज्य के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 1.4.04 तक नगर निगम, परिषद, पालिका, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास के क्षेत्रों में राजकीय/संस्थाओं की भूमि पर अनियोजित अनियमित/अनाधिकृत रूप से बसी हुई है तथा बस्ती में कच्चे/पक्के अथवा आंशिक कच्चे/पक्के मकान निर्मित हैं, एवं जिनमें मूल नागरिक सुविधाओं का अभाव है तथा जिनका अभी तक नियमन नहीं हुआ है।
2. विकास/नियमन के योग्य कच्ची बस्तियां- राज्य सरकार/नगर निगम/परिषद/पालिका, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास आदि में निहित ऐसी कच्ची बस्तियां जो दिनांक 1.4.04 तक सर्व में आ चुकी हैं, नियमित की जा सकेगी, परन्तु निम्न बस्तियों/भूमि का नियमन नहीं हो सकेगा:-
 - (क) माउण्ट आबू, नाथद्वारा, पुष्कर की कच्ची बस्तियां।

- (ए) स्थानीय निकायों, ज्ञासों जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी योजना अथवा मास्टर प्लान में किसी विशेष कार्य के लिए आकृत भूमि तथा व्यावसायिक/सेस्थागत उपयोग/आरक्षित भूमि।
- (ग) अस्पताल, स्कूल, उद्यान, सड़क मार्ग, सामरिक महत्व की भूमि कब्रिस्तान, शमशान, गिरजाघर, देवस्थान, वक्फ एवं अन्य धार्मिक उपयोग की भूमि।
- (घ) भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग, निगम, संस्थान, उपक्रम मण्डल रेलवे लाइन की भूमि।
- (च) किसी नाले, नदी के बहाव, भराव या कटाव के क्षेत्र की भूमि अथवा ऐसी कोई भी भूमि जो निवास के हिसाब से असुरक्षित हो।
- (छ) कच्ची बस्ती में स्थित सड़कों की चौड़ाई नियमन के समय 15 फीट रखी जावेगी।

3. नियमन हेतु सामान्य निर्देश

3.1 नियमन की पात्रता:-

- (क) परिवार के स्वयं के नाम, या उसके आश्रित, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/पुत्री, पत्नी/पति, आश्रित माता, पिता के नाम आवासीय भूखण्ड या मकान नहीं होने पर ही केवल एक अतिक्रमण का नियमन किया जावेगा।
- (ख) आवेदक सामान्य का मूल निवासी हो तथा दिनांक 1.4.04 से पूर्व उस बस्ती में आवास निर्माण कर निवास कर रहा हो।
- (ग) दिनांक 1.4.04 तक के आवासीय निर्माण के प्रमाण में राशन कार्ड या 1.4.04 से पूर्व की निर्बाचन सूची में नाम या मतदाता पहचान पत्र बिजली/पानी का बिल/लाइसेंस इत्यादि संतोषप्रद साक्ष्य विचार में किए जा सकेंगे।

3.2 नियमन हेतु पात्रता का निषेध

- (क) सी.आई.डी./राजकीय स्तर पर विदेशियों की सूची में शामिल व्यक्ति।
- (ख) पुलिस रिकार्ड में दर्ज हिस्ट्रीशीट एवं आपाधिक प्रकरणों में सजायाप्ता व्यक्ति।
- (ग) रिक्त भूमि, किसी भूखण्ड पर बनी चार दीवारी अथवा गैर आबाद कब्जे।
- (घ) कब्जाधारी द्वारा किराये पर दिए गए निर्माण का कब्जाधारी अथवा किरायेदार दोनों के पक्ष में नियमन।
- (य) रहवासीय या व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पूर्व में नियमन करवा चुके व्यक्तियों के पक्ष में नियमन।
- (छ) जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमित प्लाट अथवा आवास को खरीदा/बेचा है, उनके पक्ष में नियमन।

3.3 भूमि/क्षेत्रफल के सम्बन्ध में निर्देश:-

- (क) नियमन आवासीय क्षेत्र के लिए अधिकतम 110 वर्ग गज एवं गोबगार हेतु प्रयुक्त व्यावसायिक कार्य के लिए अधिकतम 15 वर्ग गज का हो सकेगा।

3.4 नागरिक सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्देश:-

- (क) यदि कोई अतिक्रमण की भूमि आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में आती हो तो उस अतिक्रमण को हटाया जावेगा तथा यथा सम्भव उसी क्षेत्र में 50 वर्गगज का भूखण्ड/फ्लेट गान्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में निर्धारित दरों/शर्तों पर दिया जावेगा।

- (ख) कच्ची बस्तियों के मुव्यवस्थित विकास हेतु कम से कम 15 फीट की सड़क के लिए भूमि आरक्षित रखी जायेगी।

3.5 नियमन शुल्क/पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश:-

- (क) कच्ची बस्तियों के नियमन के उपरान्त सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा पट्टा जारी किया जायेगा।

- (ख) जारी किए जाने वाले पट्टे में पति व पत्नी के नाम का इन्ड्राज किया जायेगा व दोनों की फोटो भी चस्पा की जायेगी।

- (ग) कच्ची बस्ती में नियमन 110 वर्ग गज तक के निर्माणों हेतु किया जावेगा। बी.पी.एल. परिवारों के लिए भूमि की दरे निम्न प्रकार वसूल की जायेगी:-

क्षेत्रफल		नियमन दरें (प्रति वर्गगज में)		
(वर्ग गज में)	नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद क्षेत्र	नगर पालिका क्षेत्र	
1 से 50	20 रु.	15 रु.	10 रु.	
51 से 110	40 रु.	30 रु.	20 रु.	

- नोट :- 1. बी.पी.एल. के अतिरिक्त परिवार/व्यक्तियों के लिए यह दरें दुगुनी होंगी।
2. फ्लैट आवंटन करने की शर्तों व दरों का निर्धारण आवासीय योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा परिपत्र के माध्यम से निर्धारित किया जावेगा।
- (घ) उक्त नियमन दर की राशि एक मुश्त वसूल की जावेगी।
 - (च) नियमन दरें आवासीय निर्माण के साथ व्यावसायिक निर्माण के साथ-साथ होने या उसमें से किसी क्षेत्र का व्यावसायिक रूप में उपयोग पाये जाने पर उक्त क्षेत्र की नियमन दरें निर्धारित दरों की दो गुनी होंगी तथा अधिकतम 15 वर्ग गज का ही नियमन किया जा सकेगा।
 - (छ) कच्ची बस्ती में जारी किए जाने वाले पट्टे 99 वर्षीय लीज के आधार पर जारी किये जावेंगे।
 - (ज) इन पट्टों पर नियमन राशि की 1 प्रतिशत लीज राशि एक मुश्त वसूल की जाकर पट्टे जारी किये जायेंगे।
 - (झ) चूंकि कच्ची बस्ती में निवास करने वाले व्यक्ति सामान्यतया या तो बी.पी.एल. परिवार के हैं, अथवा उनकी आर्थिक स्थिति बी.पी.एल. परिवार के हैं, अथवा आर्थिक स्थिति बी.पी.एल. परिवार से कोई अच्छी नहीं होती इसलिए समिति बीपीएल के अतिरिक्त परिवारों के पक्ष में नियमन किया जाना भी उचित पाती है, परन्तु इसके लिए उक्त पैरा 3.5 (ग) में वर्णित दरों की दुगुनी राशि ली जाकर नियमन किया जा सकेगा।

3.1 अन्य शर्तों के सम्बन्ध में निर्देश :-

- (क) जिस व्यक्ति के पक्ष में नियमन किया गया है उसको भूमि एवं निर्माण हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा तथा इस आशय की शर्त का अंकन जारी किए जाने वाले पट्टे में आवश्यक रूप से किया जावेगा।
- (ख) जिस स्थानीय निकाय के क्षेत्र में कच्ची बस्ती होगी उसका नियमन/विकास उसी स्थानीय निकाय द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिका/जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा नियमन किया जावेगा।
- (ग) बन भूमियों पर किए गए अतिक्रमणों को नियमानुसार केन्द्र सरकार की अनुमति के बाद ही विकसित किया जा सकेगा।
- (घ) नियमन नहीं करवाने अथवा नियमन योग्य नहीं पाये जाने वाले मामलों में अतिक्रमण हटाया जावेगा।
- 1. नियमन के स्थान पर कच्ची बस्ती विकास की अवधारणा :- राज्य में कच्ची बस्तियों के संदर्भ में अब तक उनके नियमन सम्बन्धी अवधारणा को अपनाया गया है। नियमन शब्द का आमतौर पर यह अर्थ लिया जाता है कि जिस व्यक्ति का जिस स्थान पर कब्जा/अतिक्रमण है, उस भूमि को उस व्यक्ति के हक में नियमित किया जावेगा।

परन्तु वर्तमान प्रस्ताव में कच्ची बस्ती के विकास के लिए सड़क, नाली, सीवरेज व अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास सम्बन्धित निकायों द्वारा किया जावेगा तथा इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा आवासीय प्लान अनुसार अपने अपने आवासों का उन्नयन (Improvement) किया जावेगा।

कच्ची बस्ती के उक्त प्रकार विकास एवं आवासीय उन्नयन प्लान को लागू करते समय कच्ची बस्तियों में नागरिक सुविधाओं को अपरिहार्य रूप में स्थान दिया जावेगा। इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो क्षेत्रीय विकास (Horizontal Growth) के स्थान पर ऊर्ध्वाकार विकास (Vertical Growth) को अपनाया जाकर नागरिक सुविधाओं हेतु अतिरिक्त भूमि को जुटाया जावेगा।

इस प्रकार अब नक्कलीलत कच्ची बस्तियों के नियमन के स्थान पर कच्ची बस्ती विकास एवं आवास नियमन/उन्नयन की अवधारणा को अपनाया जायेगा। इस अवधारणा के मूर्त रूप देने के लिए निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है:-

- (क) कच्ची बस्तियों का सर्वे किया जा चुका है। उसमें निर्धारित कट ऑफ डेट (Cut-Off date) दिनांक 1.4.04 को बसने वाले परिवारों की पहचान की जा चुकी है। पहचान किए गए परिवारों को कोड नम्बर देते हुए एक फोटो पहचान पत्र दिया जावेगा। सम्बन्धित स्थानीय निकाय इसका खर्चा बहन करेगा।
- (ख) नगरीय निकायों का यह दायित्व होगा कि निर्धारित कट ऑफ डेट के बाद नई कच्ची बस्तियों का बसाव न हो। सम्बन्धित निकाय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 203 की सज्जी से पालना सुनिश्चित की जावेगी।
- (ग) उक्त प्रकार से कच्ची बस्तियों के नये बसाव अथवा अतिक्रमण रोकने में विफल रहने या अधिनियम की धारा 203 की प्रभावी अनुपालना नहीं करने की स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरण, नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 203 में मण्डल एवं नगरीय निकाय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।
- (घ) नगरीय निकायों द्वारा उनके क्षेत्र में कच्ची बस्तियों एवं खाली पड़ी भूमि की सर्वे के अनुसार पहचान के उपरान्त उक्त भूमि पर निकाय सम्पत्ति होने का बोर्ड सहज दृश्य स्थान पर लगाया जावेगा तथा उस पर धारा 203 में वर्णित सजा के प्रावधानों को अंकित करते हुए अतिक्रमण नहीं करने बाबत् चेतावनी भी अंकित की जावेगी।
- (च) नियमन के योग्य कच्ची बस्ती के विकास हेतु प्रत्येक कच्ची बस्ती का आवासीय एवं विकास का प्लान नये सिरे से तैयार किया जावेगा। इस प्लान में निम्न बातों का ध्यान रखा जावेगा:-

 - (1) आवासीय प्लान में आवासों की कुल संख्या निर्धारित की जावेगी। उससे अधिक आवास उसे बस्ती में निर्मित नहीं किये जा सकेंगे।
 - (2) प्रत्येक आवास पर क्रमानुसार नम्बर अंकित किया जावेगा ताकि निर्धारित गणना का उल्लंघन न हो सके।
 - (3) आवासीय प्लान नियोजित हंग से इस प्रकार तैयार किया जावेगा जिसमें सड़क, जल, निकास एवं अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो सकें।
 - (4) इस प्लान में नागरिक सुविधा क्षेत्र यदि उपलब्ध नहीं है तो ऐसा क्षेत्र सृजित करने हेतु बहुमंजिले आवासीय क्षेत्र विकसित किये जा सकेंगे।
 - (5) बहुमंजिले आवास के विकास से जो स्थान खाली होगा उसमें कम से कम 20 फीट की सड़कें व अन्य सुविधा क्षेत्र पार्क/व्यावसायिक क्षेत्र/सामुदायिक भवन/स्कूल/अस्पताल आदि विकसित किये जा सकेंगे।
 - (6) आवासीय प्लान को लोकप्रियता प्रदान करने के लिए उस कच्ची बस्ती के निवासियों का संगठन/स्वयं सहायता समूह/समिति बनाई जा सकती है और इस समिति का सहयोग उस कच्ची बस्ती के आवासीय प्लान एवं बनने वाले आवासों के डिजाइन तैयार करने में लिया जा सकता है।
 - (7) आवास को परिवर्तित या परिवर्धित करने का कार्य स्वयं आवासीय बस्ती की उक्त उल्लंघित समिति द्वारा करवाया जा सकता है।
 - (8) स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग कच्ची बस्तियों के विकास हेतु बनाये जाने वाली समितियों, संगठन अथवा स्वयं सहायता समूह के लिए किया जा सकता है।
 - (9) कच्ची बस्तियों के विकास में स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लोगों को शिक्षित करने, प्रबोधन करने और एक सामान्य एवं स्वच्छ बस्ती के विकास में बस्ती के निवासियों की सहभागिता के लिए चातावरण तैयार करने में लिया जा सकता है। इस कार्य के लिए रोजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग भी लिया जा सकता है।

2. वैकल्पिक स्थान हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना:-

- (क) कच्ची बस्तियों के विकास के लिए स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों/आवासीय मण्डलों द्वारा विकसित किए जाने वाली आवासीय कॉलोनियों में 3 प्रतिशत भूमि आर्थिक रूप से कमज़ोर बर्गों के लिए तथा 2 प्रतिशत भूमि जनसाधी योजना के तहत 'इनफारमल सेक्टर' के लिए आरक्षित की जा सकेगी।

3. राजस्थान राज्य कच्ची बस्ती विकास एवं आवासीय उन्नयन नीति:-

ऊपर अंकित बिन्दुओं का समावेश करते हुए राज्य स्तर पर समग्र रूप से लागू करने हेतु राजस्थान राज्य कच्ची बस्ती विकास एवं आवासीय उन्नयन नीति तैयार की जावेगा। जिसमें निम्न तथ्यों को भी शामिल किया जावेगा।

- (क) उक्त नीति को संचालित एवं लागू करने के लिए आवासीय निकाय विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, विभिन्न नगर विकास न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से नीति तैयार करें।
(ख) विकास के योग्य कच्ची बस्तियों के आवासीय प्लान हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विस्तृत परियोजना (डी.पी.आर) तैयार करने में निदेशालय द्वारा तकनीकी महायता उपलब्ध करवाई जावेगी।
(ग) कच्ची बस्तियों के विकास से जुड़े विभिन्न निकायों तथा प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगरीय निकाय एवं आवासन मण्डल आदि के साथ समन्वय के लिए स्थानीय निकाय विभाग नोडल विभाग होगा।
(घ) राजस्थान राज्य कच्ची बस्ती विकास एवं आवासीय उन्नयन नीति (Rajasthan kachi basti development and housing improvement policy) तैयार किये जाने हेतु निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग | - | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक नगर नियोजन जयपुर विकास प्राधिकरण | - | सदस्य |
| 3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता नगर निगम, जयपुर | - | सदस्य |
| 4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता आवासन मण्डल | - | सदस्य |
| 5. महाप्रबन्धक आवास विकास लिमिटेड | - | सदस्य |

समिति कच्ची बस्ती के विकास हेतु अन्य राज्यों की योजनाओं एवं उनके द्वारा ऐसी योजना की क्रियान्विति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट एक माह में देगी।

(च) कच्ची बस्तियों का विकास निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित होगा:-

1. यथा स्थान कच्ची बस्ती विकास - विकास के योग्य पाई गई कच्ची बस्तियों का जो आवासीय प्लान तैयार किया जावेगा, उसमें नागरिक सुविधाओं का ऊपर उल्लेखित तथ्यों के अनुसार ध्यान रखने के बाद जहां तक सम्भव हो सके, आवासों का यथास्थान पर ही उन्नयन किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान राज्य कच्ची बस्ती विकास एवं आवासीय उन्नयन नीति में कच्ची बस्ती के विकास हेतु तैयार किया गया आवासीय प्लान निजी सहभागिता के आधार पर लागू किया जा सकेगा। इस हेतु आवासीय प्लान को लागू करने के बाद शेष बची भूमि को आवासीय प्लान लागू करने के बदले में निजी भागीदार के हक में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

- (2) बस्तियों का स्थानान्तरण :- विकास के योग्य पाई गई कच्ची बस्तियों का आवासीय प्लान लागू करने से बहुमंजिली इमारतों का प्रावधान करने के बावजूद यदि नागरिक सुविधाओं का ख्याल रखा जाना सम्भव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में उस कच्ची बस्ती को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

नियमन नहीं हो सकने की अवस्था में कच्ची बस्तियों के परिवारों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जावेगा तथा

इसे प्रकार स्थानान्तरित किए जाने वाले प्रत्येक परिवार को उसी बस्ती अथवा अन्य बस्ती में निर्धारित दरों पर अधिकतम 50 वर्गगज का भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन किया जा सकेगा।

- (3) कच्ची बस्तियों में विकास कार्य – विकास के योग्य पाई गई कच्ची बस्तियों के आवासीय प्लान को लागू करने में यदि नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं हो तो ऐसी अवस्था में बहुमंजिली इमारतों का प्रावधान किया जावेगा, ताकि नागरिक सुविधाओं के लिए बांधित अतिरिक्त भूमि प्राप्त की जा सके।

इस प्रकार प्राप्त किए गए सुविधा क्षेत्र में विकास कार्य यथा सड़क, नाली निर्माण, पार्क सिवरेज आदि सम्बन्धित स्थानीय निकाय के द्वारा विभिन्न राजकीय योजनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित राशि को प्रयोग करते हुए करवाया जा सकेगा।

विकास कार्यों के लिए राजकीय योजनाओं से डबटेल के बावजूद पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना सम्भव नहीं हो तो निजी भागीदारी के तहत अतिरिक्त भूमि के बदले निजी भागीदार की मदद से विकास कार्य करवाये जा सकेंगे।

4. कच्ची बस्ती के नियमन/विकास हेतु निम्न प्रकार समितियों का गठन किया जाता है:-

नगर निगम/परिषद/पालिका के क्षेत्र में कच्ची बस्ती नियमन/विकास हेतु समिति

- | | |
|---|--------------|
| 1. महापौर/सभापति/अध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| 2. निगम/परिषद हेतु जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से तथा पालिका हेतु उपखण्ड अधिकारी से कम पद का नहीं हो | - सदस्य |
| 3. सम्बन्धित क्षेत्र का विधायक | - सदस्य |
| 4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सम्बन्धित नगरीय निकाय के दो सामाजिक कार्यकर्ता | - सदस्य |
| 5. सम्बन्धित नगरीय निकाय व वरिष्ठ नगर नियोजक/उपनगर नियोजक | - सदस्य |
| 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी | - सदस्य-सचिव |

जयपुर विकास प्राधिकरण हेतु कच्ची बस्ती

नियमन/विकास हेतु समिति

- | | |
|--|--------------|
| 1. आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण | - अध्यक्ष |
| 2. जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो अतिरिक्त कलेक्टर से कम पद का न हो | - सदस्य |
| 3. मुख्य नगर नियोजक अथवा उनका प्रतिनिधि जो वरिष्ठ नगर नियोजक से कम पद का न हो -सदस्य | |
| 4. प्राधिकरण के सम्बन्धित विधायक | - सदस्य |
| 5. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राधिकरण से सम्बन्धित दो सामाजिक कार्यकर्ता | - सदस्य |
| 6. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण | - सदस्य-सचिव |

नगर सुधार न्यासों हेतु कच्ची बस्ती नियमन/विकास हेतु समिति

- | | |
|---|--------------|
| 1. सम्बन्धित न्यास का अध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| 2. जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो अतिरिक्त कलेक्टर से कम पद का न हो | - सदस्य |
| 3. सम्बन्धित विधायक | - सदस्य |
| 4. सम्बन्धित वरिष्ठ नगर नियोजक | - सदस्य |
| 5. राज्य सरकार से मनोनीत सम्बन्धित न्यास के दो सामाजिक कार्यकर्ता | - सदस्य |
| 6. सचिव नगर सुधार न्यास | - सदस्य-सचिव |

राजस्थान सरकार
स्वायत्तं शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : भूमि/एफ 7 (ड) (27) डीएलबी/11/5342-5542

जयपुर, दिनांक : 11.5.2011

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद् एवं पालिकाएं,
राजस्थान
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण
3. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)

विषय : कच्ची बस्ती नियमित करने बाबत।

कच्ची बस्ती नियमन करने के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 01.04.2004 से पूर्व से बसे हुए व्यक्तियों को सर्वे के पश्चात् पट्टा देने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त सर्वे के आधार पर भारत सरकार की जैएनयूआरएम योजना के तहत कच्ची बस्तियों में आवाद निर्माण व सुधार की दो योजनाएं बीएसयूपी व आईएचएसडीपी पर कार्य प्रारम्भ किया गया। इन कार्यों हेतु, जो योजनाएं बनाई गईं, उनमें 01.04.2004 के सर्वे के आधार पर लाभार्थियों को चयनित किया गया। लेकिन मौके पर जब कार्य प्रारम्भ किया गया तो कई लाभार्थियों के गलत नाम दर्ज मिले व कई लाभार्थियों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा पिछले 5 से 6 वर्षों में कई नये लोग कच्ची बस्तियों में निवास करने लगे।

भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के तहत यह घोषणा की गई कि देश के सभी शहरों में कच्ची बस्ती के लोगों के आवास प्रदान किया जावेगा तथा इनका विकास किया जावेगा। मंत्री मण्डल आज्ञा संख्या 113/2009 से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 15.08.2009 तक बसे हुए व्यक्तियों को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत नवीनतम सर्वे के अनुरूप पट्टे दिये जावें। अतः राजीव आवास योजना के तहत लाभान्वित करने के उद्देश्य से कच्ची बस्ती में नये ऐसे सभी व्यक्तियों को लाभान्वित किया जावे। वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं बीएसयूपी व आईएचएसडीपी के तहत भी लाभान्वित करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2009 तक बसे हुए व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जावें। यदि पूर्व की ढीपीआर में गलत नाम मिलते हैं या किन्हीं परिवारों को छोड़ दिया गया है तो जो लोग मौके पर मौजूद हैं, उनके नाम से पट्टा जारी किया जावे। यह भी उल्लेखित है कि फिलहाल पट्टा 110 वर्गगज तक ही दिया जावे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन याचिका संख्या 1159/2005 दुर्गा विहार विकास समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य निर्णय अद्यधीन होगा।

चूंकि यह कार्य एक समयबद्ध हूंग से पूर्ण किया जाना है, सभी सम्बन्धित अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व अन्य अधिकारीगण अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए, इस कार्य को पूरा करावें। तथा इस सम्बन्ध की गई प्रगति भी प्रतिमाह की 7 तारीख तक इस कार्यालय को भिजवायें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

है।/-

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड) (अभि-2012) डीएलबी/12/24492

दिनांक : 10.12.2012

आदेश

“प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012” हेतु गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 03.12.2012 में योजना क्षेत्र में वसी कच्ची बस्तियों में पढ़ा दिये जाने हेतु निम्नांकित दरों बी.पी.एल. व ए.पी.एल. सभी बगों के लिए देय होने का विनिश्चय किया गया है:-

क्षेत्रफल (वर्गगन्ड में)नियमन दरें (प्रतिवर्ग में)			
(वर्ग गन्ड में)	नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद क्षेत्र	नगर पालिका क्षेत्र
1 से 50	20 रु.	15 रु.	10 रु.
51 से 110	40 रु.	30 रु.	20 रु.

उक्त दरें गैर योजना क्षेत्र में वसी कच्ची बस्तियों पर भी निर्देशानुसार प्रभावी की जाती है।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.8(ग)() नियम/डीएलबी/21/62359

जयपुर, दिनांक: 4.8.21

आदेश

विभागीय परिपत्र क्रमांक भूमि/एफ.7(ड) (27) डीएलबी/09/21659 दिनांक 20.11.12 जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि जिन कच्ची बस्तियों में आधारभूत विकास पूर्ण हो चुका है एवं जो कच्ची बस्तियों की परिभाषा से बाहर होने योग्य है उन्हें अनाधिसूचित (Denotify) करने हेतु स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया था।

उपरोक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 29.11.12 के अनुसरण में जिन कच्ची बस्तियों में आधारभूत विकास पूर्ण हो चुका है एवं जो कच्ची बस्तियों की परिभाषा से बाहर होने योग्य है उन्हें अनाधिसूचित (Denotify) करने हेतु स्थानीय स्तर की सम्बन्धित निकाय की एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सकाम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचित कच्ची बस्तियों के आवंटन के संबंध में –

- (i) पूर्व के अभियान 2012 के दौरान कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेधारी / गैर सर्वेधारी को पट्टा देने की कट आफ डेट 15.08.2009 रखी गई थी, उसे यथावत रखा जावेगा।
- (ii) कच्ची बस्ती के लिए पूर्व में जारी किये गये पट्टों को अहस्तान्तरणीय रखा गया है, जिन्हे पट्टा जारी होने की तिथि से 10 वर्ष पश्चात हस्तान्तरणीय किया जा सकेगा।
- (iii) कच्ची बस्ती के आवंटन की दरें पूर्व की भाँति यथावत रखी गई हैं।
- (iv) जो कच्ची बस्तियां विकसित हो चुकी हैं, उन्हें डि-नोटीफाई किया जावेगा, जिसकी शक्तियां स्थानीय निकाय की एम्पावर्ड कमेटी को प्रदान की जाती हैं।
- (v) कच्ची बस्ती के भू-खण्डों की दरें पूर्व के अनुसार ही रखी गई हैं। 110 वर्गगज आवासीय जिसमें 15 वर्गगज व्यवसायिक हो सकता है, जो निम्न प्रकार हैः—

क्षेत्रफल	दश नगर निगम क्षेत्र	दश नगर परिषद क्षेत्र	दश नगर पालिका क्षेत्र
1 से 50 व.ग.	20 रु. प्रति व.ग.	15 रु. प्रति व.ग.	10 रु. प्रति व.ग.
51 से 110 व.ग	40 रु. प्रति व.ग.	30 रु. प्रति व.ग.	20 रु. प्रति व.ग.

खांचा भूमि/भूखण्डों के
बढ़े हुए क्षेत्रफल का आंकटन

भू-पट्टी (खांचा भूमि) आवंटन की शक्तियाँ –

- (अ) नगरीय भूमि का निष्पादन नियम, 1974 के तहत किसी भी भूखण्ड से लगती हुई भू-पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 100 वर्गगज हो का आवंटन आरक्षित दर की दोगुनी दर से किये जाने का प्रावधान है। अधिक क्षेत्रफल के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। उक्त प्रावधानों में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है—(आदेश दिनांक 01.09.2021)
- (i) अभियान अवधि में 150 वर्गगज तक का अधिकार समस्त नगर परिषद / पालिका को तथा 200 वर्गगज क्षेत्रफल तक का अधिकार सभी नगर निगमों / प्राधिकरणों / नगर विकास न्यासों को दिया गया है।
- (ii) अभियान अवधि में खांचा भूमि का आवंटन आरक्षित दर पर किया जावेगा।
- (iii) इससे अधिक सीमा के प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा। भू-पट्टी आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खांचा भूमि को किसी प्रकार से स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में सृजित किया जाना संभव नहीं हो एवं भू-पट्टी सड़क व अन्य भूखण्ड का भाग नहीं हो।

(ब) भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का आवंटन—

निकाय की योजनाओं में कलिपय सामलों में आवंटित / नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल भूखण्ड के आवंटित क्षेत्रफल से भीके पर अधिक होता है। इसका मुख्य कारण योजना बनाते समय किये गये सर्वे तथा डिमार्केशन में भिन्नता होना है। ऐसे बढ़े हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर पर आवंटन किया जाता है तथा निलामी के भूखण्डों में निलामी की दर पर आवंटन किया जाता है।

अब ऐसे बढ़े हुये भूखण्डों के क्षेत्रफल का आवंटन अभियान अवधि में निम्न दरों पर किया जावेगा—(आदेश दिनांक 01.09.2021)

- (i) निकाय योजनाओं में आरक्षित दर के 100 प्रतिशत,
- (ii) निजी खातेदारी योजनाओं में आरक्षित दर के 50 प्रतिशत
- गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में आरक्षित दर के 25 प्रतिशत। (आदेश दिनांक 20.09.2021)

नाम हस्तांतरण

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(3)नविवि/नियम/2020

जयपुर, जनवरी, 8 जनवरी, 2020

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण में नगरीय निकायों में अनावश्यक विलम्ब किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 118 में निम्नांकित प्रावधान है:-

“जब कभी या तो ऐसी सूचना द्वारा या अन्यथा ऐसा अन्तरण, नगरपालिका की जासकारी में आये और ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, नगरपालिका रजिस्टर में उस व्यक्ति के स्थान पर, जो मूलतः दायी है, अन्तरिती का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।”

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 27 के प्रावधान है कि “नाम का अन्तरण-भूमि के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम के अन्तरण के लिए स्थानीय प्राधिकारी को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये ग्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु मृत्यु के मामलों में नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।”

उपरोक्त प्रावधानों में अधेक्षित नहीं होने के बावजूद भी अनावश्यक जांचों/औपचारिकताओं के लिए आवेदकों से चक्कर लगवाये जाते हैं और कई महीनों तक इनके काम को लम्बित रखा जाता है।

यदि नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों का सहज रूप से निस्तारण होता है, तो इससे जहाँ एक और फीस, लीजरेट मै वृद्धि आदि से राजस्व की ग्राहित होगी, नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, वही दूसरी ओर आमजन को भी सुविधा होगी। सम्पत्ति के नियमन होने/हस्तान्तरण होने या उत्तराधिकारी के आने के बाद नये भू-स्वामी से नाम हस्तान्तरण के बिना कर वसूली में भी कठिनाई आती है, इसलिये ऐसे कामों को त्वरित एवं समयबद्ध रूप से कराने की आवश्यकता है।

इन मामलों में सैटबैक या ले-आउट प्लान या भवन निर्माण स्वीकृति आदि के लिये कनिष्ठ अभियन्ता या अन्य अधिकारी से मौका निरीक्षण कराया जाकर और विभिन्न शाखाओं से कई प्रकार की रिपोर्ट ली जाकर आवेदकों के बार-बार चक्कर लगवाये जाते हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली से प्रशासन की छवि खराब होती है और जनता को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

अब नाम हस्तान्तरण के किसी भी प्रकरण में जो तो मौके की जाँच कराई जाये और जो ही ले-आउटनकशी की जाँच कराई जाये। नीचे सारणी में दर्शाये गये दस्तावेज यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो केवल उत्तराधिकार एवं पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयत के मामलों में समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जावे। विक्रय पत्र या गिफ्ट डीड के ऐसे मामलों में जहाँ नगरीय निकाय से पट्टा जारी होने के बाद एक से अधिक बार हस्तान्तरण हुआ हो, मैं भी समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जावे, अन्य मामलों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् मूल कर्ता/आवंटी द्वारा विक्रय पत्र/गिफ्ट डीड किया जावे, तो उसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पश्चात्वर्ती हस्तान्तरण में आवश्यक होगी।

विज्ञप्ति किसी एक राज्यस्तरीय प्रमुख समाचार-पत्र में आवेदक के खर्च पर प्रकाशित करायी जावे। इसके समानान्तरण ही भूखण्ड पर बकाया की रिपोर्ट लेकर बकाया राशि तथा निर्धारित अन्तरण फीस जमा कराने की कार्यवाही भी कर ली जावे। नाम हस्तान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही 21 दिन में सम्पादित कर ली जावे।

नाम हस्तान्तरण के मामलों में आवेदन पत्र के साथ केवल वही दस्तावेज लिए जायेंगे, जिनसे भूखण्ड स्वामी के नाम

हस्तान्तरण प्रमाणित होता है। ऐसे दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार है-

S. No.	Mode	Documents Required
1.	Name Transfer on the basis of sale Deed or Gift Deed or Relinquish Deed (हक त्याग) or the basis of order of Court.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar) Card/Driving License/Passport/Voter Id) ✓ Registered Gift Deed or Sale Deed or (हक त्याग) or certified copy of order of Court (As the case may be). ✓ Lease Deed (Patta) Issued, if any or not ✓ Affidavit for No Appeal Pending/Pending Decision with other Courts (In case of court order).
2.	Name Transfer on the basis of will	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter Id). ✓ Registered Will or Unregistered Will with affidavit witnessed by 2 persons. ✓ Death Certificate ✓ Lease Deed (Patta Issued, if any or not).
3.	Name Transfer in favour of successors based on Death Certificate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter Id). ✓ Death Certificate ✓ Lease Deed (Patta Issued, if any or not).

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69ए के तहत लम्बित आवेदन पत्रों, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए के तहत लम्बित मामलों, नीलामी द्वारा विक्रीत या लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं नियमन से शेष अन्य मामलों में भी नाम अन्तरण/प्रतिस्थापन उपरोक्तानुसार साध्य (पढ़े के अलावा लेकर किया जाये, भले ही संबंधित भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया हुआ हो)

नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

समय सीमा में निर्माण नहीं करने वाले या अनावश्यक चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

गज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रधम

अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के संबंध में नगर निकायों को आवेदन प्रस्तुत करने का फार्म

- वास्ते आयुक्तगण/सचिवगण/अधिशासी अधिकारी
 - नगर निगम-नगर परिषद-नगरपालिका
1. सूचना के नोटिस की दिनांक
 2. वर्तमान समय अचल सम्पत्ति किसके नाम है
 3. सम्पत्ति किसके नाम होनी है
 4. सम्पत्ति क्या है? भवन/भूमि
 5. संबंधित सम्पत्ति का क्षेत्रफल
 6. अन्य आवश्यक विवरण
 7. अचल सम्पत्ति किस स्थान पर स्थित है
 8. क्रय/विक्रय या हस्तान्तरण किस पद्धति या दस्तावेज से हुआ है
 9. अन्य आवश्यक जानकारी जो आवेदक देना चाहता है
 10. संलग्न दस्तावेजों का विवरण

आवेदक का नाम

पूर्ण पता मय हस्ताक्षर

Transfer of name .- If land was transferred by lessee/allottee, for transfer of name, the transferee shall submit an application along with registered sale deed, registered gift deed, will or any other relevant document of transfer and application fees. The transferee shall also pay name transfer fees for each transfer at the following rate, namely:-

S.N	Area of land (In square meter)	Rate in rupees per square meter
1.	upto 100 Sqm.	10/-
2.	above 100 to 300 Sqm.	15/-
3.	above 300 to 500 Sqm.	20/-
4.	above 500 Sqm.	25/-

Provided that no name transfer fees shall be charged for transfer of name in favour of successor of deceased allottee/lessee.

Provided further that transfer of name shall be made after the examination of Registered documents or will (which is not compulsorily registered). No officer or employee shall visit of the plot/building in case of proceedings for transfer of name."



राजस्थान राज-पत्र
विशेषंक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फालगुन 15, गुरुवार, शाके 1941-मार्च 05, 2020
Phalgun 15, Thursday, Saka 1941-March 05, 2020

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञितियाँ आदि

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी, 15, 2020

विषय : नाम हस्तान्तरण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध से।

मंख्या प. 8 (ग) (1) नियम/डीएलबी/20/39126 :- प्रायः यह देखा गया है कि नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण में नगरीय निकायों में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 118 में निम्नांकित प्रावधान है-

“जब कभी या तो ऐसी सूचना द्वारा या अन्यथा ऐसा अन्तरण, नगरपालिका की जानकारी में आये और ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, नगरपालिका रजिस्टर से उस व्यक्ति के स्थान पर, जो मूलतः दायी है, अन्तरिती का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।”

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि धूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवेदन) नियम, 2012 के नियम 27 के प्रावधान है कि “नाम का अन्तरण-धूमि के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम के अन्तरण के लिए स्थानीय प्राधिकारी को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रिय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निषिक्षित की जायेगी, परन्तु मृत्यु के मामलों में नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।”

उपरोक्त प्रावधानों में अपेक्षित नहीं होने के बावजूद भी अनावश्यक जांचों/औपचारिकताओं के लिए आवेदकों से चक्कर लगवाये जाते हैं और कई महीनों तक इनके काम को लम्बित रखा जाता है।

यदि नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों का सहज रूप से निस्तारण होता है, तो इससे जहाँ एक ओर फीस, लीज रेट में वृद्धि आदि से राजस्व की प्राप्ति होगी, नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, वही दूसरी ओर आमजन को भी सुविधा होगी। सम्पत्ति के नियमन होने/हस्तान्तरण होने या उत्तराधिकारी के आने के बाद नये भू-स्वामी से नाम हस्तान्तरण के बिना कर वसूली में भी कठिनाई आती है, इसलिये ऐसे कामों को त्वरित एवं समयबद्ध रूप से कराने की आवश्यकता है।

इन मामलों में सैटबैक या ले-आउट प्लान या भवन निर्माण स्वीकृति आदि के लिये कनिष्ठ अभियन्ता या अन्य अधिकारी से पौका निरीक्षण कराया जाकर और विभिन्न शाखाओं से कई प्रकार की रिपोर्ट ली जाकर आवेदकों के बार-बार चक्कर लगवाये जाते हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली से प्रशासन की छवि खराब होती है और जनता को भी परेशानी उड़ाती है।

अब नाम हस्तान्तरण के किसी भी प्रकारण में ना तो मौके की जाँच कराई जाये और ना ही ले-आउट नक्शे की जाँच कराई जाये। नीचे सारणी में दर्शाये गये दस्तावेज यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो केवल उत्तराधिकार एवं पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयत के मामलों में समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जावें। विक्रिय पत्र या गिफ्ट डीड के ऐसे मामलों में जहाँ

नगरीय निकाय से पढ़ा जारी होने के बाद एक से अधिक बार हस्तान्तरण हुआ हो, मैं भी समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जावे, अन्य मामलों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् मूल कर्ता/आवंटी द्वारा विक्रय पत्र/गिफ्ट डीड किया जावे, तो उसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पश्चात् वर्ती हस्तान्तरण में आवश्यक होगी।

विज्ञप्ति किसी एक राज्यस्तरीय प्रमुख समाचार-पत्र में आवेदक के खर्च पर प्रकाशित करायी जावे। इसके समानान्तरण ही भूखण्ड पर बकाया की रिपोर्ट लेकर बकाया राशि तथा निर्धारित अन्तरण फीस जमा कराने की कार्यवाही भी कर ली जावे। नाम हस्तान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही 21 दिन में सम्पादित कर ली जावे।

नाम हस्तान्तरण के मामलों में आवेदन पत्र के साथ केवल वही दस्तावेज लिए जायेंगे, जिनसे भूखण्ड स्वार्मी के नाम हस्तान्तरण प्रमाणित होता हो। ऐसे दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार है-

S. No.	Mode	Documents Required
1.	Name Transfer on the basis of sale Deed or Gift Deed or Relinquish Deed (हक त्याग) or the basis of order of Court.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar) Card/Driving License/Passport/Voter Id) ✓ Registered Gift Deed or Sale Deed or (हक त्याग) or certified copy of order of Court (As the case may be). ✓ Lease Deed (Patta) Issued, if any or not ✓ Affidavit for No Appeal Pending/Pending Decision with other Courts (In case of court order).
2.	Name Transfer on the basis of will	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter Id). ✓ Registered Will or Unregistered Will with affidavit witnessed by 2 persons. ✓ Death Certificate ✓ Lease Deed (Patta Issued, if any or not).
3.	Name Transfer in favour of successors based on Death Certificate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter Id). ✓ Death Certificate ✓ Lease Deed (Patta Issued, if any or not).

अतः इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना ऋमांक 37067, दिनांक 26.11.2019 की निरन्तरता में निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए के तहत लम्बित आवेदन पत्रों, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत लम्बित मामलों, नीलामी द्वारा विक्रीत या लौटी द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं नियमन से शेष अन्य मामलों में भी नाम अन्तरण/प्रतिस्थापन उपरोक्तानुसार साक्ष्य (पट्टे के अलावा) लेकर किया जाये, भले ही संबंधित भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया हुआ हो।

नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

समय सीमा में निस्तारण नहीं करने वाले या अनावश्यक चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

एज्यपाल को आज्ञा से,

ह०/-

उज्जबल राठौड़,

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के संबंध में नगर निकायों को आवेदन प्रस्तुत करने का फार्म

- वास्ते आयुक्तगण/सचिवगण/अधिशासी अधिकारी
- नगर निगम-नगर परिषद-नगरपालिका
- 1. मूच्छना के नोटिस की दिनांक
- 2. वर्तमान समय अचल सम्पत्ति किसके नाम है
- 3. सम्पत्ति किसके नाम होनी है
- 4. सम्पत्ति क्या है? भवन/भूमि
- 5. संबंधित सम्पत्ति का क्षेत्रफल
- 6. अन्य आवश्यक विवरण
- 7. अचल सम्पत्ति किस स्थान पर स्थित है
- 8. क्रय/विक्रय या हस्तान्तरण किस पद्धति या दस्तावेज से हुआ है
- 9. अन्य आवश्यक जानकारी जो आवेदक देना चाहता है
- 10. संलग्न दस्तावेजों का विवरण

आवेदक का नाम

पूर्ण पाता मय हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक. प. ४ (ग) (१) नियम/डीएलबी/20/45202-45415
आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक: 17.09.2020

आदेश

नगरीय निकायों में भूमि/भवन के नाम हस्तान्तरण के मामलों में आम जनता को अनावश्यक परेशान करने की आम शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक. प. ४ (ग) (१) नियम/डीएलबी/20/39126, दिनांक 15.01.2020 द्वारा प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जारी दिशा-निर्देशों में यह भी निर्देश विशेष रूप से दिये गये थे कि नाम हस्तान्तरण के मामलों में कोई भी अधिकारी मौका निरीक्षण के लिए नहीं जायेगा, लेकिन अब भी कई शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारी मौके पर नाप-जोख के नाम पर आवेदकों को परेशान करते हैं।

अतः निर्देशानुसार पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि नाम हस्तान्तरण के मामलों में भूमि/भवन का मौका निरीक्षण करने कोई अधिकारी नहीं जाएगा। यदि फिर भी कोई अधिकारी मौके पर जाता है तो जाने वाले अधिकारी एवं भेजने वाले अधिकारी दोनों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निरेशक एवं विशिष्ट सचिव

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 में नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रावधान विन्दु संख्या 11 :- नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु जारी आदेश दिनांक 08.01.2020 के अनुसार उत्तराधिकार एवं पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयत के मामलों में एवं विक्रय पत्र या गिफ्टडील के ऐसे मामलों (जहा नगरीय निकाय से पटटा जारी होने के बाद एक से अधिक बार हस्तान्तरण हुआ हो) में समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित करवाने की आवश्यकता है एवं अन्य मामलों में विज्ञाप्ति प्रकाशित करवाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा पंजीयन कार्यालय से क्रय-विक्रय की सूचना ऑनलाइन प्राप्त होते ही नामान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश दिनांक 08.01.2020 य 20.09.2021 के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत गिफ्ट, आदि के मामले में समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति की आवश्यकता नहीं है।

गाड़िया लुहारों,
घुमन्तु जातियों को भूखण्ड आंवटन

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प. ४ (ग) (170) नियम/डीएलबी/19/29812

दिनांक : 25.06.2019

परिपत्र

विषय : राज्य सरकार के जन धोषणा पत्र (पॉलिसी डॉक्यूमेन्ट) के तहत घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु विमुक्त जातियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन।

राज्य सरकार के जन धोषणा पत्र पॉलिसी डॉक्यूमेन्ट के बिन्दु संख्या 23.02.02 के अनुसार घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु विमुक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इन जातियों के प्रत्येक परिवार को पात्रता के आधार पर 50 वर्गगज तक का निःशुल्क भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय की अनुपालना में उक्त जातियों को 50 वर्गगज तक का भूखण्ड प्राधिकरण/न्यास द्वारा निःशुल्क आवंटित निमांकित शर्तों के अनुसार किया जावेगा।

- (i) समस्त नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में राजस्थान के घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु विमुक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अवशेष रहे आवासहीन परिवारों को आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन कर सकेंगे। निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले आवासीय भूखण्ड का अधिकतम आकार 50 वर्गगज होगा।
- (ii) भूमि आवंटन के लिये पात्रता पर उक्त जातियों का सदस्य होना एवं उसका प्रमाण-पत्र जारी होना ही पर्याप्त आधार होगा। इनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी ही सक्षम होंगे।
- (iii) राजस्थान राज्य के घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु विमुक्त जातियों में केवल वे जातियाँ शामिल शामिल मानी जायेगी, जिन्हें समाज कल्याण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा अधिसूचना के जरिये शामिल किया गया है।
- (iv) समस्त नगरीय निकायों के द्वारा इन जातियों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करके आरक्षित रखी जायेगी और उस पर अन्य किसी वन अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था संबंधित निकाय द्वारा की जायेगी।
- (v) नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे उक्त जातियों के ऐसे परिवार भी चिन्हित किये जावे जिनके पास कोई आवासीय मकान या आवासीय भूमि नहीं है।
- (vi) आवेदन प्राप्त होने पर चिन्हित भूमि में उक्त जातियों के पात्र व्यक्तियों को यथाशीघ्र पट्टे आवंटित किये जावे।
- (vii) इन जातियों के एक परिवार को केवल एक ही आवासीय भूखण्ड निःशुल्क आवंटित होगा। यदि किसी परिवार के पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा 50 वर्गगज या इससे अधिक आवासीय भूमि उपलब्ध है तो वह इस आदेश के अन्तर्गत निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के लिये पात्र नहीं होगा।
- (viii) इन जातियों के आवास हेतु आवंटित भूमि का उपयोग राज्य में किसी भी अन्य जाति अथवा अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- (ix) निःशुल्क भूमि के आवंटन के पश्चात पट्टाधारी व्यक्ति 20 वर्ष तक भूखण्ड का बेचान अन्य किसी को नहीं कर सकेगा। इस शर्त का उल्लेख पट्टे में आवश्यक रूप से किया जावे।

(पचन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

नगरीय निकायों को दी जाने
वाली शक्तियां/एम्पावर्ड कमेटी

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.४(ग)()नियम / डीएलबी / 2021 / 68664

जयपुर, दिनांक: 27.09.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 में प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभिन्न प्रकरणों जैसे मानचित्र अनुमोदन, भू—पट्टी आवंटन, पट्टा जारी करने आदि के लिये नगरीय निकायों में निम्नानुसार एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाता हैः—

1. नगर निगमों / परिषदों / पालिकाओं के लिए:-

प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उप धारा (6) सहपरित धारा 337 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69—ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194 (194 की उपधारा (7) के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर) 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित करती है।

योजना की अवधि के दौरान संपरीकृत वर्णित धाराओं के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करने तथा मानचित्र अनुमोदन, भू—पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन आदि कार्यों तथा राजस्थान नगरपालिका (सामग्री क्षय एवं संविदा) नियम, 1974 में मण्डल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्वरित निस्तारण हेतु नगरीय निकायों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः—

- | | | | |
|-------|---------------------------------------|---|------------|
| (i) | निकाय के मेयर / सभापति / अध्यक्ष | — | अध्यक्ष |
| (ii) | निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक | — | सदस्य |
| (iii) | निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता | — | सदस्य |
| (iv) | मुख्य नगर पालिका अधिकारी | — | सदस्य सचिव |

इसके अतिरिक्त नगर सुधार न्यास / विकास प्राधिकरण में एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः—

2. नगर सुधार न्यास हेतु:-

- | | | | |
|-------|--|---|------------|
| (i) | न्यास अध्यक्ष | — | अध्यक्ष |
| | (न्यास अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव, न्यास) | | |
| (ii) | न्यास सचिव | — | सदस्य |
| | (समिति की अध्यक्ता न्यास अध्यक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में) | | |
| (iii) | न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक | — | सदस्य |
| (iv) | न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता | — | सदस्य |
| (v) | न्यास में कार्यरत तहसीलदार | — | सदस्य |
| (vi) | न्यास के उप सचिव / विशेषाधिकारी | — | सदस्य सचिव |

3. जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण हेतु:-

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---------|
| (i) | प्राधिकरण के अध्यक्ष | — | अध्यक्ष |
| | (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयुक्त) | | |

(ii)	प्राधिकरण के आयुक्त (समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा कियें जाने की स्थिति में)	—	सदस्य
(iii)	प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक	—	सदस्य
(iv)	प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता	—	सदस्य
(v)	प्राधिकरण जोन से संबंधित अतिरिक्त / उपायुक्त	—	सदस्य
(vi)	प्राधिकरण के सचिव	—	सदस्य सचिव

4. जयपुर विकास प्राधिकरण हेतु:-

(i)	प्राधिकरण के अध्यक्ष (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयुक्त)	—	अध्यक्ष
(ii)	प्राधिकरण के आयुक्त (समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा कियें जाने की स्थिति में)	—	सदस्य
(iii)	प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक	—	सदस्य
(iv)	प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता	—	सदस्य
(v)	प्राधिकरण जोन से संबंधित अतिरिक्त / उपायुक्त	—	सदस्य
(vi)	प्राधिकरण के सचिव	—	सदस्य सचिव

नोट:-

- (i) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा आवश्यकता अनुरूप विधि अधिकारी/लेखाधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।
 - (ii) जिन नगरीय निकायों में नगर नियोजन अधिकारी पदस्थापित नहीं है, तो संबंधित जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग अथवा मुख्य नगर नियोजक, साजस्थान द्वारा अधिकृत नगर नियोजक को सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।
 - (iii) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम होगा, तथा उपरिषित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिये जावेंगे। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। कमेटी के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि कमेटी की बैठक के दिन ही बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर प्रति निकाय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
 - (iv) समस्त निकायों द्वारा अभियान अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह में कम से कम पांच बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी, जिसमें अन्य ऐजेण्डा के साथ-साथ अभियान की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा का स्थायी एजेण्डा भी रखा जावेगा।
 - (v) नगर निगमों में एम्पावर्ड समिति द्वारा जोन स्तरीय समिति गठित की जाकर उनको अधिकार / शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकेगा।
- यह आदेश सक्रम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

**राजस्थान आवासन मण्डल
के कार्य**

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक— प्र.श.के.सं / 2021–22 / 3

दिनांक : 22.09.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल स्तर से निम्नलिखित कार्य निष्पादित किये जाने हैं—

1. नाम हस्तान्तरण
2. अपंजीकृत पट्टों को पुर्णवैध कर पंजीकरण करना
3. कालोनियों में सड़क मरम्मत
4. स्ट्रीट लाईट विस्तार / सुधार
5. आवंटन पत्र जारी करना
6. आवंटियों की बकाया राशि की जातकारी देना
7. धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाना
8. पट्टा जारी करना
9. अदेयता प्रमाण पत्र जारी करना
10. भवन निर्माण अवधि विस्तार
11. आवंटी / आवेदकों को रिफण्ड करना
12. एकमुश्त लौज मुक्ति प्रमाण पत्र
13. पता परिवर्तन
14. आय वर्ग परिवर्तन
15. अर्नेस्ट मनी रिफण्ड
16. संचेदकों का पंजीकरण
17. मूख्यण्डों का उपविभाजन / मुनर्गठन
18. सम्पत्तियों का पंजीयन
19. नियमितीकरण प्रकरण
20. किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तन

क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित कार्य की मॉनिटरिंग राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से की जावेगी एवं शेष कार्यों हेतु संयुक्त निदेशक (सिस्टम इनालिस्ट) द्वारा गूगल शीट उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर प्रत्येक दिन निस्तारित किये ग्रकरणों की सूचना मुख्यालय को प्रेषित करनी होगी। इस सूचना का संकलन एवं संधारण उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा किया जायेगा।

आवासन मण्डल मुख्यालय, समस्त उप आवासन आयुक्त कार्यालय एवं समस्त खण्ड कार्यालयों पर निश्चित तिथियों पर प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जायेगा।

सभी उप आवासन आयुक्त कार्यालय एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालय में हेल्प डेस्क लगाकर कैम्प के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों से संबंधित आवेदन प्रपत्र/प्रोफार्मा उपलब्ध करवायेंगे एवं मण्डल में वर्तमान में संचालित योजनाओं के बारे में भी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवायेंगे। कैम्प समय में आगन्तुकों के बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित कराये।

सहायक निदेशक, जनसम्पर्क को निर्देशित किया जाता है कि कैम्प आयोजन स्थल पर प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम से संबंधित कार्यों की जानकारी एवं मण्डल की वर्तमान योजनाओं से संबंधित जानकारी इत्यादि के बैनर, पोरटर बनवाकर सभी कैम्प आयोजन स्थल पर उपलब्ध करवायेंगे।

मण्डल की वेबसाईट के Home Page पर प्रशासन शहरों के संग का लिंक उपलब्ध है। लिंक पर क्लिक करते ही उपर दिये गये सभी 22 कार्यों से संबंधित आवेदन पत्र एवं प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी के साथ—साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जायेगी ताकि आमजन को प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान राजस्थान आवासन मण्डल में अपने कार्य करवाने में सुविधा होगी।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक मोबाइल ऐप "RHB आवास" तैयार किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न शहरों पर किस—किस श्रेणी के आवास की आवश्यकता है, के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मोबाइल ऐप पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवासन मण्डल की आगामी योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले पद्धति इत्यादि पर राज्य सरकार के परिपत्रानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की फौटो एवं अभियान के लोगो सहित जारी किए जायेंगे।

सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कैम्प के दौरान सम्पादित किये जाने वाले कार्यों से संबंधित लम्बित कार्य पहले से ही सूचीबद्ध कर अभियान के दौरान समस्त कार्यों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिदिन सम्पादित कार्यों की सूचना मुख्यालय स्थित नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

(संचिता बिश्नोई)

सचिव

अभियान हेतु नियुक्त प्रेक्षकों एवं
अन्य अधिकारियों के आदेश

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1) / नविवि / अभियान / 2021 /

जयपुर, दिनांक : 24.09.2021

आदेश

राज्य में चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान –2021 के दौरान कार्यों की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय—समय पर मॉनिटरिंग किये जाने हेतु राज्य के निम्न लिखित संभागों में उनके सामने अंकित सेवानिवृत भारतीय / राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रेक्षक (Observer) के रूप में दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक संभागवार नियुक्त किया जाता है :—

क्र.सं.	संभाग / मुख्यालय	प्रेक्षक (Observer)	पारंपरिक, वाहन व इन्य सुविधा किसके द्वारा गहन की जाएगी (नीडल एजेन्सी)
1.	अजमेर	श्री कृष्णावतार त्रिवेदी RAS (Retd.) मो.नं. 98280-11804	अजमेर विकास प्राधिकरण
2.	बीकानेर	श्री मिश्र राम, RAS (Retd.) मो. नं. 88758-30881	नगर विकास न्यास, बीकानेर
3.	भरतपुर + दीसा	श्री मातालाम रिनवा RAS (Retd.) मो. नं. 94133-33370	नगर विकास न्यास, भरतपुर
4.	जयपुर (दोसा को छोड़कर)	श्री एन.पी. शर्मा RAS (Retd.) मो.नं. 9414150948	जयपुर विकास प्राधिकरण
5.	जोधपुर	श्री श्याम सिंह राजपुरोहित IAS (Retd.) मो. नं. 98290-62639 / 94144-87639	जोधपुर विकास प्राधिकरण
6.	कोटा	श्री आर.डी. शीणा RAS (Retd.) - III मो. नं. 9460238005	नगर विकास न्यास, कोटा
7.	उदयपुर	श्री आर.पी. शर्मा RAS (Retd.) मो. नं. 94143-04593	नगर विकास न्यास, उदयपुर

1. प्रभारी अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :—

- अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों की सूची प्राप्त करेंगे तथा इस संबंध में जारी सभी नियमों/ आदेशों/ परिपत्रों का अध्ययन करेंगे।
- ऑनलाईन पोर्टल www.shahar2021.rajasthan.gov.in पर की गई व्यवस्था के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तथा नगर निकायों द्वारा इसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- ऑनलाईन पोर्टल पर विभिन्न आवेदन पत्रों को अपलोड करने में आवेदकों को यदि कठिनाई आ रही हो तो ई-मित्र, नगर मित्र, अन्य व्यक्ति की मदद बाबत स्थिति स्पष्ट करेंगे।
- नागरिकों की सहायतार्थ प्रत्येक नगर निकाय में हैल्प-डेस्क की व्यवस्था।
- प्रत्येक शहर के लिये “नगर मित्र” नियुक्त किये गये हैं जो नागरिकों को तयशुदा फीस लेकर तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। नगर मित्रों द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी अधिकारी उनको आवंटित क्षेत्र की नगर निकायों द्वारा लगाये जाने वाले शिविरों का सप्ताह में 5 दिन निरीक्षण करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य तत्परता से किये जावेंगे। शिविरों में उपस्थित नागरिकों से भी प्रतिक्रिया (feedback) प्राप्त करेंगे। यदि कार्य में कोई कठिनाई/ बाधा महसूस हो रही

हो तो उनको उचित मार्गदर्शन देंगे तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

- यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि नगर निकाय द्वारा शिविर का स्थानीय स्तर पर प्रचार/प्रसार किया जा रहा है तथा शिविरों में कोविड-19 के मद्देनजर आवश्यक प्रबंधन किये जा रहे हैं।
 - आम नागरिकों की मदद के लिये राज्य स्तर पर एक हैल्प-डर्स्क भी स्थापित किया गया है, जिसको नागरिकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। (टोल फ्री-नम्बर 1800-180-6127)
 - प्रगति रिपोर्ट मेजने के लिये एक प्रफॉर्मा तैयार किया गया है। जिसे अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार सांय तक अपनी रिपोर्ट के साथ भेजेंगे।
 - संभाग में संबंधित उप निदेशक स्थानीय निकाय / वरिष्ठ नगर नियोजक व राजस्व अधिकारियों से भी लगातार सम्पर्क रखते हुए उनको निकाय के लिये सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रेक्षकों (Observer) का यह दायित्व होगा कि वे अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान समय-समय पर जारी आदेश, परिपत्रों, निर्देशों से अद्यतन रहेंगे।
3. सभी अधिकारियों को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अभियान संबंधी पुस्तिका (Booklet) आदि उपलब्ध करवाई जावेगी। उनके द्वारा नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर में दिनांक 28.09.2021 को दोपहर 03:00 बजे Orientation Programme में भाग लिया जायेगा।
4. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत) अधिकारियों को 40,000/- प्रति माह व भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत) अधिकारियों को 50,000/- प्रति माह समेकित मानदेय (consolidated remuneration) दिया जावेगा।
5. सभी नोडल एजेन्सियों द्वारा अधिकारियों के लिये उचित वाहन व्यवस्था तथा उनके भ्रमण के दौरान यदि रात्रि विश्राम करना पड़ता है, तो उनके लिये उचित व्यवस्था की जावेगी।

इनके द्वारा समय-रामय पर की गई कार्यवाही से राज्य सरकार के सलाहकार प्रकोष्ठ, जो कि नगर नियोजन भवन में स्थापित किया गया है, को अवगत करायेंगे। श्री मिरिराज अग्रवाल, विशेषाधिकारी, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है ताकि कार्यों की मोनिटरिंग नियमित रूप से हो सके। विशेषाधिकारी प्रगति विवरण संकलित कर मुख्यमंत्री कार्यालय, कार्यालय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, सलाहकार, प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव स्वायत्त शासन विभाग को अवगत करवाते रहेंगे।

आज्ञा से,
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1) / नविवि / अभियान / 2021 /

जयपुर, दिनांक : 24.09.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान शहर—2021 के दौरान अभियान के नगर नियोजन संबंधी कार्यों यथा मास्टर प्लॉन, जॉनल प्लॉन, डिवलपमेंट प्लॉन, सेक्टर ले—ऑफिट प्लान्स आदि की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय—समय पर मॉनिटरिंग किये जाने हेतु निम्नलिखित सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक / वरिष्ठ नगर नियोजक की सेवाएँ नगर निकायों की सहायतार्थ दिनांक 01.10.2021 से 31 मार्च, 2022 तक समेकित मानदेय रूपये 40,000/- प्रतिमाह पर ली जाती हैं :—

क्र.सं.	सेवानिवृत्त अधिकारी नाम व पदनाम	कार्य स्थल	पारश्रमिक, आवश्यकतानुसार बाहन व अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु नोडल ऐजेन्सी
1.	श्री चन्द्र शेखर पाराशर, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	सप्ताह में 03 दिवस जयपुर नगर निगम, ग्रेटर एवं 02 दिवस जयपुर नगर निगम, हैरिटेज	नगर निगम, ग्रेटर
2.	श्री सुग्रीव सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ नगर नियोजक	बीकानेर संभाग की समरत निकाय	नगर विकास न्यास, बीकानेर
3.	श्री एस.के, श्रीमाली, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	उदयपुर संभाग की समरत निकाय	नगर विकास न्यास, उदयपुर

राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों को उपरोक्त ऑफिटित कार्यों के अतिरिक्त अन्य निकायों का भी कार्य दिया जा सकता है।

सभी अधिकारियों को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अभियान संबंधी पुस्तिका (Booklet) आदि उपलब्ध करवाई जावेगी। इनके द्वारा नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर में दिनांक 28.09.2021 को दोपहर 03:00 बजे Orientation Programme में भाग लेने हेतु उपस्थित होना है।

आज्ञा से,
(मनीष गोयल)
रायुक्त शासन सचिव—प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1) / नविदि / अभियान / 2021 /

जयपुर, दिनांक : 24.09.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान “शहर-2021” के दौरान अभियान के कार्यों की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय-समय पर मोनेटरिंग किये जाने हेतु सम्मागवार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निम्नालिखित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	प्रशासनिक अधिकारी	सम्माग
1.	श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अजगर, कोटा व उदयपुर
2.	श्री नवनीत कुमार, संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	जोधपुर, बीकानेर व भरतपुर
3.	श्री अवधेश सिंह, संयुक्त शासन सचिव—तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	जयपुर

उक्त प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे नियमित एवं आवश्यकतानुसार संबन्धित जोन में आने वाली नगरपालिकाओं / नगर परिषदों / नगर निगमों / नगर निकाय प्रन्यासों / नगर विकास प्राधिकरण में चलने वाले अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान समय-समय पर जारी आदेश, परिपत्रों, निर्देशों से अद्यतन रहेंगे एवं अधिकारियों द्वारा सलाहकार (UDH & LSG) प्रकोष्ठ, नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को अभियान से सम्बन्धित प्रमुख कार्यों की प्रगति बाबत "Google Sheet" के माध्यम से नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1) / नविवि / अभियान / 2021 /

जयपुर, दिनांक : 24.09.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान शहर-2021 के दौरान अभियान के नगर नियोजन सम्बन्धी कार्यों यथा – मास्टर प्लान, जोनल ड्वलपमेंट प्लान, सेक्टर लै-आउट प्लान्स आदि की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय-समय पर मोनिटरिंग किये जाने हेतु निम्नानुसार जोनवार प्रभारी अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है—

क्र. सं.	जोन	मुख्य प्रभारी	अतिरिक्त प्रभारी	सम्भाग / जिला प्रभारी
1.	जयपुर	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर नगर निगम (हारिटेज)	विश्व नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर (जिला—जयपुर दौसा, सीकर व झुन्झुनू)
2.	जोधपुर	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	विश्व नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर (जिला—जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाढ़मेर व जैसलमेर)
3.	अजमेर	श्री एच.एस. संघेती, प्रमुख सलाहकार (नगर नियोजन), राजस्थान, जयपुर	निदेशक (नगर आयोजना), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	विश्व नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर (जिला—अजमेर, भीलवाड़ा, नारोर व टॉक)
4.	उदयपुर	श्री एच.एस. संघेती, प्रमुख सलाहकार (नगर नियोजन), राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर	विश्व नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (जिला—उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरापुर, बांसवाड़ा, राजसमंद व झुगरपुर)
5.	बीकानेर	निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	विश्व नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर (जिला—बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीरामगढ़ व चुरू)
6.	कोटा	निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर	विश्व नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा (जिला—कोटा, बूदी, बारां, झालावाड व सावाईमाधोपुर)
7.	भरतपुर	मुख्य नगर नियोजक(एनसीआर), राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम(ब्रेटर), जयपुर	विश्व नगर नियोजक, (एनसीआर) (जिला—अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करोली)

उक्त समस्त प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित जोन में आदेश जारी होने की तिथि से आवश्यक रूप से भ्रमण कर अभियान से सम्बन्धित तकनीकी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सम्भाग / जिला प्रभारी अपने—अपने जिलों में रिथ्त नगरीय निकायों हेतु अपने कार्यालय के उप / सहायक नगर नियोजक / जिला नगर नियोजकों को सहायक प्रभारी के रूप में नियुक्त करेंगे एवं अभियान में नगर नियोजन सम्बन्धी कार्यों को गति प्रदान करेंगे। अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी अपने सम्भाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नगरीय निकायों के अधिकारियों से

प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं मुख्य प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेंगे। अतिरिक्त प्रभारी एवं सम्बाग/जिला प्रभारी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा मुख्य प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं नगर नियोजन सम्बन्धी प्रकरणों/समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे।

शमरत प्रभारी अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे नियमित एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जोन में आने वाली नगरपालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर निकाय प्रन्यासों/नगर विकास प्राधिकरण में अभियान अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समन्वय का कार्य करेंगे व राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान समय-समय पर जारी आदेश, परिपत्रों व निर्देशों से अद्यतन रहेंगे।

प्रभारी अधिकारियों द्वारा सलाहकार (UDH & LSG) प्रकोष्ठ, नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को अभियान से सम्बन्धित प्रमुख कार्यों की प्रगति बाबत छँववहसमैममजै के माध्यम से नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

टेलीफोन नम्बर सूची

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021
टेलीफोन नम्बर सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नम्बर (0141)
01.	श्री शांति कुमार धारीवाल	माननीय मंत्री महोदय, नगरीय निकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	_____	2227384 (O) 2360257 (R)
02	श्री आर. के. पारीक	विशिष्ट सहायक	9414022972	2227384

सलाहकार कार्यालय
ई-मेल आईडी : advisor.udh@rajasthan.gov.in

01.	डॉ. गुरदयाल सिंह सन्दू	सलाहकार, नगरीय निकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	_____	2563136
02.	श्री डी. डी. लधानी	विशिष्ट सहायक	_____	2563138
03.	श्री गिरि राज अग्रवाल	विशेषाधिकारी	9799296457	2563034

नगरीय विकास विभाग
ई-मेल आईडी : udb@rajasthan.gov.in

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नम्बर (0141)
01.	श्री कुंजीलाल मीणा	प्रमुख शासन सचिव	_____	2227215
02.	श्री मनीष गोयल	संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)	9414630222	2227014
03.	श्री नवनीत कुमार	संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)	9413364077	2385199
04.	श्री अवधेश सिंह	संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)	9414253557	2385802
05.	डॉ. संजय शर्मा	वरिष्ठ उप सचिव (अति. कार्यभार)	8741910009	_____
06.	श्री एम. एल. चौधरी	मुख्य अभियन्ता	9829072300	_____
07.	श्री उमेन्द्र गोयल	उप विधि परामर्शी	9828041713	_____
08.	श्री नितिन नेहरा	उप नगर नियोजक	9828929656	_____
09.	श्री भीमसिंह राठौड़	तकनीकी परामर्शी	7073095889	_____

स्वायत्त शासन विभाग
ई-मेल आईडी : dlb.lsg@rajasthan.gov.in

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाईल नम्बर	कार्यालय नम्बर
01.	श्री भवानी सिंह देष्टा	शासन सचिव		2227200
02.	श्री दीपक नन्दी	निदेशक एवं विशिष्ट सचिव		2222403 2222805
03.	श्री संजीव कुमार पाण्डेय	अतिरिक्त निदेशक	9314502994	2229314
04.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	उप निदेशक (प्रशासन)	9680697887	2226719
05.	श्री महेन्द्र मोहन	वित्तीय राजाहकार	7665986000	2226729
06.	श्री रक्षा पारीक	सहायक निदेशक (सतर्कता)	9782221743	2226738
07.	श्री भूपेन्द्र माथुर	मुख्य अभियन्ता	9414266266	2222469
08.	श्री राजेश कुमार तुलारा	अति. मुख्य नगर नियोजक	9828506399
09.	श्री राजपाल चौधरी	उप नगर नियोजक	9414236306
10.	श्री संजय माधुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	9414719004	2226714
11.	श्रीमती कविता चौधरी	सचिव (भर्ती आयोग)	9829376452	2226707
12.	श्री बृजेश पारीक	संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)	9829063502	2226706
13.	श्री शाहिद अहमद	सिस्टम एनालिस्ट	9829110199	2226712
14.	श्री दिनेश चन्द गोयल	उप निदेशक (सांख्यिकी)	9414488730	2226718
15.	श्री अशोक कुमार मीणा	उप निदेशक (एनालिस्ट कम प्रौद्योगिकी)	8870087087	2226712
16.	श्रीमती डॉ. हिमानी तिवाड़ी	समन्वयक (सी.एम.ए.आर)	9950015017	2226763
17.	श्री विनय पाठक	क्षेत्रीय उप निदेशक, उदयपुर	9602723366 7665870110	0294-2421362
18.	श्रीमती रेणु खण्डेलवाल	क्षेत्रीय उप निदेशक, जयपुर	9414035520	0141-2361366
19.	श्री ए.एच. मौरी	क्षेत्रीय उप निदेशक, बीकानेर	8107211786	0151-2546539
20.	श्री कमलराम मीणा	क्षेत्रीय उप निदेशक, भरतपुर	9414297744	05644-231336
21.	श्रीमती दिप्ती रामचन्द्र मीणा	क्षेत्रीय उप निदेशक, कोटा	9414089039 9461039039	0744-2504207
22.	श्री राजेन्द्र कविया	क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर	9414523011	0291-2651461
23.	डॉ. अनुपमा टेलर	क्षेत्रीय उप निदेशक, अजमेर	9928499323 9928477544	0145-2426716

नगर नियोजन विभाग
ई-मेल आईडी : ctp-rj@nic.in

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नम्बर (0141)
01.	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक		2563702
02.	श्री ओ.पी. पारीक	मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)	9829091019	2561377
03.	श्री संदीप दंडवते	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)	9413350789	2569430
04.	श्री सुभाष शर्मा	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)	9414073322	2565412

राजस्थान आवासन मण्डल
ई-मेल आईडी : info.rhb@rajasthan.gov.in

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नम्बर (0141)
01.	श्री पवन अरोड़ा	आयुक्त		2740313
02.	श्रीमती संचिता विश्नोई	सचिव		2740172
03.	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता मुख्यालय	7665111165	2740371

जयपुर विकास प्राधिकरण
ई-मेल आईडी : jda@rajasthan.gov.in

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नम्बर
01.	श्री गौरव गोयल	आयुक्त		0141-2569696
02.	श्री हृदेश कुमार शर्मा	सचिव	9829366777	0141-2573150
03.	श्री आनन्दी लाल वैष्णव	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	9414181116	
04.	श्रीमती विनिता सिंह	अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन व पुनर्वास)	9829018925	
05.	श्री विनय कुमार दलेला	निदेशक आयोजना	9414189623	0141-2564625

जोधपुर जिकारा प्राधिकरण
ई-मेल आईडी : jdajodhpur-rj@nic.in

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नम्बर
01.	श्री कमरूल ज़माँ चौधरी	आयुक्त		0291-2612086
02.	श्री हरभान मीना	सचिव		0291-2656355

अजमेर विकास प्राधिकरण
ई-मेल आईडी : ajmerada@gmail.com

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नम्बर
01.	श्री अक्षय गोदारा	आयुक्त		0145-2425462
02.	श्री किशोर कुमार	सचिव	7073977744	0145-2620740

अभियान के नियुक्त प्रेषक

क्र.सं.	संभाग / मुख्यालय	प्रेषक (Observer)
1.	अजमेर	श्री कृष्णवत्तर विवेदी RAS (Retd.) मो.नं. 98280-11804
2.	बीकानेर	श्री मिठू सिंह, RAS (Retd.) मो. नं. 88758-30881
3.	भरतपुर + दीसा	श्री माताराम रिनवा RAS (Retd.) मो. नं. 94133-33370
4.	जयपुर (दोसा को छोड़कर)	श्री एन.पी.शर्मा RAS (Retd.) मो.नं. 9414150948
5.	जोधपुर	श्री श्याम सिंह राजपुरोहित IAS (Retd.) मो. नं. 98290-62639 / 94144-87639
6.	कांठा	श्री आर.डी. मीणा RAS (Retd.) - III मो. नं. 9460238005
7.	उदयपुर	श्री आर.पी. शर्मा RAS (Retd.) मो. नं. 94143-04593

विशिष्ट नोट

- विभाग द्वारा मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन अभियान में आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसका उपयोग नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।
- अभियान में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई छूट एवं शिथिलताओं से सम्बन्धित आदेशों और परिपत्रों का समावेश कर, मार्ग-निर्देशिका प्रकाशित की गई है, जिसमें सम्बन्धित आदेशों और परिपत्रों का समावेश करने का पूर्ण प्रयास किया गया है।
- मार्ग-निर्देशिका में समावेशित आदेशों और परिपत्रों इत्यादि में यदि सहबन से मुद्रण में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी सम्बन्धित मूल आदेश ही मान्य होगा।



नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एव आवासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर

वेबसाईट: shahar2021.rajasthan.gov.in

ई-मेल: psksabhiyan21@gmail.com

हेल्प डेस्क : 1800 180 6127



अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान



शान्ति धारीवाल
मंत्री, नगरीय विकास,
स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग



मार्ग-निर्देशिका-2

प्रशासन शहरों के संग अभियान - 2021

विवरण सूची

नगरीय निकायों को सिवायचक/अन्य राजकीय भूमि का हस्तान्तरण
पूर्व में जारी पट्टों का पुनर्वेध कर अपंजीकृत दस्तावेजों का पंजीकरण
किराये पर/लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री-होल्ड के पड़े देना
(i) EWS/LIG/MIG/HIG के सम्बन्ध में ब्याज की छूट/EWS/LIG के 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन बहाल करना (ii) अन्य श्रेणी के आवंटन व नीलामी के प्रकरणों में किस्तों में ब्याज/पेनेल्टी/शुल्क की छूट देकर आंवटन पत्र जारी करना
(i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण, स्व-रोजगार, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना, स्ट्रीट वेन्डर्स योजना में पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में (ii) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय स्थल की स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के आवेदन स्वीकृत करना
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
अन्य सामान्य परिपत्र - संविदा कर्मचारी, अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि, आवंटन नीति 2015 बाबत्
अन्य विभागों से संबंधित कार्य
(i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (ii) जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (iii) ऊर्जा विभाग (iv) सार्वजनिक निर्माण विभाग (v) राजस्व विभाग (vi) महिला एवं बाल विकास विभाग (vii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021

मार्ग—निर्देशिका—2

अभियान ई—मेल आईडी : psksabhiyan21@gmail.com
अभियान वेबसाईट : shahar2021.rajasthan.gov.in

अभियान हैल्प डेस्क नम्बर : 1800-180-6127

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	नगरीय निकायों को सिवायचक/अन्य राजकीय भूमि का हस्तान्तरण	1-3
2.	पूर्व में जारी पट्टों का पुनर्वेद्ध कर अपंजीकृत दस्तावेजों का पंजीकरण	5-11
3.	किराये पर/लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री-होल्ड के पड़े देना	13-16
4.	(i) EWS/LIG/MIG/HIG के सम्बन्ध में ब्याज की छूट/EWS/LIG के 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन बहाल करना (ii) अन्य श्रेणी के आवंटन व नीलामी के प्रकरणों में किस्तों में ब्याज/पेनेलटी/शुल्क की छूट देकर आंवटन पत्र जारी करना	17-19 21-23
5.	(i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण, स्व-रोजगार, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना, स्ट्रीट वेन्डर्स योजना में पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में (ii) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना	25-29 31-34
6.	स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय स्थल की स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के आवेदन स्वीकृत करना	35-43
7.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	45-52
8.	अन्य सामान्य परिपत्र - संविदा कर्मचारी, अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि, आवंटन नीति 2015 बाबत्	53-74
9.	अन्य विभागों से संबंधित कार्य (i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (ii) जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग (iii) ऊर्जा विभाग (iv) सार्वजनिक निर्माण विभाग (v) राजस्व विभाग (vi) महिला एवं बाल विकास विभाग (vii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	75-77
10.	प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र	79-81

सिवायचक/अन्य राजकीय भूमि
का हस्तान्तरण

**Government Of Rajasthan
Revenue (Gr-6) Department**

No.F. 6(9)Rev-6/96pt./39

Jaipur, dated 8.12.10

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 92 read with section 102 A and 260 of the Rajasthan Land Revenue Act,1956(Act No.15 of 1956) and in supersession of this Department's Notification No. F.6(9) Rev/Gr-VI/96 Pt. 10 date June 02,2009(as amended from time to time), the State Government here by orders that:-

1. All government land falling within the urbanisable limits of Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts, and Municipalities, shall be transferred to Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts or Municipalities, as the case may be.
2. The government land shall be transferred on payment of capitalized value of the land amounting to forty times of the land revenue to the State Government by the Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts or Municipalities as the case may be.
3. Immediately after the capitalized value of the land is paid by the Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts, or Municipalities, as the case may be, the land shall be transferred to be concerned body and the land shall be recorded in their names in the revenue records.
4. In addition to the capitalized value of the land Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts or Municipal Corporation or Municipal Council, as the case may be, shall, on disposal of the land through sale, allotment or regularization have to deposit in the State Government account a portion of the amount received from the sale, allotment or regularization of the land which shall be as follow:
 - (i) Jaipur Development Authority/Jodhpur Development Authority 20% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land.
 - (ii) Urban Improvement Trusts 5% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land.
 - (iii) Municipal Corporations 2.5% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land.
 - (iv) Municipal Councils 2% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land.

Provided that if any Urban Improvement Trusts, Municipal Corporation or Municipal Council, or the disposal of the land through sale, allotment or regularization has deposited in the state Government account a portion of the amount received from such disposal, is higher than the above, remaining amount of such deposit shall not be refunded.

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. from April 01,2005.

By order of the Governor
(Naresh Kumar Sharma)
Deputy Secretary to Government

पूर्व में जारी पट्टों
का पुनर्वेध

पूर्व में जारी पट्टे / अभियान में जारी होने वाले पट्टों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क :—

जिन प्रकरणों में भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—बी / 90—ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों के जारी पड़े एवं निकाय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत दिये गये पट्टे / लीज डीड मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके हैं किन्तु किसी कारणवश इन पट्टा विलेखों का संबंधित उप पंजीयक से पंजीयन नहीं करवाया गया है ऐसे पट्टों के नवीनीकरण (पुनर्वेध) की कार्यवाही कर अभियान के दौरान पंजीयन करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा—विलेख को दिनांक 31.03.2022 तक पुनः निष्पादित कर पुनर्वेध (रिवेलिडेटेड) किया जाकर पंजीयन करवाया जा सकेगा। मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत पर पंजीयन किया जा सकेगा। (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021)

Government of Rajasthan
Finance Department
(Tax Division)
Notification

Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No : 14 to 1999) and in suspension of this department's notification numbers F.2(55)FD/Tax/2012-33 dated 12.07.2012, F.4 (3)FD/Tax/2018-188 dated 12.02.2018, F.4(3)FD/Tax/2017-113 dated 08.03.2017, F.2(37)FD/Tax/2010+-125 dated 08.03.2011, F.4(4)FD/Tax/2020-126 dated 20.02.2020 and F.4(4)FD/Tax/2020-127 dated 20.02.2020, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

S.No.	Description of instrument	Stamp Duty
1	2	3
1.	The lease deed of residential site allotted under the Indira Awaas Yojana and Mukhyamantri Gramin B.P.L. Awaas Yojana	Nil
2.	The lease deed or allotment order issued by the Gram Panchayat under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj. Rules, 1996	Rs. 100
3.	The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 (Act No. 20 to 1961)	Rs. 100
4.	The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Slum Development Policy-2012	Rs. 100
5.	The lease deed/sale deed issued/executed under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana for- (i) dwelling units for Economically Weaker Section (ii) dwelling unit for Low Income Group	0.5% of consideration amount 1% of consideration amount

6.	<p>The lease deed issued/executed under the Rajasthan Township Policy-2010.</p> <p>(i) in case of first allotment of plot for residential, institutional, industrial, tourism unit, etc.</p> <p>(ii) in case of first allotment of plot for commercial purpose</p>	<p>at the rate of conveyance on 4 times of the residential conversion charges.</p> <p>at the rate of conveyance on 8 times of the residential conversion charges.</p>
7.	<p>The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.</p>	<p>at the rate of conveyance on the amount of premium, development charges, conversion, charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any and the average amount of the rent of two years.</p>
8.	<p>The lease deed (not covered under any category specified at serial number 1 to 7 above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them.</p>	<p>at the rate of conveyance on the amount or premium and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years.</p>
9.	<p>Any lease deed covered by serial number 2 to 8, submitted for registration after revalidation.</p>	<p>120% of the stamp duty payable on the original lease deed.</p>

- Note :-
1. In case of lease deed/sale deed issued/executed under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 or the Rajasthan Government Grants Act, 1961 or the Rajasthan Slum Development Policy-2012 or the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana or the Rajasthan Township Policy 2010, the allottee shall to the satisfaction of the Registration Officer that the lease deed/sale deed has been issued/executed under such Act, Rules, Yojana or Policy, as the case may be.
 2. This notification shall be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No. F.4(2)FD/Tax/2021-272]
Be order of the Governor

(Tina Dabi)
Joint Secretary of the Government

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी, 24, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(55)वित्त/कर/2012-33 दिनांक 12.07.2012, प.4(3)वित्त/कर/2018-188 दिनांक 12.02.2018, प.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.03.2017, प.2 (37)वित्त/कर/2010-125 दिनांक 08.03.2011, प.4(4)वित्त/कर/2020-126 दिनांक 20.02.2020 और प.4(4)वित्त/कर/2020-127 दिनांक 20.02.2020 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथानिविर्दिष्ट दर से प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख	कोई नहीं
2.	राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश	100 रुपये
3.	राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश	100 रुपये
4.	राजस्थान स्लम डबलमेंट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश	100 रुपये
5.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय विलेख:- (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां (ii) निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइयां	प्रतिफल की रकम का 0.5 प्रतिशत प्रतिफल की रकम का 1 प्रतिशत
6.	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख- (i) आवासीय, संस्थानिक, औद्योगिक, पर्यटन इकाई इत्यादि के लिए भू-खण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में।	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 4 गुना पर हस्तान्तरण की दर से।

	(ii) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 8 गुना पर हस्तान्तरण की दर से।
7.	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के सम्बन्ध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख।	प्रीमियम की रकम, विकास, प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार और दो वर्ष के किराये की औसत रकम या हस्तान्तरण की दर से।
8.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 7 में विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)।	प्रीमियम की रकम और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर हस्तान्तरण की दर से।
9.	क्रम संख्यांक 2 से 8 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख जो पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो।	मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत

- टिप्पणी: 1. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 यशा 158 या राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 या राजस्थान स्लम डबलपर्मेंट पॉलिसी-2012 या मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन जारी/निष्पादन पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के मामले में आवंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करेगा कि पट्टा विलेख/विक्रय विलेख ऐसे अधिनियम, नियम योजना या यथास्थिति, पॉलिसी के अधीन जारी/निष्पादित किया गया है।
2. यह अधिसूचना, निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलकटर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(प.4(2) वित्त/कर/2021-272)
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

**किराये/लघु अवधि लीज सम्पत्ति
को 99 वर्षीय लीज/फ्री- होल्ड पट्टे**

निकाय द्वारा लघु अवधि की लीज/किराये पर दी गई व्यावसायिक सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड पट्टे जारी करना—

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2018 दिनांक 05.10.2018 के निर्णय में किराया/लाईसेन्स/यूज एण्ड ऑक्यूपेशन/किराये पर विभिन्न सम्पत्तियों को 99 वर्ष लीज पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया था, तथा इस संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.12.2018 रखी गयी थी। उक्त अवधि में नियमन नहीं कराने वाले लीज धारक/किरायेदारों से सम्पत्ति खाली कराने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की जानी थी मगर अनेकों प्रकरण अभी भी लम्बित हैं, जिसके लिये निर्णय की समीक्षा कर विभिन्न दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं—

1. छोटी व्यवसायिक सम्पत्तियों बाबत (750 वर्गमीटर तक)—
 - (i). 25 जनवरी 1950 तक किराये/लघु अवधि पर दिये गये मामलों में—एकमुश्त राशि वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 15 प्रतिशत।
 - (ii). 26 जनवरी, 1950 से 31.12.1983 तक के मामलों में—वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 20 प्रतिशत।
 - (iii). दि: 01.01.1984 से 31.12.1990 तक के मामलों में—वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 30 प्रतिशत।
2. बड़ी व्यवसायिक सम्पत्तियों बाबत (750 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के)
 - (i). पेट्रोल पम्प, सिनेमा, होटल, गौदाम, औद्योगिक एवं संस्थागत प्रयोजन के लिए लीज पर दी गई भूमि।
 - (ii). अन्य प्रकार के व्यवसायिक प्रकरण—
 - (iii). उपरोक्त प्रकार की निर्मित सम्पत्तियों का निर्णय केस टू केस आधार पर राज्य सरकार के स्तर से किया जावेगा तथा इनके संबंध में सम्पत्ति की मौके पर उपयोग की विद्यमान मौका स्थिति (खाली/आंशिक/चालू हालत में/बन्द हालत में आदि) अनुसार निर्णय किये जाएंगे।
 - (iv). मूल्यांकन हेतु ध्यान रखे जाने योग्य बिन्दु :—
 - a) वर्तमान आरक्षित दर के बराबर राशि (यदि आरक्षित दर उपलब्ध नहीं हो तो डीएलसी दर),
 - b) सम्पत्ति के आंशिक हिस्से का नगरीय निकाय द्वारा पुनः कब्जा लेने की संभावना।
 - c) सम्पत्ति को शहर के विकास के लिए किसी आवश्यक उपयोग में लेने की संभावना जैसे सड़क की चौड़ाई बढ़ाना, या स्लिप लेन, पार्किंग, फुटपाथ, सामुदायिक उपयोग आदि।
 - d) यदि भूमि सम्पूर्ण रूप या अधिकांश रूप से रिक्त है तो निर्मित भाग को छोड़कर खाली भूमि का नगरीय निकाय द्वारा कब्जा प्राप्त किया जाना चाहिए। केवल निर्मित भाग के संबंध में ही देय राशि का आंकलन कर राशि प्राप्त की जावे।
 - e) यदि सम्पत्ति की राशि 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अनुमोदन के पश्चात् 25 प्रतिशत की राशि 90 दिन में जमा करवायी जावेगी। शेष 75 प्रतिशत राशि को चार वर्ष में छमाही 8 किश्तों के पोस्ट डेटेड चैक के जरिये जमा करवाई जाएगी। चैक अनादर होने पर विलम्ब अवधि का 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा। प्रथम किश्त जमा होने के उपरान्त किरायेदार को सम्पत्ति के उपयोग हेतु प्रोविजनल आदेश जारी किया जावे।

सामान्य बिन्दु :—

- (i). 14.1 की सम्पत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड कमेटी तय करेगी तथा 14.2 की सम्पत्तियों का निस्तारण राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से किया जावेगा, जिसका गठन अलग से विभाग द्वारा किया जावेगा।
- (ii). उपरोक्त एकमुश्त राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि की दर से वार्षिक लीज निर्धारित करते हुये 10 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि जमा करवायी जाकर सम्पत्ति का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जावेगा।

- (iii). यदि मूल किरायेदार द्वारा सम्पत्ति सबलेट कर दी गई है तो एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त राशि का 10 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा ।
- (iv). भूतल पर निर्मित दुकानों की छत के उपयोग बाबत यदि नगरीय निकाय की कोई योजना नहीं हैं, तो छत का अधिकार (Roof Right) देने के सम्बन्ध में नगरीय निकाय गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकेगी । ऐसी स्थिति में छत का अधिकार देने पर एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त आवंटन राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा । छत पर निर्माण प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अनुज्ञेय होगा, लेकिन केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / संरक्षित पुरातत्व महत्व के स्थलों / क्षेत्रों तथा तदनुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रों, शहर की परम्परागत चारदीवारी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों / भवनों पर छत का अधिकार नहीं दिया जावेगा ।
- (v). सभी प्रकार का बकाया किराया व अन्य देनदारियां एकमुश्त जमा करवाने के पश्चात् ही नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी । बकाया राशि पर साधारण ब्याज 9 प्रतिशत देय होगा, एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर देय ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी ।
- (vi). यदि कोई सम्पत्ति किसी न्यायिक विवाद के कारण सम्पत्ति धारक के उपयोग में नहीं आयी है, तो उस अवधि का ब्याज या शास्ति नहीं ली जावेगी ।
- (vii). सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो पहले ऐसे प्रकरणों में न्यायिक वाद प्रत्याहारित होने के बाद न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निस्तारण किया जायेगा ।
- (viii). जितनी भूमि / स्थल किरायेदार / लाइसेन्सी के कब्जे में जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी, वर्तमान में केवल उतने ही क्षेत्रफल का नियमन किया जा सकेगा । अतिरिक्त भूमि को नगरीय निकाय अपने कब्जे में लेगा । यदि भूमि सम्बन्धित जिस उपयोग के लिए आवंटित की गई थी और उससे भिन्न उपयोग हो रहा है तो मास्टर प्लान के अनुरूप होने पर नियमन किया जा सकेगा और यदि मास्टर प्लान के अनुरूप उपयोग नहीं हो रहा है तो ऐसे मामलों में व्यापक जनहित मानते हुए वर्तमान उपयोग के लिए प्रक्रिया अपनाकर नियमन किया जा सकेगा ।
- (ix). निर्धारित सङ्केत मार्गाधिकार में आने वाले क्षेत्र का नियमन नहीं किया जावेगा ।
- (x). जिन मामलों में लीजधारक / किरायेदार की मृत्यु हो गई हो तो उसके वैध उत्तराधिकारियों से उपरोक्त एकमुश्त नियमन राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 05 प्रतिशत राशि नाम हस्तान्तरण के रूप में वसूल की जाकर नियमन उत्तराधिकारी के नाम कर दिया जावेगा ।
- (xi). उक्त आदेश आगामी दिनांक 31.12.2022 तक प्रभावशील रहेंगे । उक्त अवधि में आवंटन नहीं कराने वाले लीजधारक / किरायेदारों से सम्पत्ति खाली करवाकर उसको नीलाम करने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की जावेगी ।
- (xii). राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों की पालना सम्पत्तिधारक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।

**EWS/LIG/MIG/HIG
के सम्बन्ध में ब्याज की छूट**

ई०डब्ल्य०एस०, एल०आई०जी०, एमआई०जी०-ए, एमआई०जी०-बी व एच.आई.जी. के संबंध में छूट-

(I) आवासों/भूखण्डों की बकाया राशि / किश्तों पर ब्याज व पैनल्टी में छूट-

नगरीय निकायों व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से भूखण्ड/आवास आवंटित किये गये थे किन्तु कतिपय मामलों में आवंटियों द्वारा निर्धारित समय पर किश्ते जमा नहीं करायी गयी थी। तथा उन पर ब्याज पैनल्टी का काफी भार बढ़ चुका है, जिसके कारण वे लोग किश्ते जमा नहीं करवा पा रहे हैं। अतः विभागीय आदेश दिनांक 12.05.2021 से ई० डब्ल्य० एस०/एल० आई०जी०/एम०आई०जी०-ए के आवंटित आवासों की बकाया राशि व किश्तें 31.07.2021 तक एकमुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी गई थी। इस छूट को अभियान अवधि तक बढ़ाया गया है।

इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड द्वारा एम०आई०जी०- बी. व एच.आई.जी. के लिए 50 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की गई है। उक्त छूट को भी अभियान अवधि में बढ़ाते हुए शत प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। (आदेश दिनांक 20.09.2021)

(ii) EWS/LIG के आवासों का आवंटन/कब्जा देना एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना—

निकायों द्वारा राजीव आवास योजना, आईएचएसडीपी, बीएसयूपी योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि में EWS/LIGके आवास बनाये गये हैं, लेकिन उनमें कई जगह आवंटन नहीं होने, आवंटियों को कब्जा नहीं देने, इन मकानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने आदि के कारण बने हुये मकान जर्जर अवस्था में हो रहे हैं। अतः ऐसे आवासों को अभियान अवधि में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर आवंटन व कब्जा दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि निर्मित मकान अभी तक भी आवंटित नहीं किये गये हैं, तो उनका आवंटन राज्य की Rental Housing Policyके तहत किया जावेगा, जिसमें श्रमिकों को प्राथमिकता दी जावेगी। ई.डब्ल्यूएस. श्रेणी हेतु 300/- रूपये प्रतिमाह व एल.आई.जी श्रेणी हेतु 500/- रूपये प्रतिमाह 10 वर्ष हेतु मासिक किराये पर आवास दिये जायेंगे। 10 वर्ष पश्चात् जिनको आवास किराये पर दिये गये हैं, तथा वह सतत रूप से आवास कर रहे हैं, तो उन्हीं को उन आवासों कास्थायी रूप से आवंटन कर पट्टा जारी किया जायेगा।

(iii) ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों का आवंटन बहाल करने बाबत्—

नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों/आवासों की बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराने से आवंटन/नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका आवंटन/नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों को बहाल करने की राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर अभियान अवधि में रहेगी।

अन्य श्रेणी के आवंटन व निलामी के प्रकरणों
में ब्याज व अन्य छूट

निकायों की योजनाओं के भूखण्डों के विलम्ब से राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट देकर पट्टे देना (द्वारा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2021 का बिन्दु संख्या 7) –

7 निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर से आंवटित भूखण्डों के निर्धारित भुगतान अवधि के पश्चात् पूर्ण / आंशिक राशि जमा करायी गई है। ऐसे प्रकरणों में जिनमें पूर्ण राशि जमा करायी जा चुकी है मगर ब्याज व शास्ति के कारण आवंटन पत्र / कब्जा नहीं दिया जा रहा है, के संबंध में अभियान अवधि में ब्याज व शास्ति राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये आवंटन पत्र / लीज-डीड / कब्जा दिया जायेगा।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

स्वायत्त शासन विभाग

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक: F.15 (ग) PD/DLB/PSSA-2021-22/34690-886

दिनांक: 24.08.2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय: ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021’ के अन्तर्गत दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा आगामी 02 अक्टूबर 2021 से ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021’ आरम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निकायों में पदस्थापित जिला परियोजना अधिकारी / जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठकों द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां की जाएँगी-

घटक	गतिविधियां
स्वरोजगार हेतु ऋण	पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म भरवाकर, जांच कर टास्क फोर्स में अनुमोदन करवाकर सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित करना।
कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन	पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंजीयन हेतु प्रेषित करना।
पथ विक्रेताओं को सहायता	<ul style="list-style-type: none">नए पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार करना।चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करना।
सोशियल मोबिलाइजेशन एवं संस्थागत विकास	<ul style="list-style-type: none">नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना।क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन।SHG/ALF को रिवाल्विंग फंड का वितरित करना।
पीएम स्वनिधि योजना	<ul style="list-style-type: none">पीएम स्वनिधि योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाना तथा LoR जारी करना।स्वीकृत आवेदन पत्रों के ऋण वितरण हेतु आवेदकों को बैंकों में भिजवाकर ऋण वितरित करवाना।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना	<ul style="list-style-type: none">योजना के पात्र व्यक्तियों का चयन करना।ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना।स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अनुमोदन कर क्रेडिट कार्ड जारीकलक्टर को प्रेषित कर आवेदकों को ऋण वितरण करवाना।

अतः उपरोक्तानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के सफल संचालन हेतु आवश्यक तैयारी पूर्ण करना सुनिश्चित करावें तथा अभियान के दौरान प्रतिदिन की प्रगति से निदेशालय को भी अवगत करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

**‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कार्य योजना**

क्र.सं.	घटक का नाम	घटक के तहत कार्य विवरण	लक्ष्य (2021–22)	गतिविधियां	कार्यदायी व्यक्ति का पद नाम
1.	स्वरोजगार हेतु ऋण	व्यक्तिगत एवं समूह ऋण	4000	पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म भरवाना	जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक/ नगर निकाय कार्मिक
2.	कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन	युवाओं को कौशल प्रशिक्षण	12573	पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंजीयन हेतु प्रेषित करना	जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक
3.	सोशियल मोबिलाइजेशन एवं संस्थागत विकास	स्वयं सहायता समूहों का गठन	5701	<ul style="list-style-type: none"> नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना। क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन। SHG/ALF को रिवाल्विंग फंड का वितरित करना (डेमो चेक)। 	जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/रिसोर्स आर्गेनाइजेशन (NGOS)
		रिवोल्विंग फंड	4561		
4.	पथ विक्रेताओं को सहायता	चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र का वितरण	समस्त चिन्हित पथ विक्रेता	<ul style="list-style-type: none"> नए पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार करना चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करना। 	जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक
5.	पीएम स्वनिधि योजना	ऋण हेतु आनलाइन आवेदन करवाना	समस्त चिन्हित पथ विक्रेता	<ul style="list-style-type: none"> पीएम स्वनिधि योजना के आनलाइन फार्म भरवाना तथा वितरण करवाना। 	जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक/बैंक प्रबन्धक
6.	इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना	कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन करना	समस्त पात्र व्यक्ति	<ul style="list-style-type: none"> योजना के पात्र व्यक्तियों का चयन करना। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना। स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अनुमोदन कर जिला कलेक्ट्रोट को प्रेषित कर आवेदकों को क्रण हेतु क्रेडिट कार्ड जारी करवाना 	

**‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लक्ष्य–राज्य स्तरीय 21–22**

क्र.सं.	घटक का विवरण		
1.	स्वरोजगार हेतु ऋण	व्यक्तिगत ऋण	4000
2.	कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं नियोजन	युवाओं को कौशल प्रशिक्षण	12573
		रोजगार/स्वरोजगार	880
3.	सोशियल मोबिलाइजेशन एवं संस्थागत विकास	स्वयं सहायता समूहों का गठन	456
		रिवोल्विंग फंड	
4.	पथ विक्रेताओं को सहायता	चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र का वितरण	समस्त पथ विक्रेता
5.	पीएम स्वनिधि योजना	ऋण हेतु आनलाइन आवेदन करवाना	पीएम स्वनिधि योजना

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

विश्वव्यापी महामारी COVID-19 के कारण देश में पूर्ण लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण पथ विक्रेताओं (Street Vendors) का व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित हुआ। COVID-19 महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं के प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यवसाय को पुनः प्रारम्भ करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी के रूप में विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाने के लिये देश के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)' योजना सभी नगरीय निकायों में प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। यह योजना दिनांक 1 जूलाई 2020 से प्रारम्भ हो चुकी है।

इस योजना के माध्यम से देश के 50 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को लक्षित किया गया है जो कि 24 मार्च 2020 से पूर्व से नगरीय क्षेत्र, व आस-पास उपनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि मार्च 2022 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यह योजना पूर्णतः केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

- i. पथ विक्रेता 1 वर्ष की अवधि के लिए मासिक किस्ते चुकाने वाले रूपये 10000/- तक के सम्पाद्विक-मुक्त (**Collateral-free**) कार्यशील पूंजी ऋण को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- ii. ऋण के समय पर/शीघ्र चुकाने व्याज पर 7 प्रतिशत वार्षिक सम्बिंदी सीधे ही **Direct Bank Transfer (DBT)** के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में आनलाइन पोर्टल के माध्यम तिमाही आधार पर जमा किया जावेगा।
- iii. पथ विक्रेताओं द्वारा समय पर ऋण की अदायगी करने पर ऋण की सीमा बढ़ाये जाने के पात्र होंगे।
- iv. इस योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबीएस, एसएफबीएस, सहकारी बैंक एनबीएफसी एवं एसएचजी शामिल हैं।
- v. इस योजना में पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटल लेन-देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में 50 से 100 रूपये मासिक कैशबैंक भी पथ विक्रेताओं के बैंक खाते में माह की समाप्ति पर हस्तांतरित किया जाएगा।

दिनांक 10.09.2021 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

कुल आवेदन	-	1,53,214
स्वीकृत	-	70,098
वितरण	-	62,486

नोट- योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित समस्त आवेदन प्रपत्र अभियान की वेबसाईट : shahar2021.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

**इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड
योजना**

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021

5 लाख जरूरतमंदों को रुपये 50 हजार तक ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा

योजना के मुख्य बिन्दु -

- 50000 रु. तक का ब्याज मुक्त ऋण शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा 5 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद।
- शहरी पथ विक्रेता अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा।
- निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया शुल्क मुक्त ऋण की उपलब्धता।
- ऋण राशि का पुर्णभुगतान चौथे माह से 12 मासिक किश्तों में।
- स्वयं या ई-मित्र द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से सुगम आवेदन प्रक्रिया।
- स्थानीय जिला कलक्टर तथा निकाय अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग।

योजना की मुख्य विशेषताएं -

- शहरी क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर तथा रोजमर्दी की जरूरतों हेतु ब्याजमुक्त ऋण।
- योजना 31 मार्च 2022 तक राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू।
- योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से।
- जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित समीक्षा।
- प्राप्त आवेदनों का समयगत (25 दिन) निर्धारित प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत कर ऋण वितरण।
- स्थानीय निकाय एवं उप-खण्ड अधिकारी द्वारा आवेदकों का सत्यापन।
- प्रथम 5 लाख आवेदकों को पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर ऋण सुविधा।
- कोविड-19 प्रभावित जरूरतमंद लोगों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता।
- लाभार्थी को ऋण पुनर्भुगतान नकद/ऑनलाइन/यू.पी.आई द्वारा किये जाने की सुविधा।
- बैंकों हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित।
- आवेदकों के मार्गदर्शन/शिकायत के उचित निवारण हेतु निकाय स्तर पर हैल्पडेस्क।

नोट- योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित समस्त आवेदन प्रपत्र अभियान की वेबसाइट : shahar2021.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

**'प्रशासन शहरों के संग' अभियान – 2021 हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एवं इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड स्कीम की कार्य-योजना**

क्र. सं.	घटक का नाम	घटक के तहत कार्य विवरण	राज्य स्तरीय लक्ष्य (2021–22)	गतिविधियां	कार्यदारी व्यक्ति का पद नाम
1.	स्वरोजगार हेतु ऋण	व्यवितरण एवं समूह ऋण	4000	पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म भरवाना एवं ऋण वितरण करवाना	जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक / नगर निकाय कार्मिक
2.	कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन	युवाओं को कौशल प्रशिक्षण	12573	पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंजीयन हेतु प्रेषित करना।	जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक / नगर निकाय कार्मिक (NGOs)
3.	सामाजिक संगठन एवं संस्थानात विकास	स्वयं सहायता समूहों का गठन रिवोल्युंग फंड वितरण	5701 4561	<ul style="list-style-type: none"> • नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना। • क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन। • SHG/ALF को रिवाल्युंग फंड का वितरित करना (डेमो चेक)। 	जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक / रिसोर्स आग्रा नाइजे शन (NGOs)
4.	पथ विक्रेताओं को सहायता	चिह्नित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र का वितरण		<ul style="list-style-type: none"> • समस्त चिह्नित पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार करना, • चिह्नित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करना। 	जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक / नगर निकाय कार्मिक प्रबन्धक
5.	पीएम स्वनिधि योजना	ऋण हेतु आनलाइन आवेदन करवाना		<ul style="list-style-type: none"> • पीएम स्वनिधि योजना के आवेदन समस्त चिह्नित पथ विक्रेता वितरण करवाना। 	जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक / नगर निकाय कार्मिक / बैंक प्रबन्धक
6.	इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना	क्रेडिट कार्ड हेतु आनलाइन आवेदन करवाना	5,00,000 (पाँच लाख व्यक्तियों को)	<ul style="list-style-type: none"> • पात्र पथ विक्रेता, शहरी बेरोजगार, असंगठित क्षेत्र के कामगार, शहरी गरीबों के आनलाइन आवेदन करवाना तथा वितरण करवाना। 	जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक / नगर निकाय कार्मिक / बैंक प्रबन्धक

स्वच्छ भारत मिशन

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

टेलीफैक्स : 0141-2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : एफ 55()अभि./सीई/डीएलबी/2021/PSKSA/112106-318 दिनांक 01.07.2021

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : “प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021” के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं विकास कार्य करवाने बाबत।

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की आम जनता को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं मूलभूत कार्यों के त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से “प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021” आगामी 02 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय हेतु घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थलों का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में लेख है कि अभियान से पूर्व 15 अगस्त, 2021 तक शौचालय विहीन घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) एवं बाजारों में यूरिनल्स के सर्वे/निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) :

- शहरी क्षेत्र में जिन नये घरों में शौचालय नहीं हैं, उनमें शौचालयों की आवश्यकता का आंकलन करना।
- घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु उक्त विवरण के आधार पर भवन मालिक/लाभार्थी से निर्धारित फॉर्म में जानकारी भरवाकर प्रत्येक निकाय द्वारा आवश्यक घरेलू शौचालयों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करना।

2. सामुदायिक शौचालय/(CT) :

- शौचालय विहीन घर, जिनमें शौचालय बनाने की जगह उपलब्ध नहीं है, उनको सामुदायिक शौचालय से जोड़ने हेतु प्रस्तावित सामुदायिक शौचालय में सीट्रस का निर्धारण करना।
- घनी आबादी वाली कच्ची बस्तियों में सामुदायिक शौचालय (CT) की आवश्यकता का आंकलन करते हुये, शौचालयों (CT/PT) की संख्या का निर्धारण करना।
- सामुदायिक शौचालय (CT) के निर्माण हेतु उचित स्थान पर भूमि/स्थल का चिन्हिकरण करना।
- सामुदायिक शौचालय (CT) के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करना।

3. बाजारों में सार्वजनिक शौचालय (CT) :

- व्यापारिक केन्द्रों/बाजारों, पर्यटनों स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय (PT)/मूत्रालय की आवश्यकता का आंकलन करना।

- बाजारों व सार्वजनिक स्थलों में सार्वजनिक शौचालय (PT) / मूत्रालय के निर्माण हेतु सर्वे व स्थान का चिन्हिकरण करना।
- सार्वजनिक शौचालय (PT) / मूत्रालय के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करना।

अतः उपरोक्तानुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों (IHHL), सामुदायिक शौचालय (CT) एवं व्यापारिक केन्द्रों/बाजारों, पर्यटन स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों (PT) / मूत्रालयों के निर्माण हेतु आवश्यकता का आंकलन करने, सर्वे करने, आवश्यक भूमि/स्थल का चयन करने एवं निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही “प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021” से पूर्व 15 अगस्त, 2021 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करते हुये उपरोक्तानुसार सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विभाग के ई-मेल cedlbjp@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रपत्र।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

प्रपत्र—E

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सीवर कनेक्शन की प्रगति रिपोर्ट

प्राधिकरण / न्यास / निकाय का नाम :—

क्र.सं.	सीवर कनेक्शन हेतु आवेदनों का विवरण			स्वीकृत सीवर कनेक्शनों का विवरण			शेष आवेदनों की संख्या
	गत दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	आज दिनांक को प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	गत दिनांक तक स्वीकृत किये गये सीवर कनेक्शनों की संख्या	आज दिनांक को स्वीकृत किये गये सीवर कनेक्शनों की संख्या	कुल स्वीकृत सीवर कनेक्शनों की संख्या	
1	2	3	4 = 2+3	5	6	7 = 5+ 6	8 = 4-7

**प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान घरेलू शौचालय (IHHL)
हेतु आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट**

निकाय का नाम :—.....

क्र.सं.	घरेलू शौचालय (IHHL) हेतु आवेदनों का विवरण		
	गत दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	आज दिनांक को प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3	4 = 2+3

**प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सामुदायिक शौचालय (CT)
के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट**

निकाय का नाम :—.....

क्र. सं.	सामुदायिक शौचालयों हेतु स्थल चयन का विवरण			सामुदायिक शौचालय में सीट्स की संख्या का विवरण		
	गत पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या	इस पखवाड़े में चयनित स्थलों की संख्या	कुल चयनित स्थलों की संख्या	गत पखवाड़े तक निर्मित सीट्स की संख्या	इस पखवाड़े में निर्मित सीट्स की संख्या	कुल निर्मित सीट्स की संख्या
1	2	3	4 = 2+3	5	6	7 = 5+6

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सार्वजनिक शौचालय (PT)
के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

निकाय का नाम :—.....

क्र.सं.	सार्वजनिक शौचालयों हेतु स्थल चयन का विवरण			सार्वजनिक शौचालय में सीट्स की संख्या का विवरण		
	गत पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या	इस पखवाड़े में चयनित स्थलों की संख्या	कुल चयनित स्थलों की संख्या	गत पखवाड़े तक निर्मित सीट्स की संख्या	इस पखवाड़े में निर्मित सीट्स की संख्या	कुल निर्मित सीट्स की संख्या
1	2	3	$4 = 2+3$	5	6	$7 = 5+6$

पाक्षिक प्रपत्र-I

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सार्वजनिक मूत्रालय (URINAL)
के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

निकाय का नाम :—.....

क्र. सं.	सार्वजनिक मूत्रालय हेतु स्थल चयन का विवरण			सार्वजनिक मूत्रालय में सीट्स की संख्या का विवरण		
	गत पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या	इस पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या	कुल चयनित स्थलों की संख्या	गत पखवाड़े तक निर्मित मूत्रालय की संख्या	इस पखवाड़े में निर्मित मूत्रालय की संख्या	कुल निर्मित मूत्रालय की संख्या
1	2	3	$4 = 2+3$	5	6	$7 = 5+6$

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

टेलीफैक्स : 0141-2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 55()अभि./सीई/डीएलबी/2021/PSKSAI/112616-828

दिनांक 01.07.2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : “प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021” के दौरान सड़क मरम्मत/पेच रिपेयर के कार्य करवाने बाबत।

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की आम जनता को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं मूलभूत कार्यों के त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से “प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021” आगामी 02 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान के दौरान शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/पेच रिपेयर, नाली मरम्मत, फेरो कवर व मैनहॉल्स की मरम्मत का कार्य करवाया जावेगा।

इस सम्बन्ध में लेख है कि अभियान से पूर्व 15 अगस्त, 2021 तक नगर निकाय की क्षेत्राधिकार की क्षतिग्रस्त सड़कों/नालियों व मशीनहॉल्स (मैनहॉल्स) का सर्वे/आंकलन करते हुये, सी.सी./डामर सड़क मरम्मत/पेच रिपेयर के कार्य, नाली मरम्मत के कार्य, मशीनहॉल्स (मैनहॉल्स) मरम्मत/बदलने के कार्य की मात्रा का अनुमान (Estimate) करते हुये, वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर कार्य करवाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये, वार्षिक दर अनुबन्ध (Annual Rate Contract) की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे, ताकि अभियान के दौरान मांग आने पर आवश्यकता अनुसार सड़क/नाली व मैनहॉल्स मरम्मत के आवश्यक कार्य करवाये जा सकें।

उपरोक्तानुसार सूचना अभियान के दौरान संकलित कर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विभाग के ई-मेल cedlbjp@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रपत्र।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सड़क
मरम्मत / सुधार के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

प्राधिकरण / न्यास / निकाय का नाम :-

क्र. सं.	आज दिनांक तक प्राप्त कुल प्रकरण	शेष प्रकरण निरस्तातित प्रकरण	सी.सी.सड़क		बी.टी.सड़क		प्रेवल सड़क	
			गत दिनांक तक किया गया कार्य का वर्गीकरण	आज दिनांक को गया कार्य का वर्गीकरण	गत दिनांक तक किया गया कार्य का वर्गीकरण	आज दिनांक को गया कार्य का वर्गीकरण	गत दिनांक तक किया गया कार्य का वर्गीकरण	आज दिनांक को गया कार्य का वर्गीकरण
1	2	3	4=2-3	5	6	7=5+6	8	9
	1							

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नाली मरम्मत के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

प्राधिकरण / न्यास / निकाय का नाम :-

क्र. सं.	आज दिनांक तक प्राप्त कुल प्रकरण	आज दिनांक तक कुल निरस्तातित प्रकरण	शेष प्रकरण	नाला / नाली मरम्मत			कुल व्यय (राशि रु. लाख में)
				गत दिनांक तक किये गये गते कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर	आज दिनांक को किये गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर में।	कुल किया गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर में।	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=5+6	8
	1						

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सीवर लाईन सफाई एवं मरम्मत के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

प्राधिकरण / यास / फिल्म का नाम :-

ੴ ਕਾਲ ਪੁਸ਼ਟਿ

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बजट घोषणा संख्या 137 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग

निगम की 30 किमी., नगर पारबद्द की 20 किमी. एवं नगर पालिका की 10 किमी.

निकाय का नाम :-

सी.सी.सड़क		बी.टी. सड़क	
क्र.सं.	गत पखवाड़े तक किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	इस पखवाड़े में किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	कुल व्यय (राशि गत पखवाड़े में किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) कुल किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) कुल व्यय (राशि गत पखवाड़े में किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) कुल व्यय (राशि रु. लाख में) कुल व्यय (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4=2+3

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

1. **व्यक्तिगत आवास निर्माण BLC (Beneficiaries Led Construction)** इस हेतु लाभार्थियों के द्वारा स्वयं के पट्टाशुदा भूखण्ड पर वर्तमान में कच्चा आवास होने की दशा में 30 वर्गमीटर तक / अधिकतम 21 वर्गमीटर तक पक्का निर्मित आवास होने पर न्यूनतम 9 वर्गमीटर तक की अभिवृद्धि हेतु अधिकतम सहायता राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवास देय है। पात्र लाभार्थी की वार्षिक आय रु. 3.00 से कम होना आवश्यक है।
2. **सहभागिता में किफायती आवास AHP (Affordable Housing in Partnership)** उक्त योजना के इच्छुक आवेदकों हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना— 2015 के प्रावधान 4 ए(i) के अन्तर्गत चिन्हित राजकीय भूमि पर विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले EWS आवासों के आवंटन पर केन्द्रीय सहायता राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवास देय है।
निकायों द्वारा एएचपी योजना — 2009 तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना— 2015 के तहत निर्मित आवासों में से अनावंटित/निरस्त आवासों का पात्र आवेदकों से नवीन पंजीकरण प्राप्त कर आवास आवंटित किये जाने पर AHP/CLSS घटक में सहायता राशि देय है।
3. **स्व—स्थान स्लम पुनर्विकास ISSR (In-situ Slum Rehabilitation)** उक्त योजना के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर योजना की डीपीआर प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सहायता राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवास देय है।
4. **आवास ऋण पर ब्याज में छूट CLSS (Credit Link Subsidy Scheme)** एएचपी योजना — 2009 तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना— 2015 के तहत निकाय द्वारा निर्मित आवासों के पात्र आवेदकों को आवास ऋण दिलवाने हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पादित करने पर बैंक के माध्यम से प्रति आवास अधिकतम राशि रु. 2.67 लाख की ब्याज में छूट देय है।

राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग

टेलीफैक्स : 0141-2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : F-5(RUDSICO)(PDH)(PMAY-U)(PSKS)/2021-22/547 दिनांक 31.08.2021

परिपत्र

विषय :- “प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021” के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि रु. 1.50 लाख प्राप्त करने की कार्यविधि बाबत।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू की गई है जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं के पट्टाशुदा भूखण्ड पर 30 वर्ग मीटर तक आवास निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि रु. 1.50 लाख देय है।

“प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021” अभियान के दौरान समस्त नगर निकाय उक्त योजना का लाभ पात्र प्रार्थीयों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगें।

अतः अभियान के दौरान पट्टा जारी करने के लिये पात्र प्रार्थीयों (3.00 लाख रुपये वार्षिक आय एवं 30 वर्ग मीटर तक आवास निर्माण जिसमें भूखण्ड के क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है) से आवश्यक दस्तावेज (परिशिष्ट “अ”, “ब” एवं “स” के अनुसार) प्राप्त करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अभियान के दौरान परिशिष्ट “अ”, “ब” एवं “स” के अनुसार आवेदक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों का निकाय स्तर पर संधारण किया जावेगा तथा प्रत्येक निकाय परियोजना रिपोर्ट (परिशिष्ट “द” के अनुसार) मय आवेदकों की सूची कार्यालय परियोजना निदेशक (आवासन), रूडसिको, 4-स-24, जवाहर नगर, जयपुर - 302004 को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि राज्य एवं केन्द्र सरकार के स्तर पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाकर निकाय के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के अधिकतम पात्र आवेदकों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा सके।

पूर्व में जारी पट्टाधारी पात्र आवेदकों से भी इस योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकेंगे ताकि निकाय स्तर पर कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना रह पाये।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
(लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक-BLC)
अनुदान हेतु आवेदन -पत्र

फोटो एवं
हस्ताक्षर

नगर निकाय का नाम.....	जिला.....	वार्ड संख्या.....
शहर.....	जिला.....	वार्ड संख्या.....
1 आवेदक का नाम	:
2 पिता/पति का नाम :	:
3 जाति (सामान्य, एस.टी., एस.टी., ओ.बी.सी, अन्य संख्याक, अन्य)	:
4 पूर्ण पता	:
वर्तमान पता :	:
स्थायी पता :	:
5 भूखण्ड का विवरण जिस पर आवास निर्माण/ अभिवृद्धि प्रस्तावित है :-	:
भूखण्ड संख्या स्कीम का नाम, भूखण्ड कहाँ स्थित है :	:
भूखण्ड का माप/क्षेत्रफल	:
भूखण्ड रिक्त है (हॉ या नहीं)	:
यदि भूखण्ड पर पूर्व से आवास निर्मित हो तो	:
निर्मित कुल क्षेत्रफल	:
प्रथम मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल	:
द्वितीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल	:
भूखण्ड का पट्टा अभिलेख जारी है	:
(हा या नहीं)	:	(पट्टे की प्रतिलिपि संलग्न करें)
6 आवेदक के परिवार की वार्षिक आय	: (स्व घोषणा पत्र संलग्न करें)
7 आवेदक एवं परिवार के एक सदस्य का आधार नम्बर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे) (वैवाहित हेतु	:
पति/पत्नि अन्यथा परिवार के सदस्य का आधार कार्ड)	:
8 आवेदक का स्थायी फोन/मोबाइल नं.	:
9 अनुदान का प्रयोजन (नवीन आवास निर्माण/आवास वृद्धि)	:
10 क्या पूर्व में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान लिया है (हॉ या नहीं)	:
11 प्रस्तावित निर्माण विवरण	:	वर्ग फीट
नवीन निर्माण क्षेत्रफल	:	वर्ग फीट
वर्तमान आवास में अभिवृद्धि (प्रस्तावित क्षेत्रफल)	:	वर्ग फीट
प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल अनुमानित लागत	:	रूपये

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्र.स 1 से 11 तक की सूचना सही है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर प्रमाणिकर्ता

स्थान:-

नाम:-

पद:-

मोबाइल:-

समस्त आवेदको के लिये

शपथ - पत्र

मै.....पुत्र/पत्नी श्री.....
जाति.....निवास.....

.....तहसील.....ज़िला.....

में निवास करता/करती हूँ। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास 2022 (शहरी) के अन्तर्गत स्वयं के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार के लिये अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। मैं शपथ-पत्र के माध्यम से स्वीकार करता/करती हूँ कि:-

1. मेरे द्वारा देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वयं का मकान नहीं है।
2. आवास निर्माण हेतु उपलब्ध भूखण्ड मेरे स्वयं के स्वामित्व का है।
3. मैंने पूर्व में किसी भी आवासीय योजना की सब्सिडी नहीं ली है।
4. मेरे परिवार की वार्षिक आय रु 3 लाख से कम है।
5. मेरा भूखण्ड रिक्त है/कच्चा आवास है/21 वर्ग मीटर से कम का पक्का आवास निर्मित है।
6. मैं स्वयं के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ।
7. मेरे वर्तमान भूखण्ड/आवास के नक्शे में आवास का निर्माण एंव विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
8. मैं स्वयं के द्वारा आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा सलंग एस्टिमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वयं के स्तर पर वहन करने को तैयार हूँ।
9. अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में मेरे द्वारा किसी कारणवंश निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जाने की स्थिति में संबंधित निकाय/प्राधिकरण/न्यास मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

(नोटीराइज्ड सत्यापन)

आवदेक के हस्ताक्षर

(शपथ पत्र 50/-)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U)

सबके लिये आवास-2022

**लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु रु 1.50 लाख तक के अनुदान
की पात्रता हेतु चैक स्लिपः**

लाभार्थी का नाम.....
पता-मोबाइल न.
आधार न.

क्रम संख्या	विवरण	हॉ/नहीं
1	क्या लाभार्थी के परिवार के नाम देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वयं का मकान है (यदि नहीं है तो शपथ पत्र सलंग करें)	
2	क्या लाभार्थी का भूखण्ड जिस पर कच्चा/पक्का मकान बना हो, स्वयं के स्वामित्व का हैम्सबंधित दस्तावेजी साक्ष्य यथा पट्टा/मूल आवंटन पत्र सलंग करना अनिवार्य है।	
3	क्या लाभार्थी ने पूर्व में किसी आवासीय योजना की सब्सिडी ली है? (शपथ पत्र सलंग करें)	
4	क्या लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय रु 3 लाख या इससे कम है? (स्व धोषणा पत्र सलंग करें)	
5	क्या लाभार्थी का भूखण्ड रिक्त है अथवा कच्चा आवास है?	
6	यदि लाभार्थी का पक्का मकान है तो क्या वह 21 वर्ग मीटर तक या इससे कम है?	
7	क्या लाभार्थी के नाम से बैंक खाता है?	
8	क्या लाभार्थी के पास पति/पत्नि का आधार कार्ड है?	
9	क्या लाभार्थी के वर्तमान भूखण्ड/आवास के साईट प्लान एवं नक्शे में आवास का निर्माण एवं विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है?	
10	क्या लाभार्थी के द्वारा प्रस्तावित आवास निर्माण का एस्टीमेट सलंग है?	
11	क्या लाभार्थी आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा एस्टीमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वयं के स्तर पर वहन करने को तैयार है?	

हस्ताक्षर वार्ड/जोन

आवेदक के हस्ताक्षर

वार्ड/जोन प्रभारी अनुशंसा

मैं लाभार्थी को अनुदान देने हेतु अनुशंसा करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर पार्षद

वार्ड संख्या प्रभारी

निकाय/प्राधिकरण/न्यास (राज.)

सलंग आवश्यक दस्तावेज़:-

1. लाभार्थी के दो फोटो पासपोर्ट साईज
2. अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड की फोटो कॉपी
3. आय प्रमाण पत्र हेतु स्व धोषणा पत्र
4. मकान का पट्टा/मूल आवंटन पत्र
5. प्रस्तावित आवास का साईट प्लान, नक्शा एवं एस्टीमेट
6. शपथ-पत्र

नोट:-

1. केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये।
2. नये घर के निर्माण के लिए न्यूनतम 21 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं अधिकतम 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल।
3. विद्यमान मकान के विस्तार के लिए कम से कम 9 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल का निर्माण आवश्यक है जिसमें कम से कम 1 कमरे का निर्माण प्रस्तावित हो।

निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट में निम्न सूचनाएँ सम्मिलित किया जाना आवश्यक है :-

1. परियोजना का संक्षिप्त विवरण।
2. परियोजना के दिशानिर्देशिका के अनुसार निर्धारित परिशिष्ट 7सी एवं 7डी (प्रारूप संलग्न)।
3. सिटी प्रोफाईल।
4. 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल का नक्शा (सुलभ सन्दर्भ हेतु नमूना संलग्न)।
5. परियोजना में शामिल किये जाने वाले सभी आवेदकों के आवास निर्माण की कुल अनुमानित लागत का विवरण। (रूडसिको कार्यालय द्वारा 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र का सेम्पल ऐस्टीमेट तैयार किया गया है जो कि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है निर्माण क्षेत्र में भिन्नता की स्थिति में ऐस्टीमेट निकाय स्तर पर तैयार किया जाकर परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है)।
6. नवीन आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों को पृथक- पृथक परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाना है।
7. आवेदकों की सूची प्रारूप “क” एवं “ख” के अनुसार।

अन्य परिपत्र/आदेश

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग,

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेंशिल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक: प.5 / डीएलबी / स्टोर / 2021 / 533

दिनांक :— 14.09.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के सुगम संचालन हेतु जॉब बेसिस पर निर्धारित योग्यताधारी कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त श्रेणी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाए़/निगम/बोर्ड में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त अनुभवी सेवा प्रदाता/संवेदक/एजेंसी/फर्म/कन्सलेंटट से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन बिड सूचना संख्या STDLB032122 आमंत्रित की गयी थी।

बिड के तहत निम्न वर्णित मानदेय के आधार पर सेवा शुल्क के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। विभागीय उपापन समिति की अभिशंषानुसार प्राप्त प्रस्तावों में न्यूनतम सेवा शुल्क प्रतिशत दाताओं की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित एवं स्वीकृत किया जाता है।

पद का नाम →		अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी अभियन्ता (सिविल)	आई.टी. एक्सपर्ट	पटवारी/गिरदावर (सेवानिवृत)	सहायक लेखाधिकारी—प्रथम व द्वितीय (सेवानिवृत)
निर्धारित मानदेय प्रतिमाह रूपये		39,300	23,850	21,700	18,500	कार्मिक विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत कार्मिकों के लिये देय मानदेय	कार्मिक विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत कार्मिकों के लिये देय मानदेय
1	2	3	4	5	6	7	
क्र. स.	फर्म का नाम ↓	निर्धारित मानदेय पर अनुमोदित एवं स्वीकृत सर्विस चार्ज का प्रतिशत					
1	Rajasthan Royals, Tonk	1	1	1	1	1	1
2	Leader Star Security Limited, Jaipur	1	1	1	1	1	1
3	Shanti Traders Security and Allied Services, Kota	1	1	1	1	1	1
4	Banti Tarading Company, Churu	1	1	1	1	1	1
5	Shree Namah Shivay Labour Welfare Society, Bhilwara	1	1	1	1	1	1
6	Pannadhai Security Service, Udaipur	1	1	1	1	1	1
7	Unitech computer &Labour Suppliers, Baran	1	1	1	1	1	1
8	Ding Manpower & Securities Services Pvt Ltd, Sirsa (Haryana)	1	1	1	1	1	1
9	Nitya Enterprises, Jhalawar	1	1	1	1	1	1
10	RS Enterprises, Jaipur	1	1	1	1	1	1
11	Vandana Enterprises and Contractor, Dausa	1	1	1	1	—	—

उक्त बिड के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. उपरोक्तानुसार फर्मों को वर्णित श्रेणी के पूर्णतः जॉब बेसिस पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदेय राशि, अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया सेवा शुल्क तथा नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान देय होगा।
2. प्रावधान लागू होने की स्थिति में बिड शर्तों के अनुसार निर्धारित दर से ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. का भुगतान भी देय होगा।
3. उक्त फर्मों को परिशिष्ट '1' के अनुसार जिले आवंटित किये जाते हैं। अनुमोदित फर्म आवंटित जिले की नगरीय निकायों में ही कार्य कर सकेगी।
4. राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु पूर्णतः जॉब बेसिस पर कार्मिक लिये जाने हेतु परिशिष्ट '2' में वर्णित सेवा पद आवंटित किये जाते हैं। संबंधित नगरीय निकाय आवंटित श्रेणी एवं निर्धारित सेवा में ही पूर्णतः जॉब बेसिस पर कार्मिक परिशिष्ट '1' में वर्णित फर्मों से कार्मिक संविदा पर ले सकेगी।
5. संबंधित नगरीय निकाय इस आदेश का संदर्भ देते हुए पूर्णतः जॉब बेसिस पर आवश्यकता को देखते हुये एवं आवंटित सीमा में ही पूर्णतः जॉब बेसिस पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने हेतु फर्म को आदेश जारी करेगी तथा अनुबंध का निष्पादन करेगी। अनुबंध का निष्पादन करते समय बिड तथा इस आदेश को अनुबंध का भाग बनायेगी। सुलभ संदर्भ हेतु बिड दस्तावेज की प्रति संलग्न की जारी है।
6. इस आदेश के तहत पूर्णत जॉब बेसिस आधार पर कार्मिक केवल इस आदेश के जारी होने से 6 माह तक की अवधि के लिये ही रखे जा सकेंगे। आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा अवधि को आगे बढ़ाया जावेगा। जिसका पूर्णाधिकार निदेशक स्थानीय निकाय के पास रहेगा। नगरीय निकाय स्वयं के स्तर पर इस अवधि को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।
7. इस आदेश के तहत पूर्णत जॉब बेसिस पर रखे जाने वाले कार्मिकों का भुगतान संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न—

1. बिड दस्तावेज की प्रति।
2. परिशिष्ट '1'
3. परिशिष्ट '2'

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

फर्मों को कार्य करने हेतु आवंटित जिले

क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पता	आवंटित जिले
1.	RAJASTHAN ROYALS	गुणावत सदन, शंकरपुरा, जिन्सी, वार्ड नं. 17, टॉक मो. 9252111622	अजमेर, नागौर, टॉक
2.	LEADER STAR SECURITY LIMITED	प्लांट नं. 44 अयोध्या कॉलोनी, ग्राम हीरापुरा डीसीएम अजमेर रोड जयपुर मो. 9001821000	जयपुर, अलवर, दौसा
3.	SHANTI TRADERS SECURITY AND ALLIED SERVICES	125 केशवपुरा सेक्टर 07 कोटा मो. 9829784818	कोटा, बूंदी, झालावाड़
4.	BANTI TRADING COMPANY	लाल टंकी के पास, वार्ड नं. 30 चूरू मो. 9799857777	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर
5.	SHREE NAMAH SHIVAY LABOUR	कावा खेरा कच्ची बस्ती भीलवाड़ा मो. 8619431035	प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़
6.	PANNADHYAY SECURITY	165, संलूबर की हवेली राव जी हाथा उदयपुर 9549598751	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूरंगपुर
7.	UNITECH COMPUTERS & LABOUR SUPPLYER	पुलिस चौकी के सामने, प्रताप चौक बांरा मो. 9928500777	बांरा, भीलवाड़ा, सराइमाधोपुरु में सभी 06 सेवाये हेतु एवं भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले में पटवारी/गिरदावर/ तथा सहायक लेखाधिकारी प्रथम व द्वितीय की सेवाओं के लिये केवल
8.	DING MANPOWER& SECURITIES SERVICES PVT LTD	गली नं. 06 प्रीत नगर बेगू रोड सिरसा (हरियाणा) मो. 09215621101	झूंझूनूँ सीकर, हनुमानगढ़
9.	NITYA ENTERPRISES	29/38 तम्बोली मोहल्ला, झालवाड़ मो. 9001113709	बाड़मेर, सिरोही, जालौर
10.	RS ENTERPRISES	74-ए आनंद विहार-ए बैनाड रोड झोटवाडा जयपुर मो. 9829774145	जोधपुर, जैसलमेर, पाली
11.	VANDANA ENTERPRISES AND CONTRACTOR	अम्बेडकर पार्क के पास, खटीकान मोहल्ला दौसा मो. 9468790224	भरतपुर, धौलपुर, करौली (केवल अरबन प्लानर प्रथम/द्वितीय, तकनीकी सहायक(सिविल), आई. टी. एक्सपर्ट)

जयपुर संभाग

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी सहायक	आई टी एक्सपर्ट	पटवारी / गिरदावर	सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
1	जयपुर हेरिटेज नगर निगम	2	0	1	1	1	1
2	जयपुर ग्रेटर नगर निगम	2	0	1	1	1	1
3	अलवर नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
4	भिवाड़ी नगर परिषद	1	0	1	1	2	1
5	दौसा नगर परिषद	1	0	1	1	1	2
6	सीकर नगर परिषद	1	0	1	2	1	1
7	झुंझूनु नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
8	चौमू	1	0	0	1	1	1
9	सांभर	1	0	1	1	1	0
10	चाकसू	1	0	0	1	1	1
11	कोटपूतली	1	0	1	1	1	0
12	फुलेरा	1	0	0	1	1	1
13	शाहपुरा	1	0	1	1	1	0
14	विराटनगर	0	1	0	1	1	1
15	जोबनेर	0	1	1	1	1	0
16	बगरू	0	1	0	1	1	1
17	किशनगढ़ रेनवाल	0	1	1	1	1	0
18	बस्सी	0	1	0	1	1	1
19	पावटा	0	1	1	1	1	0
20	राजगढ़	1	0	0	1	1	1
21	खेडली	1	0	1	1	1	0
22	तिजारा	1	0	0	1	1	1
23	खैरथल	1	0	1	1	1	0
24	बहरोड	1	0	0	1	1	1
25	किशनगढ़ बास	0	1	1	1	1	0

26	थानागाजी	0	1	0	1	1	1
27	लक्ष्मणगढ	0	1	1	1	1	0
28	रामगढ	0	1	0	1	1	1
29	बांनसूर	0	1	1	1	1	0
30	बांदीकूँझ	1	0	0	1	1	1
31	लालसोट	1	0	1	1	1	0
32	महवा	0	1	0	1	1	1
33	मण्डावरी	0	1	1	1	1	0
34	फतेहपुर	1	0	0	1	1	1
35	नीमकाथाना	1	0	1	1	1	0
36	लक्ष्मणगढ (सीकर)	1	0	0	1	1	1
37	रामगढ शेखावाटी	1	0	1	1	1	0
38	श्रीमाधोपुर	1	0	0	1	1	1
39	खण्डेला	0	1	1	1	1	0
40	रींगस	0	1	0	1	1	1
41	लोसल	0	1	1	1	1	0
42	खाटूश्यामजी	0	1	0	1	1	1
43	बिसाऊ	1	0	1	1	1	0
44	पिलानी	1	0	0	1	1	1
45	नवलगढ	1	0	1	1	1	0
46	चिडावा	1	0	0	1	1	1
47	बगड	1	0	1	1	1	0
48	खेतडी	0	1	0	1	1	1
49	मण्डावा	0	1	1	1	1	0
50	मुकुन्दगढ	0	1	0	1	1	1
51	सूरजगढ	0	1	1	1	1	0
52	हवाटी	0	1	0	1	1	1
53	विघाविहार	0	1	1	1	1	0

उदयपुर संभाग

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी सहायक	आई टी एक्सपर्ट	पटवारी / गरदावर	सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
1	उदयपुर नगर निगम	2	0	2	2	2	2
2	बांसवाडा नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
3	चित्तोडगढ़नगर परिषद	1	0	1	1	2	1
4	प्रतापगढ़ नगर परिषद	1	0	1	1	2	1
5	राजसमन्द नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
6	झूँगरपुर नगर परिषद	1	0	1	1	2	1
7	कानोड़	1	0	1	1	1	0
8	फतेहनगर	0	1	0	1	1	1
9	भीण्डर	1	0	1	1	1	0
10	सलूम्बर	0	1	0	1	2	1
11	कुशलगढ़	1	0	1	1	1	0
12	परतापुरगढ़ी	0	1	0	1	1	1
13	निम्बाहेडा	1	0	1	1	1	0
14	रावतभाटा	0	1	0	1	2	1
15	कपासन	1	0	1	1	1	0
16	बैंगू	0	1	0	1	1	1
17	बड़ी सादड़ी	1	0	1	1	1	0
18	छोटी सादड़ी	0	1	0	1	1	1
19	आमेट	1	0	1	1	2	0
20	नाथद्वारा	0	1	0	1	1	1
21	देवगढ़	1	0	1	1	1	0
22	सागवाडा	0	1	0	1	1	1

भरतपुर संभाग

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी सहायक	आई टी एक्सपर्ट	पटवारी / गिरदावर	सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
1	भरतपुर नगर निगम	2	0	2	2	1	1
2	सवाईमाधोपुर नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
3	गंगापुरसिटी नगर परिषद	1	0	1	1	1	0
4	करौली नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
5	हिणडौन नगर परिषद	1	0	1	1	1	0
6	धौलपुर नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
7	वैर	1	0	1	1	1	0
8	बयाना	0	1	0	1	1	1
9	भूसावर	1	0	1	1	1	0
10	डीग	0	1	0	1	1	1
11	कामां	1	0	1	1	1	0
12	कुम्हेर	0	1	0	1	1	1
13	नदबई	1	0	1	1	1	0
14	नगर	0	1	0	1	1	1
15	रूपवास	1	0	1	1	1	0
16	सीकरी	0	1	0	1	1	1
17	उच्चैन	1	0	1	1	1	0
18	बामनवास	0	1	0	1	1	1
19	टोड़ाभीम	1	0	1	1	1	0
20	सपोटरा	0	1	0	1	1	1
21	राजाखेड़ा	1	0	1	1	1	0
22	बाड़ी	0	1	0	1	1	1
23	सरमथुरा	1	0	1	1	1	0
24	बसेडी	0	1	0	1	1	1

जोधपुर संभाग

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी सहायक	आई टी एक्सपर्ट	पटवारी/ गिरदावर	सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
1	जोधपुर उत्तर नगर निगम	2	0	1	1	1	1
2	जोधपुर दक्षिण नगर निगम	2	0	1	1	1	1
3	जैसलमेर नगर परिषद	1	0	1	1	1	0
4	बाडमेर नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
5	बालोतरा नगर परिषद	1	0	1	1	1	0
6	सिरोही नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
7	पाली नगर परिषद	1	0	1	1	1	0
8	सुमेरपुर नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
9	जालौर नगर परिषद	1	0	1	1	1	0
10	फलौदी	0	1	0	1	1	1
11	पीपाडसिटी	1	0	1	1	1	0
12	बिलाडा	0	1	0	1	1	1
13	भोपालगढ़	1	0	1	1	1	0
14	पोकरण	0	1	0	1	1	1
15	माउण्टआबू	1	0	1	1	1	0
16	पिण्डवाडा	0	1	0	1	1	1
17	शिवगंज	1	0	1	1	1	0
18	आबूरोड	0	1	0	1	1	1
19	जावाल	1	0	1	1	1	0
20	सोजतसिटी	0	1	0	1	1	1
21	सादडी	1	0	1	1	1	0
22	बाली	0	1	0	1	1	1
23	तखतगढ़	1	0	1	1	1	0
24	रानीखुर्द	0	1	0	1	1	1
25	जैतारण	1	0	1	1	1	0
26	फालना स्टेशन	0	1	0	1	1	1
27	भीनमाल	1	0	1	1	1	0
28	सांचौर	0	1	0	1	1	1

बीकानेर संभाग

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी सहायक	आई टी एक्सपर्ट	पटवारी/गिरदावर	सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
1	बीकानेर नगर निगम	2	0	2	2	1	1
2	चुरू नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
3	सुजानगढ़ नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
4	श्री गंगानगर परिषद	1	0	1	1	1	1
5	हनुमानगढ़ नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
6	नोखा	1	0	1	1	1	0
7	देशनोक	0	1	0	1	1	1
8	श्री झुँगरगढ़	1	0	1	1	1	0
9	राजगढ़	0	1	0	1	1	1
10	रतनगढ़	1	0	1	1	1	0
11	सरदारशहर	0	1	0	1	1	1
12	छापर	1	0	1	1	1	0
13	बींदासर	0	1	0	1	1	1
14	रतननगर	1	0	1	1	1	0
15	तारानगर	0	1	0	1	1	1
16	राजलदेसर	1	0	1	1	1	0
17	सूरतगढ़	0	1	0	1	1	1
18	रायसिंहपुर	1	0	1	1	1	0
19	गजसिंहपुर	0	1	0	1	1	1
20	केसरीसिंहपुर	1	0	1	1	1	0
21	श्रीकरणपुर	0	1	0	1	1	1
22	अनुपगढ़	1	0	1	1	1	0
23	श्री विजयनगर	0	1	0	1	1	1
24	साठुलशहर	1	0	1	1	1	0
25	पदमपुर	0	1	0	1	1	1
26	लालगढ़-जाटन	1	0	1	1	1	0
27	संगरिया	0	1	0	1	1	1
28	नोहर	1	0	1	1	1	0
29	भादरा	0	1	0	1	1	1
30	रावतसर	1	0	1	1	1	0
31	पीलिबंगा	0	1	0	1	1	1

कोटा संभाग

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी सहायक	आई टी एक्सपर्ट	पटवारी/गिरदावर	सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
1	कोटा (उतर) नगर निगम	2	0	1	1	1	1
2	कोटा (दक्षिण) नगर निगम	2	0	1	1	1	1
3	बून्दी नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
4	बांरा नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
5	झालावाड नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
6	कैथून	0	1	1	1	1	0
7	संगोद	1	0	0	1	1	1
8	रामगंजमण्डी	0	1	1	1	1	0
9	ईटावा	1	0	0	1	1	1
10	सूल्तानुपर	0	1	1	1	1	0
11	लाखेरी	1	0	0	1	1	1
12	केशोरायपाटन	0	1	1	1	1	0
13	नैनवा	1	0	0	1	1	1
14	कापरेन	0	1	1	1	1	0
15	इन्द्रगढ	1	0	0	1	1	1
16	अन्ता	0	1	1	1	1	0
17	छबडा	1	0	0	1	1	1
18	मंगरोल	0	1	1	1	1	0
19	अटरू	1	0	0	1	1	1
20	भवानीमण्डी	0	1	1	1	1	0
21	चिडावा	1	0	0	1	1	1
22	अकलेरा	0	1	1	1	1	0
23	झालरापाटन	1	0	0	1	1	

अजमेर संभाग

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	अरबन प्लानर प्रथम	अरबन प्लानर द्वितीय	तकनीकी सहायक	आई टी एक्सपर्ट	पटवारी/गिरदावर	सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
1	अजमेर नगर निगम	2	0	2	2	1	1
2	किशनगढ़ नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
3	ब्यावर नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
4	टोंक नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
5	नागौर नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
6	भीलवाड़ा नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
7	मकराना नगर परिषद	1	0	1	1	1	1
8	विजय नगर	1	0	1	1	1	1
9	केकड़ी	1	0	1	1	1	0
10	सरवाड	1	0	0	1	1	1
11	पुष्कर	1	0	1	1	1	0
12	नर्सीराबाद	0	1	0	1	1	1
13	टोड़ारायसिंह	0	1	1	1	1	0
14	मालपुरा	1	0	0	1	1	1
15	निवाई	1	0	1	1	1	0
16	देवली	1	0	0	1	1	1
17	उनियारा	0	1	1	1	1	0
18	लाउनू	0	1	0	1	1	1
19	मेडता सिटी	1	0	1	1	1	0
20	कुचामन सिटी	1	0	0	1	1	1
21	परबतसर	1	0	1	1	1	0
22	नावां	0	1	0	1	1	1
23	कुचेरा	0	1	1	1	1	0
24	मूण्डवा	0	1	0	1	1	1
25	डीडवाना	0	1	1	1	1	0
26	डेगाना	0	1	0	1	1	1
27	शाहपुरा	1	0	1	1	1	0
28	जहाजपुरा	1	0	0	1	1	1
29	माण्डलगढ़	1	0	1	1	1	0
30	गांगापुर	0	1	0	1	1	1
31	आर्सीद	0	1	1	1	1	0
32	गुलाबपुरा	0	1	0	1	1	1

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/3/04/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 24 सितम्बर, 2020

आदेश

राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिये समय-समय पर अर्जित एवं अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे के भुगतान स्वरूप विकसित भूमि देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपत्र निर्देश भी जारी किये गये हैं जिनका सुलभ-सन्दर्भ हेतु संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

- (i) **आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/89, दिनांक 13.12.2001** – पुराने प्रकरणों जिनमें अवार्ड घोषित नहीं हुआ हो तथा भविष्य में अवाप्ति के प्रकरणों व कतिपय शर्तों के साथ 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड (केवल आवासीय) मुआवजे स्वरूप देने के आदेश दिये गये।
- (ii) **आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 27.10.2005** – भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में मुआवजा स्वरूप कतिपय शर्तों के साथ अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गयी है। भूमि का आवंटन उसी भूमि/योजना में सम्भव नहीं हो, तो नकद मुआवजा दिया जायेगा। यह प्रावधान भविष्य के प्रकरणों में लागू किया गया इससे पूर्व जिन प्रकरणों में अवार्ड घोषित किया जा चुका था या मुआवजे का भुगतान/न्यायालय में जमा करवाया जा चुका है या 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान अवार्ड में किया जा चुका है उनमें यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। पाँच अधिकारियों की आवंटन समिति गठित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में अपनी अभिशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा।
- (iii) **आदेश क्रमांक: प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 03.12.2007** – स्पेशल इकोनोमिक जोन में पृथक् मापदण्ड किये गये जिनके अनुसार आवासीय/आबादी भूमि के बदले 40 प्रतिशत आवासीय एवं 10 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि आवंटित करने, वाणिज्यिक भूमि के अवाप्ति के बदले 50 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि आवंटित करने और 90-बी की पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न हुई। भूमि की अवाप्ति के बदले 30 प्रतिशत आवासीय एवं 7.5 प्रतिशत वाणियिक भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान किया गया।
- (iv) **आदेश क्रमांक : प. 6 (18) नविवि/03/2007, दिनांक 12.08.2010** – सभी योजनाओं हेतु अवाप्तशुदा भूमि के एकज में प्रदान की जाने वाली विकसित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में जारी आरक्षण पत्र/आवंटन पत्रों में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण रूपये 25/- प्रति वर्गमीटर का शुल्क वसूल किया जाकर नाम हस्तान्तरण करने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (v) **आदेश क्रमांक : प. 7 (11) नविवि/2014 ,दिनांक 22.10.2014** – अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। योजना में 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि उपलब्ध नहीं हो की स्थिति में 10 प्रतिशत आवासीय भूमि आवंटन की जावेगी। भूमि के बदले आवंटन हेतु 5 अधिकारियों की आवंटन समिति गठित की जायेगी।
- (vi) **आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 03.02.2015** – जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गयी है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है, तो ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि

देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.04.2015 तक बढ़ायी गयी लेकिन दिनांक 27.10.2005 के पूर्व के प्रकरणों में मुआवजा स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित भूमि और इसके बाद के प्रकरणों में 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का प्रावधान यथावत रखा गया।

- (vii) आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 13.02.2015-भूमि अवाप्ति के अवार्ड में यदि नकद मुआवजे का अंकन किया गया है तथा भूमि देने का प्रावधान अवार्ड में नहीं किया गया है। ऐसे खातेदारों को परिपत्र दिनांक 03.02.2015 के अनुसार भूमि दी जा सकेगी, बशर्ते कि खातेदार द्वारा नकद राशि प्राप्त नहीं की गई है।
- (viii) आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 04.06.2015- के द्वारा विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि 31.08.2015 तक बढ़ायी गयी है।
- (ix) आदेश क्रमांक प. 6 (20) नविवि/03/2004, दिनांक 13.04.2017 - के द्वारा विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि 30.09.2017 तक बढ़ायी गयी। जिन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हुई, क्योंकि खातेदार से कब्जा नहीं लिया गया है एवं जिन खातेदारों ने राशि नहीं उठायी है, केवल उन्हीं को विकल्प का मौका दिया जायेगा।
- (x) आदेश क्रमांक प. 3 (176) नविवि/03/1984, दिनांक 25.04.2017- मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिए जारी उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-23 के अनुसार भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरण जिनमें खातेदार द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है, ऐसे खातेदारों को विकल्प प्रस्तुत की कट-ऑफ डेट दिनांक 30.09.2017 की गई। आदेश क्रमांक : प. 2 (30) नविवि/03/2016, दिनांक 15.01.2018 एवं प.3 (176) नविवि/03/1984 दिनांक 20.07.18 के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना में आवेदन प्राप्त करने एवं योजना की अवधि 31.12.2018 तक बढ़ाई गई।
- (xi) आदेश क्रमांक प. 7 (9) नविवि/2017, दिनांक 02.08.2017 – भूमि जिस योजना के लिए अवाप्ति की गयी, उसी योजना में दी जा सकेगी। सेक्टर रोड हेतु ली जाने वाली भूमि के बदले उसी स्थान/क्षेत्र/योजना में दी जावे। यहाँ यदि भूमि उपलब्ध नहीं हो, तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यत्र भूमि दी जा सकती है।
- (xii) आदेश क्रमांक : प. 2 (31) नविवि/2017, दिनांक 02.08.2017- अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। निकायों, न्यास, मण्डल, प्राधिकरण के स्तर पर विकसित भूमि का पट्टा खातेदार को ही दिया जावे।
- (xiii) आदेश क्रमांक : प. 7 (11) नविवि/2014, दिनांक 13.08.2018-अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु आदेश दिनांक 22.12.2014 के द्वारा गठित स्थानीय स्तर की समिति के गठन में संशोधन करते हुए प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के आयुक्त को भी जोड़ा गया।
- (xiv) आदेश क्रमांक : प. 7 (111) नविवि/03/2013 पार्ट, जयपुर दिनांक 20.08.2018-भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1984 की धारा 4 (1) के पश्चात् व अवार्ड जारी होने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान की गयी भूमि के मुआवजे के संबंध में (दिनांक 31.10.2018 तक) प्रभावी। नियमानुसार विकसित भूमि देय होने पर क्रेता द्वारा 100 रु. प्रति वर्गमीटर से राशि देय होगी।
- (xv) आदेश क्रमांक : प. 7 (1) नविवि/2019, दिनांक 13.09.2019-नये अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) व धारा 101 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति से मुक्ति अथवा पुनः अवाप्ति की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- (xvi) आदेश क्रमांक प. 7 (1) नविवि/2019, दिनांक 13.02.2020- अवाप्ति अधिनियम 1894 व नये अवाप्ति

अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विकसित भूमि देने के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के साथ चैकलिस्ट में राज्य सरकार को भेजे जाने और राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 एवं नगर सुधार अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत समझौते से भूमि क्रय या विनिमय की कार्यवाही स्थानीय स्तर पर की जा सकती है, लेकिन अन्य योजनाओं में भूमि देने के प्रस्ताव होने पर औचित्य के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावे।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के बावजूद भी नगरीय निकायों (यथा नगरपालिका मण्डल/परिषद/नियम, राजस्थान आवासन मण्डल, विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्याय) के यहाँ काफी संख्या में ऐसे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं, जिनमें :-

- (i) भूमि का अवार्ड जारी हो चुका है, किन्तु मुआवजा खातेदार/उसके वारिसान/हितधारी को नहीं मिला है, अथवा
- (ii) भूमि का अवार्ड जारी हो चुका है तथा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है लेकिन संबंधित खातेदार/उसके वारिसान/हितधारी को मुआवजा नहीं मिला है, अथवा
- (iii) भूमि का अवार्ड आदेश होने के बाद नगरीय निकाय के पक्ष में भूमि का नामान्तरण दर्ज हो चुका है, पेपर पजेशन भी नगरीय निकाय के द्वारा लेना दर्शाया हुआ है, लेकिन भौतिक रूप से कब्जा आज भी खातेदार/हितधारी का है, अथवा
- (iv) तत्समय प्रभावी भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना के बाद अथवा अवार्ड जारी होने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरण हो गये है तथा भूमि का मुआवजा किसी को नहीं मिला है, अथवा
- (v) अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा भौतिक रूप से नगरीय निकाय द्वारा लिया गया जा चुका है किन्तु मुआवजे का भुगतान खातेदार/हितधारी को नहीं किया गया है, अथवा
- (vi) अवार्ड जारी हो जाने के बाद अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा नगरीय निकाय को प्राप्त नहीं हुआ है तथा मुआवजे का भुगतान नहीं होने से न्यायालय में विवाद चल रहे हैं अथवा
- (vii) भूमि का मुआवजा सक्षम न्यायालय में जमा करा दिया गया है किन्तु योजना की क्रियान्वित (उक्त खसरा/स्थान पर) नहीं हुई है, क्योंकि खातेदार से भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है एवं खातेदार ने मुआवजा राशि नहीं उठाई है, अथवा
- (viii) भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर योजना की क्रियान्वित की जा चुकी है किन्तु खातेदार को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि न्यायालय में मुआवजा राशि जमा है, अथवा
- (ix) बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये ही भूमि अर्जित करके उसका उपयोग नगरीय निकाय के द्वारा कर लिया गया है, किन्तु भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।

वर्तमान में शहरी निकायों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति, न्यायालयों में लम्बे समय से नगरीय निकायों का करोड़ों रुपया जमा होने, न्यायिक वादों में खर्चाली प्रक्रिया होने के कारण एवं लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विकास योजनाओं के लिए नगरीय निकायों को भूमि की आवश्यकता, वर्ष 2013 में लागू नये केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून के तहत भूमि अवाप्त करने की खर्चाली एवं जटिल प्रक्रिया, अपनी भूमि के मुआवजे के लिये परेशान जनता को राहत प्रदान करने तथा नकद मुआवजे के स्थान पर विकसित भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य के समस्त नगरीय निकायों, यथा-विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यासो, नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहाँ भूमि के मुआवजे के भुगतान के संबंध में लम्बित उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित सभी प्रकार के प्रकरणों, जिनमें अवार्ड यदि दिनांक 27.10.2005 से पूर्व का है, तो उनमें 15 प्रतिशत आवासीय तथा दिनांक 27.10.2005 के पश्चात् का अवार्ड है तो उन योजनाओं में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यवसायिक) विकसित भूमि संबंधित खातेदार या उसके वारिसान या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (Duly registered and duly stamped document) से पश्चातवर्ती अन्तिम क्रेता, जैसी भी स्थिति हो, को निम्नांकित शर्तों

के अन्तर्गत आवंटित की जा सकेगी:-

- (i) यदि भूमि के स्वामित्व अथवा मुआवजे के संबंध में किसी न्यायालय में विवाद लग्भित है तो वादी द्वारा उसको विड़ा किया जावे अथवा संबंधित पक्ष उसे खारिज करवाये।
- (ii) यदि भूमि का अवार्ड हो चुका है तथा मुआवजा न्यायालय में जमा है, भूमि की नगरीय निकाय को क्षेत्रीय विकास हेतु आवश्यकता है, तो संबंधित नगरीय निकाय द्वारा न्यायालय में जमा मुआवजे की राशि को विड़ा किया जाये तथा खातेदार/हितकारी को 15/25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाये।
- (iii) मुआवजे के बदले 15/25 प्रतिशत भूमि उसी भूमि/योजना में से आवंटित की जाये और यदि समय नहीं हो तो कारण अंकित करते हुए उसके समकक्ष/समतुल्य भूमि में से आवंटित की जाये।
- (iv) भूमि के बदले जिस व्यक्ति को भूमि आवंटित की जाये, उससे 500/- रुपये के स्टाम्प पर यह अप्डेरेटिंग प्राप्त की जाये कि उसे अब तक नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किया है और यदि अवाप्त/अर्जित भूमि के स्वामित्व या हक के बारे में कोई विवाद पैदा हुआ तो ऐसे प्रकरण में जिम्मेदारी उसकी होगी तथा निकाय को आवंटित भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (v) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1), 6 व अवार्ड तथा नगर सुधार अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत पारित आदेश के पश्चात् पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि क्रय की जा चुकी है, उनमें विकसित भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। 100/- प्रति वर्गमीटर की दर से राशि देय होगी।
- (vi) जिन योजनाओं में 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि उपलब्ध नहीं है उनमें 25 प्रतिशत (20+5 प्रतिशत) के स्थान पर 30 प्रतिशत आवासीय भूमि आवंटन की जा सकेगी। व्यवसायिक योजना जिनमें अवार्ड दिनांक 27.10.2005 से पूर्व का है, उनमें 7.5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि तथा दिनांक 27.10.2005 से पूर्व का है उनमें 7.5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि तथा दिनांक 27.10.2005 के पश्चात् की अवार्ड शुदा योजना में 15 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि आवंटन की जा सकेगी।
- (vii) अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि यथासम्भव उसी योजना में उसी स्थान पर/उसके पास में (निर्मित भवन होने पर जहाँ भवन स्थित हो) दी जावेगी। निर्मित भवन का पृथक् से मुआवजा देय नहीं होगा। निर्मित भवन के स्थान पर आवंटन नहीं होने पर यदि अवार्ड में स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वीकृत है तो भवन का मुआवजा देय होगा।
- (viii) मुआवजे के बदले 15/25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का विकल्प खातेदार/हितधारी द्वारा दिये जाने की नियत तिथि अब 30.09.2021 तक बढ़ाई जाती है और जिसने अब तक विकल्प प्रस्तुत ही नहीं किया है तो वह भी अब दिनांक 30.03.2021 तक विकसित भूमि के विकल्प दे सकेगा।
- (ix) ऐसे मामले, जिनमें बिना अवाप्ति कार्यवाही के ही खातेदार की भूमि अर्जित कर उसका उपयोग नगरीय निकाय द्वारा कर लिया गया है, लेकिन उसका मुआवजा खातेदार/वारिसान/हितधारी को प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें उपरोक्तानुसार अप्डेरेटिंग लेकर नकद राशि के बजाय अर्जित भूमि की 25 प्रतिशत विकसित भूमि मुआवजे स्वरूप दी जा सकेगी, भले ही भूमि का अर्जन वर्ष 2005 से पूर्व का हो या बाद का।
- (x) जिन प्रकरणों में आवंटन की कार्यवाही/निर्णय) हो चुका है उसको पुनः नहीं खोला जायेगा।
- (xi) अलसर एक्ट या अन्य कानून (नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि को छोड़कर) के तहत अवाप्त भूमि के संबंध में यह आदेश लागू नहीं होगा।
- (xii) राजकीय विभाग अथवा नगरीय निकाय के स्वामित्व की भूमि के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।
- (xiii) भूमि के बदले विकसित भूखण्ड देने के उपरान्त सभी मामलों के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर गठित आवंटन समिति की अनुशंसा के साथ निर्धारित चैकलिस्ट में संबंधित नगरीय निकाय (यथा नगरपालिका मण्डल/परिषद/निगम, विकास

- प्राधिकरण, नगर विकास न्यास या राजस्थान आवासन मण्डल) द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे जायेंगे और राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही विकसित भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी।
4. वर्ष 2013 के भूमि अवाप्ति के नये अधिनियम की धारा 24 (2) एवं धारा 101 के अन्तर्गत अवाप्तशुद्धा भूमि के उपयोग में नहीं आने की स्थिति में कार्यवाही के प्रस्ताव विभागीय आदेश क्रमांक प. 7 (1) नविवि/2019, दिनांक 13.09.2019 के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाये।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 तथा नगर सुधार अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत क्रय कर आपसी समझौते से एग्रीमेन्ट तथा एक्सचेंज (विनियम) से प्राप्त भूमि के बदले विकसित भूखण्ड प्राधिकरण अथवा न्यास स्तर पर ही आवंटन किये जा सकते हैं। भूमि के बदले भूखण्ड उसी योजना में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र भूमि दी जा सकती है, लेकिन दी जाने वाली भूमि अन्य योजना में होने की स्थिति में दोनों स्थानों की समान दर पर आकलन किया जायेगा। जहाँ भूमि अन्यत्र योजना में दी जाना प्रस्तावित हो तो ऐसे आवंटन के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)

शासन संयुक्त सचिव—प्रथम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:—प.6(29)नविवि / 3 / 04 पार्ट

जयपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2020

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2020 के पैरा संख्या—3 के खण्ड (viii) के पश्चात् नवीन खण्ड (viii-a) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

(viii-a)-नगरीय निकाय की योजनाओं से सम्बन्धित भूमि अवाप्ति के ऐसे मामले जिनका अवार्ड दिनांक 27.10.2005 से पूर्व जारी हो चुका था लेकिन मुआवजे को लेकर खातेदार के साथ विवाद होने से भूमि का अभी तक कब्जा नहीं लिया जा सका है और नगरीय निकाय के द्वारा ऐसी भूमियों पर योजना की क्रियान्वति नहीं हो पाई है उनमें नगरीय निकाय की स्पष्ट अनुशंसा एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार की अनुमति से 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि के स्थान पर 15 प्रतिशत मिश्रित उपयोग की भूमि अथवा 20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि, जैसी भी भूमि की उपलब्धता हो आवंटित की जा सकेगी। नगरीय निकायों की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु यदि नगरीय निकायों द्वारा अन्य प्रकार के प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी हेतु भेजे जाते हैं तो सरकार उस पर निर्णय कर आदेश जारी कर सकेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/3/04/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 30 जुलाई, 2021

आदेश

अवाप्त भूमि के बदले भूमि एवं उस हेतु भूमियों की राशि का मूल्यांकन में एकरूपता एवं मानकीकरण की कमी के कारण विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीके अपनाये जा रहे हैं जिससे विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती है। इस कारण ऐसे प्रकरणों में विलम्ब एवं काश्तकारों/खातेदार/आमजन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार में सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने संबंधी प्रकरणों के सरलीकरण एवं एकरूपता हेतु निम्न प्रकार मानक (मापदण्ड) स्थापित किये जाते हैं-

1. अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि उसी योजना में आवंटित किये जाने के संबंध में – अनिवार्य अवाप्ति की योजनाओं में मुख्य रूप से भूमि की अवाप्ति केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 (1), 6 व 11 के अन्तर्गत अवार्ड स्वीकृत कर की गई है, अवार्ड मुख्य रूप से नकद मुआवजे का है एवं आंशिक रूप से कुछ मामलों में विकसित भूमि देने का उल्लेख अवार्ड में किया हुआ है। ऐसी योजनाओं में सामान्यतया कृषि भूमि की अवाप्ति की जाती है तथा अवाप्त की गई भूमि के बदले 15 प्रतिशत व 25 (20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत व्यवसायिक) प्रतिशत विकसित भूमि उसी योजना में ही दी जाती है।

2. अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि अन्य योजना में आवंटित किये जाने के संबंध में – जिन योजनाओं हेतु भूमि अवाप्त की गई है, वहाँ भूमि की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में विकसित भूमि अन्य योजना में दी जाती है तो जिस योजना में भूमि अवाप्त की गई है, उस योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर (आवासीय/व्यवसायिक) व डी.एल.सी. दर (आवासीय/व्यवसायिक) में से जो भी अधिक हो, उससे भूमि के मूल्यांकन की तुलना की जावे। अवाप्त की गई योजना की आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर जितनी प्रतिशत अधिक/कम होगी, उतनी ही प्रतिशत भूमि कम/अधिक दी जावेगी।

उदाहरणार्थ-यदि किसी X योजना (जिसका अवार्ड दिनांक 27.10.2005 के पश्चात् का है) में 400 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है तो उस योजना में विकसित भूमि तालिका अनुसार देय है-

तालिका-A

400 वर्गमीटर भूमि की विकसित भूमि 25 प्रतिशत	100 वर्गमीटर
400 वर्गमीटर भूमि की आवासीय 20 प्रतिशत	80 वर्गमीटर
400 वर्गमीटर भूमि की व्यवसायिक 5 प्रतिशत	20 वर्गमीटर

यदि X योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर में से अधिक दर रुपये 2000/- प्रति वर्गमीटर है तथा व्यवसायिक दर रुपये 4000/- प्रति वर्गमीटर है, तो अन्य Y योजना जिसमें विकसित भूमि दी जानी है। उस योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर में से से अधिक दर 3000/- प्रति वर्गमीटर है तथा व्यवसायिक दर 6000/- प्रति वर्गमीटर है, तो विकसित भूमि तालिका-B अनुरूप देय होगी-

तालिका-B

कुल विकसित भूमि	100 x 2000/3000	66.66 वर्गमीटर
आवासीय विकसित भूमि	80 x 2000/3000	53.33 वर्गमीटर
व्यवसायिक विकसित भूमि	20 x 4000/6000	13.33 वर्गमीटर

इस प्रकार Y योजना की दर X योजना से अधिक होने के कारण के कारण विकसित भूमि तालिका-A के स्थान पर तालिका-B के अनुसार देय होगी। अतः जिस अनुपात में विकसित भूमि दी जाने वाली योजना की दर से अधिक/कम होगी, उसी अनुपात में विकसित भूमि कम/अधिक देय होंगे।

3. आपसी समझौते से अवाप्त की गई भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में – जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 तथा नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत क्रय कर आपसी समझौते से एग्रीमेन्ट तथा एक्सचेंज (विनिमय) से प्राप्त की गई भूमि के बदले उसी योजना या अन्य योजना में विकसित भूमि दिये जाने पर समतुल्य भूमि की तुलना निम्न प्रकार की जावेगी-

अवाप्त की गई भूमि की किस्म/प्रयोजन के अनुसार डी.एल.सी. दर से भूमि का मूल्य तथा दी जाने वाली विकसित भूमि उसी योजना/उसी डी.एल.सी. दर के क्षेत्र में अथवा अन्य योजना में डी.एल.सी. (आवासीय/व्यवसायिक) दर से भूमि के मूल्य की तुलना अवाप्त भूमि के मूल्य से करते हुए दी जाने वाली भूमि की गणना की जावेगी।

उदाहरणार्थ—यदि अवाप्त की गई दो बीघा कृषि भूमि है (5000 वर्गमीटर) तथा 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय है। कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर रुपये 5.0 लाख प्रति बीघा है तथा आवासीय की डी.एल.सी. दर रुपये 10000/- प्रति वर्गमीटर है, तो-

अवाप्त कृषि भूमि की कीमत	$5.0 \times 2 = 10.0$ लाख
आवासीय भूमि की कीमत	$500 \times 10000 = 50$ लाख
अवाप्त भूमि का कुल मूल्य	60.0 लाख

यदि विकसित भूमि उसी योजना/समान आवासीय डी.एल.सी. क्षेत्र में दी जा रही है, तो:-

दी जाने वाली विकसित भूमि का क्षेत्रफल 600 लाख + 10 हजार	600 वर्गमीटर आवासीय भूमि
--	--------------------------

तथा अन्य योजना जहाँ विकसित भूमि दी जानी है उस योजना की आवासीय डी.एल.सी. दर रु. 30000/- प्रति वर्गमीटर है, तो दी जाने वाली विकसित भूमि निम्न प्रकार देय होगी-

भूमि का कुल मूल्य	60.0 लाख
दी जाने वाली विकसित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	60.0 लाख - 30000 - 200 वर्गमीटर आवासीय भूखण्ड

ऐसे समस्त प्रकरणों में राज्य सराकर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी. 3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर-302005)

टेलीफौक्स 0141-2222403, ईमेल -stplsg407@rajasthan.com, वेबसाईट -www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : भूमि एफ. 7 (8) ()/डीएलसी/2020/4436

दिनांक : 11.11.2020

आदेश

विषय : राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिये आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों, समाजों आदि का भूमि आवंटन के मापदण्ड आदि निर्धारित किये गये हैं। कई प्रकरणों में नगर निगमों, नगर परिषद एवं नगर पालिका मण्डलों को भी कुछ सीमा तक भूमि आवंटन की शक्तियाँ दी गयी हैं।

इस संदर्भ में अब सभी नगरीय निकायों (नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं) को निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी संस्था को चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमत न हो या रियायती दर पर हो। प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

यदि किसी अधिकारी के द्वारा इन आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भू-आवंटन किया गया तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देश/आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 3 (55) नविवि/3/2002/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 05 जुलाई, 2021

आदेश

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 25 जून, 2021 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा जारी की गई भूमि आवंटन नीति-2015 में विभागीय समसंब्यक आदेश दिनांक 30.06.2020 के बिन्दु सं. 9.3 में निम्नानुसार राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, जिसके क्रम में राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक भूमि का आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर से किया जाना सुनिश्चित करावें:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर-2000 व.मी. तक तथा अन्य स्थान पर-3000 व. मी. तक
2.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय	संभागीय मुख्यालय पर-4000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर-6000 व.मी. तक
3.	महाविद्यालय (सामान्य तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आई.टी.आई. सहित)	संभागीय मुख्यालय पर-10,000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर-13,000 व.मी. तक
4.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आवंटन।	1000 व. मी. तक
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 व. मी. तक
6.	उप स्वास्थ्य भवन	500 व. मी. तक
7.	पुलिस थाना	2000 व. मी. तक
8.	पुलिस चौकी	500 व. मी. तक
9.	अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय	500 व.मी. तक
10.	अन्य तहसील/पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय	4000 व. मी. तक
11.	अन्य उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय	5000 व.मी. तक

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से

(मनीष गोयल)
 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्य

अन्य विभागों से संबंधित कार्य : -

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :-**
वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन प्रकरण तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन।
- **जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्य :-**
पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना, खराब पडे सार्वजनिक नल व हैण्ड पम्प को ठीक करवाना।
- **उर्जा विभाग से संबंधित कार्य :-**
लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवनों के उपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पेंडिंग है, तो उन्हें जारी करना।
- **सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :-**
 - (i) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना।
 - (ii) नगर निकायों को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियाँ, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का हस्तांतरण नगर निकायों को करना।
- **राजस्व विभाग :-**
नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किया जाना।
- **महिला एवं बाल विकास विभाग :-**
महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण, कुपोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-**
कोविड टीकाकरण एवं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण।

प्रगति रिपोर्ट प्रपन्न

प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र

प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र विभागीय/अभियान की वेबसाइट पर उपलब्ध है:-

<https://urban.rajasthan.gov.in>


<http://lsg.urban.rajasthan.gov.in>

<https://shahar2021.rajasthan.gov.in>

.

विशिष्ट नोट

1. विभाग द्वारा मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन अभियान में आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसका उपयोग नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।
2. अभियान में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई छूट एवं शिथिलताओं से सम्बन्धित आदेशों और परिपत्रों का समावेश कर मार्ग-निर्देशिका प्रकाशित की गई है, जिसमें सम्बन्धित आदेशों और परिपत्रों का समावेश करने का पूर्ण प्रयास किया गया है।
3. मार्ग-निर्देशिका में समावेशित आदेशों और परिपत्रों इत्यादि में यदि सहवन से मुद्रण में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी सम्बन्धित मूल आदेश ही मान्य होगा।



नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
वेबसाईट: shahar2021.rajasthan.gov.in
ई-मेल: psksabhiyan21@gmail.com
हेल्प डेस्क : 1800 180 6127